षष्ठम् माला, खंड 28, अंक 4, गुरुवार, 12 जुलाई, 1979/21 आषाढ़, 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(आठवां सत्र)

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 1 से 6 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

विषय सूची

अंक 4, गुरुवार, 12 जुलाई, 1979 / 21 आषाढ़, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
* तारांकित प्रश्न संख्या : 61, 62, 64, 66 और 68	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—159
तारांकित प्रश्न संख्या : 65, 67 और 69 से 80	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 581, 583 से 713 और 715 से 756	
अतारांकित प्रश्न संख्या 11162 दिनांक 17-5-1979 में शुद्धि करने वाला बिवरण	160
सभा पटल पर रखे गए पत्र	163—164
समिति के लिये निर्वाचन राष्ट्रीय समुद्रयात्री कल्याण बोर्ड	165

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक 165

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाना

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव 165—235

श्री निर्मल चन्द्र जैन 166

श्री राजनारायण 167

श्री उग्रसेन 177

श्री वंसत साठे 182

श्री बी० पी० मंडल 186

श्री अमृत नाहटा 190

श्री अशोक कृष्ण दत्त 195

श्री पी० ए० संगमा 201

श्री ए० आर० बद्रीनारायण 204

श्री यादवेन्द्र दत्त 206

श्री सी० सुब्रह्मण्यम 211

श्री जार्ज फर्नांडिस 215

श्रीमती मोहसिना किदवई 229

श्री चन्द्र शेखर सिंह 233

दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई में व्यवधान के बारे में वक्तव्य 186

श्री सिकन्दर बख्त 186

लोक सभा

गुरुवार, 12 जुलाई, 1979/21 आषाढ़, 1901 (शक)

लोक सभा 11 बजकर 2 मिनट पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

श्री रामधारी शास्त्री (पदरौना) : अध्यक्ष महोदय, आज सारे दिल्ली महानगर में पानी नहीं है, जिसकी वजह से सारी जनता में हाहाकार मचा हुआ है। (**व्यवधान**) आप सरकार से इस बारे में बयान दिलाइये। सरकार को अभी बयान देना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर ध्यान दूंगा।

श्री रामधारी शास्त्री : डूबने के लिए तो छोड़िये, नहाने के लिए पानी नहीं है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कार्मिक संघों द्वारा 'नियमानुसार' काम करने का आह्वान

*61. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा 'नियमानुसार' काम करना शुरू किये जाने के फलस्वरूप रेलवे की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को काफी कठिनाइयां हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कार्मिक संघों के नाम क्या हैं जिन्होंने 'नियमानुसार' काम करने का आह्वान किया और उन कार्मिक संघों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने मई-जून, 1979 के दौरान 'नियमानुसार' काम किया था और रेलवे के नियमित कार्यकरण में बाधा डाली थी;

(ग) इन कर्मचारियों ने किन मुख्य मांगों को लेकर 'नियमानुसार' कार्य करना शुरू किया है;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई उपचारात्मक उपाय किये हैं; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

दि आल इन्डिया रेलवे एम्प्लाइज कानफेडरेशन, जो कि एक गैर मान्यता प्राप्त निकाय है, ने 8 मई, 1979 को 'नियमानुसार काम करो' एक आन्दोलन आरम्भ किया और 26 मई, 1979 को उसे वापस ले लिया । इस कानफेडरेशन में निम्नलिखित कोटिवार एसासिएशन शामिल हैं :—

1. इण्डियन रेलवे लोको मेकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन ।
2. आल इन्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन ।
3. इन्डियन रेलवे टिकट चैकिंग स्टाफ एसोसिएशन ।
4. आल इन्डिया रेलवे कामर्शियल क्लर्क्स एसोसिएशन ।
5. आल इन्डिया रेलवे मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन ।
6. आल इन्डिया गार्ड्स कौंसिल ।
7. इन्डियन रेलवे एस एन्ड टी स्टाफ एसोसिएशन ।

इस कानफेडरेशन को, 30-4-79 को एक बैठक के लिये बुलाया गया था और पुनः 14 और 19 मई के बीच की अवधि में एक बैठक के लिये बुलाया गया लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव का लाभ नहीं उठाया। 3-5-79 और 6-5-79 को उन्हें अपने आन्दोलन रवैया छोड़ने के लिए लिखित रूप में परामर्श भी दिया गया था । इस कानफेडरेशन ने बैठक के प्रस्ताव का लाभ नहीं उठाया और आन्दोलनात्मक रवैया छोड़ने के परामर्श पर भी कोई ध्यान नहीं दिया । इस आन्दोलन का रेलों के कार्य कलाप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और शायद ही किसी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन ने इसका समर्थन किया हो । यह प्रशंसनीय है कि आमतौर पर रेल कर्मचारियों के साथ दोनों मान्यताप्राप्त फेडरेशनों और भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने इस आन्दोलन में अपना सहयोग नहीं दिया ।

इस कानफेडरेशन की मुख्य मांग, मांगों का 'वह सूत्री मांग पत्र है, जो मई 1974 की हड़ताल से पूर्व रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बोनस भी शामिल है । उस चार्टर में उल्लिखित मांगों से सम्बन्धित स्थिति विवरण में दी गई है । इसके अतिरिक्त, इस कानफेडरेनन की 39 अन्य मांगें हैं जिममें रेल कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित व्यापक क्षेत्र को समन्वित किया गया है । 21-4-79 की बैठक में उन्हें स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।

विगत दो वर्षों की अवधि, में रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप के माध्यम से रेल कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करने वाले तथा 126 करोड़ रुपये से अधिक लागत के बहुत से विनिश्चिय किये गये हैं ।

एक अगली बैठक के लिये इस कानफेडरेशन को कहा गया है कि और बैठक की तिथि निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

विवरण

छः सूत्री मांगों के संबंध में स्थिति

	मांग	सम्बन्धित स्थिति
1.	(i) सभी रेल कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक माना जाये तथा उन्हें वार्ता के अधिकार सहित मजदूर यूनियनों के सभी अधिकार दिये जायें ।	(i) रेल कर्मचारी पहले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं । यद्यपि सेवा की शर्तों के अनुसार पारस्परिक रूप से उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाता है । क्योंकि मूल रूप से रेलों की प्रकृति जनता की सेवा है तथा वे अपने सामाजिक एवं सामारिक महत्व के कारण सरकार द्वारा सीधी चलाई जाती है ।
	(ii) रेल कर्मचारियों के कार्य घंटे घटाकर 8 घंटे प्रतिदिन कर दिये जायें ।	(ii) विभिन्न स्थितियों में काम करने वाले रेल कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिये उनके कार्य भार पर विचार किये बिना, प्रतिदिन 8 घंटे की एक समान कार्य घंटों की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती । किन्तु रेल कर्मचारियों के कार्य घंटों के संबंध में मियामाय अधिकरण के निर्णय को 1-8-74 से स्वीकार कर लिया गया है ।
	(iii) वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सभी रेल कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करके न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी की जरूरतों पर आधारित न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी की	(iii) और 2 मई, 1974 की हड़ताल से पूर्व श्रमिकों के साथ हुई बातचीत जिसमें यह सहमति हुई थी कि कार्य मूल्यांकन तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ही किया जायेगा, के फलस्वरूप सरकार द्वारा

1		2
	जरूरतों पर आधारित न्यूनतम वेतन के अनुसार उनका पुनवर्गीकरण तथा रिग्रेडेशन ।	कारखाना कर्मचारियों के पुनः-वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए अधिकरण बनाया गया है जिसमें मान्यता प्राप्त दो फेडरेशनों द्वारा मनोनीत श्रमिकों के दो प्रतिनिधि तथा दो सरकारी सदस्यों सहित एक निष्पक्ष अध्यक्ष है । अधिकरण से अप्रैल, 78 में प्राप्त अंतरिम सिफारिशों पर रेल मंत्रालय द्वारा पहले ही विचार किया गया है तथा संशोधित रूप में उनके कार्यान्वयन के आदेश अगस्त, 78 में जारी कर दिये गए थे ।
2.	कार्य मूल्यांकन तथा पुनः-वर्गीकरण पूरा होने तक ऐसे कर्मचारियों के वेतन को तत्काल केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के बराबर बनाना। जैसे एच० एम० टी०, बी० एच० ई० एल०, एच० एस० एल०, एन० ए० एल० इत्यादि ।	जहां तक वेतन में समानता लाने का प्रश्न है, तीसरे वेतन आयोग का यह मत था कि प्राइवेट या सार्वजनिक क्षेत्र के साथ वेतन की उचित समानता को रेल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन स्तर निर्धारित करने के लिए ठोस आधार के रूप में नहीं माना जा सकता । जो भी हो, यह एक ऐसा मामला है जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं तथा जहां तक रेल कर्मचारियों का संबंध है, रेल मंत्रालय द्वारा कोई भी एकतरफा कार्रवाई नहीं की जा सकती । यह वेतन, आय तथा मूल्य नीति से भी जुड़ा हुआ है ।
3.	वर्ष 1971-72 और 72-73 के लिये एक मास के वेतन	3. सरकार ने वेतन, आय तथा मूल्य जिनमें बोनस का प्रश्न

	1	2
	की दर के बराबर बोनस ।	भी शामिल है, के संबंध में अध्ययन दल की सिफारिशों पर मंत्रियों की एक समिति नियुक्ति की है जिसमें उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त गृह, श्रम उद्योग तथा पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। यह मामला अभी मन्त्रिमंडल समिति तथा वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है ।
4.	सभी नैमित्तिक रेल कर्मचारियों को नियमित करना तथा पूर्व व्याप्ति से सभी लाभों सहित उनका सेवा में स्थायीकरण ।	4. यद्यपि पूर्ण रूप से नियमित करने की आदर्श स्थिति को प्राप्त करना तत्काल संभव नहीं है, किन्तु नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित रूप से नियुक्त करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है । नियमित रिक्तियों आदि की कमी होने के कारण जिन व्यक्तियों को नैमित्तिक श्रमिक के रूप में जारी रखना पड़ता है, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं ।
5.	विभागीय रूप से चलाई जा रही दुकानों के माध्यम से पर्याप्य तथा सहायता प्राप्त खाद्यानों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था ।	5. उठाये गए मुद्दे पर अकेले रेल मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस बारे में सरकार को सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्णय करना होगा ।
6.	उत्पीड़न के सभी मामले वापस ले लिये जायें ।	6. निकट अतीत में कथित उत्पीड़न के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाये गए थे। उन पर विचार किया गया और प्रत्येक मामले के गुण-दोष के अनुसार ऐसी कार्रवाई की गई है जो अपेक्षित और व्यवहार्य थी ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : नियमानुसार काम का मतलब है असहयोग, और चूंकि इस विभाग का कोई नियम नहीं है कि कौन कितना काम करे, इसलिए इसका मतलब है बिल्कुल असहयोग। इससे गाड़ियां बिल्कुल ठप्प हैं और मुसाफिरों को बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन मन्त्री महोदय कहते हैं कि उसका कोई असर नहीं पड़ा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह असहयोग आन्दोलन अभी भी चल रहा है। दूसरे उनकी जो मांगें हैं, उनमें से 1974 के आसपास की पुरानी मांगें कितनी हैं और उनके बारे में सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, इस समय रेलवे के किसी भी क्षेत्र में नियमानुसार कार्य नहीं चल रहा है। जिस नियमानुसार कार्य का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वह मई में अथवा उससे पहले हुआ था। दूसरा प्रश्न उन्होंने उस मांग के बारे में उठाया है जिसके कारण नियमानुसार कार्य शुरू किया गया था। विवरण के मुख्य भाग के परिशिष्ट में यह जानकारी दी गई है।

माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इनमें से कुछ मांगें 1974 से पूर्व की हैं। आन्दोलन 1974 से जारी है। उसमें अनुमानतः 39 और मांगें बाद में जोड़ी गई हैं।

इन मुख्य मांगों के बारे में स्थिति परिशिष्ट में स्पष्ट कर दी गई है। इसलिये मुझे उन्हें विस्तार से लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल : मैंने यह पूछा था कि 1974 के आस-पास की कौन-सी मांगें हैं जिनके लिए आन्दोलन हो रहा है और उनमें अभी तक सरकार किन-किन पर कार्यवाही कर चुकी है, यह हमको बता दिया जाए। अभी तक इस पहले ही सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुख्य प्रश्न के उत्तर की एक प्रति आपके पास पहले ही है। परिशिष्ट के एक ओर हमने मांगें दे दी हैं। दाहनी तरफ हमने प्रत्येक मांग की स्थिति बता दी है। यदि आप कहते हैं तो मैं प्रत्येक मांग को लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : स्थिति आपने पहले ही स्पष्ट कर दी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल : उसको देखने से यह पता लगता है कि जो मांगें सन् 74 में थीं वह आज भी ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैं। आप जरा गौर से उस अनेक्श्चर को देखिए तो पता लगेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके मंत्रिमंडल में भी दो राय के लोग हैं। एक कहते हैं कि बोनस दिया जाए और दूसरी राय है कि बोनस न दिया जाये जिससे उत्तेजना फैलती है और लोगों को सफर करना पड़ता है ?

श्री रवीन्द वर्मा : 1974 में रखी गई कुछ मांगें ऐसी हैं जिन पर निर्णय उनके प्रति आम रवैये से लिया जा सकता है। कुछ मांगों पर अभी फैसला नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, वेतनों में समानता की मांग। मांग की गई है कि वैज्ञानिक ढंग से कार्यों का मूल्यांकन किया जाए तथा पुनः वर्गीकरण किया जाये और जब तक ऐसा नहीं हो पाता सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ वेतनों में समानता लाई जाये। श्रीमान्, यह सारे मामले रेलवे से ही सम्बन्धित नहीं हैं। इन मामलों पर निर्णय लेने से पूर्व यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि इनका सम्बन्ध अन्य सरकारी विभागों से भी है। इस प्रकार निर्णय सभी सन्दर्भों की ओर ध्यान रखकर लिया जा सकता है। इसलिए कुछ मांगों के बारे में, जैसे कार्यों का मूल्यांकन, वर्गीकरण तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों

के साथ एकरुपता तथा पुनः वर्गीकरण इत्यादि पर निर्णय अन्य सरकारी विभागों पर ध्यान रखकर किया जा सकता है। इसलिए हमें सही निर्णय लेना होता है।

अब मैं प्रश्न के दूसरे भाग को लेता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल : 1974 में पूरा रेलवे प्रशासन ठप्प होने को हो गया था और उस समय समझौता हुआ था। तब से छः वर्ष बीत गये, अभी तक कुछ नहीं हुआ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य 1974 के बाद की घटनाओं से अच्छी तरह अवगत हैं। अतः उन सबका उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। उनके प्रश्न के दूसरे भाग का संबन्ध बोनस से है। माननीय सदस्य ने बोनस के बारे में विभिन्न मंत्रियों के रवैये का उल्लेख किया है। इस पर मंत्रिमंडल में निर्णय लिया जाना है तथा किस मामले पर किसके क्या विचार हैं इसका अधिक महत्व नहीं है। अभी तक मंत्रिमंडल ने इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया है और जब निर्णय लिया जायेगा तब मन्त्रिमंडल में कोई मतभेद नहीं होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि नियमानुसार कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। लम्बी दूरी की कितनी प्रतिशत गाड़ियां देर से चलती हैं। बोनस के मामले पर अब मंत्रिमंडलीय उप-समिति विचार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि बोनस के मामले पर मंत्रिमंडल कब तक निर्णय ले लेगा। मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्रीमान्, माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध इस बात से है कि नियमानुसार कार्य से रेलवे सेवाओं के संचालन तथा गाड़ियों के देर से चलने पर कितना प्रभाव पड़ा। रेलों के नौ क्षेत्रों में से आठ क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से नियमानुसार कार्य से अप्रभावित रहे। दक्षिण, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में सेवाएं सामान्य रहीं। मध्य, उत्तर-पूर्व, उत्तर-सीमान्त, उत्तर तथा पश्चिम क्षेत्र पर प्रभाव बहुत कम रहा। जिस एक मात्र क्षेत्र पर वास्तविक प्रभाव पड़ा वह पूर्वीय क्षेत्र है, जिसमें 22 यात्री गाड़ियां रद्द करनी पड़ीं तथा 48 गाड़ियों को विलम्ब तथा रुकावट का सामना करना पड़ा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि समस्या को समग्र रूप से लेते हुए, नियमानुसार कार्य के चलते समय मई में 1,08,000 यात्री गाड़ियां चल रहीं थीं। उनमें से केवल 22 रद्द की गईं तथा 48 देर से चलीं। बोनस के बारे में उन्होंने पूछा है कि किस तारीख तक निर्णय ले लिया जायेगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यथा सम्भव शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

श्री ए० के० राय : मुझे आश्चर्य है कि नियमानुसार कार्य करने से काम रुक कैसे जाता है तथा कठिनाई क्यों पैदा होती है। अद्भुत बात है कि रेलों के जारी रखने के लिए धनबाद में सुरक्षा के 30 नियमों को निलम्बित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि गाड़ियां तब चलती हैं जब कर्मचारी नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं। मैं इसी बात पर बल देना चाहता हूं। नियम इतने पुराने हो गए हैं कि यदि कर्मचारी नियमानुसार कार्य करते हैं तो गाड़ियां चल नहीं सकती। निस्संदेह बोनस तथा अन्य मामले हैं। परन्तु यदि व्यवस्था ऐसी है कि सुरक्षा के नियम लागू नहीं किये जा सकते तो सारे मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 'नियमानुसार कार्य' आन्दोलन के कारण बहुत से कर्मचारियों को दण्डित किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं

कि कितने कर्मचारियों को दण्डित किया गया है तथा अब स्थिति सामान्य होने पर क्या उनके मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य समझते हैं कि विलम्ब इसलिए होते हैं कि नियम पुराने हैं। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परन्तु यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हड़ताल रोकने के लिए कई बार नियमानुसार कार्य किया जाता है। यूनियनें अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाती हैं। मैं नियमानुसार कार्य किये जाने वाले आन्दोलनों की व्याख्या नहीं कर रहा। न ही इस प्रश्न पर मुझे वाद-विवाद में पड़ने की आवश्यकता है। जहां तक नियमानुसार कार्य किए जाने के प्रभाव का प्रश्न है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि रेलों का विलम्ब से चलना बहुत कम था तथा एक ही क्षेत्र तक सीमित था। नियमानुसार कार्य करने के लिए किसी को भी दण्ड नहीं दिया गया। परन्तु जिन व्यक्तियों ने रेलों के चलने में बाधा डाली अथवा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां की थी उन्हें दण्ड दिया गया था तथा दिया जाता रहेगा।

श्री ए० के० राय : मैं उन कर्मचारियों की संख्या जानना चाहता हूं जिनपर अत्याचार किया गया है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : 'नियमानुसार कार्य' करने के आन्दोलन के बारे में बहुत से कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। 147 व्यक्तियो के मामले में, सेवा में व्यवधान जैसी और 280 व्यक्तियों के मामले में पारिश्रमिक में कमी, जैसी कार्यवाही की गई है। 39 मामलों में जुर्माना लगाने की कार्यवाही की गई है। तीन मामलों में मामूली सा दण्ड दिया गया, पन्द्रह कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है तथा दस को स्थानान्तरित कर दिया गया है। सरकार की इस मन्शा के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप कि यात्री और मालगाड़ी रेल यातायात में 'नियमानुसार कार्य' करने जैसे बहाने के आधार पर अड़चन न आए, आमतौर से रेलों की कार्य प्रणाली में सुधार आया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : वक्तव्य के अन्तिम भाग में यह कहा गया है कि इस छह-सूत्री मांग-पत्र के अतिरिक्त रेल कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के विशाल-क्षेत्र समेत, महासंघ की और भी 39 मांगें थीं और 21 अप्रैल, 1979 को हुई एक बैठक में स्थिति से उन्हे अवगत करा दिया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उन्हें केवल बताया ही गया था अथवा उनकी अन्य 39 मांगों पर कोई कार्यवाही भी की गई है। उस मामले में वे कौन से निर्णय हैं जिनके आधार पर सरकार ने कार्यवाही की है। श्री हाल्दर वह तिथि जानना चाहते थे जिसको बोनस के मामले पर निर्णय लिया जाना है। मेरी रुचि तिथि जानने में नहीं है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न के बारे में सरकार का निश्चित रवैया क्या रहेगा, क्योंकि मन्त्री परिषद के विभिन्न मन्त्री सार्वजनिक रूप से अलग-अलग मत व्यक्त कर चुके हैं। उद्योग मन्त्री महोदय, जो कि 1974 की हड़ताल के समय रेल कर्मचारियों के नेता थे, का यह कहना है कि यदि रेल कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया तो मन्त्री परिषद भी छोड़ने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को याद ही करा रहा हूं। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण मन्त्री महोदय हैं उप प्रधान मन्त्री महोदय, जिनका कहना है कि किसी को भी बोनस नहीं दिया जायेगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : कौन से उप प्रधान मन्त्री महोदय, वरिष्ठ या कनिष्ठ ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उनमें से एक, श्री चरणसिंह जी, मैं यह तो नहीं जानता कि उनके श्रम-मन्त्रालय, का क्या रवैया है। ऐसी स्थिति में यह अच्छा होगा यदि मन्त्री महोदय सदन में यह प्रकाश डाल सके कि इस प्रश्न के प्रति मन्त्री परिषद का कुल मिलाकर क्या राय हैं, क्या वह इन दोनों मतों की पोषक है कि एक तो इसके लिए त्याग पत्र दे देगा और दूसरा इसकी कतई अनुमति नहीं देगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य के प्रश्न का प्रथम अंश महासंघ की अन्य मांगों से सम्बद्ध है। मैं यह कहूगा कि यह अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ जिसने 'नियमानुसार कार्य' आन्दोलन का आह्वान किया, जो 8 मई, से शुरू होकर 26 मई, तक चलता रहा, एक गैर-मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ है। फिर भी, उनकी मांगों के बारे में रेल-मन्त्रालय उनसे औपचारिक बात-चीत कर रहा है और पहले कई बार कर भी चुका है। व्यावहारिक रूप में तो यह कहा जा सकता है कि हर छमाही के बाद महासंघ से बात-चीत की जायेगी। दिसम्बर मास में और फिर जनवरी और अप्रैल के महीनों में उनके साथ कई बार बात-चीत चली, जिसमें विभिन्न मांगों पर विचार-विमर्श हुआ, परन्तु किसी न किसी कारण से, अप्रैल के अन्त में महासंघ ने अस्वाभाविक रवैया अपनाया और जिन बैठकों में मन्त्रालय ने उसे निमन्त्रित किया था उनमें जाने से उसने इन्कार कर दिया। उन्होंने 30 अप्रैल को बुलाई गई बैठक में भाग लेने से इन्कार कर दिया। इसके ठीक बाद उनको 19 तारीख को होने वाली बैठक में सम्मिलित होने के लिए एक पत्र भेजा गया, उसके बाद उनसे एक बार फिर 14 और 19 तारीख को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया, परन्तु उन्होंने मन्त्रालय के इन सभी आमन्त्रणों को स्वीकार करने और बात-चीत करने से इन्कार कर दिया। 'नियमानुसार कार्य' आन्दोलन को वापिस ले लेने के बाद उन्होंने बात-चीत के लिए कोई और तारीख मांगी है तथा मन्त्रालय ने उन्हें सूचित किया है कि सिद्धान्त रूप में तो मन्त्रालय बातचीत करने का इच्छुक है और एक तिथि निश्चित कर दी जायेगी।

महासंघ ने जो 39 मांगें रखी हैं उनमें अत्याचार और दाण्डिक स्थानान्तरण के मामलों का रदद किया जाना, बोनस का निर्णय एक निश्चित अवधि में लिया जाना, मई 1974 की हड़ताल के समय निष्ठा-वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने से उत्पन्न असमानता को दूर करना, कुछ श्रेणियों के वेतन-मानों में संशोधन किया जाना, सभी संवर्गों में अवधि-बद्ध पदोन्नतियां को लागू किया जाना और सभी स्तरों पर बातचीत की सुविधाओं जैसी मांगें सम्मिलित थीं। ये ही मुख्य अनुषंगी मांगें हैं।

अध्यक्ष महोदय : बोनस के प्रश्न पर आपका क्या रवैया है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : किसी निर्णय पर सरकार एक मत नहीं है। जैसा भी देश, सभा और मजदूर चाहते हैं, वैसा ही निर्णय रहेगा, कोई प्रारम्भिक अवधारणा निर्णय नही बन सकती।

श्री समर मुखर्जी : मैं इस पृष्ठभूमि का ब्योरा जानता हूं। मन्त्री महोदय जो कुछ उत्तर दे रहे हैं उसका उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हैं। वह टिप्पणियों के आधार पर उत्तर दे रहे हैं। 'नियमानुसार कार्य' करने का निर्णय सिकन्दराबाद सम्मेलन के समय फरवरी में लिया गया था। मैं उस सम्मेलन में उपस्थित था और 'नियमानुसार कार्य' 8 मई को प्रारम्भ हुआ। उसमें लम्बा अन्तराल था। यदि सरकार इस स्थिति से बचना चाहती तो वह इस पर बातचीत करके किसी एक निर्णय पर पहुंच सकती थी। विवरण को देखने से आपको पता चलेगा कि 21 अप्रैल को एक बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद नेताओं की यह प्रक्रिया थी। विशेषकर उनके सचिव ने मुझसे मुलाकात के समय बताया कि रेलवे बोर्ड का एक सदस्य उनसे मिला था। सरकार का रवैया किसी भी मांग को पूरा न करने का था। उनकी यह प्रतिक्रिया थी। मुझे इतना तो मालूम नहीं कि वास्तव में कैसी भाषा का प्रयोग किया गया था। और वे अत्याचार के मामलों को वापिस लेने के प्रश्न पर जोर देते रहे। यदि उनकी यह बात मान ली गई होती तो नियमानुसार कार्य से बचा जा सकता था। मैंने मन्त्रियों से भी बात की थी। मैंने उन्हें बताया था कि आप कुछ तो आश्वासन दें जिससे इससे बचा जा सके। परन्तु ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

अन्ततः, मजदूरों ने 30 तारीख को होने वाली बैठक का बहिष्कार किया। महासंघ को 30 अप्रैल को एक बैठक में बुलाया गया और फिर वह भी बैठक में भाग लेने के ही लिए। आप तारीखों को लिखते जाइये। उसके बाद फिर 14 मई को एक और बैठक में उन्हें बुलाया गया। उनका निर्णय तो 8 मई से नियमानुसार कार्य करने का था। यह तो 1974 की रेल-कर्मचारियों की ऐतिहासिक हड़ताल की वर्षगांठ की तिथि थी। अतः उन्हें 14 मई को बैठक के लिए निमन्त्रित करने का क्या अर्थ हुआ। रेलवे प्रशासन उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। यह रेलवे प्रशासन की ओर से एक भारी लापरवाही थी।

अध्यक्ष महोदय : आप तो आलोचना कर रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : क्योंकि मुझे इन सब बातों का पता है। इसीलिए मैं उन्हें बता रहा हूं कि 'नियमानुसार कार्य' आन्दोलन को वापिस लेने के बाद भी, स्थिति जैसी की वैसी है। अतः जब तक इस अत्याचार के मामले को तुरन्त हल नहीं कर दिया जाता, वे फिर से कार्यवाही करने की बात सोच रहे हैं। इसीलिए मैं मन्त्री महोदय से यहां यह आश्वासन देने और स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं कि उनकी तात्कालिक मांगों को पूरा किया जाएगा या नहीं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे माननीय मित्र ने बात-चीत, धमकी और नियमानुसार-कार्य करने की धमकी को क्रियान्वित करने के इतिहास का हवाला दिया है। और उनका यह भी कहना है कि यह बात उन्हें भी पता थी, क्योंकि यह निर्णय लेते समय वे भी वहां उपस्थित थे। मेरा यह निवेदन है कि निर्णय के समय मैं तो उपस्थित था नहीं। परन्तु उनका कहना है कि कुछ आश्वासन मांगा गया था जो कि दिया नहीं गया। किसी भी सरकार के लिए या किसी भी वार्ता-दल के लिए, जबकि उनके सामने 39 मांगे रखकर उन्हें उसी जगह पर कोई आश्वासन देने के लिये कहा जाये तो इस प्रकार का आश्वासन देना बहुत ही कठिन है। यदि समस्याएं इतनी ही सरल होती तो बातचीत की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और यदि आप मांगें रखकर यह कहें

कि वे तुरन्त हां या न कहें तो इसका मतलब तो यह है कि कोई मांग रखो और उसकी तुरन्त स्वीकृति की मांग करो ।

श्री समर मुखर्जी : मैं तात्कालिक मांगों की बात कर रहा हूं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं नही समझ पाता कि क्या यह वार्तालाप है या आदेश देना है। मेरे माननीय मित्र ने 14 मई को बैठक बुलाने पर ही आपत्ति उठाई है क्योंकि वह ·· ·· ··की वर्ष गांठ का दिन था (**व्यवधान**)

श्री समर मुखर्जी : वर्षगांठ का दिन तो 8 मई था, उस दिन 1974 की ऐतिहासिक हड़ताल शुरू हुई थी। उस दिन से उन्होंने नियमानुसार कार्य करने का निर्णय लिया था। परन्तु बैठक 14 मई को बुलाई गई थी। इससे यह स्पष्ट है कि रेलवे प्रशासन किसी निर्णय पर पहुंचने का इच्छुक नहीं था ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : नहीं, इससे ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता। मैं सभा के समक्ष यह बात फिर से दोहराने की धृष्टता कर रहा हूं कि मैंने यह कहा था कि इस महासंघ के साथ, इस तथ्य के बावजूद भी कि यह कोई दो मान्यता प्राप्त संघों में नहीं है, 20 और 21 दिसम्बर को एक बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद फिर इन मांगों के बारे में बातचीत के लिए उनके साथ 11 और 31 जनवरी और 21 अप्रैल को विशेष बैठकें बुलाई गई। (**व्यवधान**)। यदि सरकार बातचीत की इच्छुक नहीं होती, यदि सही भावना से कोई हल निकालने के लिए सरकार की बातचीत करने की रुचि नहीं होती तो, सरकार को 11 और 31 जनवरी को बातचीत करने की आवश्यकता नहीं थी, और पुनः 21 अप्रैल को भी बातचीत के लिए आने की क्या आवश्यकता थी। उसके बाद भी जब यह देखा गया कि इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है अथवा कोई हल नहीं निकला है तो, एक बार पुनः 30 अप्रैल को एक बैठक बुलाने का सुझाव दिया गया। 30 अप्रैल कोई 8 मई नहीं है। उनसे 30 अप्रैल को बैठक में आने के लिए कहा गया जिसके लिए उन्होंने यह कहकर आपत्ति उठाई कि उनके पास संगठनात्मक आदि कार्य हैं।

हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाना

*62. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किए हैं;

(ख) विश्व की बड़ी शक्तियों के इस बारे में क्या विचार हैं और उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या सहायता की है; और

(ग) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस पर सहमत नहीं है और इस क्षेत्र में लगातार युद्ध पोत और अन्य शस्त्र एकत्रित कर रहा है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) हिन्द महासागर के अधिकांश तटवर्ती और पश्च राज्यों के साथ हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने का भारत समर्थन करता है। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का निरन्तर प्रयत्न किया है जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की बैठकें तथा द्विपक्षीय बातचीत भी शामिल है। हम

तटवर्ती और पश्च राज्यों के सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं जो इस समय हिन्द महासागर से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति के तत्वावधान में हो रहा है ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ दोनों ने ही जून 18 को विएना में साल्ट-II करार पर हस्ताक्षर करने के समय हिन्द महासागर में अस्त्र परिसीमन के विषय में द्विपक्षीय बातचीत को फिर से शुरू करने के अपने इरादे की पुन: पुष्टि की ।

इस समय ये दोनों देश पर्यवेक्षकों के रूप में हिन्द महासागर के तटवर्ती और पश्च राज्यों के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं । दोनों देशों के प्रस्ताव के कतिपय पक्षों पर सहमति व्यक्त की है तथा इसके कुछ विषयों पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है ।

चीन के प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है लेकिन फ्रांस के प्रतिनिधि ने यह मत व्यक्त किया है कि "शान्ति क्षेत्र" की अवधारणा सुस्पष्ट नहीं है और अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर इसे स्वीकृति नहीं मिली है ।

(ग) उपर्युक्त सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि ने कहा कि वे शान्ति क्षेत्र के प्रस्ताव के अन्तर्गत बड़ी शक्तियों की उपस्थिति को समाप्त करने की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते । यद्यपि इस आशय के समाचार मिले थे कि संयुक्त राज्य अमरीका इस क्षेत्र में अपनी सैनिक उपस्थिति को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया लगता ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : बंगला देश की लड़ाई के समय अमरीका ने हिन्द महासागर में अपना सैवेंथ फ्लीट भेज दिया था । आज भी रूसी जहाजी समुद्री बेड़ा और अमरीकी बेड़ा वहां है और उपद्रव मचा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से ऐसे प्रयत्न किये हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल से या यू० एन० से मैंडेट इशू कराने के ताकि इसको शान्ति का क्षेत्र घोषित किया जा सके ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव यू० एन० का प्रस्ताव है । प्राय: सभी तटवर्ती देशों का उसे समर्थन प्राप्त है । इस समय एड हाक कमेटी के तत्वावधान में यू० एन० में इस बारे में बैठक हो रही है । लेकिन यह बात साफ है कि बैठक में संयुक्य राज्य अमरीका ने जो कुछ कहा है उससे लगता है कि वह हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने की जो हमारी कल्पना है उससे भिन्न कल्पना रखता है । लेकिन हम आशा करते हैं कि जो हिन्द महासागर के तट पर बसे हुए देश हैं वे अन्य देशों के सहयोग से इस क्षेत्र को शान्ति का क्षेत्र बनाने के अपने प्रयत्न जारी रखेंगे और अन्ततोगत्वा सफल होंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : आजकल हिन्द महासागर में किन-किन देशों के समुद्री बेड़े मौजूद हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : देशों के मैं नाम गिनाऊं क्या मुझ से यह आशा की जाती है ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्यों नहीं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभी बड़े देश हिन्द महासागर में बड़ी ताकत में मौजूद हैं। यद्यपि चर्चा सोवियत संघ और अमरीका के बीच में हो रही है लेकिन फ्रांस भी वहां है, यू० के० है, चीन भी है और छोटे मोटे देश भी आते जाते रहते हैं।

डा० विजय मंडल : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के बारे में महान शक्तियां अनैच्छुक क्यों हैं ? इसका क्या कारण है तथा इस बारे में बंगलादेश सरकार और पाकिस्तान सरकार का क्या रवैया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पाकिस्तान तथा बंगलादेश दोनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा 1971 में पारित किये गये संकल्प में भागीदार है। जहां तक अन्य शक्तियों का सम्बन्ध है मैं पहले ही अमरीका के रवैये पर प्रकाश डाल चुका हूं।

सोवियत रूस ने मुख्य रूप से हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये जाने की संकल्पना का समर्थन किया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने बताया है कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये जाने की समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा बाहर के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का विषय रही है। भारत का रवैया इसे बड़ी और छोटी शक्तियों के नौसेना अभ्यासों से मुक्त रखने का रहा है। मंत्री महोदय तथा प्रधान मंत्री अमरीका और रूस गये हैं तथा कई अन्य अवसरों पर दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर शिखर वार्ताएं हुई हैं। उन शिखर वार्त्ताओं में भारत ने रूस तथा अमरीका को क्या कहा तथा उनका इस बारे में रवैया क्या था। क्या भारत संतुष्ट है कि दो महा शक्तियां भारत तथा तटीय क्षेत्र के देशों के दृष्टिकोण के निकट आती जा रहीं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब कभी भी हम रूस अथवा अमरीका के नेताओं से मिलते हैं हम हिन्द महासागर के प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रधान मंत्री की मास्को यात्रा के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञाप्ति में इस प्रश्न का विशिष्ट रूप से उल्लेख हुआ था। संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए जब मैं वाशिंगटन गया तब वहां भी इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी। भारत निरन्तर बल देता रहा है कि हिन्द महासागर को महा-शक्तियों की नौसैनिक उपस्थिति तथा अभ्यासों से मुक्त रखा जाये। "दियेगो गार्सिया" सहित सभी अड्डों को यहां से हटाया जाना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं। परन्तु जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है संयुक्त राष्ट्र संघ में वाद-विवाद चल रहा है तथा उसके कुछ ठोस परिणाम निकलेंगे। अमरीका तथा रूस दोनों ने ही बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है और यह एक अच्छी प्रगति है।

श्री चित्त बसु : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत सरकार की हिन्द महासागर के सम्बन्ध में स्थिति से सभा को अवगत कराया है जोकि वास्तविक रूप से यह है कि सभी सैनिक अड्डों को हटाया जाये और हिन्द महा सागर को शान्ति क्षेत्र बनाया जाये। इस संदर्भ में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र उप समिति में व्यक्ता राय भारत सरकार के मूल सिद्धान्तों, अर्थात् अड्डों के समाप्त किये जाने के अनुकूल नहीं है इसके विपरीत अमरीकी अधिकारियों ने यह अभिव्यक्त किया था कि खाड़ी

क्षेत्र का संकट तथा उन क्षेत्रों की सैनिक स्थिति के कारण वहां पर अधिक सैना तैनात रखना अमरीका तथा उसकी विश्व नीति के हित में है, तो क्या भारत सरकार अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए अमरीकी सरकार की इस क्षेत्र में सैनिक शक्ति बढ़ाये जाने का विरोध करेगी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अमरीकी अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हिन्द महासागर अथवा खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी नौ सैनिक शक्ति की वृद्धि से तनाव बढ़ेगा तथा इसके परिणामस्वरूप अन्य देश भी बदले की कार्यवाही करेंगे, इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता राजनैतिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास है न कि नौसैनिक संवर्धन तथा नये आधुनिकतम शस्त्रों की वृद्धि।

श्री वसंत साठे : मन्त्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है कि भारत की अब तक की नीति सभी शक्तियों की नौसैनिक उपस्थिति को अनुचित समझना तथा हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए सभी शक्तियों को अपने नौसैनिक अड्डे समाप्त करने चाहिए। यह रवैया बहुत साधारण है क्योंकि यह भली प्रकार विदित है कि सभी सागरों में बड़े छोटे देशों की नौसैना घूमती रहती है। इसलिए उसका तो प्रश्न नहीं है। सीधा प्रश्न यह है कि आपको बात तय करनी होगी। आप सदा बड़ी शक्तियों की नौ सेना के विद्यमान होने को समान महत्व देते आये हैं अर्थात् यदि सोवियत रूस विद्यमान है तो अमरीका का विद्यमान है रहना युक्ति संगत है। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि जबकि अमरीका ने हिन्द महासागर छोड़ने से इनकार कर दिया है, उनका स्थाई अड्डा है जिसमें "दियेगो गार्सिया" को अण्विक शस्त्रों से लैस रखा गया है जोकि वास्तविक खतरा है। क्या आपका कोई ऐसा अड्डा है ? यदि ऐसा नहीं है तो आप सुरक्षा के लिए अपना बेडा रखते हैं। क्या आप इसे बराबर समझते हैं ? क्या आप संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष रूप से सभी राष्ट्रों को एकत्र करके अमरीका पर अपने अण्विक अड्डे समाप्त करने पर बल डाल सकते हैं। पोतों का जाना आना जारी रह सकता है। इस पर हम बाद में ध्यान दे सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पोतो के आने जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि यह आना जाना नियमित है। तो कोई विशेष बात नहीं है। यदि यह क्रिया वैध हितों के संरक्षण के लिए है। तो जल-मार्ग सभी देशों के लिए खुले हैं। तटीय क्षेत्रों के देश हिन्द महासागर में पोतों के आने जाने की स्वतंत्रता दे सकते हैं। इसके लिए बड़ी शक्तियों के अड्डे स्थापित करने तथा बड़ी नौ सेना रखने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु देश हिन्द महासागर में विद्यमान रह सकते हैं। माननीय सदस्य ने उपयोगी सुझाव दिया है जिस पर मैं कार्यवाही करूंगा।

गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन

*64. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हुई गुट निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की बैठक का क्या परिणाम निकला; और

(ख) सम्मेलन में कम्पूचिया और मिस्र के बारे में क्या निर्णय किये गये ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) गुट-निरपेक्ष देशों की समन्वय ब्यूरो की कोलम्बो बैठक ने एक बार फिर दिखा दिया कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में समुत्थान की शक्ति निहित है। इसमें मान्य सिद्धान्तों के अनुसार आन्तरिक मतभेदों को समाप्त करने, एकता

कायम रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी स्वतन्त्र और महत्वपूर्ण भूमिका बनाये रखने की क्षमता है। अन्तिम रूप से पारित विज्ञप्ति का पाठ संसद के पुस्तकालय में रख दिया गया है।

(ख) कम्पूचिया के इस बैठक में भाग लेने के सम्बन्ध में कोई मतैक्य नहीं हो सका और अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बिना किसी उदाहरण के अथवा इस विषय में कोई निश्चित निर्णय लिए बिना कम्पूचिया से सम्बद्ध न तो कोई समस्या और न ही कोई अन्य मसला पूर्णानिवेशन अथवा अन्य किसी भी समिति में उठाया जायेगा। मिस्र के अस्थायी निलम्बन के प्रश्न पर ब्यूरों के सदस्यों ने यह महसूस किया कि इस मामले से निपटना उनकी क्षमता से परे है अतः ब्यूरो ने निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के छठे शिखर सम्मेलन में निर्णय के लिए छोड़ दिया जाए।

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या यह सच है कि कुछ शक्तियों ने गुट निर्पेक्ष सम्मेलन में ऐसा प्रस्ताव पास कराने की चेष्टा की कि जिससे गुट निर्पेक्ष आन्दोलन का अन्ततः उसका शक्ति ब्लाक में विलय हो जाता। यदि हां, तो भारत सरकार ने इस बारे में क्या रवैया अपनाया ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था। इसके विपरीत कोलम्बो की बैठक में गुट निर्पेक्ष आन्दोलन का ब्लाकों से रहित संरचना पर बल दिया और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के पांच सिद्धान्तों के आधार पर विश्व शान्ति बनाये रखने के लिए अपनी भूमिका निभा सके।

श्री यादवेन्द्र दत्त : प्रश्न मिस्र के निकाले जाने के मामले को हवाना अधिवेशन के लिए स्थानान्तरित किये जाने का है। उस देश ने अपने राष्ट्र हित में जो कार्यवाही की है उन हितों के साथ कुछ शक्तियों की सहमति हो सकती है। क्या गुट निर्पेक्ष आन्दोलन किसी राज्य द्वारा अपने राष्ट्रीय हित में कार्य किये जाने के कारण उस देश के निकाले जाने के पक्ष में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मिस्र के निकाले जाने का प्रश्न अत्यन्त जटिल है। किसी सदस्य देश को विशेषतः संस्थापक सदस्य को निकाले जाने के लिए कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। परन्तु पश्चिम ऐशिया तथा मध्य पूर्व समस्या पर गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन दृढ़ रवैया अपनाता रहा है। दुर्भाग्य से मिस्र तथा इजराइल के बीच आंशिक संधि है और यह व्यापक समझौता नहीं है। पूरा अरब क्षेत्र खाली नहीं किया गया तथा फिलिस्तीन के वैधानिक अधिकार जिसमें स्वतन्त्र राज्य बनाने का अधिकार भी सम्मिलित है। का समाधान नहीं किया गया। भारत ने संधि की निन्दा की है क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि यह व्यापक समझौता नहीं है। परन्तु जहां तक मिस्र के निकाले जाने का प्रश्न है इस पर कोई सहमति नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्यूबा सरकार ने हवाना में होने वाले शिखर सम्मेलन में एक घोषणा का प्रारूप दिया है उसमें कौन सी मदें सम्मिलित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कम्पूचिया का मामला उस प्रारूप में सम्मिलित किया गया है ? क्या क्यूबा सरकार ने उक्त प्रारूप में यह भी कहा है कि समाजवादी देश गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन के स्वाभाविक सहयोगी हैं। क्या मन्त्री महोदय क्यूबा के इस विचार से सहमत हैं अथवा नहीं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्यूबा के उप-राष्ट्रपति गुटनिर्पेक्ष देशों के हवाना शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में सलाह करने के लिए नई दिल्ली में थे। कम्पूचिया का प्रश्न तथा उसका नेतृत्व कौन करेगा पर निर्णय किया जाना है। यह उक्त प्रारूप का भाग नहीं है। यह सही नहीं है कि क्यूबा द्वारा परिचालित किए गए प्रारूप में मांग की गई है कि गुट-निर्पेक्ष राष्ट्रों को घोषणा करनी चाहिए कि समाजवादी ब्लाक गुट उनका सहयोगी है। क्यूबा के हमारे मित्रों ने इस प्रश्न पर अपनी भिन्न राष्ट्रीय स्थिति स्पष्ट कर दी है। उनके अनुसार समाजवादी देशों का गुट-निर्पेक्ष देशों का स्वाभाविक साथ है। गुट-निर्पेक्ष सम्मेलन के चेयरमैन के रूप में कि वे अपने विचार पूरे आन्दोलन पर नहीं थोपेंगे।

श्री सौगत राय : अभी-अभी मैंने विदेश मन्त्री को यह कहते हुए सुना है कि मिस्र इस-राइल संधि में फलेस्टीयन, शरणार्थियों की तथा इस क्षेत्र की कई अन्य समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि गुट-निर्पेक्ष ब्यूरो की बैठक के कुछ ही पहले भारत के प्रधान मंत्री का वक्तव्य क्यों दिया गया। तथा क्यूबन के राष्ट्रपति का यह पत्र कि यदि मिस्र को गुट-निर्पेक्ष शिखर वार्ता में आमंत्रित नहीं किया जाता तो भारत उसमें भाग नहीं लेगा क्यों लिखा गया? एक ओर तो विदेश मंत्री कहते हैं कि संधि संतोषजनक नहीं है और दूसरी ओर प्रधान मंत्री कहते हैं कि जब तक मिस्र भाग नहीं लेगा तब तक गुट-निर्पेक्ष वार्त्ता में भाग नहीं लेंगे। इसमें क्या तर्क है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मिस्र को गुट-निर्पेक्ष वार्त्ता से अलग रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यदि अरब देशों की इस मांग पर कि मिस्र को अस्थाई तौर पर अलग कर दिया जाये निर्णय लिया जाना है तो यह शिखर सम्मेलन में निर्णय लिया जायेगा। प्रधान मत्री ने भारत की स्थिति स्पष्ट कर दी हैं परन्तु उन्होंने अपनी पहले की एक भेंट में बताया था कि यदि इस प्रश्न पर आम सहमति नहीं होती तो भारत आम राय का अनुसरण करेगा।

श्री सैयद काजिम अली मिर्जा : जहां तक भारत की नीति का सम्बन्ध है क्या हमारा यह मत नहीं है कि फिलिस्तीनी लोग सही रास्ते पर हैं और उनको अपनी मातृ भूमि के अधिकार से वंचित किया गया हैं। यदि यह बात है तो मिस्र और इजराइल के मध्य संधि अरब और पूरे मध्य पूर्व के हित में नहीं है। यह आंशिक सौदेबाजी है जो न्याय की नीति को कमजोर कर देगी। क्या यह सही है अथवा नहीं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मध्य पूर्व की समस्या में फिलिस्तीनियों का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक फिलिस्तीनियों के वैध तथा राष्ट्रीय अधिकार वापस नहीं लौटाये जाते और वे अपने घर नहीं लौटते और जब तक उन्हें यदि वे चाहते हैं तो स्वतन्त्र राज्य का अधिकार नहीं दिया जाता तब तक मध्य पूर्व में स्थायी शान्ति स्थापित नही हो सकेगी।

मलेशिया में हिन्दू-मन्दिरों पर आक्रमण

*66. **श्री चिमन भाई एच० शुक्ल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 31 मई, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा यह समाचार देखा है जिसमें कहा गया है कि मलेशिया में हिन्दू-मन्दिरों पर उस देश के धर्मान्ध वर्गों द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार द्वारा इस बारे में कोई विरोध प्रकट किया गया है;

(ग) पवित्र मूर्तियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मलेशिया की सरकार के साथ अपने घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में राजनयिक सूत्रों के माध्यम से इस प्रश्न पर विचार-विनिमय किया गया है। मलेयेशिया की सरकार ने हमें यह बताया है कि इस दिशा में उसने क्या-क्या कदम उठाए हैं। मलेशिया की सरकार और वहां की जनता गुण्डागर्दी के इन कृत्यों को जितना गंभीर मानती है उसे हम सराहते हैं और हमें यह पूरा विश्वास है कि वह इस बात के लिए पर्याप्त कार्यवाही करेगी कि ऐसी दुर्घटनाएं फिर न हों ।

श्री चिमन भाई एच० शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जब गुलाम था तब ऐसी बातें हों तो समझ में आ सकता है । कोई देश हिन्दुस्तान से होस्टाइल हो तब भी समझ में आ सकता है। लेकिन मलेशिया जिससे भारत का इतना अच्छा सम्बन्ध है वहां ऐसी घटना घटती है तो लोगों में एक चिन्ता होना बहुत स्वाभाविक है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कितने मन्दिरों पर हमले हुए और हमले से मन्दिर की क्या-क्या दुर्दशा हुई ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी तक चार घटनाएं हुई हैं जिनमें पांच मन्दिरों पर हमले हुए हैं । हमलों का रूप मूर्तियों को तोड़ने का है। तोड़ने वाले रात के अन्धेरे में चोरी छिपे आते हैं, तोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। एक मामले में मन्दिर के रक्षक के साथ उनका संघर्ष भी हुआ था। वह मामला अदालत में है। मलेशिया के प्रधान मन्त्री ने सार्वजनिक रूप से इन कार्यवाहियों की निन्दा की हैं। दोनों देश मिलकर ऐसी घटनाएं न होने पाएं, इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन सदन जानता हैं कि हर देश में थोड़े न थोड़े दीवाने रहा करते हैं। लेकिन उन दीवानों की वजह से न हमें अपने सम्बन्ध बिगड़ने देने चाहिए और न अपना दिमाग बिगड़ने देना चाहिए।

श्री चिमन भाई एच० शुक्ल : पांच मन्दिरों में से कितने मन्दिरों में पुनर्प्रतिष्ठा हुई है और यह पुनर्प्रतिष्ठा करने में वहां की सरकार ने क्या सहयोग दिया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मलेशिया में अनेक धार्मिक संगठन सक्रिय है और वह मलयेशिया की सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित किए हुए हैं। अभी तक हमारी ओर से वहां मन्दिरों या मूर्तियों के पुनर्निर्माण में कोई सहायता नहीं मांगी गई है। अगर ऐसी सहायता मांगी गई तो उस पर विचार किया जा सकता है। पहला काम तो इस तरह के विध्वंश को रोकना है क्योंकि इस तरह की घटनाएं यहां के जन-मानस में उत्तेजना पैदा करती हैं और उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : क्या कोई मुकदमा चलाया गया है ? समाचार पत्रों में छपी इन रिपोर्टों कि रोजगार के मामले पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है की वस्तुस्थिति क्या है। क्या यह सच है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर पहले देना चाहूंगा। हमें कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि मलेशिया में जाति, नागरिकता और रंगभेद के आधार पर रोजगार के मामले में भेदभाव बरता जाता हैं। परन्तु इस मामले में जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिस पर न्यायालय में अभियोग चल रहा है।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की निन्दा मलेशिया की सरकार और लोगों ने की है वहां मैं एक प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि, जो मूर्तियां टूटी हैं उनकी पुनरस्थापना के लिए नयी मूर्तियों की आवश्यकता हो तो भारत सरकार शायद न भेज सके लेकिन हमारे देश में बड़े-बड़े ट्रस्ट हैं जैसे तिरुपति देवस्थानम् है, धर्मार्थ ट्रस्ट इत्यादि हैं उनसे यदि कहा जाए तो मुझे विश्वास है कि सहर्ष नयी मूर्तियां यहां से भेजी जा सकती हैं, मलेशिया और भारतवर्ष दोनों देशों के लोगों के परस्पर हित में। यदि इस प्रकार की कोई योजना हो तो मंत्री जी बतायें। इस प्रकार की बात आसानी से हो सकती है। तो इसके विषय में मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम जानते हैं कि डा० कर्ण सिंह पुराने मंदिरों की रक्षा के लिए और नये मंदिरों के निर्माण के लिए कितने अच्छे काम कर रहे हैं। यदि उनकी सेवाओं की और सहायता की आवश्यकता हुई तो हम जरूर उनके पास पहुंचेंगे।

सिक्किम के निवासियों को राष्ट्रीय परमिट

*68. **श्री छत्र बहादुर क्षेत्री** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह सिक्किम के वास्तविक निवासियों को राष्ट्रीय परमिट प्रदान करके सिक्किम और शेष भारत के बीच चलने वाले परिवहन बेड़े में वृद्धि करने का विचार करेंगे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चाँद राम) : मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 अभी तक सिक्किम के राज्य को लागू नहीं है। अतः इस समय सिक्किम की सरकार द्वारा राष्ट्रीय परमिट देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री क्षत्र बहादुर क्षेत्री : अध्यक्ष महोदय, सिक्किम एक पिछड़ा हुआ राज्य है, इस बात को देखते हुए क्या मोटर विहिकिल्स ऐक्ट में परिवर्तन करने का केन्द्रीय सरकार का इरादा है जिससे कि वहां की जनता की आवश्यकता और मांग को पूरा किया जा सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चांद राम : अभी होम मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस नहीं दी है। अभी सिक्किम के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी 10 जुलाई को आए थे और उनसे हमारे सेक्रेटरी की बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा इरादा मोटर विहिकिल्स ऐक्ट, 1939 को लागू करने का नही है क्योंकि सिक्किम का मोटर विहिकिल्स ऐक्ट वहां लागू है।

श्री क्षत्र बहादुर क्षेत्री : क्या सिक्किम राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? सिक्किम में पर्यटन के लिए बहुत अच्छे स्थान हैं, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार सिक्किम राज्य की क्या मदद कर रही है ?

श्री चांद राम : इस वक्त सवाल मोटर विहिकिल्स ऐक्ट को लागू करने का था। जहां तक और स्कीमों की बात है, सिक्किम बैकवर्ड एरिया है और उसके लिए होम मिनिस्ट्री कदम उठा रही है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, सिक्किम की नागरिक संघर्ष समिति ने भारत सरकार के अनेक कानूनों और नियमों को वहां लागू करने के लिए निवेदन किया है। उन्होंने प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी तथा कानून मंत्री जी को इस सम्बन्ध में लिखा है। उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए क्या आप 'मोटर व्हीकल्ज एक्ट' को वहां शीघ्र लागू करने जा रहे हैं ? सिक्किम जाने के लिए सिवाय मोटर-मार्ग के दूसरा कोई मार्ग नही हैं। इस कानून के वहां पर लागू कर दिए जाने से वहां अधिक मोटरों का आवागमन हो सकेगा तथा इससे उस क्षेत्र का काफी विकास होगा। आपने अभी हाल में इस कानून में एक संशोधन किया है—वह संशोधन सिक्किम के लिए भी लागू हो सकता है या नहीं ?

श्री चांद राम : मैंने अभी स्पष्टीकरण दिया था कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी या जब तक होम मिनिस्ट्री से उसके लिए क्लियरेंस नहीं मिलेगी, तब तक हम उस को जबरदस्ती वहां पर लागू नहीं कर सकते हैं। हमने जून में इस सम्बन्ध में होम मिनिस्ट्री को फिर से लिखा है, उनकी राय तथा सिक्किम गवर्नमेंट की राय आने के बाद हमें इसको वहां लागू करने में कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उन्होंने प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी और कानून मंत्री जी को अपना ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार के सभी कानूनों को वहां पर लागू करने के लिए कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस काम में क्या प्रगति हुई है ?

श्री चांद राम : बहुत से कानून वहां लागू कर दिए गए हैं, लेकिन मोटर व्हीकल्ज एक्ट के बारे में अभी उनकी राय नहीं आई है। उनकी राय आने के बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री राघव जी : सिक्किम की जनता के बहुत बड़े समुदाय की मांग है कि इण्डियन मोटर व्हीकल्ज एक्ट को सिक्किम राज्य में भी लागू किया जाय। उन्होंने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को भी पत्र लिखे हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं क्या ऐसा हो सकता है कि उनको पत्र लिखने के बजाय, वहां के अधिकारियों और यहां के अधिकारियों में चर्चा हो ताकि मालूम हो सके कि इस कानून को वहां लागू करने में क्या कठिनाइयां है ? राष्ट्रीय परमिट जारी करने से वहां के लोग भारत में आ सकेंगे और भारत के लोग वहां जा सकेंगे—इस लिए इस काम में शीघ्रता करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री चांद राम : जैसा मैंने अभी अर्ज किया था, शायद माननीय सदस्य ने सुना नहीं, सिक्किम सरकार के सैक्रेटरी ट्रांसपोर्ट यहां आये थे और उन्होंने यह राय जाहिर की कि अभी हम यह इरादा नहीं रखते है कि इस एक्ट को वहां पर लागू किया जाए। एक दिक्कत मुझे

मालूम हुई है—सिक्किम के लोग ऐसा समझते हैं कि इस एक्ट को यदि वहां लागू कर दिया गया, तो नेशनल परमिट्स देने के मामले में वहां के रेजिडेन्ट्स फायदा नहीं उठा पायेंगे, इण्डियन रेजिडेन्ट्स उसका फायदा उठा लेंगे, वे नेशनल परमिट्स ले जायेंगे और इससे वहां के लोग इस वक्त जो फायदा उठा रहे हैं, वे नहीं उठा पायेंगे।

श्री छविराम अर्गल : क्या सिक्किम के लोगों ने इस प्रकार की कोई मांग केन्द्रीय शासन से की है कि वहां के वाहनों को दूसरे स्टेट्स में ले जाने में कठिनाई होती है। जैसे उनका वेस्ट बंगाल के साथ बार्डर लगता उनका व्हीकल वेस्ट बंगाल में नहीं जा सकता है, जिससे माल के लाने-ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। इस कठिनाई को देखते हुए केन्द्र का जो मोटर व्हीकल्ज एक्ट है, वह वहां पर लागू हो, इस सम्बन्ध में आप कोई पहल करेंगे ?

श्री चांद राम : जैसा मैंने अभी अर्ज किया है कि हमको कोई ऐतराज नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री को लिखा है। हम एक्ट वहां पर लागू करने के लिए राजी हैं, बशर्ते कि वहां की सरकार ऐसा चाहे। जहां तक वेस्ट-बंगाल की बात है, सिलिगुडी और दूसरे हिस्सों में माल लाने-ले जाने के लिए एक इन्टर स्टेट एग्रीमेंट वेस्ट-बंगाल के साथ हुआ था और उस एग्रीमेंट के तेहत वहां पर यातायात चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दो वर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम

*65. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान चिकित्सा शिक्षा पद्धति के स्थान पर दो वर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रविराय) : समय-समय पर कुछ सुझाव प्राप्त होते रहे हैं, किन्तु इस प्रकार का कोई कोर्स आरम्भ करने के लिए अभी तक ठोस प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। किसी भी दशा में, यह वर्तमान प्रणाली का स्थान नहीं लेगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आन्दोलन

*67. **श्री आर० कोलनथाइवेलू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चयन समिति और अन्य मामलों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कथित आन्दोलन के पीछे पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि यह प्रमुख संस्थान समाज के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करे ताकि यह उन उद्देश्यों को पूरा कर सके जिनके लिए इसका निर्माण किया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया है कि चयन समिति अथवा किसी अन्य विषय पर वहां कोई आन्दोलन नहीं हुआ है। केवल एक मामले में शल्य-क्रिया विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा० एम० एम० कपूर ने उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें स्थायी चयन समिति की संरचना तथा संस्थान के निदेशक की नियुक्ति की वैधता को चुनौती दी गई है। इस रिट याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरम्भ में ही खारिज कर दिया था और डा० कपूर ने भारत के उच्चतम न्यायालय में स्पेशल केस की याचिका दायर की है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय पर अनुमान समिति की 102वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के अनुसरण में श्री टी० ए० पै, संसद सदस्य, की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा समिति नियुक्त की गई है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, चण्डीगढ़ के कार्य की जांच-पड़ताल करेगी। संसद के अधिनियम में निर्धारित उद्देश्यों को संस्थान ने कहां तक पूरा किया है, इस बात का जायजा लेना पुनरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में से एक है।

खाड़ी के देशों को जन-शक्ति की सप्लाई

*69. **श्री एस० जगन्नाथन** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने जन-शक्ति की सप्लाई के लिए खाड़ी के देशों के साथ व्यापक समझौते किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार का भी ऐसे समझौते करने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) हमें कुछ ऐसे मामलों की जानकारी है जहां अन्य देशों ने खाड़ी के देशों के साथ जन-शक्ति की आपूर्ति के लिए करार सम्पन्न किये हैं। भारत सरकार भी पश्चिम एशियाई और उत्तर अफ्रीकी देश, जिसमें खाड़ी के देश शामिल हैं, के साथ जन-शक्ति की आपूर्ति के सम्बन्ध में करार सम्पन्न करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। वास्तव में अन्तर-मन्त्रालयी दल आजकल ऐसे व्यापक करारों का मसौदा तैयार कर रहा है।

दिल्ली रिंग रेलवे का विद्युतीकरण

*70. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली रिंग रेलवे के विद्युतीकरण में अनुमानतः कितना खर्च आएगा;

(ख) चालू वर्ष के बजट में उसके लिए कितनी व्यवस्था की गयी है; और

(ग) अब तक कितना व्यय किया गया है और यह योजना कब तक पूरी होगी ?

संसदीय कार्य एवं श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) दिल्ली रिंग रेलवे का विद्युतीकरण, दिल्ली क्षेत्र में दैनिक यात्रियों के लिए अन्तर्नगरीय परिवहन सेवाएं सुलभ करने की परियोजना का एक भाग है जिस पर 21.61 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

(ख) 9 लाख रुपये ।

(ग) चूंकि इस परियोजना पर योजना आयोग को स्वीकृति देनी है और उसे मन्त्रिमंडल द्वारा अनुमोदित होना है, इसलिए इस पर कोई खर्च नहीं किया गया है । स्वीकृति मिल जाने के बाद यह परियोजना तीन से चार वर्ष में पूरी हो जायेगी ।

गाड़ियों की समय की पाबन्दी की बिगड़ती हुई दशा

*71. **श्री दुर्गा चन्द**
श्री वीरेन्द्र प्रसाद } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल गाड़ियों की समय की पाबन्दी में अत्यधिक गिरावट हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) निकट अतीत में गाड़ियों के समय पालन में कुछ गिरावट आयी है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान और महाराष्ट्र, केरल और आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रों में असामयिक भारी वर्षा के कारण मई और जून के दौरान गाड़ियों के समय पालन पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है । वास्तव में, विजयवाडा-गुडूर खंड से गुजरने वाली गाड़ियों पर समुद्री तूफान का प्रभाव अभी तक अनुभव किया जा रहा है । कुछ क्षेत्रों में खतरे की जंजीर खींचने और होज पाइपों के काटने तथा अन्य शरारती तत्वों की गतिविधियों की बढ़ती हुई घटनाओं का भी समय पालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । जनता/कर्मचारी आन्दोलनों और दुर्घटनाओं के अलावा, उत्तर और मध्य भारत में कुछ भागों में अत्यधिक गर्मी जैसे अन्य अपरिहार्य कारण भी थे, साथ ही, अनिवार्य कारणों जैसे रेल इंजनों की खराबियों, रेल इंजनों की हानियों, सिगनल की खराबियों और अन्य परिचालनिक खराबियों से भी गाड़ियों के समय पालन में गिरावट आयी है ।

(ग) 12-6-79 को बोर्ड के साथ महाप्रबन्धकों की पिछली बैठक में महाप्रबन्धकों से आग्रहपूर्वक कहा गया कि समय पालन में सुधार की नितान्त आवश्यकता है । परिहार्य विलम्ब की घटनाओं पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है और गाड़ियों के संचालन में सुधार लाने के लिए निवारात्मक/दंडात्मक कार्रवाई की जाती है । महाप्रबन्धकों को हिदायतें दी गयी हैं कि वे गाड़ियों के समय से चलाने को उच्च प्राथमिकता दें और इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की ओर से ढील पर सख्ती से कार्रवाई करें । यह भी, विनिश्चय किया गया है कि क्षेत्रीय रेलें मानिटरिंग कक्ष गठित करें और समय पालन तथा बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट गाड़ियों के साथ अधिकारियों और पर्यवेक्षकों का दल नियुक्त करें । खतरे की जंजीर खींचने, होज पाइपों को काटने और शरारता तत्वों की अन्य गतिविधियों की रोकथाम के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ भी सम्पर्क रखा जा रहा है ।

कोयले से भरे खुले रैकों तथा वैगनों से कोयले की उठाईगिरी

*72. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों तथा साईडिंग पर कोयले से भरे रैकों तथा वैगनों से कोयले की उठाईगिरी 1978-79 में बहुत बढ़ गई है;

(ख) क्या विशेषकर जब बड़ी मात्रा में उठाईगिरी होती है तब उसमें रेल सुरक्षा बल का हाथ होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य और श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) रेलवे सुरक्षा दल के पास दर्ज मामलों की संख्या को देखने से मालूम होता है कि 1977-78 की तुलना में 1978-79 में कोयले की उठाईगिरी में वृद्धि हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जितने मामले दर्ज किये गये हैं उनके अनुरूप ही पकड़े गये मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अलावा उठाईगिरी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

1. कोयला ढोने वाले सभी ब्लाक रेकों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी मार्ग-रक्षी के रूप में तैनात किये जाते हैं।
2. कोयला माल डिब्बों तथा कोयले के चट्टों पर पहरा देने के लिए यार्डों और इंजन शेडों में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में तैनात किये जाते हैं।
3. भेद्य यार्डों तथा बदनाम स्थानों पर गश्त लगाने के लिए कुत्ता दस्तों का इस्तेमाल किया जाता है।
4. भेद्य स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल की चौकियां स्थापित की गयी हैं।
5. कोयले की चोरी/उठाईगिरी के बारे में अपराध सम्बन्धी आसूचना इकट्ठी करने तथा समाज विरोधी तत्वों पर यदाकदा छापा मारने के लिए क्षेत्रीय रेलों के सी० आई० बी० कर्मचारियों और मण्डलों के सादी पोशाक वाले कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।
6. विभिन्न डिपों में माल डिब्बों की तौल, कोयले की प्राप्ति तथा निर्गम सम्बन्धी सही इन्दराज सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य, यांत्रिक और रेलवे सुरक्षा दल के निरीक्षकों द्वारा संयुक्त जांच की जाती है।

महानगरों में टैक्सी-व्यापार में संकट

*73. **श्रीमती मृणाल गोरे**
डा० बापू कालदाते } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, कलकत्ता, तथा मद्रास जैसे महानगरों में टैक्सी-चालन व्यवसाय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या मूल्य निर्धारण की वर्तमान नीति, यात्री कारों का वितरण, उनके कल-पुर्जों एवं पेट्रोल की लागत इस संकट के लिए उत्तरदायी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव इस संकट के बारे में विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संकट को समाप्त करने के लिए सरकार ने अन्य क्या उपाय सोचे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जहां तक नौवहन और परिवहन मंत्रालय की जानकारी है, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में टैक्सी चालन व्यवसाय पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ख) इस समय पैसेंजर कारों को जिसमें ऐंसीलरीज भी शामिल हैं, कीमतों और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है । भारत में पेट्रोल की कीमत विश्व में कच्चे तेल की कीमत पर निर्भर करती है।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन सम्मेलन जनेवा

*74. **श्री पी० जी० मावलंकर**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में भाग लिया था और उसमें भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें भाग लेने वाले विभिन्न प्रतिनिधियों के नाम, उसमें चर्चित विषय और उसमें लिए गए निर्णयों सहित तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें इस सम्मेलन का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में तथा जनेवा सम्मेलन में अपने अन्य कथनों में किन बातों पर बल दिया था ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) I. **प्रतिनिधियों के नाम**
सम्मेलन में भाग लेने वाला मंत्री

श्री रवीन्द्र वर्मा,
संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (केन्द्रीय)

क. सरकारी ग्रुप

प्रतिनिधि

1. श्री सुशील कुमार शिन्दे,
श्रम और पर्यटन मंत्री,
महाराष्ट्र सरकार ।

2. श्री के० एस० रघुपति,
सचिव,
श्रम मंत्रालय ।

एवजी प्रतिनिधि/सलाहकार

3. श्री सी० आर० घारे खां,
स्थायी प्रतिनिधि,
संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय,
जनेवा ।

4 श्री आर० के० ए० सुब्रह्मण्या,
अपर सचिव, श्रम मंत्रालय ।

5. श्री टी० एस० शंकरन,
अध्यक्ष, राज्य उद्योग विकास निगम,
तमिलनाडु ।

6. श्री वी० पी० साहनी,
महानिदेशक (श्रम कल्याण) श्रम मंत्रालय ।

7. श्री सी० आर० नायर,
उप सचिव,
श्रम मंत्रालय ।

8. श्री के० एस० सोढी,
प्रथम सचिव,
भारतीय स्थायी मिशन, जनेवा ।

9. श्री एस० एस० मुकर्जी,
उप निदेशक,
श्रम मंत्रालय ।

10. श्री बी० शेटी,
तृतीय सचिव,
भारतीय स्थायी मिशन, जनेवा ।

ख. **नियोजक ग्रुप**

प्रतिनिधि

1. श्री नवल एच० टाटा,
   अध्यक्ष,
   भारतीय नियोजक फेडरेशन ।

एवजी प्रतिनिधि

2. श्री मूसारज़ा,
   प्रबन्ध निदेशक,
   राष्ट्रीय कपड़ा निगम ।

सलाहकार

3. डा० एस० के० सोमैया,
   प्रतिनिधि,
   भारतीय नियोजक परिषद् ।

4. श्री एन० एस० वाकिल,
   प्रतिनिधि,
   भारतीय नियोजक परिषद् ।

5. श्री सुमन्त जे० पटेल,
   प्रतिनिधि,
   अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन ।

ग. **श्रमिक ग्रुप**

प्रतिनिधि

1. श्री एस० वेंकटराम,
   अध्यक्ष,
   हिन्द मजदूर सभा ।

सलाहकार

2. श्री प्रभाकर घाटे,
   प्रतिनिधि,
   भारतीय मजदूर संघ ।

3. डा० एम० के० पाण्डे,
   प्रतिनिधि,
   सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स ।

II. **सम्मेलन की कार्य-सूची**

सम्मेलन की कार्य-सूची इस प्रकार थी :—

1. शासी निकाय और महानिदेशक की रिपोर्टें ।
2. कार्यक्रम और बजट प्रस्ताव तथा अन्य वित्तीय मामले ।
3. अभिसमयों और सिफारिशों की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में सूचना और रिपोर्टें ।
4. दुर्घटना (गोदी मजदूर) से संरक्षण अभिसमय (संशोधित), 1932 (नं० 32) का संशोधन (दूसरी चर्चा) ।
5. सड़क परिवहन में कार्य घंटे और विश्राम अवधि (दूरी चर्चा) ।
6. वृद्ध कर्मकार, कार्य और निवृति (पहली चर्चा) ।
7. विश्व रोजगार सम्मेलन सम्बन्धी अनुवर्ती कार्यवाही : मूल आवश्यकताएं (सामान्य चर्चा) ।
8. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ढांचा

   ढांचे के सम्बन्ध में कार्यकारी दल की रिपोर्ट ।

सम्मेलन ने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की रंग-भेद की नीति सम्बन्धी घोषणा को लागू करने के बारे में महानिदेशक की पन्द्रहवीं विशिष्ट रिपोर्ट पर भी विचार करना था । यह घोषणा सम्मेलन के 48वें (1964) सत्र में की गई थी ।

III. सम्मेलन में लिए गए निर्णय

सम्मेलन में लिए गए निर्णय संक्षेप में इस प्रकार थे :—

सम्मेलन ने 1980-81 के दो वर्षों के लिए 2038 लाख डालर का बजट स्वीकार किया

सम्मेलन ने (i) सड़क परिवहन में कार्य-घंटे और विश्राम-अवधि तथा (ii) गोदी-मजदूरों के सरक्षण सम्बन्धी अभिसमय और सिफारिशें भी पारित की । इसने वृद्ध श्रमिकों को बेहत्तर सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी सिफारिश को अगले वर्ष पारित करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया ।

सम्मेलन ने विश्व रोजगार सम्मेलन, 1976 में पारित विकास-नीति की वैधता की पुनः पुष्टि की जिसका उद्देश्य उत्पादनकारी रोजगार में वृद्धि द्वारा गरीबी को कम और समाप्त करना तथा मानव की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ।

सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ढांचे सम्बन्धी कार्यकारी दल के अधिदेश का नवीकरण करने का निर्णय किया ताकि वह अनिर्णीत पड़े विभिन्न विषयों के बारे में अन्तिम समझौता कर सके और अगले वर्ष के सत्र में संगठन के ढांचे से सम्बन्धित मुख्य विषयों के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके ।

सम्मेलन ने अभिसमयों और सिफारिशों की प्रयोज्यता सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वीकार की और अनुसमर्थित अभिसमयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारों द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों पर सन्तोष व्यक्त किया ।

सम्मेलन ने बाल श्रमिकों, अपंग व्यक्तियों, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में अरबी भाषा का प्रयोग, औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्रम का विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पारित किए ।

(ग) जी हां । संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री सर्वसम्मति से सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए ।

(घ) केन्द्रीय श्रम मंत्री ने निम्नलिखित मुख्य विषयों पर बल दिया :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अस्तित्व कई दशकों तक तथा कई उतार-चढ़ावों में भी बना रहा और बार-बार इसने अपनी उपयोगिता, लचीलापन और अपना सतत वायदा प्रदर्शित किया । इस लचीलेपन का मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व व्यापकता, त्रिपक्षीय वाद और सामाजिक न्याय की धारणा के प्रति वचनबद्धता है ।

(ii) यह सम्मेलन संगठन की 60वीं वर्षगांठ के साथ हुआ । छः दशकों में संसार के राजनीतिक नक्शे का स्वरूप बदल गया है । नये राष्ट्र अस्तित्व में आ गए हैं । अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंगठन में नए देशों के आगमन और अभिगमन से संगठन में ऐसे देश आ गए हैं जिनके नए स्वभाव नई परम्पराएं और काम करने के विभिन्न तरीके हैं । इस बढ़ती हुई विश्व-व्यापकता ने यह दायित्व भी थोपा ताकि संगठन और उसके कार्यक्रमों के प्रभाव और प्रासंगिकता की विश्व-व्यापकता को सुनिश्चित किया जा सके । मानकों और अभिसमयों को बनाने में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अपार सफलता मुख्य रूप से औद्योगिक रूप के उन्नत देशों से सम्बद्ध है । लेकिन विकासशील देशों में अधिकांश श्रमिकों के लिए इन मानकों और अभिसमयों का केवल अस्पष्ट प्रभाव था । इन देशों में श्रमिकों की मुख्य समस्याएं, जो मानव जाति का एक प्रमुख भाग है, बेरोजगारी, अपूर्ण-रोजगार, अन्तर्विरामी रोज़गार, अपर्याप्त आय और मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सुविधाओं की प्राप्ति की कमी की समस्याएं हैं ।

(iii) संसार के अधिकांश श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वे असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र या स्व-नियोजित क्षेत्र सम्बन्ध रखते हैं । इससे उपयुक्त प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को अधिक बल मिला जिससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी, आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक आधार

तैयार होगा, सत्ता के केन्द्रीयकरण और प्रगति के लाभों के वितरण में विषमता को दूर कर के सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा। यह आशा की जाती है कि उन क्षेत्रो में इस प्रकार की उपयुक्त प्रौद्योगिकी का पता लगाने में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अपना योगदान देगा जहां बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं पर विचार करने और प्रशिक्षण परियोजनाओं का अभिनवीकरण और विस्तार करने के लिए इनकी सर्वोपरि महत्ता है, ताकि नये कौशलों का सम्प्रेषण किया जा सके जो नई प्रौद्योगिकी और पुराने कौशलों को आधुनिक बनाने तथा उन्हें अद्यतन बनाने के लिए आवश्यक है और यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवसर असंगठित तथा स्व-नियोजित क्षेत्रों के लोगों को भी उपलब्ध हों।

(iv) मूल आवश्यकताओं, सर्वव्यापी शिक्षा और प्रशिक्षण, भूमि सुधार, पूंजी प्रधान और श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी के बीच परस्पर दृढ़ सम्बन्ध स्थापित करना, रोजगार सृजन और उत्पादिता के स्तर को बढ़ाना तथा इसके अतिरिक्त आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं द्वारा विकास की प्रक्रियाओं में अधिकांश लोगों की कारगर सहभोगिता ऐसे कदम हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर और उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय ढांचे के अन्दर शीघ्र उठाने की आवश्यकता थी।

(v) यदि गरीबी और बेरोजगारी की समस्या में व्यस्त होने से विकासशील संसार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानक निर्धारण करने वाले कार्यकलापों को कम प्राथमिकता प्रदान न की गई होती, तो इसका उपाय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिकांश सदस्यों को मानकों की प्रासंगकिता सुनिश्चित करने में होता है। यदि अधिकांश अभिसमयों को कम सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित किया जाता है तो अभिसमयों और सिफारिशों से अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो सकते।

(vi) कानून द्वारा बाल श्रम पद्धति समाप्त करने के उद्देश्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वचनबद्धता बाकी रहती है। लेकिन इस वचनबद्धता को आर्थिक यथार्थता के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। बाल श्रम पद्धति को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाते समय हमें काम करते हुए बच्चों की रक्षा करने, कार्य-दशाओं पर नियंत्रण करने, और शिक्षा, कौशलों के विकास तथा तथा भावी कार्य-जीवन के लिए बच्चों की अनुकूलनशीलता का विकास करने के लिए तत्काल कदम उठाने हैं।

(vii) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्वव्यापकता की परीक्षा अपने परम्परागत कार्यकलापों का समकालीन मामलों (विशेष रूप से संसार के विकासशील देशों के मामलों) के अनुकूल अभिनवीकरण करने की योग्यता में निहित है।

(viii) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी अनियमित क्षेत्र में गरीब श्रमिकों की ओर अपना ध्यान निःसंदेह संकेन्द्रित करना चाहिए। इसको गाइक्रो-लेबल पर अपने गुणात्मक योगदान में सुधार करना चाहिए, इक्विटी के साथ विकास और परिसम्पत्ति के सृजन के साथ आय में वृद्धि का सामंजस्य करने के लिए नए तरीकों का पता लगाना चाहिए। विकास-शील औद्योगिक सम्बन्ध पद्धतियों का पता लगाना चाहिए, प्रशिक्षण और समाज सेवाओं के लिए डिलिवरी पद्धतियों में सुधार करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य-दशाओं और सुरक्षा में सुधार करना चाहिए, ग्रामीण श्रमिकों के संगठन को बढ़ावा देना चाहिए और विशिष्ट क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के चयन के क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। इसको यह भी देखना चाहिए कि नए संकलियत ढांचे और तकनीकी सहयोग को अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं, जो स्थापित की जा रही है, से जोड़ा गया है।

(ix) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में नये स्वतंत्र और विकासशील देशों के आगमन से हुए परिवर्तनों, नियोजक के रूप में राज्य के आविर्भाव और समझौते के मार्ग को अपनाने के सापेक्ष गुणों की तीन पक्षकारों अर्थात् सरकार, नियोजकों और श्रमिकों द्वारा बढ़ती हुई अनुभूति से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य संचालन के तरीकों और ढांचे में नया संतुलन अवश्य प्राप्त होगा।

(x) दक्षिणी अफ्रीका में रंग-भेद की नीति के सम्बन्ध में महानिदेशक की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार-विमर्श समाप्त करते हुए, श्रम मंत्री ने मानव अधिकारों के लिए महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित के सम्बन्ध में दिए गए सुझावों की ओर ध्यान भी आकर्षित किया—

—अगले वर्ष होने वाले सम्मेलन में रंग-भेद सम्बन्धी विशेष समिति की स्थापना करना।

—अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यकलापों का मूल्यांकन करने और भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देने के लिए संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/अफ्रीकन एकता विशेषज्ञ दल के संगठन का सृजन।

—दक्षिण अफ्रीकी श्रमिकों के लाभ के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को सहायता देने के लिए स्वैच्छिक योगदान।

महाप्रबन्धकों की बैठक

*75. **श्री के० टी० कोसलराम**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता और उनके समय-समय पर आन्दोलनों को रोकने के लिए जिनके कारण गाड़ियों के सुचारू रूप से चलने में बाधा पड़ी है, क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) दिनांक 12 और 13 जून, 1979 को हुई महाप्रबन्धकों की बैठक में क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 31-3-79 को यह दृढ़ अनुदेश जारी किये गये थे कि गैर कानूनी रूप से हड़ताल करने/काम बन्द कर देने की स्थिति में काम से अनुपस्थित रहने की अवधि का आनुपातिक वेतन काटने तथा सेवा भंग (जिसमें हड़ताल की तारीख तक अर्जित समस्त छुट्टी जब्त करना, वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख स्थगित करना तथा हड़ताल के बाद ड्यूटी पर आने की तारीख से छुट्टी और पास के लिए पात्रता तथा भविष्य निधि में अंशदान और सेवा निवृत होने पर पेंशनीय लाभों की स्वीकृति के लिए नयी सेवा मानना शामिल हैं, जैसी परिणामी कार्रवाई की जाये। इन अनुदेशों में यह भी कहा गया है कि ऐसे सेवा भंग को माफ करने के आदेश केवल राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही जारी किये जा सकते हैं तथा जब तक सेवा भंग को माफ नहीं किया जाता तब तक कोई भी निचला प्राधिकारी यह मानकर कि सेवा भंग को माफ कर दिया जाएगा, कोई ऐसा लाभ नहीं दे सकता जो उन्होंने गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने/काम बन्द कर देने के कारण खो दिया है।

ये सुदृढ अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं कि गाड़ी सेवाएं ठप्प कर देने की घटनाओं को गम्भीरता से लिया जाएगा और निवारक कार्रवाई की जायेगी।

किसी आसंग स्थिति का मुकाबला करने की दृष्टि से रेलवे की प्रादेशिक सेवा की कुछ यूनिटों को सतर्क कर दिया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहायक व्यवस्था के तौर पर उन्हें तैनात किया जा सके।

(ख) और (ग) परिवहन में गतिरोधों को दूर करने, परिचालनों को ठीक करने तथा रेल प्रशासन में समग्र कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए अपनायी जाने वाली नीतियों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के नये अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद जून, 1979 में बुलायी गयी महाप्रबन्धकों की कांफ्रेंस में गहराई से विचार किया गया था। इस कांफ्रेंस में लिये गये निर्णयों के आधार पर किए गए अनेक अनुवर्ती उपायों से जिसमें बोर्ड स्तर पर अनुश्रवण भी शामिल हैं, रेल परिचालनों में भारी सुधार हुआ है।

रेल कर्मचारियों को बोनस

*76. **श्री कंवर लाल गुप्त**
श्री वसन्त साठे } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों को बोनस देने के मामले पर कोई निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस प्रश्न पर निर्णय कब लेगी;

(ग) क्या सरकार रेल कर्मचारियों के लिए बोनस के सिद्धान्त स्वीकार करती है;

(घ) इस मामले पर रेल कर्मचारियों की नवीनतम मांगें क्या हैं;

(ङ) यदि बोनस की मांग पूरी की जाये, तो उस पर कितना खर्च आएगा; और

(च) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारी इस बात से सहमत हैं कि बोनस की राशि उन्हें सेवानिवृत्ति के समय दे दी जाए ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) इस मामले पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

(ग) सरकार ने इस मामले पर अभी कोई निर्णय नही लिया है।

(घ) रेल कर्मचारियों ने वेतन का 8.33% कम-से-कम बोनस के रूप में भुगतान करने की मांग की है।

(ङ) केवल रेल कर्मचारियों पर प्रति वर्ष लगभग 71 करोड़ रुपये खर्च आयेगा।

(च) सरकार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बोनस अधिनियम का संशोधन

*77. **श्री अनन्त दवे**
श्री दलपत सिंह परस्ते } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतलिंगम समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और समूचे रूप में बोनस के मामले पर सरकार की एकीकृत नीति पर निर्णय ले लिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस निर्णय के आधार पर बने बोनस अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इससे औद्योगिक श्रमिकों के हितों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) बोनस के मामले पर, जिसमें इसका क्षेत्र विस्तार और सम्बन्धित विषय भी शामिल हैं, ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है और आवश्यक विधान त्यौहारों के मौसम से पहले पेश करने का सरकार का विचार है।

दो-मंजिले रेल डिब्बे

*78. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो-मंजिले रेल डिब्बे बनाने के कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि थोड़ी दूर की रेल यात्रा में यात्रियों की भीड़ अधिक रहती है; और

(ग) क्या सरकार को दो-मंजिला रेल डिब्बे लगाने के मामले में थोड़ी दूरी की गाड़ियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण): (क) 1977-78 के दौरान सवारी डिब्बा कारखाने द्वारा बड़ी लाइन के 12 दो-मंजिले सवारी डिब्बों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और 1979-80 की अवधि में 24 और दो-मंजिले सवारी डिब्बों का उत्पादन होने की प्रत्याशा है ।

(ख) जी हां, केवल महत्वपूर्ण स्टेशनों पर और उनके आस-पास ।

(ग) अपेक्षाकृत कम धूल वाले थोड़ी दूरी के चुने हुए मार्गों पर दो-मंजिले सवारी डिब्बे चलाने का विनिश्चय किया गया है ।

कोचीन पत्तन का विकास

*79. **श्री के०ए० राजन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत कोचीन पत्तन के विकास की योजनाओं पर निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और तत्सम्बन्धी अन्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) पेट्रोलियम, आयल और लुब्रीकेंट्स तथा उर्वरक उतारने-चढ़ाने के सम्बन्ध में कोचीन पत्तन का विकास करने के लिए एक समेकित योजना जिसकी अनुमानित लागत 26 08 करोड़ रु० है, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से सरकार को अनुमोदन के लिए प्राप्त हुई है । इस सम्बन्ध में सुझाव के गुणा-वगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।

पंजाब मे काम करने वाले बिहार और उड़ीसा के बंधुआ मजदूर

*80. **श्री राम नरेश कुशवाहा**
श्री राम सागर } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए काई कानून बनाया था;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 'नवभारत टाइम्स' दिनांक 30 मई, 1979 में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि बिहार और उड़ीसा के लगभग 30 कृषि मजदूर जिला जालन्धर में तलवंडी गांव में बंधुआ मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं और उनसे बंदूक की नोक पर जबरदस्ती काम लिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे अन्य स्थानों का पता लगाने के लिए, जहां पर बंधुआ मजदूर प्रथा अभी भी प्रचलित है, कोई आयोग गठित करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या उन मजदूरों को कोई रोजगार दिया गया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री लारंग साय) : (क) से (घ) बलात या अंशत: बलात श्रम पद्धति को, जिसके अन्तर्गत ऋणी लेनदार के लिए श्रम या सेवा करता है और जो सामान्यत: बंधित श्रम पद्धति के नाम से जानी जाती है, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकारें इसके उपबन्धों को कार्यान्वित करती हैं तथा जिला मैजिस्ट्रेटों को ऐसी शक्तियां तथा ऐसे कार्य प्रदान करती हैं, जो वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझें कि अधिनियम के उपबन्धों का अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है।

2. समाचारपत्र की रिपोर्ट के अनुसार जिला जालन्धर में बलात श्रम की अभिकथित घटना पंजाब सरकार को भेजी गई थी और अनुरोध किया गया था कि वह बंधित श्रमिकों को मुक्त कराऐ तथा उनका पुनर्वास करे। पंजाब सरकार से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों से पता चलता है कि पुलिस की मध्यस्थता से उन 36 सम्बन्धित व्यक्तियों के मजदूरी के हिसाब-किताब चुकता कर दिए गए, जो अधिकांश रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश तथा कुछ उड़ीसा के प्रवासी श्रमिक थे और तलवंडी, अबदार ग्राम (जिला जालन्धर) में जमीदार के पास काम कर रहे थे। जांच-पड़ताल जारी है और पंजाब सरकार से आगे और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) अप्रैल, 1979 में बंधित श्रमिक सम्बन्धी एक समिति गठित की गई जो बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें मुक्त कराने में और अधिक कारगर प्रक्रियाओं और पद्धतियों की समीक्षा करेगी तथा उनमें सुधार की सिफारिश करेगी। किसी प्रकार का आयोग नियुक्त करने का विचार नहीं है।

गेट नम्बर 499 का निरन्तर बन्द रहना

581. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग को राय मंडी स्टेशन से आधे फ्लांग की दूरी पर कारोबार क्षेत्र के मध्य में स्थित गेट नम्बर 499 के प्राय: निरन्तर बन्द रहने से उत्पन्न असुविधा और यातायात में बाधा के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है? और

(ग) क्या इस बाधा को दूर करने के लिए सरकार की इसके विद्युतीकरण और स्वचलित कार्य-संचालन को शीघ्र प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्वत: उठने वाले बैरियर टाइप के फाटकों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए रेल सरक्षा आयुक्त का अनुमोदन (जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित होता है) पहले ही मांगा गया है। रेल संरक्षा आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त होने पर काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा।

पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे के मुख्यालयों में वाहन

583. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री रेलवे में स्वचालित वाहन के बारे में 26 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8723 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 वर्ष पूर्व और आज पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे के मुख्यालयों और डिवीजनल मुख्यालयों में वाहन की संख्या क्या है;

(ख) उन वाहनों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं जबकि कार्यालय निकट स्थित हैं तथा पहले कम वाहनों से कार्य चल रहा था; और

(ग) क्या सरकार वाहनों की इतनी अधिक संख्या के बारे में जांच पड़ताल करना चाहती है तथा आवश्यकता से अधिक वाहनों को वापस लेती है जिससे मितव्ययिता की जा सके और उनका दुरुपयोग न हो, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) वित्त मन्त्रालय द्वारा 22-5-79 को जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर, रेल मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय रेलों को निर्देश दे दिए हैं, जिसमें उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे शामिल हैं और जिन्हें वाहनों की संख्या कम से कम 10% तक कम करने की संभावना का पता लगाने की दृष्टि से, स्टाफ कारों और परिचालन वाहनों सहित अन्य वाहनों की संख्या की समीक्षा करने के लिए कहा गया है । जब तक यह समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक रेल मंत्रालय किसी नयी स्टाफ कार के खरीदने अथवा वर्तमान स्टाफ कार को बदलने के बारे में विचार नहीं करेगा ।

उत्कल/कलिंग एक्सप्रेस गाड़ियों का लेट चलना

584. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-जून, 1979 की अवधि के दौरान उत्कल/कलिंग एक्सप्रेस कितने दिन निजामुद्दीन स्टेशन पर दो घण्टे से अधिक लेट पहुंची;

(ख) क्या इस प्रकार के विलम्ब के लिए सरकार ने कोई कारण खोजे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और रेल गाड़ियों को समय पर चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) अप्रैल, मई और जून, 79 महीनों के दौरान 77 अप उत्कल एक्सप्रेस निजामुद्दीन स्टेशन पर क्रमश: 3, 4 और 5 दिन दो घण्टे से अधिक देर से पहुंची थी तथा 143 अप-कलिंग एक्सप्रेस निजामुद्दीन क्रमश: 2, 1 और 4 दिन दो घण्टे से अधिक देर से पहुंची थी।

देर से पहुंचने के कारणों का विश्लेषण किया गया है। इन गाड़ियों के समय पालन पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मूल कारण भारी वर्षा और खराब मौसम तथा रेल इंजनों की हानि/निष्क्रियता, सिगनलों की निष्क्रियता और खतरे की जंजीर खींचना है। ऐसे कारणों से जो रेलवे

के नियन्त्रण के भीतर हों, होने वाली रुकौनियों पर सभी स्तरों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की जाती हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की अनिवार्य सेवा में सम्मिलित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और लिपिक

585. **श्री मही लाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की 'अनिवार्य सेवा' में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और लिपिक सम्मिलित हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में आपात-कालीन ड्यूटी पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बुलाने के क्या कारण हैं जबकि औषधालयों में कार्य कर रहें लिपिकों को आपात-कालीन ड्यूटी पर नही बुलाया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां। चपरासियों को छोड़ कर शेष सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी "अनिवार्य सेवाओं" का अंग माने जाते हैं। क्लर्कों को "अनिवार्य सेवा" का अंग नहीं समझा जाता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

मुक्त हुए बन्धुआ मजदूरों का पुनार्वास

586. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुक्त हुए कुल कितने बंधुआ मजदूरों का अब तक पुनर्वास किया जा चुका है और मंत्रालय द्वारा उनके पुनर्वास के लिए क्या ढंग अपनाया गया है और क्या पुनर्वास योजना उनके लिए आकर्षक और लाभप्रद है; और

(ख) कितने ऐसे हरिजनों को जो पहले डाकू थे पुनर्वास की सुविधा प्रदान की गई हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) राज्य सरकारों से 31-12-1978 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, मुक्त किए गए बंधित श्रमिकों की संख्या 54,993 थी जिन्हें पुनर्वासित किया गया।

मुक्त कराए गए बंधित श्रमिकों को राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई पुनर्वास सहायता में कृषि भूमि, मकानों के लिए भूखंड आबंटित करना, दूध देने वाले पशुओं, भेड़ों, मुर्गीपालन, कृषि के प्रयोजनों, बढ़ई गिरी आदि के लिए औजारों की खरीद के लिए ऋण/अनुदान, भूमि संरक्षण सिंचाई कार्य के लिए वर्तमान कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार और अन्य कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं। कुछ राज्यों में मासिक वित्तीय सहायता भी दी गई।

पुनर्वास कार्यक्रमों को तेज करने के लिए 1978-79 के दौरान केन्द्र द्वारा संचालित योजना इतनी आकर्षक थी कि मुक्त कराए गए प्रत्येक बंधित श्रमिक को दी गई सहायता की कुल राशि

4000 रु० थी। 1978-79 के दौरान, 5906 और मुक्त कराए गए श्रमिकों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी गई।

(ख) पुनर्वासित किए गए बंधित श्रमिकों में से ऐसे हरिजनों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है जो पहले डाकू थे। उनके क्रियाकलापों के स्वरूप पर विचार करते हुए यह असंभव है कि बंधित श्रमिकों के बीच ऐसे भी व्यक्ति रहे होंगे जो पहले डाकू थे।

बिटुमैन की कमी

587. **श्री के० लकप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिटुमैन की कमी के कारण सड़कों की मरम्मत का काम रुक गया है; और

(ख) वर्षा ऋतु के समीप आते देखकर सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) कुछ राज्य लोक निर्माण विभागों ने सूचित किया है कि उनके यहां बिटुमैन की कमी है। हाल ही में पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की तेल समन्वय समिति के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी जिसमें तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि और कुछ राज्यों के मुख्य इंजीनियर भी मौजूद थे। प्रस्ताव है कि इस मामले पर आगे बातचीत सम्बन्धित मंत्रालय के साथ की जाए ताकि बिटुमैन का उत्पादन मांग के अनुसार होता रहे।

ग्रामीण श्रमिकों की बेरोजगारी समाप्त करना

588. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण श्रमिकों की संख्या में वर्ष 1964-65 से लेकर प्रतिवर्ष, 35 लाख व्यक्तियों की दर से निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या वर्ष 1964-65 तथा 1974-75 के ग्रामीण श्रम जांच प्रतिवेदनों के अनुसार, ग्रामीण श्रमिकों की संख्या वर्ष 1964-65 में 17·40 करोड़ थी जो वर्ष 1974-75 में बढ़कर 20·40 करोड़ हो गई और क्या यह संख्या वर्ष 1977-78 में योजना आयोग द्वारा एकत्र किये गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 22·30 करोड़ हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण श्रमिकों की बेरोजगारी और अल्प रोजगारी समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) देश में ग्रामीण श्रमिकों के बीच बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को दूर करने के लिए मुख्य उपाय नीचे दर्शाए गए हैं :—

(1) सिंचाई की क्षमता में पर्याप्त विस्तार, जिससे कृषि में अधिक संख्या में श्रमिक खप जाएंगे ।

(2) पशुपालन, वन उद्योग और मत्स्य उद्योग का व्यापक विस्तार ।

(3) कृषि विस्तार और प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार।

(4) पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए 2000 विकास ब्लाकों में एक समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है । इन ब्लाकों में प्रत्येक ब्याक को पूर्ण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय के अतिरिक्त 5 लाख रुपए की विशेष सहायता दी गई है । प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 अतिरिक्त ब्लाक लाए जाएगे ।

(5) छोटे किसान, सीमान्त किसान और कृषि श्रमिक विकास कार्यक्रम उपर्युक्त (4) में दिए गए ब्लाकों के अतिरिक्त ब्लाकों में जारी है ।

(6) काम के लिए अनाज कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत 10 से 15 लाख टन खाद्यान्न का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए मजदूरी के रूप में उपयोग किया जा रहा है ।

(7) ग्रामीण, लघु और काटेज उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के विकास के लिए अब तक लगभग 250 जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है । धीरे-धीरे सभी जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए इसका विस्तार किया जाना है ।

(8) हथ करघे और खादी उत्पादन तथा मार्किटिंग के व्यापक विस्तार का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है ।

(9) सीमान्त/बीज धन सहायता योजना स्वतः रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारम्भ की गई है ।

(10) वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई है कि वे स्वतः रोजगार का बढ़ावा देने के लिए ऋण देने की व्यवस्था करें ।

(11) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके अन्तर्गत पंच-वर्षीय योजना की अवधि के दौरान 650 लाख प्रौढ़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित किया जाएगा ।

(12) सामुदायिक स्वास्थ्य श्रमिक योजना प्रारम्भ की गई है, जिसका अन्ततः उद्देश्य ग्रामीण जन संख्या के प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मकार की व्यवस्था करना है ।

(13) बहुत सी ग्रामीण निर्माण परियोजनाओं, जिनमें लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं शामिल हैं, के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार भी सृजित किया जाएगा ।

(14) सरकार ने सितम्बर, 1978 में ग्रामीण असंगठित श्रमिक सम्बन्धी केन्द्रीय स्थायी समिति स्थापित की है : ग्रामीण असंगठित श्रमिक सम्बन्धी केन्द्रीय स्थायी समिति

के विचारार्थ विषयों में से एक विषय रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को दूर करने के तरीकों के बारे में सुझाव देना है। समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

विवरण

ग्रामीण परिवारों और कृषि श्रमिक परिवारों, ग्रामीण कर्मी दल, परिवार के आकार और कमाने वालों की क्षमता की अनुमानित संख्या।

सं०	मद	1964-65 (मार्च, 65)	1974-75 (जन० 1975)	1977-78 (मार्च 1978)
1.	ग्रामीण कर्मी दल (दस लाख में)	173·6	206·3	223·1
2.	ग्रामीण परिवारों की संख्या (दस लाख में)	70·4	82·1	86·1
3.	ग्रामीण श्रमिक परिवार (दस लाख में)	17·9	24·9	27·6
4.	कृषि श्रमिक परिवार (दस लाख में)	15·3	20·8	22·9
5.	परिवारों का औसत आकार :			
	(क) कृषि श्रमिक परिवार (व्यक्तियों में)	4·47	4·74	—
	(ख) ग्रामीण श्रमिक परिवार (व्यक्तियों में)	4·51	4·70	—
6.	प्रति परिवार कमाने वालों की औसत संख्या :			
	(क) कृषि श्रमिक परिवार (व्यक्तियों में)	2·01	2·34	—
	(ख) ग्रामीण श्रमिक परिवार (व्यक्तियों में)	2·00	2·30	—

1964-65 और 1974-75 के लिए अनुमान ग्रामीण श्रमिक जांच रिपोर्टों से लिए गए हैं। (1977-78 के लिए अनुमान 1964-65/1974-75 के दर्शकों की वार्षिक विकास दरों की तुलना में प्रक्षिप्त किए गए हैं। 1977-78 के लिए यह अनुमान योजना आयोग द्वारा बनाया गया है)।

लकड़ी के स्लीपर बदला जाना

589. **श्री अम्बिका प्रसाद पांडेय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी रेल लाइनों पर लकड़ी के स्पीलरों के स्थान पर सीमेंट के स्लीपर लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू किया जायेगा और उस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। कंक्रीट स्लीपरों को इस्तेमाल करने की योजना केवल तेज रफ्तार और भारी घनत्व वाले मार्गों के लिए ही है जिन पर लम्बी झली हुई रेल पटरियां लगी हुई हैं। देश में जिस हद तक लकड़ी के स्लीपर उपलब्ध होते हैं इनका भी उपयोग किया जा रहा है।

(ख) 1968-69 से कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग पहले से ही किया जा रहा है। कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग रेलपथ आधुनिकीकरण कार्यक्रम का एक अंग है जिसमें भारी रेल पटरियों का उपयोग, पटरियों के जोड़ों की झलाई, लचीले बन्धन, स्लीपर का बढ़ा हुआ घनत्व तथा गिट्टियों की गद्दी, गिट्टियों की यांत्रिक रूप से पैकिंग, रेलपथ की ट्रैक रिकार्डिंग और ओसीसलियोग्राफ कारों द्वारा मानिटरिंग, पटरी दोषों का पराश्रव्य संसूचक (अल्ट्रासानिक डिटेक्शन) तथा रेलपथ अनुरक्षण की अन्य सुधरी हुई पद्धतियां शामिल हैं। रेलपथ आधुनिकीकरण कार्यों के लिए लगभग 14,000 कि० मी० लम्बे रेलपथ को प्राथमिकता दी जायेगी, जिसमें ट्रंक मार्ग शामिल हैं।

स्वयं कथित डाक्टर के लिए रेलवे पास

590. **डा० सुशीला नायर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री मोहम्मद यूसूफ को आंखों का कैम्प आयोजित करने के मुफ्त रेलवे पास जारी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो एक अप्रशिक्षित व्यक्ति को आंखों का आपरेशन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) डाक्टर मोहम्मद यूसफ को रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लाभ के लिए नि.शुल्क चक्षु उपचार शिविर चलाने के लिए उत्तर रेलवे पर वैध प्रथम श्रेणी का एक मानार्थ पास जारी किया गया है जिस पर श्रेणी-II में एक परिचर भी ले जाने की व्यवस्था है। उनके पास आंखों के इलाज के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाएं न्यूयार्क इंस्टीच्यूट आफ आप्टिक्स का प्रमाण-पत्र तथा मेनहट्टन स्कूल आफ आप्टिक्स से प्राप्त थियोरिटीकल एण्ड एप्लाइड आपटिक्स में डिप्लोमा है। वह योग्यता प्राप्त आप्टिशियन और रिफरैक्शनिस्ट हैं। उनका काम शीशों द्वारा आंख की रोशनी और देखने में खराबियों का पता लगाने तक सीमित है। जिन मरीजों को डाक्टरी या शल्य चिकित्सा की जरूरत होती है उन्हें वे आंख के विशेषज्ञ/आंख के शल्य चिकित्सक के पास भेज देते हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

रामजन पुल

591. **श्री युवराज** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज विरोधी तत्वों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर किशनगंज और सिलीगुड़ी के बीच स्थित रामजन पुल को क्षतिग्रस्त करने का षड़यन्त्र किया था;

(ख) क्या यह पुल जिसका निर्माण 2 वर्ष पहले हुआ था आम जनता के लिए उपयोगी होने के साथ-साथ सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किए जाएंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने बताया है कि स्थल पर जाकर जांच करने से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर पूर्णिया और सिलिगुड़ी के बीच किशनगंज में रामजन पुल को नुकसान पहुंचाने की किसी साजिश का पता नहीं चलता। पुल मार्च, 1977 में पूरा हुआ था और नवम्बर, 1978 में यातायात के लिए खोला गया था। किशनगंज की ओर का डैक स्लैब, केन्टोलीवर स्थान को 6 मई, 1979 को कुछ नुकसान पहुंचा। पुल सभी प्रकार से महत्वपूर्ण है। क्षतिग्रस्त पुल के साथ वाले मौजूदा पुराने पुल से यातायात हो रहा है। क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का कार्य चालू है।

एक्स कैडर पदों पर कार्य करते समय एल० डी० सी०/यू० डी० सी० द्वारा पूर्वाधिकार रखना

592. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के एल० डी० सी०/यू० डी० सी०, जिन्हें श्रम मन्त्रालय श्रम ब्यूरों शिमला में कम्पयूटरों/इन्वैस्टीगेटरों के पदों पर पदोन्नत किया गया था, एक्स कैडर पदों पर कार्य करते समय केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में अपने मूल पदों पर अनिश्चितकाल के लिए पूर्वाधिकार (लीयन) रख सकते हैं अथवा उन्हें प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्त माना जायेगा; और

(ख) क्या सरकार श्रम मंत्रालय और श्रम ब्यूरो, शिमला के ग्रेड एक के इन्वैस्टीगेटरों की वर्तमान कोटावार वरीयता सूची सभा पटल पर रखेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू सामान्य नियमों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के ऐसे एल० डी० सी०/यू० डी० सी०, जिन्हें कम्पयूटरों / इनवेस्टीगेटर ग्रेड-2 के पदों पर प्रतिनियुक्त आधार पर नियुक्त किया जाता है, अपने संवर्ग के स्थायी पद पर तभी तक पूर्वाधिकार (लीयन) रख सकते हैं जब तक वे किसी अन्य स्थायी पद पर लीयन प्राप्त नहीं कर लेते।

(ख) श्रम मंत्रालय में इन्वैस्टीगेटर ग्रेड-I की ड्राफ्ट वरीयता सूची सम्बन्धित व्यक्तियों में उनकी टिप्पणियों आपत्तियों के लिए परिचालित कर दी गई है, जो अभी प्राप्त होनी है। जहां तक श्रम ब्यूरो का सम्बन्ध है वरीयता सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि कुछेक इन्वैस्टीगेटर-ग्रेड-I ने एक रिट याचिका दायर कर दी है जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

रेल वैगनों की उपलब्धता

593. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में वैगन उपलब्धता की स्थिति क्या है तथा अधिक सुचारू कार्यकरण हेतु स्टाक में वृद्धि करने सम्बन्धी कार्यक्रम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि वैगन यूनिटों ने अपनी कीमतें 30 प्रतिशत बढ़ा दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे का विचार अर्थव्यवस्था पर दबाव डाले बिना परिवहन में किस प्रकार सुधार करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) 31-5-1979 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलों के पास बड़ी लाइन के 4, 13, 202 और मीटर लाइन के, 1,11247 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) का बेड़ा था। उद्योग के लिए माल डिब्बों की उपलब्धता न केवल उनकी संख्या पर निर्भर करती है बल्कि उनके फेरे पर भी अर्थात् वह अन्तराल जिसके उपरान्त माल डिब्बा फिर से लदान के लिए सुलभ होता है। पिछले वित्तीय वर्ष 1978-79 तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे बहुत से कारक थे जिनके कारण माल डिब्बों के फेरे पर प्रभाव पड़ा जिनमें जन आन्दोलन, रेल कर्मचारी आन्दोलन, यातायात की मात्रा में वृद्धि, बाढ़ें आदि कारण शामिल हैं। उद्योग को माल डिब्बों की सुलभता में सुधार लाने के लिए सभी तरह से प्रयास किये जा रहे हैं। निधियों के नियतन के अनुरूप, चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1979-80 में 13,100 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) की खरीद का कार्यक्रम है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जबकि ये प्रयास तो जारी रखे जायेंगे कि माल डिब्बों के वर्तमान बेड़े का यथा-संभव अधिक से अधिक उपयोग हो, उपलब्ध संसाधनों के भीतर और यातायात मांगों के अनुरूप नये माल डिब्बों की खरीद भी की जाती रहेगी।

बिहार द्वारा रेलवे वैगनों की मांग

594. **श्री मृत्युन्जय प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक-पत्र 'इन्डियन नेशन' के दिनांक 4 जून, 1979 में 'ओफिसयल मैनयूवर कोल क्राइसेस टु ग्रो ऐक्यूट' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है और यदि हां, तो बिहार सरकार अथवा उसके प्राधिकृत डीलर द्वारा पहली अप्रैल, 1978 से 31 मई, 1979 तक कोयले की खानों से पटना तक कोयले को ढोने के लिए कौन-कौन सी तिथियों में रेल के कितने माल डिब्बों की मांग की गई थी और कब-कब तथा कितने बिलम्ब के बाद पूरा किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निजी व्यापारियों ने पटना तक कोयला ढोने के लिए कितने माल डिब्बों की मांग की थी, तथा उनकी मांगों को किस हद तक पूरा किया गया था और उनकी मांगों को पूर्ण करने में कितना समय लगा था; और

(ग) क्या कोयले की ढुलाई तथा माल डिब्बों से माल उतारने के लिए ली जाने वाली राशि की अदायगी' में व्यापारियों और बिहार सरकार द्वारा कोई असामान्य देरी की गई थी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) रिपोर्ट पटना को साफ्ट कोक के संचलन के सम्बन्ध में है। 1 अप्रैल, 1978 और 31 मई, 1979 के बीच बिहार सरकार की 42 साफ्ट कोक के रेलों की मांग की तुलना में 36 रेकों का आबंटन किया गया था। राज्य सरकार द्वारा ऐसी मांग दिन प्रतिदिन के आधार पर प्रस्तुत नहीं की जातीं परन्तु ये मासिक आधार पर रखी जाती हैं।

(ख) पटना को साफ्ट कोक के रेकों के प्रायोजित संचलन के लिए किसी भी प्राइवेट व्यापारी द्वारा कोई मांग नहीं रखी गई।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कोराकोरम राजपथ का निर्माण

595. **श्री अरविन्द बाला पजनौर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पड़ोसी देशों के साथ शान्ति का आचरण करने के सभी नियमों का उल्लंघन करके कराकोरम में चीन द्वारा राजपथ का निर्माण करने पर हमारे द्वारा किए गए विरोधों पर चीनी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या चीन द्वारा कराकोरम में दो राजपथ बनाये जाने की खबर की कोई प्रामाणिक पुष्टि हुई है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता के हित में चीन को यह समझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि वह औचित्यपूर्ण कदम उठाए ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) 1969 से लेकर जबकि भारत सरकार को कोराकोरम राजमार्ग के निर्माण की पुष्ट रिपोर्टें प्राप्त हुई थी, जून 1978 में इसके उद्घाटन तक और उसके बाद फरवरी, 1979 में विदेश मन्त्री की चीन-यात्रा के दौरान की भारत सरकार ने उस प्रदेश में कोराकोरम राजमार्ग के गैर-कानूनी निर्माण के प्रश्न को उठाया है जो भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार का यह रुख कि वह इस मार्ग के निर्माण के कानूनी प्रतिबन्धों को चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकती, चीन के प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। भारत सरकार के रवैये पर ध्यान देने के अतिरिक्त चीन की सरकार ने काश्मीर के बारे में अपना सुविदित दृष्टिकोण दोहराया।

(ख) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबार में देखी हैं कि चीन पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में एक अन्य "दुहरे" राजमार्ग के निर्माण में पाकिस्तान की सहायता कर रहा है लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे इन रिपोर्टों की पुष्टि हो सके।

(ग) भारत सरकार पहले की तरह अपना यह दृष्टिकोण दोहराती रहेगी।

पटना में गंगा पुल

596. **डा० रामजी सिंह** : क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्डियन नेशन, पटना में 21 मई, 1979 को प्रकाशित, पटना में गंगा पुल के निर्माण-कार्य के स्थगन से संबधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है और क्या सरकार इसको पूरा करने के लिए सरकार को सहायता देने के बारे में सोच रही है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा गंगा, यमुना आदि जैसी कितनी नदियों पर पुल बनाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या बिहार की पिछड़ी स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार पटना और भागलपुर में गंगा पुल बनाने का काम अपने हाथ में ले रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चाँद राम) : (क) से (घ) पटना में गंगा के ऊपर प्रस्तावित पुल एक राज्य परियोजना है और बिहार सरकार इससे मुख्यतः संबंधित है। उन्होंने भारत सरकार को निर्माण कार्य के स्थगन की कोई सूचना नहीं दी है। भारत सरकार ने चौथी योजना में इस पुल पर खर्च के लिए राज्य सरकार को 4.50 करोड़ रु० का गैर-योजना ऋण दिया था। उसके बाद से इस परियोजना को पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा अपने योजना संसाधनों से पूरा किया जा रहा है और भारत सरकार का इस पुल या भागलपुर पुल का, जो राज्य सड़क पर पड़ता है, निर्माण-कार्य अपने हाथ में लेने का कोई विचार नहीं है और यह अनिवार्य रूप से राज्य सरकार से संबंधित है। इस समय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर गंगा, यमुना आदि सहित विभिन्न नदियों के ऊपर 75 बड़े पुल हैं जो निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं।

पटना-गाजी लाइन में उपरि पुल

597. **श्री बीरेन्द्र प्रसाद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना के दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पटना-गाजी लाइन पर एक उपरि पुल निर्माणाधीन है,

(ख) निर्माण कब आरम्भ हुआ कब तक यह पूरा हो जायेगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरि पुल के किनारे सड़क का निर्माण करने का है, ताकि उपरि पुल के दोनों ओर रहने वाले लोग मुख्य सड़क का उपयोग कर सकें।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पटना बाईपास फाटक पर और पटना गया रेलवे लाइन पर उपरि-सड़क रेल पुल का निर्माण दिसम्बर, 1978 में शुरू किया गया था और इसके जून, 1980 तक पूरा हो जाने की संभावना है। चूंकि बाईपास का निर्माण काफी मंहगा पड़ता है, इसलिए केवल गिने-चुने बाईपासों पर ही पहुँचमार्ग बनाए जाते हैं। पटना-दशरथ-बागपुर रोड जैसे मौजूदा क्रास

रोडों पर राईट-आफ-वे ज्यों-के-त्यों बने रहेंगे, यद्यपि कुछ मामलों में क्रास मार्गों को परस्पर जोड़ने और अन्य स्थानों पर बनाने की जरूरत है ताकि पहुँचमार्गों की संख्या घटाई जा सके।

कोयला खानों द्वारा वैगनों को रोके रखना

598. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों द्वारा वैगनों को रोके रखने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वैगनों की उपलब्धता में कमी का एक कारण इस प्रकार वैगनों को रोक कर रखना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) कोयले का लदान करने वाली रेलों पर कोयले के लदान को पूरा करने के लिए जनवरी 1979 से मई 1979 तक की अवधि और पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि में रोके गए माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :—

	पूर्व रे०	दे० पू० रे०	म० रे०	द० म० रे०	जोड़
जनवरी/78	707	327	17	192	1243
79	912	371	5	315	1603
फरवरी/78	516	397	6	194	1113
79	764	485	12	385	1646
मार्च/78	806	404	9	228	1447
79	710	478	15	216	1419
अप्रैल/78	833	492	9	228	1562
79	825	654	14	229	1722
मई/78	935	498	19	255	1707
79	1057	564	17	250	1888

(ग) जी हां, यह उन कारणों में से एक है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को चयन समिति द्वारा वरिष्ठ नियुक्तियों का रद्द किया जाना

599. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चयन समिति द्वारा अनुमोदित की गई वरिष्ठ नियुक्तियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निकाय ने अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे पद और अनुमोदित व्यक्ति कौन-कौन से हैं;

(ग) संस्थान के निकाय द्वारा अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) से (घ) यह सही नहीं है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संस्थान निकाय ने उन वरिष्ठ नियुक्तियों को नहीं माना जिनकी चयन समिति ने सिफारिश की थी। वस्तु-स्थिति यह है कि अगस्त और अक्तूबर, 1978 में कई एक पद विज्ञापित किए गए थे तथा फरवरी और मार्च, 1979 में उनके लिए इंटरव्यू हुए थे। 9 जून, 1979 को हुई संस्थान निकाय की बैठक में चयन समिति की सिफारिशें प्रस्तुत की गई थीं। ऐसे 49 फैकल्टी पद थे जिनके लिए चयन समिति की सिफारिशें संस्थान निकाय के सम्मुख रखी गई थीं। संस्थान निकाय ने इनमें से केवल चार पदों से सम्बन्धित सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए चयन समिति को लौटाया है।

महाराष्ट्र के जिलों में मलेरिया के मामले

600. **श्री हरीशंकर महाले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य के थाना जिले में मलेरिया की घटनायें काफी बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

हावड़ा और दिल्ली/नई दिल्ली के बीच गाड़ियों का देर से चलना

601. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और दिल्ली/नई दिल्ली के बीच चलने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियों के देरी से चलने की घटनाएं हाल ही में बढ़ती जा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि शीर्षस्थ पदों पर आसीन अधिकारियों की मनगढ़न्त और झूठे बहानों पर महत्वपूर्ण गाड़ियों को भी रोक लेने की इजाजत दे दी जाती है जिससे लोगों को बड़ी असुविधा होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। इस वर्ष अप्रैल से जून के दौरान हावड़ा और दिल्ली/नई दिल्ली के बीच कुछ गाड़ियों का समय पालन संतोषजनक नहीं रहा, जो पानी की भारी कमी के कारण सूखे की स्थितियों में बार-बार बिजली में कटौती तथा खतरे की जंजीर खींचे जाने की घटनाओं में वृद्धि और बिहार क्षेत्र मे अन्य शरारती तत्वों की गतिविधियों के कारण रहा। समय पालन की कमी के और भी उदाहरण हैं जो रेलवे के नियंत्रण

में हैं जिसके लिए सभी स्तरों पर निकट निगरानी रखी जाती है और शीघ्र ही उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय दूतावासों में तैनात अधिकारियों को सुविज्ञ करना

602. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय दूतावासों में विशेषत: एशियाई देशों में तैनात अपने अधिकारियों को उन देशों के राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में सुशिक्षित तथा सुविज्ञ करने के पर्याप्त प्रबन्ध कर रखे हैं जहां पर वे तैनात किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि एशियाई देशों के लोग भारतीय अधिकारियों को उनके देशों के सम्बन्ध में आधारभूत जानकारी से युक्त नहीं पाते हैं जिसके कारण उनके मिशनों की निष्ठा पर सन्देह उत्पन्न होता है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करना और उपचारात्मक उपाय करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्रकुन्डू) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी कोई शिकायत सरकार की निगाह में नहीं आई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

क्षतिग्रस्त माल के लिए मुआवजा

603 **श्री राम विलास पासवान** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पारगमन में क्षतिग्रस्त या गुम हो जाने वाले माल के मुआवजे की राशि में पिछले चार वर्षों के दौरान अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पिछले चार वर्षों के दौरान भुगतान किये गये मुआवजे या दावे की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दावों को मंजूर करने वाले अधिकारी कौन हैं और उसकी कसौटी क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) विगत चार वर्षों की अवधि में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत हानि और क्षति के दावों के लिए भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि नीचे दी गयी है :—

(लाख रुपयों में)

शीर्ष	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
सम्पूर्ण पैकेजों/परेषणों की हानि	419.73	422.76	452.95	372.51
उठाईगीरी	722.18	545.95	546.94	430.80

1	2	3	4	5
टूट-फूट	11.34	11.37	10.07	10.74
स्रवण	33.67	43.55	51.18	44.93
भीगने के कारण क्षति	185.07	178.99	212.63	228 19
परिवहन में विलम्ब	23.17	20.31	35.95	30.53
अन्य कारण	130.14	132.59	114.12	107.20
जोड़	1525.35	1355.52	1423.84	1224.90

(ग) बुक किये गये परेषणों की हानि, विनाश, क्षति, विकृति अथवा गैर-सुपुर्दगी से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति के सभी दावों का निर्धारण भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की सम्बद्ध धाराओं के अन्तर्गत रेलों की देयता का उचित ध्यान रखकर किया जाता है । क्षतिपूर्ति के दावों का शीघ्र निर्धारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, विशेष धन सीमा तक दावों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं जो नीचे दिया गया है :—

अधिकारी का पदनाम	दावों के निर्धारण के लिए अधिकारों की धन सीमा
1	2
1. महाप्रबन्धक	असीम
2. मुख्य दावा अधिकारी/मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक	20,000
3. अपर मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक	12,000
4. उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक	8,000
5. वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी	4,000
6. सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक	2,000

इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों और निरीक्षकों को 200/ रु० तक के दावों को निर्धारित करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं ।

जहाजरानी उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां

604. **श्री पी० एस० रामलिंगम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारा जहाजरानी उद्योग कई प्रकार की कठिनाइयां अनुभव कर रहा है जिससे इसके सफल कार्यकरण में बाधा पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयों का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस मामले की छान-बीन के लिए नियुक्त की गई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) विश्वभर में नौवहन उद्योग, जिसमें हमारा नौवहन उद्योग भी शामिल है, कठिनाई का सामना कर रहा है।

मुख्य कठिनाई भाड़ा और चार्टर दरों में भारी मन्दा आ जाने की है।

(ग) उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

बस स्टापों पर दिल्ली परिवहन निगम के शैड

605 **श्री शरद यादव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के बस स्टापों पर शैडों की पर्याप्त व्यवस्था न होने में यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यात्रियों की सुविधा हेतु, पर्याप्त शैडों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) इस समय दिल्ली परिवहन निगम के 3500 बस स्टापों में से सिर्फ 685 बस स्टापों पर क्यू-शैल्टर हैं। यह सच है कि जिन स्टापों पर शैल्टरों की व्यवस्था नहीं हैं, वहां यात्रियों को गर्मी और वर्षा के दिनों में कुछ असुविधा होती है। निगम ने इन शेल्टरों का निर्माण व्यापक पैमाने पर शुरू किया है। निगम ने 1977-78 में 37 क्यू-शैल्टरों की व्यवस्था की जिनमें चर्च रोड टर्मिनल पर बनाए गए 12 क्यू-शैल्टर शामिल हैं। 1978-79 में, इसने 100 शैल्टर बनाए जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 10 शैल्टर शामिल हैं। लगभग 150 और शैल्टरों का निर्माण करने के लिए बजट अनुमान 1979-80 में 12 लाख रु० रखे गए हैं। इनमें से 40 शैल्टर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

कर्मचारी राज्य बीमा के डाक्टरों द्वारा अपनी मांगों के लिए हड़ताल

606. **श्री गंगा भक्त सिंह**
श्री पी० के० कोडियन } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा के तदर्थ डाक्टरों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में अपने कार्यालय के सामने दिनांक 19 जून, 1979 को की गई हड़ताल के विषय में पता है;

(ख) यदि हां, तो इन डाक्टरों की प्रमुख मांगें क्या हैं और उनको स्वीकार न किये जाने

के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उनको कोई आश्वासन दिया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) कुछ डाक्टरों ने तदर्थ आधार पर नियुक्त डाक्टरों की नियमित नियुक्ति और दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डाक्टरों की कर्मचारी राज्य बीमा भत्ता देने सम्बन्धी अपनी मांगों के समर्थन में 19 जून, 1979 को निगम के मुख्य कार्यालय के सामने धरना दिया।

(ग) डाक्टरों को सूचित किया गया कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है और उन्हें उत्तेजनात्मक रुख नहीं अपनाना चाहिए।

कोयले की ढुलाई

607. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1979 से कोयले की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में वैगनों की आपूर्ति नहीं की जा सकी है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1979 से जून, 1979 के बीच कितने वैगनों की मांग की गई और कितने वैगनों की आपूर्ति की गई; और

(ग) पर्याप्त संख्या में वैगनों की आपूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) विशेषकर पूर्व रेलवे पर कोयला खानों से माल डिब्बों के लिए प्राप्त मांग को पूरा करने में कमी रही है।

(ख) आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

(प्रति दिन माल डिब्बों के हिसाब से)

महीना	मांग	पूर्ति
जनवरी, 79	11904	9435
फरवरी, 79	11638	9415
मार्च, 79	12418	9273
अप्रैल, 79	12236	8991
मई, 79	10870	8611
जून, 79	10988	8818 (अनन्तिम)

सामान्य लदान क्षमता एक दिन में लगभग 10,000 माल डिब्बे है, यद्यपि मांग पत्र उच्चतर संख्या में माल डिब्बे सप्लाई करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ग) कमी माल डिब्बों के फेरे की अवधि में वृद्धि हो जाने के कारण थी जिसका क्रमिक प्रभाव जो कि आगे चलकर (I) लदान पूरा करने में देरी के कारण कोयला खान साइडिंगों में माल डिब्बों के रुकाव (II) पर्यन्त स्थलों पर माल डिब्बों का रुकाव (III) रेलों के कुछ भागों में छुट-पुट कर्मचारी आन्दोलन और (IV) रेलों के संचलन को प्रभावित करने वाले देश में चलने वाले अन्य आन्दोलनों के कारण और बढ़ गया।

दिल्ली परिवहन निगम के बस चालक

608. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के लगभग 40 प्रतिशत चालकों की आंखों में विभिन्न प्रकार की कमियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो सड़कों पर दुर्घटनाओं के संदर्भ में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं। सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

देश के गांवों में चिकित्सा सुविधायें

609. **श्री बी० जी० हांडे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के प्रत्येक गांव और प्रत्येक राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के हल के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) मार्च, 1977 से मार्च, 1979 तक महाराष्ट्र के नासिक और उसके आसपास के अन्य जिलों में कितने अस्पताल/औषधालय खोले गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) देश में गांवों की स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी जरूरतों को लगभग 5,400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 38,000 से भी अधिक उप-केन्द्रों द्वारा पूरा किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के इस जाल का और विस्तार करने के लिए उपाय किये जा चुके हैं। इन उपायों में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को चालू करने तथा बहुबंधी कार्यकर्ताओं और दाइयों के प्रशिक्षण की योजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करना शामिल है। एक और योजना भी है जिसका नाम मेडिकल शिक्षा रिओरियेटेशन योजना है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक मेडिकल कालेज से सम्बद्ध किए जाने वाले तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा कवर की गई जनसंख्या को विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा चिकित्सा संकाय के सदस्यों और चिकित्सा छात्रों को लोगों की आवश्यकता के अनुकूल शिक्षा दी जायेगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक मेडिकल कालेज को तीन मोबाइल क्लिनिकें दी जा रही हैं।

तीन विवरण जिनमें जन स्वास्थ्य रक्षक योजना, बहुधंधी कार्यकर्ता योजना और दाइयों के प्रशिक्षण की योजना के अधीन 30-6-1979 तक प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की राज्यवार

संख्या दी गई है, संलग्न हैं। फिर भी तीन राज्य और एक संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना अभी तक भी कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं। इनके नाम जम्मू व कश्मीर, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप हैं। ये ग्रामीण जनता के लिए अलग से अपनी-अपनी वैकल्पिक योजनायें चला रहें हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4606/76]

कुष्ठरोग के मामलों में अल्मोड़ा तथा पिथोरागढ़ जिलों को दी गई सहायता

610. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों की राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई है;

(ख) इस कार्य के लिए वर्ष 1979-80 में कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता राज्यों को दी जाती है न कि किसी जिला विशेष को। राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को दी गई केन्द्रीय सहायता की रकम का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	कितनी रकम दी गई	कितना खर्च होने की रिपोर्ट राज्य द्वारा दी गई।
1976-77	33·75 लाख रुपये	38·15 लाख रुपये
1977-78	35·35 लाख रुपये	79.60 लाख रुपये
1978-79	60·00 लाख रुपये	77.09 लाख रुपये

(ख) वर्ष 1979-80 के लिए, राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के अधीन उत्तर प्रदेश के लिए 41·30 लाख रुपए रखे गए हैं। (35·20 लाख रुपए नकद तथा 6·10 लाख रुपए सामग्री आदि के रूप में)।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

रोडेशिया की नई सरकार को मान्यता

611. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ओ० ए० यू० के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि

रोडेशिया में विषय अबेल मुजरेवा के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता नहीं दी जायेगी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त सरकार के बारे में ब्रिटेन और अमरीका के रवैये के बारे में यहां हुई घटनाओं पर भी ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इन हाल की घटनाओं के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जैसा कि मैंने संसद में पहले भी कहा है "हम उन अवैध चुनावों को नहीं मानते जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुसंगत संकल्पों की अवहेलना करके रोडेशिया की गैर-कानूनी सरकार द्वारा हाल ही में सम्पन्न कराए गए" । कोलम्बो में गुट-निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की हाल में हुई बैठक को सम्बन्धित करते हुए विदेश मंत्री ने जोरदार शब्दों में कहा था कि 'हम इन धोखा-धड़ी पूर्ण चुनावों को तथा इन चुनावों के आधार पर सत्ता ग्रहण करने वाली सरकार को मान्यता नहीं देते" । हमारी सरकार का यह मत है कि दक्षिणी रोडेशिया अभी भी एक विद्रोही उप-निवेश है और ब्रिटेन की सरकार कानूनी तौर पर इस बात के लिए बाध्य है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सुसंगत संकल्पों के अनुरूप बहुमत के शासन के अन्तर्गत उसकी वास्तविक स्वतन्त्रता का सुनिश्चय करे; वर्तमान गैर-कानूनी सरकार को मान्यता देने अथवा इसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशनात्मक प्रतिबन्धों को हटाने की कोई भी कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्पों का गम्भीर उल्लंघन होगी।

अप्रैल, 1977 से मार्च, 1979 तक उपलब्ध कराये गये रोजगार

612. **श्री रामधारी शास्त्री** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1979 तक कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

(ख) उपरोक्त रोजगार-प्राप्त व्यक्तियों में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार चाहने वाले जो व्यक्ति रोजगार पर लगाए, उनकी कुल संख्या 9,19,206 थी ।

2. इसके अतिरिक्त विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम के लिए अन्न कार्यक्रमों, अन्त्योदय कार्यक्रम, सिंचाई के विस्तार, बाढ़ रोकने तथा रोजगारोन्मुख योजनाओं द्वारा रोजगार के पर्याप्त अवसर सर्जित किए गए हैं, जो कि रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों में नहीं दिखाए जाएंगे ।

(ख) उपलब्ध सूचना 1-1-1977 से 31-12-1978 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार में लगाए गए शिक्षित रोजगार चाहने वालों की संख्या से सम्बन्धित हैं क्योंकि शिक्षित (मैट्रिक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त) रोजगार चाहने वालों से सम्बन्धित आंकड़े प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर को समाप्त होने वाले अर्ध-वार्षिक अन्तरालों में एकत्र किए जाते हैं । एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

ऐसे शिक्षित (मैट्रिक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त) रोजगार चाहने वालों की संख्या जिन्हें 1-1-1977 से 31-12-1978 तक की अवधि के दौरान रोजगार पर लगाया गया

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-1-1977 से 31-12-1978 तक की अवधि के दौरान रोजगार पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	28,743
2.	असम	3,440
3.	बिहार	13,250
4.	गुजरात	18.608
5.	हरियाणा	35,599
6.	हिमाचल प्रदेश	5,871
7.	जम्मु और कश्मीर	1,189
8.	कर्नाटक	14,778
9.	केरल	19,172
10.	मध्य प्रदेश	22,958
11.	महाराष्ट्र	30,304
12.	मणिपुर	291
13.	मेघालय	381
14.	नागालैंड	251
15.	उड़ीसा	12,424
16.	पंजाब	18,929
17.	राजस्थान	17,869
18.	सिक्किम*	—
19.	तमिलनाडु	22,884
20.	त्रिपुरा	586
21.	उत्तर प्रदेश	34,795
22.	पश्चिम बंगाल	5,178
23.	अन्डमान और निकोबर द्वीप समूह	184
24.	अरुणाचल प्रदेश*	—
25.	चण्डीगढ़	2,729
26.	दादरा और नागर हवेली*	—

1	2	3
27.	दिल्ली	9,177
28.	गोवा	1,501
29.	लक्षद्वीप	111
30.	मिजोरम	348
31.	पांडिचेरी	399
	अखिल भारत योग	3,21,949

नोट :—1. *इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. इन आंकड़ों में विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन कार्यालय के आंकड़े शामिल नहीं हैं (दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर)।

उगांडा में भारतीय मूल के लोगों के लिए मुआवजा

613. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1971 में मार्शल ईदी अमीन द्वारा निकाले गए एशियाई लोगों और मुख्यतः भारतीयों की वापसी के लिए और उन लोगों को मुआवजा देने के लिए, जिनका व्यापारिक सम्पत्ति का हरण कर लिया गया था, दरवाजे खोल दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां तो कितने भारतीय लोग इससे प्रभावित हुए हैं और उगांडा सरकार द्वारा घोषित मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) 19 मई, 1979 को उगांडा के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री युसुफ लूले ने दूसरी बातों के साथ-साथ "वाणिज्य एवं उद्योग में गैर अफ्रीकियों का आबंटन" के सम्बन्ध में एक नीतिगत वक्तव्य दिया था जिसमें कतिपय मामलों में मुआवजे के सवाल का भी उल्लेख था। इस वक्तव्य का पूरा पाठ संलग्न है।

(ख) 1972 में अमीन के शासनकाल में निकाले गए भारतीय राष्ट्रिकों के मुआवजे के दावों का जहां तक सवाल है, उगांडा की सरकार ने दावेदारों में वितरण के लिए 1,44,88,792.60 रुपये की धनराशि दी थी जिसमें से अधिकांश पहले ही वितरित की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में तत्कालीन उप विदेश मंत्री द्वारा 29-1-76 को संसद के दोनों सदनों में एक वक्तव्य रखा गया था।

विवरण

बहुत समय से यानी 1972 के पहले तक उगांडा में वाणिज्यिक जीवन के सबसे बड़े भाग पर, खासतौर पर खुदरा, आयात एवं निर्यात व्यापार पर गैर उगांडाई और गैर अफ्रीकी लोगों का प्रभुत्व था। यह स्थिति स्पष्टतः असन्तोषजनक और असन्तोष का कारण थी। 1956 के आसपास तत्कालीन सरकार ने व्यापार में उगांडाई अफ्रीकियों की उन्नति के लिए एक विशेष

विभाग की स्थापना की। लेकिन इस नवनिर्मित निकाय के मार्ग में अनेक बाधाएं आईं। सबसे पहले तो ऐसी जगहें उपलब्ध नहीं थी जहां से भावी अफ्रीकी व्यापारी काम कर सकें। अधिकांश वाणिज्यिक इमारतें गैर अफ्रीकियों के स्वामित्व में थीं जो उन्हें महत्वाकांक्षी अफ्रीकियों को किराये पर देने में झिझक रहे थे। दूसरे विविध कारणों से अफ्रीकी व्यापारी ऋण की सुविधाएं हासिल नहीं कर सके। इन समस्याओं का मुकाबला करने के लिए सरकार ने अपने नगरों के कतिपय क्षेत्रों में आहातों का निर्माण कराना शुरू किया। लेकिन वाणिज्य की दृष्टि से सर्वाधिक लाभकारी क्षेत्रों पर पहले ही दूसरों का कब्जा था और इसलिए अफ्रीकी व्यापार परिसर अपेक्षाकृत कम लाभकारी स्थानों में बनाने पड़े। ऐसी परिस्थितियों में बहुत मामूली प्रगति हो सकी और इसलिए असन्तोष बना रहा। 1971 में जब अमीन सत्ता में आए तो उन्होंने इस सन्तोष को शीघ्र ही समझ लिया और उन्होंने तथाकथित एक "आर्थिक युद्ध" छेड़ दिया। जो लोग यहां थे वे जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था। गैर अफ्रीकी व्यापारियों को एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में निष्कासित किया गया जिनमें कुछ लोग एशियाई मूल के उगांडाई नागरिक भी थे। यकायक वे सब वाणिज्यिक परिसर जो अभी तक उगांडा के अफ्रीकियों को अनुपलब्ध थे, उनके लिए खुल गए। यह कार्यवाही स्वाभाविक तौर पर बहुत लोकप्रिय हुई और यहां के बहुत से लोगों ने इसकी व्यापक सराहना की।

मेरी सरकार अफ्रीकी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने की नीति का पूर्ण समर्थन करती है लेकिन अमीन ने जो पाशविक और अमानुषिक तरीके अपनाए थे उन्हें हम अनुचित समझते हैं और अपने आपको उनसे अलग रखते हैं, जिनमें जिन लोगों को बेदखल किया गया था चाहे वे उगांडाई रहे हों या गैर उगांडाई, मुआवजा न देना या न दे पाना भी शामिल है। जो भी हो मेरी सरकार उन व्यापार और वाणिज्य परिसरों को न तो अफ्रीकियों से लेकर दूसरे लोगों को दे सकती है और न देगी ही जिन्हें देशीय उगांडाई व्यक्तियों ने अपने अधिकार में ले लिया था। ऐसी नीति राजनीतिक दृष्टि से गलत और टिकने वाली नहीं होगी।

अमीन के आर्थिक युद्ध के साथ बहुत सी समस्याएं पैदा हुई, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान अब हमें खोजना ही होगा। मिशाल के तौर पर गैर अफ्रीकी लोगों से जो वाणिज्य-व्यापार परिसर अधिगृहीत कर लिए गए थे वे कुछ लोगों के एक छोटे से वर्ग में ही वितरित कर लिए गए थे। इनमें से अधिकांश लोग उगांडाई नहीं थे और उनमें न तो व्यापारिक पटुता थी और न व्यापार का अनुभव। इसका परिणाम यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई, उद्योग प्रायः ठप्प हो गया जिसकी वजह से एक के बाद एक अनिवार्य पण्यों का अभाव होता गया। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे वाणिज्यिक जीवन में सभी तरह की बुराइयां घर कर गई। सरकार इसे दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

जैसा कि आपको ज्ञात होगा मुक्ति-संघर्ष के दौरान बहुत से व्यापारियों और व्यापारिक परिसरों को लूटा गया था और क्षति पहुँचाई गई थी। इससे हमारे देश का वाणिज्यिक जीवन प्रायः पूरी तरह ठप्प पड़ गया। अब इन परिसरों को फिर से दुरुस्त कराना होगा; स्वामित्व अथवा किरायेदारी के सवाल को देखना होगा और व्यापार तथा व्यापारिक परिसरों के उचित

आबंटन की एक योजना तैयार करनी होगी। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ व्यापारी इनमें कुछ परिसरों पर अनधिकृत कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि वाणिज्य मंत्री के लिखित आदेश के बिना किसी को भी किसी भी व्यापारिक परिसर पर कब्जा करने या कब्जा बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अब मैं उन बड़े बड़े वाणिज्यिक उद्यमों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा जिनका अफ्रीकियों को आबंटन अथवा बिक्री के द्वारा अभी तक अफ्रीकीकरण नहीं किया गया है। ऐसे बड़े-बड़े वाणिज्यों और उद्यमों के मामलों में जो कि गैर-अफ्रीकी उगांडाई लोगों के हैं, स्वामियों को इनमें सरकार के साथ भागीदारी का सहज अधिकार है लेकिन जो व्यापार और उद्यम गैर-उगांडाई लोगों के हैं उनमें मूल स्वामियों को भागीदारी का सहज अधिकार नही है। प्रत्येक मामले पर मुआबजा देने की दृष्टि से अथवा सरकार के साथ हिस्सेदारी के आधार पर शामिल होने के सवाल पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

साइकिल रिक्शों को समाप्त करना

614. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि स्व-चालित यंत्रों के इस युग में आदमी द्वारा साइकिल रिक्शे पर यात्रियों को ढोया जाना अमानवीय लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या साइकिल-रिक्शों के चलन को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री लारंग साय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जून, 1961 में गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित पिछड़े वर्ग सहयोग सम्बन्धी विशेष कार्यकारी दल द्वारा रिक्शा चालकों की समस्या की जांच की गई थी। इस समस्या पर 19 अप्रैल, 1968 को नई दिल्ली में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के 19 वें सत्र में सामान्य रूप से विचार विमर्श भी किया गया था। यह महसूस किया गया था कि रिक्शों का चलाना केवल धीरे-धीरे ही समाप्त किया जा सकता है। रिक्शा चलाना पूर्णतया समाप्त करना केवल तभी सम्भव होगा, जब रिक्शा चालकों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार के वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था की जाए।

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अगस्त, 1978 में गृह मंत्रालय को दी अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें भी की हैं कि :—

(i) रिक्शा चालकों और बैल-गाड़ी चालकों आदि को अपनी जीविका के साधनों का मालिक बनाने और अन्य लोगों को रिक्शों, बैल-गाड़ियों, आदि का मालिक बनने या चलाने के लिए प्रतिषिद्ध करने के लिए विधान बनाया जाना चाहिए।

(ii) अनुसंधान और विकास के लिए अपेक्षित होना चाहिए कि वे तकनीकी सुधार लाने के लिए अध्ययन करें, ताकि इन व्यवसायों में शारीरिक परिश्रम कम करना पड़े।

उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में, श्रम मंत्रालय गृह मंत्रालय से सम्पर्क बनाये हुए हैं।

पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को माल डिब्बों का आबंटन

615. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के एक नोट में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह कहा गया है कि रेलवे द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के साथ अधिकांशतः बिहार तथा साथ ही अन्य राज्यों से भी कोयला/समाक्षरीय कच्चे माल, जैसें चीनी मिट्टी, फेल्सपार, अग्निसह मिट्टी के ढुलान के लिए माल डिब्बों के आबंटन के मामले में असन्तोषजनक व्यवहार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या तथ्य है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई नोट प्राप्त हुआ नहीं जान पड़ता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि सामान्य माल जैसे चीनी मिट्टी, फेल्सपार, ताप मिट्टी आदि के लदान के लिए रेलों द्वारा माल डिब्बों की सप्लाई, प्रत्येक स्टेशन पर ऐसे पण्यों के लदान के संचालन के लिए मांग पत्रों के पंजीकरण की तारीख और प्राथमिकता के आधार पर, कड़ाई से की जाती है। सरकार द्वारा प्रायोजित संचलनों के लिए उच्चतर प्राथमिकता दी जाती है।

सरकारी क्षेत्र की यूनिटों के मुकाबले में कोयले के संचलन के लिए माल डिब्बों के आबंटन में भी कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है।

भविष्य निधि संगठन का कार्यकरण

616. **श्री सी० वेणुगोपाल** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि संगठन की कार्य-निधि विलम्बी प्रवृत्ति की है क्योंकि इसमें सेवामुक्त तथा मृतक व्यक्तियों के बकाया राशियों के भुगतान करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है;

(ख) सरकार के ध्यान में लाये गये विलम्ब के ऐसे विशेष मामले कौन-कौन से हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) बेहतर कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) जी हां। ऐसे मामलों में दावों के निपटाने में आमतौर पर देरी नहीं होती है, जिनमें कागजात पूर्ण और सही होते हैं।

(ख) सरकार के ध्यान में आने वाले विशेष मामलों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भेजा जाता है और मामलों के निपटान को सुनिश्चित करने तथा देरी के कारणों का पता लगाने के लिए भी अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(ग) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को सलाह दी है कि वे दावों के शीघ्र निपटान के प्रश्न पर विशेष ध्यान दें।

पुलों के निर्माण के लिए निरस्त न होने वाली निधि

617. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय देश में विभिन्न नदियों पर पुलों के निर्माण के लिए एक निरस्त न होने वाली निधि बनाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राज्य वार कितने पुल बनाये जायेंगे; और

(ग) प्रत्येक राज्य में मुख्य नदियों पर विभिन्न स्थानों पर पुलों के निर्माण के लिए कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संविधान के अनुसार, भारत सरकार राष्ट्रीय राज-मार्गों के लिए उत्तरदायी है। 1978-83 योजना में राष्ट्रीय राज-मार्गों पर नीचे लिखे 115 बड़े पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है, परन्तु इन पुलों का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रस्तावों की प्राथमिकता पर निर्भर करता है :—

क्र० सं०	राज्य/संघ-शासित क्षेत्र	निर्माण के लिए प्रस्तावित बड़े पुलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	आसाम	3
3,	बिहार	5
4.	गोआ	5
5.	गुजरात	8
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	4
9.	केरल	5

1	2	3
10.	मध्य प्रदेश	8
11.	महाराष्ट्र	13
12.	मणिपुर	4
13.	मेघालय	1
14.	उड़ीसा	9
15.	पंजाब	9
16.	राजस्थान	2
17.	तमिलनाडु	7
18.	उत्तर प्रदेश	17
19.	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	115

विभिन्न पेयों के नाम के साथ "कोला" शब्द प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध

618. **श्री श्याम सुन्दर दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका ध्यान दिनांक 21 सितम्बर, 1978 के 'इकोनोमिक' टाईम्स नई दिल्ली में छपे 'कोला' प्रसंग से सम्बन्धित समाचार की ओर दिलाया गया है और विभिन्न पेयों के नाम के साथ प्रयुक्त किए जा रहे "कोला" शब्द पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : जी हां। जिन पेय पदार्थों में "कोला" रहता है उनकी परिभाषा करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

आदिवासी विकास से सम्बन्धित कार्यकरण दल

619. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको आदिवासी विकास के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए कार्यकरण दल की आदिवासी क्षेत्रों में रेल सुविधा सम्बन्धी उनके मंत्रालय से सम्बन्धित सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं, और उन सिफारिशों पर उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त सिफारिशों का कार्यान्वयन के लिए स्वीकार करने में हुई देरी के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) :

जनजाति विकास से सम्बन्धित कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिशें	रेल मंत्रालय द्वारा सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई
(I) जनजाति क्षेत्रों में सभी वर्तमान रेलवे लाइनें यात्री यातायात के लिए खोल दी जायं।	जनजाति क्षेत्रों में लगभग सभी रेलवे लाइनें यात्री यातायात के लिए पहले ही खोली जा चुकी हैं। शेष लाइनों को यात्री यातायात के लिए खोलने के प्रश्न पर यात्रियों के सम्भावित भाड़ा यातायात और संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा।
(II) जनजाति क्षेत्रों में रेलों के विकास के लिए एक संदर्शी योजना बनायी जाय। इन मामलों में, इन क्षेत्रों पर नयी लाइनों पर पूंजी निवेश पर प्रतिफल की सभी मांगों को एक तरफ रखते हुए वित्तीय मानदण्डों में छूट दी जाय।	भारत सरकार (योजना/आयोग) ने परिवहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवहन प्रणाली के विकास और नयी योजना प्राथमिकताओं से मेल खाती एक नीति निर्धारित करने के लिए 1978 में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति नाम से एक समिति गठित की है।

उत्प्रवास अधिनियम में संशोधन

620. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्प्रवास अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) और (ख) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च, 1979 के एक निर्णय में मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर नियोजन के लिए विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों के उत्प्रवास के आवेदनों पर कार्यवाही की जायगी। आजकल उत्प्रवास संबंधी आवेदन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा बताए गए मार्ग-दर्शी सिद्धांत के अनुरूप निपटाए जाते हैं, निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी आदेश दिया गया है कि "यह व्यवस्था 31 जुलाई, 1979 तक लागू रहेगी। उसके बाद भारत संघ इस बात के लिए स्वतन्त्र होगा कि वह विधान अथवा नियमों द्वारा इसकी शर्तों को बदल दे"। उत्प्रवास अधिनियम, 1922 के स्थान पर, अगर जरूरी हो तो, उपयुक्त कानून बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

दो-स्तरीय आरक्षण प्रणाली

621. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने दो-स्तरीय आरक्षण प्रणाली आरम्भ करने के बारे में निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे ने बम्बई वी० टी० में उक्त प्रणाली आरम्भ नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वी० टी० बम्बई में उक्त प्रणाली आरम्भ न करने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों पर है और वह प्रणाली कब तक लागू कर दी जायगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय आरक्षण काउन्टरों पर तैनात किए जा रहे दो क्लर्कों—एक टिकट जारी करने के लिए और दूसरा आरक्षण के लिए है। जून, 1978 में यह विनिश्चय किया गया था कि महानगरों के प्रत्येक आरक्षण काउंटर पर दो कर्मचारी मौजूद रहेंगे—आरक्षण सम्बन्धी कार्य के लिए एक महिला और टिकट जारी करने के लिए एक बुकिंग क्लर्क।

(ग) और (घ) बम्बई बी० टी० में स्थान की कमी तथा सकरे डिजाइन के काउन्टरों की व्यवस्था के कारण, काउन्टरों पर दोहरी तैनाती आरम्भ करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। अतएव, बम्बई वी० टी० में एकल-बिन्दु प्रणाली (एक कर्मचारी वाले काउंटर) जारी रखने का विनिश्चय किया गया है जिसमें आरक्षण क्लर्क ही यात्रियों की बुकिंग भी करता है। ज्योंही अधिक स्थान मिल जायेगा दो व्यक्तियों को तैनात किये जाने वाले काउन्टर आरम्भ कर दिये जायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी का पासपोर्ट के लिए आवेदन-पत्र

622. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कुछ देशों का दौरा करने के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन-पत्र किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां, उनके पासपोर्ट के नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। ताकि वे फ्रांस की यात्रा कर सकें;

(ख) भारत की विभिन्न फौजदारी अदालतों में श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ कई मामले न्यायधीन हैं। पासपोर्ट के नवीकरण के लिए उनके आवेदन पर तभी विचार किया जा सकता है जब कि वे इन न्यायालयों से विदेश जाने की अनुमति प्राप्त कर लें। आवेदक को तदनुरूप सलाह दे दी गई है ?

आन्ध्र प्रदेश में जहाजों के निर्माण के लिए इन्जीनियरों का संगठन

623. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में इन्जीनियरों ने जहाजों के निर्माण के लिए कोई संगठन अथवा संस्थायें स्थापित की थीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संगठनों को जहाजों का निर्माण करने की अनुमति दे दी थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए नीदरलैंड और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विशेषज्ञों की नियुक्ति

624. **श्री सरत कार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए नीदरलैंड और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य से विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का फैसला किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में नीदरलैंड के किसी व्यक्ति ने भारत का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के विशेषज्ञों की सेवाओं के सम्बन्ध में नीदरलैंड सरकार और राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम से अनुरोध किया है ।

एक डच विशेषज्ञ ने भारत में आवश्यक विशेषज्ञों का प्रारम्भिक मूल्यांकन करने के लिए 23 से 28 अक्तूबर तक भारत का दौरा किया । एक डच मूल्यांकन मिशन ने अपने 5 मार्च से 5 मई, 1979 के दौरे के दौरान भारत में विभिन्न जल मार्गों का दौरा किया । इस मिशन की अन्तिम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है । डच मूल्यांकन मिशन की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर एक डच विशेषज्ञ छः मास के लिए भारत का दौरा करेगा ।

यू० एन० डी० पी० भी आंध्र प्रदेश में बकिंघम नहर में, और थाना क्रीक उल्हास नदी, महाराष्ट्र में बेसीन क्रीक में नौचालन के लिये उपयुक्त जलयान का डिजाइन और ड्राइंग विशिष्टियां तैयार करने के लिए छः मास की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है । इस विशेषज्ञ की शीघ्र भारत में पहुचने की संभावना है ।

(ग) अन्तर्देशीय जल परिवहन पर किसी विशेषज्ञ को स्थायी आधार पर लगाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं किया गया है ।

कृषि श्रमिकों तथा औद्योगिक श्रमिकों की मजूरियों में अन्तर

625. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिक का एक औद्योगिक श्रमिक की मजूरी के बीच कितना अन्तर है; और

(ख) वर्ष 1975 से 1978 के बीच, वर्षवार, उनकी मजूरी में कितना-कितना अन्तत रहा है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) असंगठित क्षेत्र में कृषि और उद्योग में रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित मजदूरी दरें प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हैं और कुछ मामलों में यह मजदूरी दरें राज्य के अन्दर भी अलग-अलग हैं। मजदूरी-दरें भिन्न-भिन्न कार्यों और भिन्न-भिन्न उद्योगों में भी अलग-अलग है। संगठित क्षेत्र के उद्योग में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी-दरें द्विपक्षीय वार्ताओं, अधिकरण के पंचाटों और न्यायालयों के निर्णयों द्वारा निर्धारित की जाती है। ये मजदूरी दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित दरों के समान नहीं हैं। इन परिस्थितियों में, कृषि और औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी के बीच भिन्नता को ठीक-ठीक तरह से बताना संभव नहीं है। तथापि, कृषि श्रमिकों तथा बीड़ी उद्योग में नियोजित औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्धी में वर्ष 1975 से 1978 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित मजदूरी दरों सम्बन्धी नवीनतम सहज उपलब्ध सूचना विवरण-1 और 2 में दी गई है। संगठित क्षेत्र में कतिपय चुने हुए उद्योगों में कम से कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के बारे उपलब्ध सूचना विवरण-3 में दी गई है।

विवरण—1

राज्यों के नाम	लागू होने की तारीख	मजदूरी-दरें
1	2	3
केन्द्रीय सरकार	18 सितम्बर, 1976	क्षेत्रों के अनुसार 4.45 रु० से 6 50 रु०
आंध्र प्रदेश	2 दिसम्बर, 1975	क्षेत्रों के अनुसार 3·00 रु० से 5 00 रु० प्रतिदिन।
असम	अक्तूबर, 1974	व्यवसाय के अनुसार 5·00 रु० से 6·00 रु० प्रतिदिन बगैर भोजन के या 4·50 रु० से 5 50 रु० प्रतिदिन एक समय के भोजन के साथ।
बिहार	जुलाई, 1975	4·50 रु० से 5·00 रु० प्रतिदिन व नाशता (पूर्व और पश्चिम चम्पारन को छोड़कर सभी जिलों में) क्षेत्रों के अनुसार।

1	2	3
गुजरात	5 जनवरी, 19 76	5·50 रु० प्रतिदिन,
हरियाणा	31 दिसम्बर, 1975	व्यवसाय के अनुसार 5·50 रु० से 8·50 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ या 7·00 रु० से 10·00 रु० प्रतिदिन बगैर भोजन के।
हिमाचल प्रदेश	1 अक्तूबर, 1977	5·25 रु० प्रतिदिन।
जम्मू तथा काश्मीर		अभी तक कोई न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित नहीं की गई हैं।
कर्नाटक	2 अक्तूबर, 1975	संक्रिया की श्रेणी और भूमि के प्रकार के अनुसार 3·25 रु० से 5·60 रु० प्रतिदिन।
केरल	15 सितम्बर, 1975	आसान कार्य के लिए 6·50 रु० प्रतिदिन और कठिन कार्य के लिए 8·00 रु० प्रतिदिन।
मध्य प्रदेश	2 अक्तूबर, 1975	जोनों के अनुसान 3·50 रु० से 4·00 रु० प्रतिदिन।
महाराष्ट्र	1 नवम्बर, 1978	क्षेत्रों के अनुसार 4·00 रु० से 5·50 रु० प्रतिदिन।
मणिपुर	1-3-1977	6·50 रु० प्रतिदिन,
मेघालय	2 सितम्बर, 1975	(क) एक समय के भोजन के साथ 4·50 रु० प्रतिदिन या 5·00 रु० प्रतिदिन संक्रियाओं के अनुसार, (ख) एक समय के भोजन के साथ 5·50 रु० या 6·00 रु० प्रतिदिन संक्रियाओं के अनुसार।
नागालैंड	31 जनवरी, 1978	8·00 रु० प्रतिदिन।
उडीसा	1 जनवरी, 1976	4·00 रु० प्रतिदिन।
पंजाब	1-1-1979	* कंढ़ी क्षेत्र—8·70 रु० प्रतिदिन या 6·70 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ * अन्य क्षेत्र—9·70 रु० प्रतिदिन या 7·70 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ।

1	2	3
राजस्थान	नवम्बर, 1975	क्षेत्रों के अनुसार, 4·25 रु० से 6·00 रु० ।
सिक्किम		इस राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू नहीं किया, गया है ।
तमिलनाडु	2 मार्च, 1976	3·50 रु० से 5·00 रु० प्रतिदिन (व्यस्क) 2·10 रु० से 3·00 रु० प्रतिदिन (अव्यस्क) संक्रियाओं के प्रकार के अनुसार ।
त्रिपुरा	15 अगस्त, 1975	4·00 रु० प्रतिदिन ।
उत्तर प्रदेश	23 अक्तूबर, 1975	जोनों के अनुसार 5·00 रु० से 6·50 रु० प्रतिदिन ।
पश्चिम बंगाल	1 अक्तूबर, 1978	दैनिक दर

	मूल	महंगाई भत्ता	कुल
व्यस्क	5·60	2·10	7·70 प्रतिदिन
बालक	4·00	1·52	5·52 प्रतिदिन

* कृषि रोजगार में न्यूनतम मजदूरी-दरें श्रमजीवी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बन्ध रखती हैं ।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1 जून, 1976	5·50 रु० प्रतिदिन ।
अरुणाचल प्रदेश	न्यूनतम मजदूरी का नियतन विचाराधीन है ।	
चंडीगढ़	28-4-79	7·70 रु० से 9·00 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ या 9·70 रु० से 11·00 रु० प्रतिदिन कार्य की प्रकृति के अनुसार ।
दादर और नगर हवेली	15 अप्रैल, 1976	5·50 रु० प्रतिदिन ।
दिल्ली	1 अक्तूबर, 1975	6·75 रु० प्रतिदिन या
गोवा, दमन और दीव	25-2-1976	कार्य की श्रेणी के अनुसार 4·00 रु० से 5·00 रु० प्रतिदिन ।
मिजोरम	कृषि में न्यूनतम मजदूरी का नियतन विचाराधीन है ।	

1	2	3
पांडिचेरी	1 मई, 1976	क्षेत्रों और कार्य की प्रकृति के अनुसार 3·50 रु० से 9·00 रु० प्रतिदिन ।
लक्षद्वीप	संघ शासित क्षेत्र में कोई भी कृषि श्रमिक नहीं है ।	

विवरण—2

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बीड़ी उद्योग में (1000 बीड़ियों के लपेटने के लिए) निर्धारित न्यूनतम मजदूरी

राज्य का नाम	1975	1976	1977	1978
आंध्र प्रदेश	2·00 रु० से 2·65 2 56	4·00 रु० 4·85	4·00 रु० से 4·85	4 00 रु० से 4·85
असम	3·25	3·25	5·00	5·00
बिहार	*3 90-4·90	*3·90 से 4·90	*3·90-4·90	*3·90-4·90
गुजरात	4·50-5 00	4·50-5·00	4·50-5·00	4·50-5·00
कर्नाटक	5·20	5·20	5·20	5·20
केरल	*2·30	*2·30	*2·30	*2·30
मध्य प्रदेश	4·75-5·00	4·75-5·00	4·75-5·00	4·75-5 00
महाराष्ट्र	4·50-5·75	4·50-5·75	4·50-5·75	4·50-5·75
उड़ीसा	3·00	4·60	450	4·50
राजस्थान	5·00-6·30	5·00-6·30	5 00-6·30	5·00-6·30
तमिलनाडु	4·50-4·75	4·50-4·75	4 50-4·75	4 50-4·75
त्रिपुरा	3·20	3·20	3·20	3·20
उत्तर प्रदेश	4·75	4·75-500	4·75-5·00	4·75-5·00
पश्चिम बंगाल	क्षेत्रों के अनुसार 1·50 रु० से 2·25 रु०	(निर्वाह व्यय सूचकांक में वृद्धि या कमी होने पर मजदूरी में स्वतः संशोधन करने की व्यवस्था है)		

*महंगाई भत्ता शामिल नहीं है ।

=पुरुलिया जिले में 1-7-75 से 1000 बीड़ियों को लपेटने की मजदूरी-दर 7·00 रु० है ।

विवरण—3

विभिन्न चुने हुए उद्योगों में कम से कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी (मूल वेतन+महंगाई भत्ता)

क्रमांक	उद्योग	न्यूनतम मजदूरी (मूल वेतन+महंगाई भत्ता)			
		1-1-75 की स्थिति के अनुसार	1-1-76 की स्थिति के अनुसार	1-1-77 की स्थिति के अनुसार	1-1-78 की स्थिति के अनुसार
		रु०	रु०	रु०	रु०
1.	स्टील	441·30	427·00	403·60	440·00
2.	कोयला खानें	423·80	423·80	393·90	431·60
3.	इंजीनियरिंग (पश्चिम बंगाल) ग्रुप डी फैक्टरीज में 1001 या अधिक श्रमिक नियोजित ।	384·25	379·65	385·40	426·80
4.	सूती वस्त्र उद्योग				
	(i) अहमदाबाद सेंटर	424·92	393 03	374·71	417·57
	(ii) बम्बई	405·45	402·94	402·96	436·81
	(iii) कोयम्बतूर तथा मद्रास	440·63	433·10	434·60	470·30
	(iv) कानपुर	439·52	381·71	374·33	432·14
5.	राष्ट्रीयकृत बैंक				
	श्रेणी "क"	371·20	371·20	343·36	375·84
	श्रेणी "ख"	345·60	345·60	319·68	349·92
	श्रेणी "ग"	332·80	332·80	307·84	336 96
6.	जीवन बीमा	369·60	388·80	355·20	388 80
7.	बागान		फील्ड कार्य में नियोजित पुरुष श्रमिकों को भुगतान की गयी मजदूरी की दैनिक-दरें ।		
	(क) चाय				
	(i) असम	2·62 से 3·40	3·02 से 3·60	3·42 से 4·00	4·22 से 4·80
	(ii) पश्चिम बंगाल	3·02-3·40	3 47 से 3·85	3·92 से 4·30	4·92 से 5·30
	(iii) केरल	6·01	6·16	5·57	7·11
	(i) तमिलनाडु	5·65 से 5·80	6·22 से 6·36	5·52 से 5·66	6·60 से 6·74*
	(ख) काफी				
	(i) कर्नाटक	4·20	4·80	5·00	5·65
	(ii) तमिलनाडु	5·66 से 5·80	6·22 से 6·36	5·52 से 5·66	6·60 से 6·74*

* 1975 की तुलना में 1976 से 1978 के दौरान दरों में कमी आमतौर पर महंगाई भत्ते की दरों में विभिन्नता के कारण हुई हैं ?

नये पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या

626. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता पार्टी का शासन होने के पश्चात् अब तक कितने पासपोर्ट कार्यालय खोले गए हैं;

(ख) पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने का मानदण्ड क्या है; और

(ग) क्या प्रागरा में एक पासपोर्ट कार्यालय खोलने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) इस सरकार की स्थापना के बाद से अभी तक नीचे लिखे आठ पासपोर्ट कार्यालय खोले गए हैं :-

1.	बंगलौर	12 जून, 1978
2.	कोजीकोड़	17 जून, 1978
3.	जयपुर	22 सितम्बर, 1978
4.	भोपाल	17 अक्तूबर, 1978
5.	भुवनेश्वर	19 फरवरी, 1979
6.	पटना	13 अप्रैल, 1979
7.	गोहाटी	15 जून, 1979
8.	श्रीनगर	5 जुलाई, 1979

निकट भविश्य में दो और पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की सम्भावना है जिनमें से एक जालंधर में होगा और दूसरा शिमला में ।

(ख) ये नए पासपोर्ट कार्यालय इस उद्देश्य से खोले गए हैं कि विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में रहने वाले लोगों को पासपोर्ट सुविधायें ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो सकें । नए कार्यालय के स्थान के विषय में निर्णय लेते समय यह बात ध्यान में रखी जाती है कि कहां कितना काम आता है ।

(ग) जी नहीं ।

कलकत्ता स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला (सैण्ट्रल फूड लेबोरेटरी) के विकेन्द्रीकरण के बारे में अभ्यावेदन

627. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला कर्मचारी संघ, कलकत्ता की ओर से केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला कलकत्ता के विकेन्द्रीकरण के विरुद्ध दिनांक 20 मार्च, 1979 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में प्राधिकारियों के निर्णय को रद्द करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां ।

(ख) देश के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं की जरूरत की ध्यानपूर्वक जांच की गई। देश के विभिन्न जोनों के लिए इस प्रकार की कुल चार प्रयोगशालायें खोलने का निर्णय लिया गया था। केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता के अतिरिक्त तीन और प्रयोगशालाओं को एक अप्रैल, 1978 से केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस निर्णय को रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

फार्मासिस्टों की मांगें

628. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 16 मई, 1979 को नेशनल फेडरेशन आफ फार्मासिस्ट्स एसोसियेशन, दिल्ली से फार्मासिस्टों के मांग-पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां। एसोसिएशन से 16 अप्रैल, 1979 को एक मांग-पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) उसमें की गई विभिन्न मांगों से सम्बन्धित स्थिति इस प्रकार है :—

1. **तकनीकी ग्रेड का कार्यान्वयन तथा पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि**

इस विषय पर पहले विचार किया गया था लेकिन फार्मासिस्टों के वेतनमान में वृद्धि करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकी थी। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्य कर रहे फार्मासिस्टों के सम्बन्ध में सलैक्शन ग्रेड पदों को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

2. **फार्मेसी अधिनियम में संशोधन तथा वार्षिक पंजीकरण फीस को समाप्त करना**

इस प्रश्न पर पहले विचार किया गया था और यह महसूस किया गया था कि वार्षिक पंजीकरण-फीस की प्रणाली लागू रहनी चाहिए ताकि मृत्यु, बदली, रिटायरमेंट आदि जैसी आकस्मिकताओं का हिसाब लगाने के बाद राज्य-रजिस्टर तथा आंकड़ों को अद्यतन रखा जा सके। इसलिए, फार्मासिस्टों के लिए इस व्यवस्था को समाप्त करना एक प्रतिगामी कदम होगा।

3. **पर्दे पर इस वर्ग का अपमानजनक चित्रण बन्द किया जाए**

इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ध्यान में ला दिया गया है, जो इस मामले से सम्बन्धित है।

4. **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अधीन अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का पंजीकरण बन्द करना**

भारतीय फार्मेसी परिषद ने सूचित किया है कि फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 32 ख (1) के अधीन; सुयोग्य अर्हताप्राप्त व्यक्तियों का पंजीकरण करने की अनुमति की अवधि पहले ही 31-8-1978 को समाप्त हो चुकी है।

फारवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इण्डिया कलकत्ता की ओर से अभ्यावेदन

629. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें फारवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इण्डिया, कलकत्ता की ओर से दिनांक 22, 23 तथा 24 मई, 1979 के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो नाविकों को देय राशि अदा करने, वातानुकूलन संयंत्र आदि की उचित मरम्मत करने, जहाज चालकों के आवास में शीतल हवा की व्यवस्था करने तथा द्वि-पक्षीय करारों को हल करने आदि के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) 22-5-79 का अभ्यावेदन "विश्व शोभा" जहाज के कर्मीदल कक्षों में कुछ दिनों के लिए एयर कंडीशनर बन्द हो जाने के बारे में हैं । शिपिंग मास्टर कलकत्ता ने यह बताया है कि यात्रा शुरू करने से पूर्व आवश्यक मरम्मत करने के लिए ऐसा किया गया था । जहाज कलकत्ता से 26-5-1979 को ठीक हालत में चला था जबकि कर्मीदल से कोई शिकायत नहीं आई थी ।

दिनांक 23-5-79 को अभ्यावेदन शिपिंग मास्टर कलकत्ता के अनुसार, भारतीय नौवहन निगम के जहाज एम०वी० 'जमनारायण·व्यास' के कर्मीदल के सदस्यों को डिस्चार्ज किये जाने के बारे में है । कर्मीदल को बम्बई में डिस्चार्ज किया गया था । उनकी शिकायतों की जांच शिपिंग मास्टर, बम्बई ने की थी और उसने अपना निर्णय 21-4-79 को दिया । कर्मीदल ने बम्बई में भुगतान स्वीकार करने से इंकार कर दिया और शिपिंग मास्टर, बम्बई के निर्णय को कलकत्ता में फिर उठाने के लिए जोर दे रहा है । चूंकि शिपिंग मास्टर का निर्णय जहाज मालिकों और नाविकों दोनों के लिए बाध्यकर है और एक शिपिंग मास्टर के निर्णय को किसी दूसरे शिपिंग मास्टर द्वारा पुनः नहीं उठाया जा सकता । इसलिए शिपिंग मास्टर कलकत्ता ने मांग अस्वीकार कर दी ।

दिनांक 24-5-79 का अभ्यावेदन "अन्नपूर्णा" जहाज के कर्मीदल को आबंटन राशि के न भेजे जाने के बारे में है । शिपिंग मास्टर, कलकत्ता ने पुष्टि की है कि तब से सभी नाविकों के परिवारों को धनराशि भेज दी गई है । भारतीय नौवहन निगम से कहा गया है कि भविष्य में नाविकों के परिवारों को धनराशि भेजने के लिए समय पर जमा की जाए ।

हल्दिया/ कलकत्ता और फरक्का के बीच यात्री सेवा

630. **श्री सशंक शेखर सान्याल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हल्दिया/कलकत्ता और फरक्का के बीच अविलम्ब नियमित रूप से यात्री नौका सेवा आरम्भ करना सम्भव नहीं है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड जो एक सरकारी उपक्रम है, ने सूचित किया है कि

उनके लिए कलकत्ता-हल्दिया और कलकत्ता-फरक्का के बीच नियमित यात्री नौका सेवाएं चलाना सम्भव नहीं है। निगम इस समय केवल माल नदी सेवाएं चला रहा है और यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए इसके पास कोई उपयुक्त और लाइसेंसशुदा जहाज नहीं है। यात्री नदी सेवाओं के लिए समुचित बुनियादी सुविधाओं का होना बड़ा जरूरी है, जैसे :—वेटिंग शैडों सहित टर्मिनल जेट्टियों और समय सारणी के अनुसार यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए तेज गति के यात्री जहाज। अब इस प्रश्न पर विचार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि वे यातायात की उपलब्धता और सेवाओं की आर्थिक शक्यता का ध्यान रखते हुए प्रस्तावित यात्री सेवाएं चालू करे या नहीं।

दक्षिण मध्य रेलवे में वैगनों का आबंटन

631. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे में जिन लोगों ने छः महीने पहले वैगनों के लिए आवेदन किया था उन्हें अब तक भी वैगन आबंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और वैगनों के लिए कुल कितने अनुरोध लम्बित हैं, उनकी महीने वार संख्या क्या है तथा महीने वार कुल कितने वैगन आबंटित किये गये; और

(ग) बकाया पड़े हुए आवेदनों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, इस प्रकृति के कुछ मामले हुए हैं।

(ख) विगत 6 महीनों के दौरान बड़ी लाइन और मीटर लाइन दोनों के सम्बन्ध में बकाया मांगों की संख्या और माल डिब्बों के दैनिक औसत का महीने वार लदान विवरण इस प्रकार है :—

मास	बड़ी लाइन		मीटर लाइन	
	बकाया मांगों की संख्या	दैनिक औसत लदान	बकाया मांगों की संख्या	दनिक औसत लदान
जनवरी, 1979	9081	1890	7803	662
फरवरी, 1979	21090	1897	9135	627
मार्च, 1979	38362	1973	11039	674
अप्रैल, 1979	56676	1684	15847	628
मई, 1979	50284	1556	15453	537
जून 1979	54472	1736	15209	523

बड़ी लाइन प्रणाली पर वर्ष, 1978 की तुलना में 1979 में 78 माल डिब्बे प्रतिदिन का लदान बढ़ जाने के बावजूद बकाया मांगों में वृद्धि हुई है। चूंकि कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क आदि सरीखे वचनबद्ध यातायात की निकासी के लिए ऐसे माल-डिब्बे उपलब्ध किये जा रहे हैं और ऐसे यातायात को संचलन में उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त है इसलिए, निरन्तर प्राथमिकता के अन्तर्गत आने वाले पण्यों को प्रतीक्षा करनी होगी।

(ग) चावल, धान, चीनी आदि की बकाया मांगों के लिए दक्षिण-मध्य रेलवे पर छतदार माल-डिब्बों की उपलब्धता में वृद्धि करके बकाया पंजीकरणों की निकासी के प्रयास किये जा रहे हैं।

हजीरा में शिपयार्ड स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट

632. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री गुजरात में हजीरा में शिपयार्ड स्थापित करने के बारे में 19 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के हजीरा शिपयार्ड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गई है और यह विचाराधीन है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

633. **श्री निहार लास्कर**
श्री पी० एम० सईद
श्री ए० आर० बदीनारायण } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खून चोरी तथा कम आय वाले तथा प्रभुत्वहीन व्यक्तियों का इलाज के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत मार्च, 1979 में उस समय की गई थी जब एक रोगी का खून तो ले लिया गया था परन्तु आपरेशन नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्टाफ के विरुद्ध लगाये गये रक्त की चोरी के आरोप की भारत सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में एक शिकायत दर्ज की गई थी। संस्थान के निदेशक ने वस्तुस्थिति की जांच करने के आदेश दिये हैं।

(ग) और (घ) जांच अभी की जा रही है।

प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना

634. **श्री पी० एम० सईद**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रबन्ध में तिहरी व्यवस्था के अधीन श्रमिकों द्वारा भाग लिए जाने सम्बन्धी समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है;

(ख) सरकार ने अब तक उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की हैं;

(ग) उनमें से कितनी क्रियान्वित की गई हैं; और

(घ) कितनी क्रियान्वित की जा रही हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) प्रबन्ध और इक्विटी के श्रमिक सहभागिता सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है और निकट भविष्य में आवश्यक विधान पेश किए जाने का सरकार का विचार है।

वैगनों के लिए जाली मांग-पत्र

635. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री ए० आर० बद्रीनारायण } : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने व्यापारियों द्वारा वैगनों के लिए जाली मांग पत्र पेश किये जाने को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वैगनों के जाली मांग पत्रों की इस समस्या को किस हद तक दूर कर लिया गया है; और

(घ) क्या ऐसे कार्य करने वाले किसी गिरोह का पता लगाया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संगठित और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि

636. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण
श्री निहार लास्कर } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1977 से मार्च, 1978 तक की अवधि के दौरान संगठित क्षेत्रों में रोजगार में न्यूनाधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी वृद्धि हुई;

(ग) अप्रैल, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि के दौरान कुल कितनी वृद्धि हुई;

(घ) क्या केवल 1978-79 के दौरान हुई कुछ प्रगति को छोड़कर इसी अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में रोजगार में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई;

(ङ) यदि हां, तो कितनी; और

(च) धीमी प्रगति के मुख्य कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जी हां। संगठित क्षेत्र में रोजगार में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रोजगार की संख्या, जो मार्च 1977 में 207.44 थी, बढ़कर मार्च, 1978 में 214.84 लाख हो गई।

(ग) सूचना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई—रोजगार की संख्या, जो मार्च, 1977 में 138.76 लाख थी, बढ़कर मार्च, 1978 में 144.41 लाख हो गई।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त सुविधाओं के कारण व्यय

637. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों को 1977-78 और 1978-79 के दौरान दी गई अतिरिक्त सुविधाओं के कारण कितना अतिरिक्त व्यय किया गया; और

(ख) उनकी बकाया राशि के भुगतान के लिए कुल कितना व्यय किया गया ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) अतिरिक्त सुविधाओं पर अतिरिक्त खर्च का अर्थ बहुत व्यापक है जिसकी मात्रा बताना सम्भव नहीं है। फिर भी, रेल कर्मचारियों को, 1977-78 और 1978-79 में ग्रेड बढ़ाने के रूप में, विभिन्न भत्तों पर पुनर्विचार, प्रवरण ग्रेड आदि, के कुछ लाभों को कार्यान्वित किया गया तथा कुछ को कार्यान्वित किया जा रहा है। किये गये अतिरिक्त व्यय के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता।

(ख) ऊपर भाग (क) में बताये गये कारण से बकाया के भुगतान के रूप में खर्च की गई कुल राशि भी नहीं बतायी जा सकती। सभी मामलों में आगे कोई बकाया देय नहीं हैं। वह तब ही देय है जबकि पूर्व व्याप्ति से एक विक्षेष लाभ की स्वीकृति दे दी गयी हो।

महाराष्ट्र के लिए रेल के माल डिब्बों की उपलब्धता

638. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिकता के आधार पर कोयला और कोक के ढुलान के लिए 1978 के दौरान महाराष्ट्र के लिए रेल वैगनों की वास्तविक उपलब्धि स्वीकृत किये गये कोटे से काफी कम थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रकार के कोयले और कोक के मामले में कमी किस हद तक थी;

(ग) स्वीकृत कोटे के अनुसार वैगनों की वास्तविक उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ;

(घ) क्या सैक कोल, बी० पी० एच० सी०, बी० एच० सी० और सौफ्ट कोक के लिए महाराष्ट्र के वर्ष 1979 के कोटे में कमी की गई है; और

(ङ) क्या उपरोक्त कटौती के कारण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार वास्तविक कोटे को बहाल करने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जिन कोयलाखानों से महाराष्ट्र को कोयला सप्लाई किया जाता है उनकी माल डिब्बा सम्बन्धी मांग को पूरा करने में कुछ महीनों में थोड़ी सी कमी रही थी । लेकिन, फिलहाल वस्तुत: कोई कमी नहीं है ।

(ख) वर्ष 1978 में कोयला और कोक की विभिन्न किस्मों के संचलन के लिए अलग कोटा निर्धारित नहीं था । इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) समग्र स्वीकृत कोटा कोयला/कोक की उपलब्धता तथा कोयले की उपलब्ध मात्रा की ढुलाई के लिए नियोजित परिवहन के सम्भावित स्तर से हमेशा अधिक रहा है।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में कार्मिक संघों का हिन्द मजदूर सभा के साथ विलय

639. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजधानी में बहुत से श्रम संघों ने हिन्द मजदूर सभा के साथ विलय के लिए निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संघों के प्रतिनिधियों ने इस बारे में उन्हें अवगत कराया है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रोफेसरों और चिकित्सकों की पदोन्नति

640. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रोफेसरों और चिकित्सकों के लिए पदोन्नति के अवसर पर्याप्त नहीं हैं जिसके कारण वहां स्थिरीकरण है हो गया और परिणामस्वरूप अधिकांश प्रोफेसरों तथा चिकित्सकों ने दूसरी जगह नौकरी ढूंढ कर संस्थान को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही के वर्षों के दौरान संस्थान को छोड़ने वाले ऐसे प्रोफेसरों और चिकित्सकों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनके लिए पदोन्नति के अवसरों को सूचित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

पहिया और एक्सिल परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

641. **श्री डी० अमात** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक बंगलौर के बाहरी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली रेलवे पहिया ओर एक्सिल परियोजना के लिए 38 करोड़ रुपए का ऋण देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच 1900 लाख डालर के एक ऋण समझौते पर 13 नवम्बर, 1978 को हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ भारतीय रेलों पर कुछ विकासात्मक किस्म के कार्यों के अलावा कारखाना आधुनिकीकरण और पहिया एवं धुरी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए ऋण प्रदान करेगा। इस ऋण की कुल रकम में से 380 लाख डालर का नियतन बेंगलूरू के निकट स्थापित किए जाने वाले पहिया एवं धुरा संयंत्र के लिए किया गया है। इस समझौते का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कुछ विनिर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर पहिया एवं धुरा संयंत्र के लिए संयंत्र, मशीनरी और सामानों की खरीद की व्यवस्था विश्व बैंक ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण के अन्तर्गत खरीद के लिए निर्धारित मार्गदर्शक निर्देशों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के जरिये की जायेगी और देशी उद्योग को, उनके फैक्टरी तैयार मूल्य में बाहर से आये मामलों की सी० आई० एफ० कीमतों की तुलना में भारतीय सीमा शुल्क के बराबर अथवा 15% तक जो भी कम हो, मूल्य सम्बन्धी तरजीह दी जायेगी। यह आम शर्त है जो सभी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों में रखी जाती है ।

कोंकण समुद्री तट पर संचार का विकास

642. **श्री वसंत साठे** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को कोंक गैर उतराई सेवा और कोंकण क्षेत्र में समुद्री परिवहन संचार के विकास के बारे में महाराष्ट्र राज्य अधिकारियों से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोंकण समुद्री तट पर संचार का विकास करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और कौन-सा प्रस्ताव उसके विचाराधीन है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) कोंकण फेरी सेवाओं के बारे में स्थिति यह है कि महाराष्ट्र के नौगम्य क्षेत्रों में सीधी और क्रास यात्री फेरी सेवाएं चलाने के उद्देश्य से विशेष प्रकार के जलयान चलाने के लिए उनकी संभावना की जांच के बारे में एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ जिसे अगस्त, 1973 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 5·25 लाख रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया। समुद्री परिवहन संचार सेवा जो कोंकण यात्री सेवा के नाम से मशहूर है, इस रूट पर चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ समय पूर्व यह सूचित किया था कि वह कोंकण समुद्र तट पर छोटे किंतु तेज गति वाले यात्री जहाज चलाने के प्रश्न की जांच कर रही है, परन्तु इस बारे में उनसे कोई औपचारिक प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

बेरोजगार व्यक्ति और उनकी प्रतिशतता में वृद्धि

643. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालय के रजिस्टर के अनुसार रोजगार प्राप्त करने वालों की वर्तमान संख्या कितनी है और उनमें से कितने पुरुष और महिलाएं स्नातक हैं, कितने स्नातक स्तर से कम हैं; और कितने स्नातकोत्तर हैं;

(ख) 1971, 1977 और 1978 के प्रारम्भ में उनकी संख्या कितनी थी;

(ग) ऊपर दर्शाये गये अनुसार रोजगार पाने वालों की संख्या में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(घ) यदि रोजगार पाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तो सरकार जनता पार्टी और प्रधान मंत्री द्वारा 10 वर्षों में बेरोजगारी को समाप्त कर देने के लिए दिए गए वचन को किस प्रकार पूरा करेगी;

(ङ) क्या भारत ने विश्वव्यापी स्तर पर बेरोजगारी से लड़ने के लिए हाल ही में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठक में किसी योजना को प्रस्तुत किया है; और यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या है; और

(च) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए इस पत्र को तैयार करते समय भारतीय अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है और यदि हां, तो इसने पत्रों में किस प्रकार का प्रभाव डाला है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है।

(ग) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या में वर्ष 1971 के दौरान 25·3 प्रतिशत, 1977 में 11·6 प्रतिशत और 1978 में 16·1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(घ) 1978-83 की योजना के मसौदे का एक मुख्य उद्देश्य दस वर्ष की अवधि के भीतर

बेरोजगारी और अल्परोजगारी को समाप्त करना है। तदनुसार, योजना में रोजगार प्रधान क्षेत्रक आयोजना अपनाने सम्बन्धी नीति की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य रोजगार को बचाने तथा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी परिवर्तन को विनियमित करना तथा पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्रीय आयोजना को बढ़ावा देना है। यह योजना सिंचाई वाली कृषि और डेरी उद्योग, वानिकी, मत्स्योद्योग के सम्बद्ध क्षेत्रों की क्षमता बढ़ाकर; इन्फ्रा स्ट्रक्चर और सामाजिक सेवाओं के विस्तार तथा गरीबों के उपभोग में वृहत वृद्धि द्वारा रोजगार सर्जित करेगी क्योंकि इस प्रकार का उपभोग, "वेज गुड्स" की अतिरिक्त मांग सर्जित करेगा जोकि श्रम प्रधान तरीकों से उत्पादित होते हैं। यदि निवेश और उत्पादन का आयोजित तरीका कार्यान्वित हो जाता है, तो इससे योजना के अन्त तक 49·3 मिलियन अतिरिक्त (समंजित) मानक व्यक्ति वर्ष रोजगार अवसर सर्जित होने की संभावना है।

(ङ) जेनेवा में जून, 1979 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 65वें सत्र की कार्यसूची की मद् "मूल आवश्यकताएं" विश्व रोजगार सम्मेलन पर अनुवर्ती कार्यवाही थी। सम्मेलन की सम्बन्धित समिति के सामान्य विचार-विमर्शों में भाग लेते समय भारत सरकार के प्रतिनिधि ने गरीबी, मूल आवश्यकताओं तथा रोजगार की समस्याओं का उल्लेख किया और समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विशिष्ट प्रस्ताव रखे।

हम यह सुझाव देते हैं कि प्रत्येक विकासशील देश में, विकास सक्षम आकार के एक विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्टक्षेत्रों का चयन किया जाए। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रोंमें त्रिपक्षीय तत्वाधान में निम्नलिखित कदम उठाए जाएं —

(क) साधनों और कौशलों का विस्तृत सर्वेक्षण;

(ख) उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा संगठन के नए तरीके का पता लगाना, जो किसी ऐसी प्रणाली के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हों, जो स्वः रोजगार और लघु, ग्राम और कुटीर उद्योगों पर निर्भर करती हो।

(ग) क्षेत्र के विकास की विस्तृत और एकीकृत योजनाएं तैयार करना, जिनमें मूल आवश्यकताओं तथा रोजगार पर विशेष जोर दिया गया हो;

(घ) प्रशिक्षण और कौशल विकास के कार्यक्रम तैयार करना; और

(ङ) इन योजनाओं को एक विशिष्ट समयावधि के भीतर कार्यान्वित करना। जहां कहीं इस प्रयास के लिए त्रिपक्षीय व्यवस्थाएं व्यवहार्य न हो, वहां स्थानीय स्तर पर उपयुक्त परामर्श करके सरकार उसे अपने हाथ में ले सकती है। ऋण, आपूर्ति तथा सेवाओं की तरह के उत्पादन के विभिन्न तत्वों की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। अ० श्र० सं० (आई० एल० ओ०) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से तकनीकी तथा अन्य सहायता भी मिलनी चाहिए। त्रिपक्षीय आधार पर आयोजित और निष्पादित ऐसी प्रायोगिक परियोजनाएं अन्य क्षेत्रों में इस प्रयोग को उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाने के लिए बहुमूल्य सबक और अनुभव प्रदान करेंगी।"

(छ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ने कार्यसूची की उपर्युक्त मद् का दस्तावेज अन्य आधारों के अलावा, मूल आवश्यकता सम्बन्धी प्रश्नावली के सम्बन्ध में भारत सहित सदस्य देशों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर तैयार किया था।

विवरण

वर्ष 1970, 1976 1977 और 1978 के अन्त तक लिंग भेद और शिक्षा रतरों के आधार पर रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या

(हजारों में)

शिक्षा स्तर	1970			1976			1977			1978		
	पुरुष	महिलाएं	योग	पुरुष	महिलाएं	योग	पुरुष	महिलाएं	योग	पुरुष	महिलाएं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. मैट्रिक से कम (अनपढ़ों सहित)	2039·8	207·2	2247·0	4230·0	450·2	4680·2	4678·2	511·2	5189·4	5576·4	624·6	6201·0
2. मैट्रिक पास	919·0	182·2	1101·2	2398·7	429·9	2828·6	2602·1	480·8	3082·9	2958·1	556·7	3514·8
3 हायर सैकेन्डरी (इंटरमीडिएट और अन्डर ग्रेजेएट (व्यक्तियों सहित)	396·4	47·5	443·9	109..·9	162·3	1255·2	1276·6	195·7	1472·3	1373·0	240·1	1613·3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. स्नातक	205·1	40·0	245·1	761·8	164·1	925·9	877·8	196·7	1074·5	1017·1	221·4	1238 5
5. स्नातकोत्तर	23·5	8·0	31·5	70·1	24·3	94·4	79·0	25·8	104·8	81·5	28·8	110·3
कुल (सभी वर्गों के)	3583·5	485·0	4068·6	8553·6	1230·7	9784·3	9513·7	1410·3	10924·0	11006·2	1671·6	12677·8

नोट : 1. दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरों से सम्बन्धित आंकड़े इन आंकड़ों में शामिल नहीं है ।

2. प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर के अन्त में अर्ध-वार्षिक अन्तरालों में शैक्षिक स्तरों के आधार पर सूचना एकत्र की जाती है । नवीनतम उपलब्ध सूचना दिसम्बर, 1978 के अन्त तक से सम्बन्धित है, जो कि अनन्तिम है ।

3. हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का योग सही न बैठे ।

दोहट रेलवे वर्कशाप

644. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मन्त्री दोहट रेलवे वर्कशाप के बारे में 29 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5327 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे की भूमि को इस बीच खाली कराने के लिए कितनी प्रगति हुई है और यह भूमि कब तक खाली हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : लाइसेन्सधारी का लाइसेन्स समाप्त करने तथा उससे जमीन खाली कराने के लिए उसको कानूनी नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार, लाइसेन्सधारी को 30-6-79 तक जमीन खाली कर देना था। उसने ऐसा नहीं किया है। इस सम्बन्ध में आगे क्या कारंवाई की जाय, फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है।

रेल-गाड़ियों में 'जनता खाना'

645. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-यात्रियों में 'जनता खाना' लोकप्रिय हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी इस समय बिक्री कितनी है और क्या सरकार का इसे और अधिक स्टेशनों पर तथा रेल-गाड़ियों में उपलब्ध करवाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय रेलों के स्टेशनों पर और भोजन/पेन्ट्री कारों से जनता खाना के औसतन लगभग 10,200 पैकेट प्रतिदिन बेचे जाते हैं। 235 स्टेशनों पर जनता खाना उपलब्ध रहता है और रेलें अधिक स्टेशनों पर इस सेवा को धीरे-धीरे बढ़ा रही हैं। जहां तक गाड़ियों का सम्बन्ध है, दो राजधानी गाड़ियों को छोड़कर पहले से ही यह उन सभी गाड़ियो में उपलब्ध रहता है जिनमें पेन्ट्री/भोजन यानों की व्यवस्था मौजूद होती है।

आवास निर्माण अग्रिम अनुदान

646. **श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को आवास निर्माण अग्रिम के रूप में स्वीकृत किए जाने के लिए अप्रैल, 1979 में आबंटित की गई निधियों की पहली किस्त और अनुवर्ती किस्तों की कुल राशि कितनी-कितनी है;

(ख) उनके मंत्रालय के उन कर्मचारियों के नाम व पदनाम क्या हैं जिनमें आवेदन पत्र आवास निर्माण अग्रिम के लिए 31 मई, 1979 को लम्बित थे वे किस-किस तारीख को प्राप्त हुए वे कितनी राशि के लिए हैं और वे प्रयोजन अर्थात गृह निर्माण (पहली, दूसरी और तीसरी किस्त) डी० डी० ए० द्वारा निर्मित फ्लैटों तथा उसकी स्ववित्त दोषी योजना तथा गाजियाबाद इम्प्रूवमैंट हाउसिंग योजना के लिए है; और

(ग) 1 जुलाई, 1979 तक इनमें से प्रत्येक आवेदक को कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) मकान बनाने के लिए 4-7-79 को 22·00 लाख रुपए की अग्रिम राशि आवंटित की गई है। इसमें मत्रालय को 1979-80 से वोट-आन-एकांऊट के अन्तर्गत आवंटित की गई 1·30 लाख की धन राशि भी शामिल है।

(ख) मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय और कुछेक अधीनस्थ संगठनों के कर्मचारियों के बारे में अपेक्षित सूचना विवरण-एक में दी गई है। अन्य अधीनस्थ कार्यालयों की सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) यह सूचना विवरण-दो में दी गई है।

विवरण—एक

क्रम सं०	नाम और पद नाम	प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की तारीख	कितनी अग्रिम घनराशि के लिए आवेदन किया (रुपये में)	जिस प्रयोजन के लिए अवेदन किया
1.	श्री एस० एल० सेठी, सहायक	28-8-78	25,000	अपने जन्म स्थान में मकान बनवाने के लिए
2.	श्री आर० के० चोपड़ा, सहायक	2-6-78	39,750	हाउसिंग सोसायटी आवास समिति द्वारा दिये गए प्लाट पर मकान बनवाने के लिए
3.	श्री सती राम, ग्रस्टेटनर आपरेटर	8-5-79	7,000	डी० डी० ए० का फ्लैट खरीदने के लिए
4.	श्री आर० एस० दुआ, कनिष्ठ लेखा अधिकारी	5-5-79	40,000	फरीदाबाद में आवेदक द्वारा खरीदे गये प्लाट पर मकान बनवाने के लिए
5.	श्री के० एन० सिंह, तकनीकी सहायक, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय, पटना	17-9-77	37,500	भूमि और निर्माणार्थ
6.	श्री नानजप्पा, उच्च श्रेणी लिपिक, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय, बंगलौर	20-7-78	31,800	भूमि और निर्माणार्थ

1	2	3	4	5
7.	श्री मंगल राम, कनिष्ठ मशीन आपरेटर	26-7-78	38,000	निर्माणार्थ
8.	श्री पुत्ता मरीह, उच्च श्रेणी लिपिक, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय, बंगलौर	6-12-78	31,300	भूमि और निर्माणार्थ
9.	डा० पी० एस० भट्टाचार्य, उप-सहायक आयुक्त	2-2-79	70,000	निर्माणार्थ
10.	श्री पी० एस० जनजानी, उच्च श्रेणी लिपिक, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय, जयपुर	24-2-79	40,000	प्राइवेट पार्टी से बना-बनाया मकान लेने के लिए
11.	श्री ओ० पी० खत्री, अनुसंधान अधिकारी	14-5-79	25,000	मौजूदा मकान का विस्तार करने के लिए
12.	श्री डी० एन० धींगड़ा, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	30-4-79	55,000	निर्माणार्थ
13	श्री डी० आर० चावला, सांख्यिकी विद्	26-4-79	34,930	बना-बनाया फ्लैट खरीदने के लिए
14.	श्री जे० पी० सिंह भयाना, उच्च श्रेणी लिपिक	12-3-79	27,700	निर्माण-कार्य के लिए दूसरी किश्त

विवरण—दो

क्र० सं०	नाम और पद नाम	प्रदत्त धनराशि
1.	श्री के० एन० सिंह, तकनीकी सहायक	भूमि खंड खरीदने के लिए 7500/-रु० की पहली किश्त
2.	श्री नानजप्पा, उच्च श्रेणी लिपिक	भूमि खंड खरीदने के लिए 2,637/-रु० की पहली किश्त
3.	श्री मंगल राम, कनिष्ठ मशीन आपरेटर	निर्माण कार्य के लिए 30,400/-रु० की पहली, दूसरी और तीसरी किश्त
4.	श्री पुत्ता मरीह, उच्च श्रेणी लिपिक	भूमि खंड खरीदने के लिए 3600/-रु० की पहली किश्त
5.	श्री जे० पी० भयाना, उच्च श्रेणी लिपिक	प्लाट खरीदने के लिए 5,540/-रु० की पहली किश्त ।

धोराजी को बैगनों का आबंटन

647. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के धोराजी, उपलेटा, मायावदर, पानेली मोती, जाम जोधपुर, वांस जालिया, राणावाव, पोरबन्दर, वणावदर, बांटवां, जूनागढ़ आदि रेलवे स्टेशनों को 1 मई से 15 जून, 1979 के बीच खाद्य तेल, प्याज, चाक पाउडर, खली, रूई की पैक की हुई गांठों, चूने का पत्थर, सीमेंट और खाद्यान्न के लिए अलग-अलग कितने माल डिब्बों का आबंटन किया गया;

(ख) स्टेशनवार तथा वस्तुवार कितने माल डिब्बों के लिए 16 जून, 1979 को मांग लम्बित थी;

(ग) इन लम्बित मांगों को कब और किस प्रकार पूरा करने का विचार है;

(घ) क्या पश्चिम रेलवे के बम्बई तथा भावनगर स्थित दोनों कार्यालय उपरोक्त वस्तुओं के लिए अपेक्षित माल डिब्बों की सप्लाई नहीं कर सके है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ये दोनों कार्यालय नियमित रूप से और पूरी संख्या में माल डिब्बे सप्लाई करने और माल डिब्बों की लम्बित मांग को पूरा करने के लिए आगे क्या कार्यवाही करेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) माल डिब्बों की सप्लाई लागू प्रतिबन्धों के भीतर रहते हुए यदि कोई हो, मांग पत्रों की वरीयता और प्राथमिकता के अनुसार की जाती है। इन स्टेशनों पर बकाया अधिकांश मांग पत्र प्याज, खाद्य तेल तथा खड़िया चूर्ण के लिए हैं। खाद्य तेल और प्याज के बकाया अधिकांश मांग पत्र पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के स्टेशनों को भेजने के लिए हैं जहां के लिए इन वस्तुओं के लदान का एक कोटा निर्धारित किया गया है क्योंकि इस रेलवे पर माल की ढुलाई की मांग उसकी वर्तमान क्षमता से अधिक है। जहां तक खड़िया चूर्ण की बात है, पश्चिम रेलों द्वारा उपलब्ध साधनों की भीतर अधिकतम लदान करने का प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

विवरण

स्टेशन	खाद्य तेल		प्याज		चाक पाउडर		खली		पूर्ण निपीड़ित		कपास चूना		सीमेंट	खाद्यान	
	लदान	16-7-79 को बकाया	लदान	16-3-79 को बकाया	लदान	16-6-79 को बकाया	लदान	16-6-79 को बकाया	लदान	16-6-79 को बकाया	लदान	16-6-79 को बकाया	16-6-79 को बकाया	लदान	16-6-79 को बकाया
घोराजी	24	157	50	523	...		...	...	...	...	...	...	—	6	14
उपलेटा	74	122	31	473	...	...	...	40		...	...	...	...	6	38
मायावदर	...	...	62	1609		...		...	...		...	...	...	...	...
पानेलीमोटी	...	...	12	201	...				...		...	...	...	...	...2
जाम जोधपुर	...	...	17	185		...		...	...	288	...	...	...	1	3
वांस जालिया	...		...	9	...	...	...		...	...	...	...	...	...	2
राणावाव	...	...	...	5	215	2675	...	...	1	2675		2429	...	...	...
पोरबन्दर	...	...	524	172	1667	...	...	...	23	2	4	8	981	44	38
माणावदर	60	97	...	1	...	...	...	...	39	38	...	...	...	...	...
वांटवा	4	12	...	...	...	...	...	...	37	2	...		...	...	2
जूनागढ़	92	319	9	...	...	...	16	...	...	...	...	...	...	22	21

बोरीवली (बम्बई) स्टेशन पर 19-डाउन रेल-गाड़ी में यात्रियों की लूटमार

648. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 जून, 1979 को बोरीवली (बम्बई) स्टेशन पर 19-डाउन रेलगाड़ी में रेलवे पुलिस ने यात्रियों को लूटा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि रेल गाड़ियों में इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है; और

(घ) क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री ((श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) राज्य पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 7-6-79 को लगभग 23.00 बजे जब 19 डाउन देहरादून एक्सप्रेस बोरीवली स्टेशन पर पहुँची तो एक आरक्षित डिब्बों में यात्रा कर रही बारात के सदस्यों जिनमें राजकीय रेलवे पुलिस के सादे कपड़ों में एक सिपाही सहित कुछ व्यक्तियों के बीच जो उस डिब्बे में घुस आये थे, हाथापाई हो गई। लगभग 50 व्यक्तियों की एक भीड़ जिसमें राजकीय रेलवे पुलिस के कुछ कर्मचारी थे, झगड़े में शामिल हो गए और बारातियों के साथ मार पीट की। बारातियों ने आरोप लगाया कि उनसे 7330 रु० की सम्पत्ति छीन ली गयी, डिब्बे की खिड़कियों के शीशों को कुछ नुकसान हुआ। बारातियों और राजकीय रेलवे पुलिस कर्मचारियों द्वारा लगाये गए आरोपों और प्रत्यारोपों के आधार पर राजकीय रेलवे पुलिस, बांद्रा ने दंगा फिसाद करने के अभियोग और प्रत्यभियोग दर्ज किये हैं जिनकी तफ्तीश की जा रही है। राजकीय रेलवे पुलिस के 6 कर्मचारी जिनके विरुद्ध इस वारदात में भाग लेने का आरोप है, निलम्बित कर दिये गए हैं, जनता के दो सदस्य जिनकी बारातियों द्वारा दर्ज कराये गए मामलों के संबंध में तलाश है, अभी तक फरार हैं।

(ग) यह अपनी किस्म की अकेली वारदात है।

(घ) इस वारदात की ओर राज्य पुलिस प्राधिकारियों का ध्यान दिलाया गया है।

विदेशों से जहाजों की खरीद

649. **हुकम चन्द कछवाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कम्पनियां समुद्री परिवहन में प्रयोग हेतु विदेशों से बड़ी संख्या में जहाज खरीदती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय इन कम्पनियों के पास ऐसे कितने जहाज हैं; और

(ग) क्या सरकार विदेशों से जहाज खरीदने पर उन पर सीमा शुल्क लगाती है और यदि हां, तो इन कम्पनियों से अब तक कितना सीमा शुल्क और अन्य शुल्क वसूल किया गया है और किन कम्पनियों से ऐसा शुल्क अभी वसूल किया जाना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) भारतीय नौवहन कम्पनियां भारत सरकार की स्वीकृति से समय-समय पर विदेशों से उपयुक्त जहाज खरीदती है। नौवहन कम्पनियों से जहाज प्राप्त करने को जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, नौवहन विकास निधि समिति को एक्यूजीशन कमेटी उनकी जांच करती है, और फिर केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षा करने के बाद वरीयता के आधार पर विदेशों से जहाज खरीदने की अनुमति दी जाती है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

असम को नमक की ढुलाई

650. **श्री बेदव्रत बरुआ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार द्वारा रेलवे को कहा गया है कि पिछले तीन महीनों में आसाम को कम मात्रा में नमक भेजे जाने की स्थिति का लाभ उठाकर व्यापारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नमक में भारी मुनाफाखोरी को देखते हुए आसाम को नमक की ढुलाई के लिए अधिक माल डिब्बे उपलब्ध किये जायें; और

(ख) अप्रैल, मई और जून, 1979 के महीनों में आसाम को कितनी मात्रा में नमक की ढुलाई की गई और 1977 एवं 1978 के उपरोक्त महीनों में कितनी मात्रा में नमक की ढुलाई हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आसाम सरकार से राज्य को नमक का लदान-बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) अप्रैल से जून तक की अवधि के दौरान 31,250 टन खाद्य नमक की आवश्यकता की तुलना में 1977, 1978 और 1979 की उसी अवधि में लदान इस प्रकार रहा :—

वर्ष	अप्रैल से जून तक की अवधि में टनों में लदान
1977	27,648
1978	34,704
1979	34,008

1978 और 1979 की अवधि में ये लदान आवश्यकता से अधिक रहे। पश्चिम तट के बड़े आमान वाले स्टेशनों से न्यू बोंगाई गांव के लिए ब्लाक रेक संचलन को संगठित करके लदान को बढ़ाने के लिए कार्रवाई भी की गयी है। आसाम में उपलब्ध नमक की हाल ही में की गयी समीक्षा में आसाम सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि संचलन में दो महीने के स्टाक के अतिरिक्त उनके पास एक महीने का स्टाक मौजूद है।

सेवा योजना जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारी आते हैं

651. **श्री महीलाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय अस्पताल सेवा के अन्तर्गत आते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के कर्मचारी किस सेवा योजना के अन्तर्गत आते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (सी० सी० एस०) नियमावली 1965 में यथावर्णित सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत आते हैं।

मैसर्स रामा इंजीनियरिंग वर्क्स, धनबाद द्वारा भविष्य निधि की राशि को जमा न किया जाना

652. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स रामा इंजीनियरिंग वर्क्स, बाईपास रोड़, धनबाद ने पिछले तीन वर्षों में कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान को और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कितनी राशि जमा कराई है और इन खातों से अभी कितनी राशि जमा कराई जानी बाकी है;

(ख) क्या श्रम कल्याण नियमों की अवहेलना करके कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा राज्य बीमा अंशदानों को बचाने के लिए स्थायी घोषित नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

अर्हता प्राप्त हरिजन इन्जीनियर

653. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे भारत के रोजगार कार्यालयों में कितने अर्हता प्राप्त हरिजन इंजीनियर, मैकेनिकल, सिविल और इलैक्ट्रीकल—पंजीकृत हैं; और

(ख) क्या मंत्रालय ने सरकारी उपक्रमों और भवन निर्माण योजनाओं और अन्य परियोजनाओं में हरिजन अर्हता प्राप्त इजीनियरों, पर्यवेक्षकों आदि के प्रशिक्षण के लिए कोई शिक्षुता-योजना बनाई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) उपलब्ध सूचना अनुसूचित जातियों के इंजीनियरों (डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी और काम का अनुभव रखने वाले कर्मिकों) से सम्बन्धित है जो 31-12-1978 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे। इस सूचना के अनुसार अनुसूचित जातियों के मैकेनिक इंजीनियरों की संख्या 840, सिविल इंजीनियरों की संख्या 905, और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी की संख्या 908 थी।

(ख) जी नहीं।

गेहूं की ढुलाई के लिए वैगन

654. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी एजेंसियों ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मंडियों में बड़ी भारी मात्रा में गेहूँ खरीदा है परन्तु रेलवे वैगन उपलब्ध न होने के कारण इन राज्यों में खरीदा गया गेहूं अभी तक वहीं पड़ा है और आने वाली वर्षा ऋतु के दौरान उसके खराब होने और खाने योग्य न रह जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों से अन्य राज्यों में खाद्यान्न गोदामों तक गेहूँ की ढुलाई के लिए 15 जून, 1979 तक कितने रेलवे वैगन उपलब्ध किये गये और इन वैगनों में कितनी मात्रा में गेहूँ की ढुलाई की गई है;

(ग) उपरोक्त तीन राज्यों को वैगन उपलब्ध न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे वैगन उपलब्ध न होने के कारण सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा गया कितना गेहूँ इन राज्यों में पड़ा रह जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए गेहूँ का लदान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है जो रेलवे और प्राप्तकर्त्ता राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में आयोजित पाक्षिक बैठकों में स्टाक की स्थिति, लदान स्टेशनों पर सुलभ सुविधाओं और गन्तव्य स्टेशनों पर माल-डिब्बे खाली करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ढुलाई सम्बन्धी योजनाएं तैयार करता है। वास्तविक ढुलाई का काम इन योजनाओं के अनुसार किया जाता है। वर्तमान मौसम अर्थात् पहली अप्रैल से पन्द्रह जून, 1979 तक की अवधि में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बड़ी लाइन के 44,469 और मीटर लाइन के 3,376 माल-डिब्बों में गेहूँ का लदान किया गया जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में बड़ी लाइन के 36,703 और मीटर लाइन के 5,825 माल-डिब्बों का लदान हुआ था। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लदान अधिक हुआ है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक्स-रे विभाग का बन्द होना

655. **श्री अनन्त राम जायसवाल**
श्री पी० के० कोडियन } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक्स-रे विभाग का काम मई-जून, 1979 में ठप्प हो गया था और रोगियों को अपने एक्स-रे करवाने के लिए दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता था;

(ख) यदि हां, तो डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक्स-रे विभाग के काम के पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से ठप्प हो जाने के क्या कारण हैं;

(ग) मई-जून, 1979 के दौरान कितने रोगियों का एक्स-रे कराने की आवश्यकता थी

और उनमें से कितने रोगियों को अपना एक्स-रे करवाने के लिए अन्य अस्पतालों में भेजा गया; और

(घ) क्या मई-जून, 1979 में इस अस्पताल के एक्स-रे विभाग के कार्य को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई थी और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां। वैसे इमरजेंसी एक्स-रे विभाग कार्य कर रहा था।

(ख) एक्स-रे विभाग में कार्य कर रहे ग्रुप "डी" के कर्मचारी अपनी इस मांग को लेकर नियमानुसार कार्य कर रहे हैं। डार्क रूम असिस्टेन्ट के पदों पर केवल उन्हें ही पदोन्नति दी जाए।

(ग) रोगियों की प्रति मास औसत संख्या 7615 बैठती है। वैसे सभी इमरजेंसी एक्स-रे डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किए गए थे जिनकी संख्या इस प्रकार है :—

मई, 1979	3165 रोगी
जून, 1979	2666 रोगी

जिन कुछेक रोगियों की दशा कम गम्भीर थी उन्हें श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया।

(घ) सामान्य स्थिति लाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार ने डार्क रूम असिस्टेन्ट के पदों के लिए भर्ती नियमों को इस प्रकार बनाने का निर्णय किया है जिससे कि इस समय डार्क रूम में काम कर रहे ग्रुप "डी" के कुछेक पात्र कर्मचारियों को लाभ पहुँच सके।

कलकत्ता बंदरगाह पर भीड़-भाड़

656. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बंदरगाह पर भीड़-भाड़ के कारण आयात और निर्यात के माल के लदान और उतारने में कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता बंदरगाह पर भीड़-भाड़ के क्या कारण हैं; और

(ग) भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए मई-जून, 1979 के दौरान सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) आयात किये गये माल को छुड़ाने में देरी के कारण कलकत्ता पत्तन के शेडों में माल भर गया है। इस कारण आयात किये गये माल को जहाजों से जल्दी नहीं उतारा जा सक रहा है। लेकिन शेडों में माल के जमा हो जाने से विदेशों को निर्यात किये जाने वाले माल को जहाजों पर लादने में कोई बाधा नहीं आ रही है।

(ख) कलकत्ता पत्तन में शेडों में माल के भर जाने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) आयात कर्त्ताओं को आवश्यक दस्तावेजों का देरी से मिलना ।

(2) उर्वरक और सीमेंट के लाने लेजाने में रेलवे की पाबन्दियां ।

(3) दान संस्थाओं द्वारा विदेशों से उपहार के तौर पर आयात किये गये माल के छुड़ाने में देरी जिनको अधिक समय तक के लिए किराया नहीं देने की छूट मिली होती है ।

(4) थोक माल को बोरियों, थैलों आदि में भरना, तौलना और उनको सिल कर बण्डल वगैरह बनाने में समय लगता है जिससे माल जहाजों तक भेजने में देरी लगती है ।

(5) स्टील अथारिटी आफ इंडिया का बहुत सा इस्पात का माल उसके ठेकेदारों के मजदूरों द्वारा आन्दोलन करने के कारण विभिन्न शेडों में वैसा का वैसा ही पड़ा है और हटाया नहीं गया है ।

(ग) शेडों में अनुचित रूप से माल के जमाव को कम करने के लिए जो कार्रवाई की गई वह इस प्रकार है —

(1) सभी आयात कर्त्ताओं को समाचार पत्रों में सूचनाएं प्रकाशित कर सूचित किया गया है कि वह आयात किये गये माल की जल्दी से जल्दी डिलीवरी ले लें, नहीं तो उनको भारी जुर्माना देना होगा ।

(2) कामकाज के समय में डाकों का निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है जिसमें यातायात मेकेनीकल इंजीनियरिंग विभागों और डाक लेबर बोर्डों के ऊंचे अधिकारियों को नियुक्त किया गया है । इस कमेटी के सुझावों/निष्कर्षों पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है ।

(3) उपहार के रूप में मिले माल पर किराये से छूट की 45 दिनों की अवधि को घटा-कर 15 दिन कर दिया गया है ।

(4) उर्वरकों का थोक में आयात करने वालों से यह आग्रह किया जाता है कि वे अपने माल की थोक में डिलीवरी लें अपना माल हटा लें जिससे शेडों में माल का जमा होना रोका जा सके ।

(5) उर्वरकों की डिलीवरी न लेने और माल को न हटाने पर सामान्य दर की अपेक्षा तीन गुनी दर से किराया वसूल किया जाता है ।

(6) इस्पात का जो माल अधिक भारी नहीं है उसको सात दिनों के भीतर और जो माल भारी है उसकी 14 दिनों के भारी माल की डिलीवरी न लेने और माल के न हटाने पर किराये से छूट की सामान्य अवधि के बीत जाने पर दुगनी दर से किराया वसूल किया जाता है ।

(7) रेप-सीड के माल को सात दिनों में डिलीवरी लेने और माल के न हटाने पर किराये से छूट को सामान्य अवधि के बीत जाने पर तीन गुनी दर से किराया वसूल किया जाता है।

(8) डाकों के बाहर माल गोदामों में पड़े माल को बाहर हटा देना।

(9) साफ मौसम में सागर और डायमंड हार्बर पर जहाजों को रोक कर माल को बजरों में उतारना। और

(10) जहाजी कम्पनियों और आयात कर्त्ताओं को अपने-अपने माल को उतारने के लिए अपनी-अपनी मशीनें लाने की छूट दी जा रही है।

चीन की कैद में भारतीय नागरिक

657. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बरेली में प्रकाशित दिनांक 2 जून, 1979 के दैनिक 'अमर उजाला' में "चीन की कैद में भारतीय नागरिक अभी भी मौजूद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) ये भारतीय अभी तक चीन के कैदी क्यों हैं; और

(घ) क्या मन्त्रालय द्वारा उनको रिहा कराने के लिये कदम उठाये गये हैं· यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) से (घ) भारत सरकार ने 1958 से लेकर अब तक चीन सरकार को प्रेषित अपने औपचारिक टिप्पणों और पत्रादि में तिब्बत में रहने वाले भारतीय-मूल के व्यक्तियों की भारत वापसी के मामले को बार-बार उठाया है। भारत और चीन की सरकारों के बीच आए-गए टिप्पणों, ज्ञापनों और पत्रों के संग्रहश्वेत-पत्र संख्या I से IV में, जो कि 1959 के बाद से विभिन्न अवसरों पर सदन की मेज पर रखे जा चुके हैं, चीन के तिब्बत क्षेत्र से भारतीय मूल के व्यक्तियों की भारत वापसी के प्रश्नों के अनगिनत उल्लेख हैं। इस सवाल को अभी हाल ही में भी चीनी पक्ष के साथ उठाया गया है।

भारत सरकार की ओर से भेजे गये इन अभ्यावेदनों का चीन सरकार ने जो जबाब दिया है वह भी उल्लिखित श्वेत-पत्रों में शामिल है। कुल मिलाकर चीन सरकार ने यह कहा है कि भारतीय राष्ट्रिक तिब्बत से जाने के लिए स्वतन्त्र हैं और जो लोग वहां हैं वे अपनी खुशी से रह रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे अद्यतन अभ्यावेदन पर चीन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

कलकत्ता बंदरगाह के लिए मंत्रिमंडलीय समिति

658. **श्री सौगत राय**
श्री दिलीप चक्रवर्ती } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "दी बिजनेस स्टैण्डर्ड" दिनांक 15 जून, 1979 में "कलकत्ता बंदरगाह के लिए मंत्रिमंडलीय समिति" (केबीनेट पैनल फार कलकत्ता पोर्ट) शीर्षक समाचार की

ओर दिलाया गया है; और

(ख) कलकत्ता बंदरगाह की समस्या का गहराई से अध्ययन करने तथा उपचारी उपाय करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ह अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) 14 जून, 1979 को कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में सामान्य औद्योगिक स्थिति के बारे में केन्द्रीय उद्योग मन्त्री के साथ विचार-विमर्श के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग मन्त्री और पश्चिम बंगाल से संसद सदस्यों ने पत्तन के बारे में भी प्रश्न उठाया था। उन्होंने बम्बई पत्तन की समस्याओं को हल करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा गठित मंत्रियों की उप समिति द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में उन्हें स्पष्ट किया था। उनसे यह भी पूछा गया था कि क्या यह मंत्रिमंडल समिति कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों की समस्याओं का भी अध्ययन करेगी। केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने उन्हें बताया कि यदि इस तरह का आवेदन प्राप्त हुआ तो मंत्रिमडल समिति उस पर विचार करेगी और कलकत्ता पत्तन की समस्याओं को हल करने के लिए जो सम्भव होगा, सहायता देगी। अत: नई समिति बनाने का कोई प्रश्न नहीं था। सरकार ने अभी पिछले दिनों कलकत्ता पत्तन के कार्यों के अध्ययन के लिए एक दो-मदस्यीय समिति नियुक्त की थी। इस समिति की रिपोर्ट पर सरकार और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने कार्यवाही की थी। जैसा कि समिति ने सिफारिश की थी, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा ब्याज के भुगतान और ऋण की वापसी की अवधि 31 मार्च, 1981 तक बढ़ा दी गई। इसके अतिरिक्त नदी निकर्षण/अनुरक्षण पर किये गये व्यय के 80% की दर से 31 मार्च, 1981 तक उपदान की स्वीकृति की गई है। इस समय कलकत्ता पत्तन के बारे में कोई और अध्ययन कार्य करने का विचार नहीं है।

मोरक्को के राजपूत द्वारा वक्तव्य

659. **श्री यादवेन्द्र दत्त**
डा० बलदेव प्रकाश
श्री के० मालन्ना
प्रो० पी० जी० मावलंकर
श्री सी० के० जाफर शरीफ
श्री एडुआर्डो फैलीरो
श्री बृजभूषण तिवारी
श्री एस० आर० दामाणी
श्री चित्त बसु
श्री एस० एस० सोमानी
श्री राम सागर
श्री सरत कार
श्री ईश्वर चौधरी
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित मोरक्को के राजदूत तथा अन्य अरब राज्यों के राजदूतों ने भारत के विरुद्ध संयुक्त वक्तव्य दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस वक्तव्य में सरकार की आलोचना की गई है और यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) अरब के राजदूतों ने कोई संयुक्त वक्तव्य नहीं दिया है। केवल मोरक्को के राजदूत ने 25 मई को एक प्रैस वक्तव्य दिया था। 28 मई के एक अन्य प्रैस वक्तव्य में उन्होंने स्वयं बताया कि अन्य अरब के राजदूतों की ओर से बोलने का उन्हें कोई प्राधिकार नहीं दिया गया है।

(ख) मोरक्को के राजदूत के 25 मई के वक्तव्य में भारत-अरब मित्रता बिगाड़ने के लिए "गुप्त रूप से सहायता" के प्रयत्न; भारत में मुसलमानों के साथ कथित दुर्व्यवहार और भारतीय प्रैस के कतिपय वर्ग द्वारा मुस्लिम राजनयों पर आक्रमण के बारे में बताया गया है।

(ग) मोरक्को के राजदूत के वक्तव्य में भारत सरकार की अन्तर्निहित आलोचना है। विदेश मन्त्रालय ने मोरक्को के राजदूत को बुलाया और उनसे स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने बताया कि भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में भारतीय मुसलमानों के साथ व्यवहार के बारे में कतिपय पर्यवेक्षकों के केवल विचार ही उद्धृत किए हैं। मोरक्को के राजदूत को यह बताया गया कि उनका वक्तव्य राजनयिक आचरण के मानदंडों के अनुरूप नहीं था।

सीकर से दिल्ली स्टेशन तक के लिए अधिक रेल-डिब्बों की मांग

660. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे यात्रियों की प्रतिदिन की औसत संख्या क्या है, जिन्होंने जनवरी से जून, 1979 की अवधि के दौरान सीकर और सूरजगढ़ के बीच के स्टेशनों से दिल्ली और दिल्ली के बाद वाले स्टेशनों तक रेल-गाड़ी द्वारा यात्रा की;

(ख) क्या सीकर से दिल्ली के लिए आजकल केवल दो डिब्बे जोड़े जाते हैं, जो बिल्कुल अपर्याप्त हैं; और

(ग) क्या इस क्षेत्र के लोगों ने और डिब्बों की मांग की है, जो बीकानेर मेल में लोहारु स्टेशन से जोड़े जा सकते हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) इस समय सीकर और दिल्ली के बीच दो थ्रू डिब्बे चल रहे हैं। 91/92 बीकानेर मेल तथा 93/ 4 जोधपुर मेल में स्थान की कमी के कारण इस समय सीकर/लोहारु-दिल्ली के बीच कोई अतिरिक्त डिब्बा लगाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में पाकिस्तान की प्रविष्टि

661. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त**
श्री एडुआर्डो फैलोरी
श्री चिमन भाई एच० शुक्ल
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे
श्री जी० वाई० कृष्णन्
श्री शंकर सिंह जी बाघेला
श्री सुखेन्द्र सिंह
श्री डी० अमात :

कि पाकिस्तान को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में प्रवेश दिलाने के लिए भारत सरकार ने कोलम्बो में जून, 1979 में आयोजित हुए सम्मेलन में क्या भूमिका निभायी ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : गुट-निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के अनुरोधों के प्रति सरकार का रवैया सदैव सिद्धान्तों पर आधारित रहा है, जो यह है कि ऐसे सभी अनुरोधों पर कतिपय सुस्थापित मानदण्डों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। कोलम्बो में ब्यूरो की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मतैक्य के आधार पर, जो कि प्रायः सर्वसम्मति पर ही आधारित था, इस बात की सिफारिश की थी कि पाकिस्तान को इस आंदोलन के एक पूर्ण सदस्य के रूप में प्रवेश मिलना चाहिए।

तिनसुकिया मेल का समय

662. **श्री छत्र बहादुर क्षेत्री** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिनसुकिया मेल का चलने व पहुंचने के वर्तमान समय सिक्किम, भूटान और दार्जिलिंग जिलों के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस गाड़ी के समय में परिवर्तन करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, लेकिन नई दिल्ली और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तिनसुकिया मेल में थ्री डिब्बों की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। यदि यह व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण पाया गया तो इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

रोजगार कार्यालयों में अप्रैल, 1978 के पश्चात पंजीकृत व्यक्ति

663. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालयों में 1 अप्रैल, 1978 के पश्चात् नाम दर्ज कराने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या 1977-78 की संख्या की तुलना में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) पिछले दो वर्षों में रोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी; और

(घ) बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1-4-1978 से 31-3-1979 तक की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए पंजीकरणों की संख्या 65.08 लाख थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) 31-3-1978 और 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 113.46 और 134.06 लाख थी ।

(घ) जो विभिन्न कदम उठाए जाने हैं, 1978-83 की योजना के मसौदे में उनका विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है । थोड़े शब्दों में, योजना में, रोजगार प्रधान क्षेत्रीय योजनाबन्दी अपनाने की नीति की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य रोजगार के संरक्षण तथा संवर्धन के प्रौद्योगिकीय परिवर्तन को नियन्त्रित करना है तथा पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्रीय योजनाबन्दी को बढ़ावा देना है। योजना मुख्यत: सिंचित कृषि और डेरी कार्य, वानिकी और मत्स्य पालन के सम्बद्ध क्षेत्रों की क्षमता में वृद्धि, इन्फ्रास्ट्रक्चर और समाज सेवाओं के विस्तार और गरीब लोगों के उपभोग में भारी वृद्धि द्वारा रोजगार पैदा करेगी, क्योंकि इस प्रकार के उपभोग से ऐसे वेज गुड्स के लिए अतिरिक्त मांग होगी जिनका उत्पादन श्रम प्रधान तरीकों से किया जा सकता है। जब निवेश और उत्पादन के इस योजनाबद्ध ढांचे को कार्य रूप मिल चुकेगा तो यह आशा है कि योजना के अन्त तक 49.3 मिलियन अतिरिक्त (समायोजित) मानक व्यक्ति वर्ष रोजगार अवसर सृजत हो सकेंगे ।

पठानकोट-मंडी सड़क पर हुआ व्यय

664. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री 26 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सीमा सड़क संगठन ने पठानकोट-मंडी सड़क पर कितना व्यय किया ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : सीमा सड़क संगठन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़कों के लिए निम्नलिखित धनराशि के संवितरण किये जाने की सूचना दी है :—

वर्ष	व्यय (लाख रुपए)
(i) 1976-77	63·11
(ii) 1977-78	50·92
(iii) 1978-79	66·47

उपरोक्त (i) और (iii) के सामने दी गई राशि वह है जो दे दी गई है । राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभी भी वास्तविक व्यय की सूचना भेजनी बाकी है ।

नई रेल लाइन परियोजना

665. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या रेल मन्त्री छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल लाइनें बिछाने के बारे में 15 मार्च, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल रही योजनाओं तथा छठी पंचवर्षीय योजना की नई परियोजनाओं के अन्तर्गत नई लाइन परियोजनाओं के निर्माण हेतु आबंटन को योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तथा राज्य-वार आबंटन क्या है;

(ग) छठी योजना में वर्ष-वार प्रत्येक राज्य में आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या छठी योजना में हिमाचल प्रदेश में कोई नई रेल लाइन परियोजना आरंभ की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस मामले को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन रेलों पर पुनर्गठित ग्रुप इस षंचवर्षीय योजना अवधि (1978-83) में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में सुझावों पर विचार कर रहा है जिनमें जगाधरी-पाउंटा-राजवन (हिमाचल प्रदेश) बड़ी लाइन भी शामिल है। लेकिन, इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय, राष्ट्रीय पंच वर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय, योजना आयोग द्वारा किया जायेगा और ऐसा करते समय राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी विचार कर रही है कि नयी रेल लाइनों के निर्माण के लिए क्या मानदड निर्धारित किया जाय।

जोगिन्द्र नगर तक रेल-गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

666. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा घाटी रेल-पथ पर चलने वाली 4 रेल-गाड़ियों में से एक रेलगाड़ी जोगिन्द्र नगर तक, एक बैजनाथ पपरोला तक और शेष दो केवल नागरोटा तक जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है; और

(ग) जोगिन्द्र नगर, बैजनाथ, पपरोला, नागरोटा और पालमपुर पर आरक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) पठानकोट-जोगिन्द्र नगर छोटी लाइन खंड पर यात्री यातायात की अधिकतम यात्रा

पठानकोट और नगरोटा के बीच रहती है। यातायात के इस स्वरूप की मांग को पूरा करने के लिए पठानकोट और नगरोटा के बीच दो गाड़ियों की और बैजनाथ पपरोला और जोगिन्द्र नगर के बीच एक गाड़ी की व्यवस्था की गयी है।

यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण न होने के अलावा छोटी लाइन डीजल रेल इंजनों की अनुपलब्धता के कारण भी इस समय सभी चारों गाड़ियों जोगिन्द्र नगर तक बढ़ाना सम्भव नहीं है।

(ग) चूंकि पठानकोट-जोगिन्दर नगर छोटी लाइन खंड पर चलने वाली सभी गाड़ियां दिन की गाड़ियां हैं, इसलिए आरक्षण व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। मेल लेने वाली बड़ी लाइन की गाड़ियों में स्थान के आरक्षण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि छोटी लाइन खंड पर होने वाला यातायात मामूली-सा है जिसकी वजह से अलग कोटा आवंटित करना औचित्यपूर्ण नहीं हैं। जब कभी आरक्षण की मांग की जाती है तो गाड़ी प्रारम्भ/आरक्षण नियन्त्रक स्टेशनों को सन्देश भेजकर उसे पूरा कर दिया जाता है।

स्टेशनों पर कुल्हड़ों में चाय

667. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या रेल मन्त्री मिट्टी के कपो में चाय के बारे में 22 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4237 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर चाय देने के लिए कुम्हारों का प्रयोग आरम्भ करने का निर्णय किया है ताकि हजारों कुल्हड़ों को पुनः रोजगार मिल जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय किया है और इसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) बहुत-सी क्षेत्रीय रेलों पर वेंडरों के माध्यम से प्लेटफार्म पर चाय की बिक्री के लिए कुल्हड़ों का उपयोग पहले से ही किया जाता है। सभी क्षेत्रीय रेलों को हाल ही में अनुदेश जारी किये गये हैं कि यात्रियों की प्रतिक्रिया, स्वच्छता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर कुल्हड़ों का उपयोग अधिक से अधिक बढ़ाने के प्रयास किये जायें।

क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे पर कुल्हड़ों का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तथापि, मिट्टी के कपों का उपयोग लोकप्रिय नहीं है क्योंकि यात्री उनका उपयोग पसन्द नहीं करते।

रेल मूवमेंट निदेशक कलकत्ता

668. **श्री यशवन्त बोरोल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मूवमेंट निदेशक कलकत्ता 1978-79 के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए

प्राथमिकता के आधार पर कोयला और कोक की ढुलाई के लिए रेल माल डिब्बों का अपेक्षित वार्षिक कोटा नियत कर सका है;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी कमी रही है; और

(ग) स्थिति के कब तक सामान्य होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के प्रायोजित प्राधिकारियों से प्राप्त मांगों के आधार पर निदेशक, रेल संचालन, कलकत्ता ने विभिन्न राज्यों को विभिन्न किस्म के कोयले और कोक के संचालन के लिए कोटा निर्धारित किया था। 1978-79 के लिए रेलवे द्वारा प्रतिदिन लगभग 10,000 माल डिब्बों के लदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन वास्तविक लदान 9001 माल डिब्बे प्रतिदिन था। लदान के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विदेश मंत्री के विदेशों के दौरे

669. **प्रोफेसर पी० जी० मावलंकर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने अन्तर सत्रावधि 19 मई, से 8 जुलाई के दौरान एक अथवा अधिक देशों का दौरा किया है;

(ख) यदि हा, तो उसके पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) उन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(घ) विचार विमर्श किये गये विषयों की मोटी रूपरेखा क्या है यदि कोई समझौते किए गये हैं तो वे क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सदन की मेज पर एक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें यह सूचना दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	जिस देश की यात्रा की गई उसका नाम	यात्रा की तारीख	यात्रा का उद्देश्य	विचार विमर्श के विषय	करार यदि कोई हुए हों, तो ।
1	2	3	4	5	6
1.	कुवैत	20-5-79 से 22-5-79	सम्बन्धित देशों के विदेश मंत्रियों से प्राप्त निमंत्रणों के सम्बन्ध में सद्-भावना यात्रा ।	सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के अलावा, कोलम्बो में गुट निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की बैठक, हवाना में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन, मध्य पूर्व की स्थिति जैसे विषयों तथा अन्य महत्व पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार विमर्श हुआ ।	
2.	संयुक्त अरब जमीरात	22-5-79 से 25-5-79			
3.	सीरिया	25-5-79 से 27-5-79			
4.	ईराक	27-5-79 से 28-5-79			
5.	कोलम्बो (श्री लंका)	5-6-79 से 9-6-79	गुट निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए ।	गुट निरपेक्षता सम्बन्धी मामले	
6.	सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ	10-6-79 से 14-6-79	प्रधान मंत्री के साथ गये और भारत सोवियत संयुक्त आयोग के पांचवें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया ।	द्विपक्षीय सम्बन्ध और महत्व-पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामले ।	संयुक्त आयोग के संबंध में एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए ।

1	2	3	4	5	6
7.	पोलैंड	14-6-79 से 16-6-79	प्रधान मंत्री के साथ गए ।	द्विपक्षीय सम्बन्ध और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामले	भारत और पोलैंड के बीच स्वास्थ्य-करार पर हस्ताक्षर किए ।
8.	चैकोस्लोवाकिया	16-6-79 से 18-6-79	प्रधान मंत्री के साथ गए ।	द्विपक्षीय सम्बन्ध और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामले ।	दोनों देशो के बीच कोंसलीकरार के अनुसमर्थन के दस्तावेजों सम्बन्धी विनिमय-पत्रों पर हस्ताक्षर किए ।
9.	यूगोस्लाविया	18-6-79 से 21-6-79	प्रधान मंत्री के साथ गए ।	द्विपक्षीय सम्बन्ध और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामले ।	—
10.	फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	21-6-79	रास्ते में रुके ।	—	—
11.	रोम (इटली)	24,25-6-79	रास्ते में रुके ।		
12.	अल्जीरिया	26-6-79 से 27-6-79	अल्जीरिया, विदेश मंत्री के निमंत्रण पर	अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, विशेषकर गुट निरपेक्षता के सम्बन्ध में तथा भारत-अल्जीरियाई द्विपक्षीय सम्बन्ध ।	दोनों देशों के अधिकारियों ने अनुपूरक प्रीतोकोल सहित वैज्ञानिक, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में एक करार पर हस्ताक्षर किए ।
13.	पेरिस (फ्रांस)	27-6-79	रास्ते में रुके ।	—	—

बम्बई तथा अहमदाबाद स्टेशनों के बीच आक्रमण लूट-पाट तथा चोरी की घटनायें

670. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी से जून, 1979 तक छः महीनों के दौरान पश्चिम रेलवे पर बम्बई तथा अहमदाबाद स्टेशनों के बीच रेलवे पुलिस तथा अन्य लोगों द्वारा आक्रमण, लूट-पाट, चोरियों आदि की कई घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दोषी व्यक्तियों विशेषतः रेलवे पुलिस तथा अन्य रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने निर्दोष यात्रियों तथा उनके सामान की सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (च) महाराष्ट्र और गुजरात में रेलवे पुलिस से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर पोते गए विज्ञापन

671. **श्री अनन्त दवे** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़कों पर चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर चारों ओर चलचित्रों आदि के विज्ञापन पुते होने के कारण लोगों को अपेक्षित बसों की पहचान करने में कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों ने किस कारण उक्त परिवर्तन किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली परिवहन की ऐसी बसों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वे विज्ञापन कर्त्ताओं की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस अस्वस्थ प्रक्रिया को रोकने तथा उक्त परिवर्तन करने की अनुमति देने वाले अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं। यद्यपि दिल्ली परिवहन निगम की बसों के बाहर विज्ञापन आदि पुते होते हैं, परन्तु उन पर दिल्ली परिवहन निगम का नाम और संकेत (लोगों को) स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए, लोगों को बसों को पहचान करने में किसी प्रकार की कठिनाई होने का प्रश्न ही नहीं होता और न इस बारे में कहीं से कोई शिकायत ही मिली है।

(ख) विज्ञापन का नया माध्यम इसलिए शुरू किया गया है कि जिससे दिल्ली परिवहन निगम को विज्ञापनों से अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तिनसुकिया मेल के लिए पटना में बर्थ सीट का आरक्षण

672. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 155 और 156 तिनसुकिया मेल में आरक्षण के लिए पटना जंक्शन पर बर्थ/सीटों का कोई कोटा नहीं रखा गया;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार के संसद सदस्यों को इस अधिक तेज रफ्तार वाली गाड़ी में पटना स्टेशन पर आरक्षण के लिए सीटें उपलब्ध न होने के कारण बहुत असुविधा होती है तथा क्या उन्हें इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का कोई प्रबन्ध करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पटना जंक्शन की 156 डाउन तिनसुकिया मेल में न्यू बोंगाईगांव/तिनसुकिया तक की यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी में दो (2), वातानुकूल 2-टियर वाले शयनयान में दो (2) और दूसरे दर्जे के शयनयान में बारह (12) शायिकाएं आवंटित की गयी हैं । लेकिन पटना जंक्शन को 155 अप तिनसुकिया मेल में कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) जनवरी से जून, 19 9 तक 6 महीने की अवधि में कुल मिलाकर 42 प्रथम श्रेणी और 18 दूसरे दर्जे की शायिकाओं की मांग पटना जंक्शन स्टेशन पर 155 तिनसुकिया मेल में संसद सदस्यों द्वारा की गयी थी और इस मांग की पूर्ति प्रारम्भिक स्टेशन द्वारा कर दी गयी थी । सर्वश्री महेन्द्र मोहन मिश्र और मृत्युंजय प्रसाद, संसद सदस्यों से ज्ञापन प्राप्त हुए थे जिनका यथोचित उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा दे दिया गया था । 155 अप तिनसुकिया मेल ही एक ऐसी सुविधाजनक तेज गाड़ी है जो असम क्षेत्र (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) से यात्रा आरम्भ करने वाले यात्रियों को सुलभ होती है । 155 अप मेल में पटना जंक्शन को कोटा आबंटित करने से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के स्टेशनों को उपलब्ध होने वाले स्थान कम हो जायेंगे जो उनकी जरूरत के लिए पहले से ही अपर्याप्त हैं । पटना के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए अन्य कई तेज गाड़ियां उपलब्ध हैं जिनमें पर्याप्त कोटा दिये गये हैं ।

दिल्ली में सरकारी आयुर्वेदिक और होम्योपैथी अस्पताल

673. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी आयुर्वेदिक और होम्योपैथी अस्पतालों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या यमुनापार क्षेत्र के शाहदरा, गौतमपुरी-ब्रह्मपुरी में ऐसे कोई अस्पताल नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कब और क्या व्यवस्था की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में आयुर्वेद और होम्योपैथी के निम्नलिखित अस्पताल चल रहे हैं :—

आयुर्वेदीय अस्पताल

1. दिल्ली नगर निगम आयुर्वेदीय चिकित्सालय, बल्लीमारां (40 पलंग)।
2. दिल्ली नगर निगम आयुर्वेदीय चिकित्सालय, हैदरपुर (40 पलंग)।
3. सी० जी० एच० एस० आयुर्वेदीय चिकित्सालय, लोधी रोड, नई दिल्ली (20 पलंग)।
4. आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कालेज और अस्पताल, करोल बाग, नई दिल्ली आयुर्वेद और यूनानी के लिए 100 पलंग)।

होम्योपैथिक अस्पताल

1. नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल अस्पताल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली (50 पलंग)।

(ख) वहां ऐसा कोई अस्पताल नहीं है।

(ग) इस समय इस क्षेत्र में कोई आयुर्वेदीय अथवा होम्योपैथिक अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लम्बी दूरी की गाड़ियां चलाये जाने के कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होना

674. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की नई गाड़ियां चलाये जाने के कारण लाइन स्टाफ, राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि तथा लेखा एवं कार्मिक विभाग के लिपिक संवर्ग के प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो जोनल मुख्यालयों-मंडलीय एवं वर्कशाप स्तरों पर 1974 में लाइन स्टाफ, लेखा तथा कार्मिक विभाग के लिपिकों तथा राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या की तुलना में आज उनकी संख्या कितनी है और अन्य वर्गों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन जनेवा के लिए प्रतिनिधियों का चयन

675. **श्री के० ए० राजन**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन जनेवा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं;

(ख) श्रम प्रतिनिधिमंडल का चयन किस आधार पर किया गया;

(ग) क्या विभिन्न अखिल भारतीय मजदूर संघ केन्द्रों ने श्रमिक प्रतिनिधियों का चयन करने की पद्धति पर आपत्ति उठाई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान में यह अपेक्षित है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल में चार प्रतिनिधि होंगे, जिसमें सरकार के दो प्रतिनिधि, नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधि और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधि शामिल होगा। प्रत्येक प्रतिनिधि के साथ कार्य सूची में रखे गए प्रत्येक मद के लिए दो से अधिक सलाहकार नहीं होंगे।

2. सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले गैर सरकारी प्रतिनिधियों और सलाहकारों को नियोजकों तथा श्रमिकों, जैसी स्थिति हो, के सब से ज्यादा प्रतिनिधि स्वरूप संगठनों की सहमति से चुनना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा यह मान्य है कि इस मामले पर हमेशा सहमति नहीं हो सकती परन्तु सदभावना से किए गए यथार्थ परामर्श आवश्यक है।

3. गैर-सरकारी प्रतिनिधियों और सलाहकारों की नामजदगी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान और स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय इंसाफ न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार की गई थी। अपने परामर्शी विचार नं० 1 में न्यायालय ने यह बताया कि किसी विशेष देश में यदि कई संगठन हैं, जो श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सरकार को उन सभी को ध्यान में रखना चाहिए और यद्यपि सरकार का उद्देश्य सबसे ज्यादा प्रतिनिधि-स्वरूप संगठनों के साथ सहमति होना चाहिए, जिसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, तो भी सरकार को यह चाहिए कि इस सहमति के लिए उसे भरसक प्रयास करना चाहिए।

4. तदनुसार, श्रमिकों के प्रतिनिधियों और उसके सलाहकारों को नामजद करने से पहले सरकार ने सबसे ज्यादा प्रतिनिधि-स्वरूप केन्द्रीय श्रमिक संगठनों अर्थात् ए० आई० टी० यू० सी०, बी० एस० एस०, सी० आई० टी० यू०, एच० एम० एस० और आई० एन० टी० यू० सी०, के साथ परामर्श किया जो देश में सब से बड़े पांच संगठन हैं। अन्तिम रूप से नामित श्रमिकों का प्रतिनिधि सहमति के साथ चुना गया जिसे इन परिस्थितियों में देश के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा सबसे अच्छा तरीका समझा गया।

5. परामर्श के दौरान प्रथम चार संगठनों में इंटक के प्रतिनिधि की नामजदगी के लिए अपने प्रतिरोध को दोहराया और इसे श्रम मन्त्री पर छोड़ दिया कि वह उनमें से किसी को श्रमिकों का प्रतिनिधि चुनें।

6. इस प्रकार चयन किया गया प्रतिनिधि एच० एम० एस० से था। अन्य चार संगठनों से अनुरोध किया गया कि प्रत्येक प्रतिनिधि के साथ जाने के लिए वे एक-एक सलाहकार

नामजद करें। इसके अतिरिक्त, आई० एन० टी० यू० सी० से कहा गया कि वह एक सलाहकार के अलावा एक और प्रतिनिधि नामजद करें जो 'वैकल्पिक प्रतिनिधि' होगा।

7. ना तो आई० एन० टी० यू० सी० और न ही ए० आई० टी० यू० सी० ने अपने प्रतिनिधि नामजद किए—इंटक ने इस आधार पर नामजद नहीं किया कि प्रतिनिधि को उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए और इंटक ने इस आधार पर नामजद नहीं किया कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों को प्रतिनिधिमंडल का बारी-बारी से चुनाव करना चाहिए और उनकी राय को सरकार माने।

8. भारत सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधि स्वरूप संगठनों को आपस में स्वयं यह समझौता कर लेना चाहिए कि क्रम का क्या आधार होना चाहिए लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का यह सांविधिक दायित्व है कि नामजद किया गया व्यक्ति उन संगठनों की सहमति से चुना गया है जो श्रमिकों के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि स्वरूप संगठन है।

विवरण

सम्मेलन में भाग लेने वाले मंत्री

श्री रवीन्द्र वर्मा,
संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री

सरकारी ग्रुप

प्रनिनिधि

1. श्री सुशील कुमार शिन्दे,
   श्रम और पर्यटन मंत्री
   महाराष्ट्र सरकार,
2. श्री के० एस० रघुपति,
   सचिव, श्रम मंत्रालय

एवजी प्रतिनिधि/सलाहकार

3. श्री सी० आर० धारेखान,
   स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय, जनेवा
4. श्री आर० के० ए० सुब्रह्मण्या,
   अपर सचिव, श्रम मंत्रालय
5. श्री टी० एस० शंकरन,
   अध्यक्ष, राज्य उद्योग विकास निगम, तमिलनाडु
6. श्री वी० पी० साहनी,
   महानिदेशक (श्रम कल्याण) श्रम मंत्रालय

7. श्री सी० आर० नायर,
   उप सचिव, श्रम मन्त्रालय

8. श्री के० एस० सोढी,
   प्रथम सचिव, भारतीय स्थायी मिशन, जनेवा

9. श्री एस० एस० मुकर्जी,
   उप निदेशक, श्रम मंत्रालय

10. श्री बी० शेटी,
    तृतीय सचिव, भारतीय स्थायी मिशन, जनेवा

नियोजक ग्रुप

प्रतिनिधि

1. श्री नवल एच० टाटा,
   अध्यक्ष, भारतीय नियोजक महासंघ

एवजी प्रतिनिधि

2. श्री मूसा रजा,
   प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कपड़ा निगम

सलाहकार

3. डा० एस० के० सोमैया,
   प्रतिनिधि, भारतीय नियोजक परिषद्

4. श्री एन० एम० वकील,
   प्रतिनिधि, भारतीय नियोजक परिषद्

5. श्री सुमन्त जे० पटेल,
   प्रतिनिधि, अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन

श्रमिक ग्रुप

प्रतिनिधि

1. श्री एस० बेंकट राम,
   अध्यक्ष, हिन्द मजदूर सभा

सलाहकार

2. श्री प्रभाकर घाटे,
   प्रतिनिधि, भारतीय मजदूर संघ

3. डा० एम० के० पांडे,
   प्रतिनिधि, सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

राजनयिक उन्मुक्ति

676. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राजनयिक को क्या राजनयिक उन्मुक्तियां प्राप्त हैं;

(ख) क्या राजनयिक उन्मुक्ति में भारत में राजनयिक को दीवानी और/अथवा फौजदारी जवाबदेही से छूट शामिल है;

(ग) क्या सरकार को किसी ऐसे उदाहरण का पता है जिसमें किसी राजनयिक ने राजनयिक उन्मुक्ति का सहारा लेकर इस देश में दीवानी जवाबदेही से बचने की कोशिश की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) राजनयिक संबंधों के बारे में वियना अभिसमय, 1961 के संगत अनुच्छेदों में निहित अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं और परम्पराओं की शर्तों के अनुसार, जिनका भारत भी एक पक्षधर है, भारत में राजनयिकों को आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्राप्त है। उन्हें प्रेषक राज्य की ओर से अधिकारिक हैसियत में उनके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में दीवानी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से भी उन्मुक्ति प्राप्त है। वियना अभिसमय को राजनय सम्बन्ध (वियना अभिसमय) अधिनियम 1972 द्वारा कानून बना दिया गया है। दीवानी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति निजी हैसियत से किए गए कार्यों या उनके सरकारी कार्यों के अलावा उनके द्वारा किए गए व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्यों के मामले में प्राप्त नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी नहीं है जहां ऐसे राजनयिक जिन्हें यह उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है, ऐसे दीवानी दायित्वों से बचने की कोशिश करते हों जबकि यह दायित्व स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया गया हो। जब राजनयिकों के दीवानी दायित्वों से सम्बद्ध मामले इस मन्त्रालय की जानकारी में आते हैं तो स्पष्ट मामलों का समाधान करने और उन मामलों का आपस में समाधान करने, जहां राजनयिकों के दायित्वों या उनकी सीमा के बारे में विचारों में मतभेद हो, के लिए सम्बद्ध मिशनों का सहयोग लिया जाता है। उन मामलों की चर्चा को, जिसमें प्रत्येक मिशन और राजनयिक शामिल हैं या इन मामलों के अनुचित प्रेरित प्रचार को सरकार द्वारा उचित नहीं समझा जाता जो भारत और सभी मैत्रीपूर्ण देशों के बीच सम्बन्धों को सुदृढ़ करने को महत्व देती है।

कोला पेयों में कोला के सत्व का प्रयोग

677. **श्री दलपत सिंह परास्ते**
श्री हरि शंकर महाले } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम/नियम के अन्तर्गत केवल फलों तथा सब्जियों के सत्व का प्रयोग करने की अनुमति है;

(ख) क्या कोला फल है या सब्जी; और

(ग) यदि यह दोनों में से कोई नहीं है तो कोला गिरी सत्व का कोला पेयों में किस विनियमन के अन्तर्गत प्रयोग करने की अनुमति है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य कार्बनीकृत पेयों में फलों और सब्जियों के सत्व का उपयोग करने के बारे में जानना चाहते हैं. यदि ऐसा है तो उत्तर यह है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम के परिशिष्ट ख की मद ए.01.01 के अनुसार कार्बनीकृत पेयों में फलों और सब्जियों के सत्व क अलावा अन्य पदार्थ मिलाने की भी अनुमति है।

(ख) कोला गिरी "कोला एक्यूमिनेट" और "कोला इंटिडा" नामक कोला पेड़ों पर पैदा होती है। अतः यह पेड़ पर लगती है।

(ग) चूंकि कोला गिरी का सत्व मूल पेड़ से निकलता है इसलिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियम के अन्तर्गत एक वैकल्पिक अंश के रूप में कार्बनीकृत पेयों में इसका उपयोग अनुज्ञेय होगा। इसके अलावा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियम के अन्तर्गत फिलहाल "कोला" पेय की परिभाषा नहीं दी गई है। किन्तु इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर रेलवे को हुई हानि

678. **श्री रामनरेश कुशवाहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1978 से मई, 1978 तक पूर्वोत्तर रेलवे को कितनी आय हुई और वर्ष 1979 की उसी अवधि में कितनी हुई;

(ख) आय में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) मार्च, 1979 से मई, 1979 तक पूर्वोत्तर रेलवे की आय में मार्च, 1978 से मई, 1978 तक की अवधि की तुलना में कमी आई है, जैसाकि नीचे लिखे आंकड़ों में दिखाया गया है :—

(करोड़ रुपए)

मार्च, 78 से मई, 78 की आय	मार्च, 79 से मई, 79 की आय	कमी
24.90	23.30	1.60

(ग) माल लदान में कमी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से आयी है :

(1) बहुत से कारखानों द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गन्ने के पेराई के काम को समय से पहले बन्द कर दिया जाना।

(2) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर स्थित गन्तव्य स्टेशनों को संचलन की कठिनाइयों के कारण कम मात्रा में लदान। यह स्थिति मुख्यतः आन्दोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई।

पूर्वोत्तर रेलवे की रेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना

679. **श्री रामनरेश कुशवाहा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे की रेलगाड़ियों के इतना अधिक विलम्ब से चलने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन्हें पता है कि बस की यात्रा रेलगाड़ी की यात्रा से अधिक भरोसेमन्द हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर रेलवे पर बड़े आमान की गाड़ियों का समय-पालन निष्पादन सामान्यतया सन्तोषजनक रहा है। यह प्रतिशत लगभग 95.0 रहा। लेकिन मीटर आमान की गाड़ियों के समय-पालन पर खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि तथा बदमाशों की अन्य गतिविधियों, जनता और कर्मचारियों के आन्दोलन, बिहार क्षेत्र में अनुरक्षण पर प्रभाव डालने वाली बिजली की बार-बार खराबी के साथ-साथ रेल इंजनों की खराबी/हानि, सिगनल व्यवस्था में खराबी तथा अन्य परिचालनिक खराबियों जैसे परिहार्य कारणों का विपरित प्रभाव पड़ा है।

गत छः महीनों के दौरान हुई बड़ी तथा छोटी दुर्घटनायें

680. **श्री राम नरेश कुशवाहा**
श्री राम सागर } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीने के दौरान देश में कितनी बड़ी तथा छोटी रेल दुर्घटनायें हुईं ;

(ख), कितने व्यक्ति मारे गए और क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार को कितनी राशि देनी थी;

(ग) क्या सरकार का विचार दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए तथा भविष्य में दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उपायों का सुझाव देने हुतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने की सम्भावना पर विचार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जनवरी से जून, 1979 तक की अवधि में टक्कर होने, पटरी से उतरने, समपार दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में कुल मिलाकर 44 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 134 व्यक्ति मारे गए।

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत दावेदारों द्वारा क्षतिपूर्ति के आवेदन सामान्यतया दुर्घटना होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर तदर्थ दावा आयुक्त/पदेन दावा आयुक्त को प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो बड़ी और छोटी-मोटी गाड़ी दुर्घटनाओं की वजह से उत्पन्न दावों का निपटारा करते हैं। समुचित कारण बताये जाने पर दावा आयुक्त दुर्घटना होने के एक वर्ष के अन्दर दावेदार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति भी दे सकते हैं। अभिनिर्णय दिये जाने से पूर्व न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही होती है। इस तरह अभी तक इन गाड़ी दुर्घटनाओं में शिकार किसी भी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान अभी नहीं किया गया है। न्यायालयों के अभिनिर्णय के आधार पर रेल प्रशासन द्वारा भुगतान की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन के लिए 1978 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश श्री एस० एम० सीकरी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार रेल दुर्घटना जांच समिति गठित की गई है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

सूरत में कपड़ा मिलों द्वारा श्रमिकों को मजूरी का भुगतान न किया जाना

681. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को सूरत नगर में 4 कपड़ा मिलों के 5,000 श्रमिकों की मजूरी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या कपड़ा मिलों के श्रमिक मजूरी में वही वृद्धि चाहते हैं जिसके बारे में हाल में अहमदाबाद में मजदूर महाजन और मिल मालिक एसोसिएशन के बीच सहमति हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

भारत में कुष्ठ रोग के मामले

682. **श्री चिम्मन भाई एच० शुक्ल**
श्री जी० एम० बनातवाला
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री शंकर सिंह जी बाघेला } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 मई, 1979 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित यह समाचार देखा है जिसमें बताया गया है कि कुष्ठ रोग के एक चौथाई मामले भारत में पाए गए हैं;

(ख) देश में इस समय कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इस रोग का उन्मूलन करने के लिए विशेष कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार देश में कुष्ठ रोगियों की कुल अनुमानित सख्या 32 लाख है।

(ग) अनेक कुष्ठ रोग नियन्त्रण यूनिटें, एस० ई० टी० केन्द्र, शहरी कुष्ठ रोग यूनिटें, कुष्ठ रोग अस्पताल और वार्ड तथा प्रशिक्षण केन्द्र आदि स्थापित करके इस रोग की रोकथाम के लिए रोगियों का पता लगाने और उनका बड़े पैमाने पर नियमित उपचार करने जैसे विशेष उपाय किए गए हैं।

नौकरी ढूंढने वालों के साथ धोखाधड़ी

683. **श्री चिमन भाई एच० शुक्ल**
श्री जी० एम० बनातवाला } : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "अरब की खाड़ी में नौकरी ढूंढने वालों के साथ करोड़ों रुपयों की धोखेबाजी" शीर्षक के मल्टी करोड़ फ्राड विद जाब सीकर्स फार गल्फ' के अन्तर्गत 2 जून, 1979 को ब्लिटज में प्रकाशित होने वाली प्रेस रिपोर्ट देखी है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई गिरफ्तारी की गई है और ऐसी धोखेबाजी को खत्म करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) प्राधिकारियों से प्राप्त समाचारों के अनुसार अल हिबाल नाम की एक फर्म 17-1-78 को लखनऊ में स्थापित की गई थी जिसकी एक शाखा नई दिल्ली में थी। इस फर्म का व्यक्ति कार्य भारतीय राष्ट्रकों के लिए, विशेष रूप से मध्य-पूर्व में, नियोजन प्राप्त करना था। यह फर्म 6-5-1978 को श्रम मंत्रालय में पंजीकृत करायी गई थी। इस फर्म ने शुरू-शुरू में उत्प्रवास के इच्छुक लोगों का पंजीकरण निशुल्क करना शुरू किया था। बाद में इसके लिए वह एक रुपया लेने लगी और फिर उसके बाद वह रकम बढ़ा कर 25 रुपये कर दी गई। यह भी कहा जाता है कि इस फर्म ने उत्प्रवास के इच्छुक व्यक्तियों से यह कह कर धन संग्रह करना भी शुरू कर दिया कि उसे उत्प्रवासी संरक्षक के यहां सुरक्षा-राशि जमा करानी होती है। इन लोगों से पासपोर्ट और वीसा प्राप्त करने के लिए भी धन लिया जाता था लेकिन इस फर्म के द्वारा अभी तक किसी भी भारतीय श्रमिक के लिए कोई रोजगार प्राप्त नहीं किया गया है।

(ग) 27-4-1979 को लखनऊ में पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करायी गई। इस शिका-

यत के आधार पर और इस फर्म से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर पुलिस प्राधिकारियों ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

सरकार ने सम्बद्ध विभागों को सचेत कर दिया है कि वे इस प्रकार की धोखाधड़ी की ओर से सतर्क रहें। ऐसी धोखाधड़ी के खिलाफ राज्य सरकारों को भी सावधान कर दिया गया है और उनसे कहा गया है कि उनके देखने में जहां कहीं ऐसी कोई बात आए वहां वे समुचित कार्यवाही करें।

मच्छर मारने के लिए की गई कार्यवाही

684. **श्री अम्बिका प्रसाद पांडे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मच्छरों ने इस वर्ष दिल्ली में विशेष रूप से पश्चिम दिल्ली में अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है;

(ख) मच्छर मारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या मच्छर नाशक छिड़काव का विशेष अभियान केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित है;

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन कालोनियों में यह विशेष अभियान चलाया गया था; और

(ङ) ऐसी कालोनियों में यह विशेष छिड़काव कितनी बार किया गया था और कितनी-कितनी अवधि के अन्तराल से ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं। मलेरिया का प्रकोप मच्छरों की सघनता से सम्बन्धित है। 1979 के दौरान जून के अन्त तक मलेरिया से 43255 व्यक्ति पीड़ित हुए हैं, जबकि 1978 में इसी अवधि के दौरान 1,66,557 व्यक्ति पीड़ित हुए थे, इस प्रकार इस रोग के प्रकोप में लगभग 74 प्रतिशत कमी होने का पता चलता है।

(घ) दिल्ली में मच्छर पैदा होने की स्थितियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है :—

1. नालियों और नालों की सफाई करने की व्यवस्था कर दी गई है।
2. नालियों और नालों में घास-पात की फिर से निराई कर दी गई है और नालियां बना दी गई हैं ताकि रुका हुआ पानी बहने लगे।
3. लार्वा-रोधी उपाय के रूप में सप्ताह में एम० ए० ओ०, नेटेक्स आदि जैस लार्वा-रोधी दवाइयों का छिड़काव करना।
4. पुनर्वास कालोनियों सहित देहाती और गन्दी बस्तियों में बी० एच० सी० की छिड़काव करना।

(ग) और (घ) मलेरिया के अधिक प्रकोप वाले क्षेत्रों अर्थात, शाहदरा, दक्षिणी दिल्ली सिविल लाइन्स और पश्चिमी जोन में यू० एल० वी० मशीन से फॉगिंग का एक, विशेष अभियान शुरू किया गया है।

(ङ) विशेष यू० एस० वी० फागिंग 15 मार्च, 1979 से आरम्भ की गई थी और मलेरिया के मौसम के दौरान प्रत्येक पखवाड़े इसका छिड़काव किया जाता है।

रेल डिब्बा मरम्मत वर्कशाप

685. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी**
श्री डी० अमात } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तिरुपति में रेल डिब्बा मरम्मत वर्कशाप की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत तथा वर्कशाप की क्षमता क्या है और क्या इसकी स्थापना विदेशी सहयोग से होगी; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में रेणीगुंटा के समीप तिरुपति में रेलों के सवारी डिब्बों की मरम्मत का एक नया कारखाना स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा इस कारखाने की स्थापना के लिए अनुमानों सहित एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भविष्य में इसके विस्तार की गुंजाइश सहित दैनिक 8 यूनिट सवारी डिब्बों के आवधिक ओवरहाल के लिए इस कारखाने की योजना बनायी जा रही है। परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने के पश्चात ही वास्तविक लागत का पता चलेगा। लेकिन इस पर लागत लगभग 10 करोड़ रुपये आएगी। इस कारखाने की स्थापना के लिए किसी प्रकार का विदेशी सहयोग नहीं लिया गया है।

सोवियत स्वास्थ्य पद्धति का अध्ययन

686. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी**
श्री जी० एम० बनातवाला } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत स्वास्थ्य पद्धति का अध्ययन करने के लिए भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल सोवियत संघ भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(ग) इसके कब तक जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) से (ग) मार्च, 1979 में सोवियत संघ के प्रधान मन्त्री श्री ए० एन० कोसीगिन के भारत के दौरे के समय भारत सरकार और सोवियत सरकार के बीच आयुर्विज्ञान और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी करार पर हुए हस्ताक्षर के अनुसरण में सोवियत स्वास्थ्य मन्त्री ने सहयोग के क्षेत्र के ब्यौरे और कार्य योजना के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री को सोवियत संघ आने का निमन्त्रण दिया है। यह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया गया है। प्रतिनिधि

मंडल के गठन और रूप में इसके दौरे की तारीखों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

कोयले की ढुलाई के लिए वैगन

687. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी**
श्री डी० अमात } : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पर्याप्त परिवहन की कमी तथा वैगनों के अभाव के कारण 138 लाख टन कोयला पड़ा रहने से सम्बन्धित हिन्दुस्तान टाइम्स में 6 जून, 1979 को छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के बारे में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) कुछ मात्रा में कोयला गर्तमुखों पर हमेशा रहता ही है जहां से वह रेल शीर्षों पर रेलवे माल-डिब्बों में लदान के लिए लाया जाता है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में कोयला-खानों अर्थात पूर्व रेलवे द्वारा सेवित खानों की माल-डिब्बों की जरूरतों को पूरा करने में कमी रही है। फिर भी, 138 लाख टन कोयले का जमाव सर्वथा माल-डिब्बों की कमी के कारण नहीं हुआ है। विशेषतया इसमें वह मात्रा भी है जो रेल शीर्षों से दूर गर्तमुखों पर पड़ी हुई है।

रेलवे में अ-निकसित माल

688. **श्री अरविन्द बाला पजनौर** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में अ-निकसित सामान की समस्या प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली समस्या से काफी अधिक गम्भीर है;

(ख) क्या इस प्रकार के अ-निकसित सामान के जमाव का सम्बन्ध व्यापारियों द्वारा बाद में अच्छी कीमतों को प्राप्त किए जाने के लिए माल को छुपाने के लिए सस्ते गोदामों को प्राप्त करने के असामाजिक कृत्यों के साथ माना जा सकता है; और

(ग) यह समस्या किस हद तक गम्भीर है और इस बुराई को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विशाखापत्तनम न्यास टेण्डर

689. **श्री अरविन्द बाला पजनौर**
श्री रुडोल्फ रोड्रिग्स } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माजगांव डाकयार्ड से एक काम के लिए विशाखापत्तनम न्यास के टेंडर को स्वीकार करने और हिन्डोक इंजीनियरिंग कम्पनी के सस्ते टेंडर से नामंजूर करने सम्बन्धी कथित विवाद के बारे में पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे मामलों में स्पष्ट रूप से क्या नीति निर्धारित है जिससे कि ऐसे विवाद पैदा न हों ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट ने एक ट्रिवन स्क्रयू डीजल कर्षनाव की खरीद के लिए मार्च, 1978 में टेंडर मांगे। टेंडर 14-7-78 को खोले गये। छः कम्पनियों ने टेंडर भेजे। सभी सम्बन्धित बातों पर विचार करने के पश्चात् पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड ने मैसर्स मजगांव डाक लिमिटेड को ठेका देने का फैसला किया और तदनुसार केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया।

मैसर्स हिन्डौक इंजीनियरिंग कम्पनी ने कई अपने टेंडर को नामंजूर किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए, उन्होंने कहा कि उनकी पेशकश सबसे कम थी और उनके पास आवश्यक जानकारी के साधन थे और उनके पास कर्षनाव को बचाने की क्षमता उपलब्ध थी।

कम्पनी की कर्षनाव को निर्माण करने और उसकी सुपुर्दगी करने की क्षमता की जानकारी नौवहन महानिदेशक बम्बई के माध्यम से प्राप्त की गई। नौवहन महानिदेशक के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत जल परिवहन विभाग, कलकत्ता के मुख्य अधिकारी ने अप्रैल, 1979 में निरीक्षण के बाद सूचित किया कि विख्यात विदेशी सप्लायर और सहयोग कर्ताओं से प्रस्तावित डिजाईन, ड्राइंग और संघटकों की पूर्ति और तकनीकी देखरेख के कारण से उस समय की स्थिति के अनुसार कम्पनी 20 मास के भीतर अपेक्षित कर्षनाव का निर्माण और सप्लाई कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ठेका कम्पनी को दिया जाता है तो कम्पनी से स्टेज अदायगियों के विरुद्ध गारन्टी प्राप्त करना ठीक होगा क्योंकि कम्पनी के पास 1.68 करोड़ रुपए के मूल्य के कार्य करने की योग्यता की कोई मिसाल नहीं है। मामले पर दौबारा विचार करने के पश्चात विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड ने उक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है कि सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ठेका मैसर्स हिन्डौक इंजीनियरिंग कम्पनी को दिया जाए।

परन्तु मन्त्रालय में पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड की सिफारिश को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है।

(ख) नीति के अनुसार कम्पनी को, निम्नतम दरों पर और दोनों तकनीकी और निश्चित समय पर सुपुर्दगी कार्य पूरा करने की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, ठेका दिया जाता है।

खानों में काम करने वाली महिला श्रमिकों को लाभ

690. **डा० विजय मंडल** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चुनी हुई खानों में बहुत सारी महिला श्रमिक पांच वर्ष का सेवा काल पूरा करने के बाद भी अस्थायी हैं;

(ख) क्या उनको बालगृह, प्रसूति, शौचालय तथा अन्य कल्याणार्थ लाभ नहीं मिल रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने तथा यह सुनिश्चित करने का है कि महिलाओं को खानों में सभी लाभ उपलब्ध हों ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) खानों में महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं के सम्बन्ध में श्रम ब्यूरो द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि कोयला और मैंगनीज खानों के अतिरिक्त खानों में कार्य कर रही बहुत सारी महिलाएं एक से पांच वर्ष तक कार्य काल पूरा करने के बाद भी अस्थायी हैं।

(ख) अस्थाई और स्थाई दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए कल्याण सुविधाएं अर्थात् बाल-गृह, प्रसूति लाभ, शौचालयों, आदि की व्यवस्था सम्बद्ध अधिनियम, अर्थात् खान अधिनियम, 1952 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार करना अपेक्षित है।

(ग) प्रवर्तन एजेंसियों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नियोजक इन सुविधाओं की पर्याप्त रूप से व्यवस्था करें।

उगांडा में भारतीयों की समस्यायें

691. **डा० विजय मंडल** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उगांडा में रह रहे भारतीयों की समस्याओं पर विचार करने के लिए उस देश की नई सरकार से सतत सम्पर्क बनाए हुए हैं; और

(ख) क्या सम्बन्धित विषय पर उस सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) कम्पाला स्थित हमारा हाई कमिश्नर भारतीय नागरिकों की प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में उगांडा की सरकार से नियमित सम्पर्क रखता है। उगांडा की सरकार ने हमारे हाई कमिश्नर को यह आश्वासन दिया है कि ऐसी किसी भी समस्या पर वह सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में रथ समिति की सिफारिशें

692. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री पी० के० कोडियन } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सम्बन्ध में रथ समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन सिफारिशों पर आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) कुछ राज्य सरकारों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी रथ समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणियां प्राप्त होनी हैं। उनसे अपनी टिप्पणियां शीघ्रता से भेजने के लिए नियमित रूप से कहा जा रहा है।

(ख) जैसे ही टिप्पणियां प्राप्त हो जाएंगी, इस मामले में आगे कार्यवाही की जाएगी।

हवाना शिखर सम्मेलन

693. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तटस्थ राष्ट्रों के हवाना में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने का अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई शर्त रखी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) से (ग) अगस्त, 1976 में गुट निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के कोलम्बो शिखर सम्मेलन में जो यह निर्णय लिया गया था कि गुट निरपेक्ष देशों का आगामी शिखर सम्मेलन 1979 में हवाना में हो, उसका भारत भी एक पक्षधर था। इसलिए इस शिखर सम्मेलन में उसका प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन साथ ही भारत सरकार ने अपनी यह धारणा अभिव्यक्त कर दी है कि विभाजक मसलों को नहीं उठाया जाना चाहिए ताकि इस शिखर सम्मेलन के बाद यह आन्दोलन और सुदृढ़ तथा और सुसंगठित होकर उभर सके।

विदेशों में प्रचार

694. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में ऐसे कितने भारतीय मिशन हैं जिनमें प्रचार करने की विशिष्ट व्यवस्था है; और

(ख) किन-किन देशों में इस कार्य के लिए क्या-क्या पद इस समय हैं और ऐसे पदों के लिए क्या वेतन है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) विदेशों में हमारे 32 ऐसे मिशन एवं केन्द्र हैं जहां पूर्णकालिक सूचना अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त 28 मिशन एवं केन्द्र ऐसे हैं जहां अधिकारी अपने काम के अतिरिक्त संक्रिय प्रचार का कार्य भी करते हैं। उन मिशनों एवं केन्द्रों की सूचियां संलग्न हैं जिनमें सूचना कार्य करने वाले अधिकारियों के पदनाम भी दिए गए हैं। अधिकांश मिशनों में, विशेषकर अपेक्षाकृत छोटे मिशनों में, जहां सूचना खंड नहीं है, मिशन प्रमुख स्वयं ही सूचना एवं प्रचार कार्य देखता है।

किसी अधिकारी की कुल परिलब्धियां कितनी होती हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस देश में है, उसका दर्जा, वरीयता क्या है तथा उस देश विशेष में रहन-सहन का स्तर क्या है।

विवरण

(क) उन मिशनों की सूची जहां पूर्णकालिक सूचना अधिकारी हैं।

क्रम सं०	स्थान और देश का नाम	पद
1.	ढाका (बंगला देश)	परामर्शदाता एवं द्वितीय सचिव
2.	काठमांडू (नेपाल)	सांस्कृतिक अताशे

1	2	3
3.	रंगून (बर्मा)	परामर्शदाता
4.	इस्लामाबाद पाकिस्तान)	प्रथम संचिव
5.	काबुल (अफगानिस्तान)	प्रथम सचिव द्वितीय सचिव (स्थानीय पद)
6.	बेल्ग्राड (यूगोस्लाविया)	प्रथम सचिव
7.	मास्को (सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ)	जन-सम्पर्क अधिकारी (प्रथम सचिव)
8.	अंकारा (टर्की)	द्वितीय सचिव
9.	बोन्न (जर्मन संघीय गणराज्य)	परामर्शदाता एवं द्वितीय सचिव
10.	हम्बर्ग (जर्मन संघीय गणराज्य)	उप कोंसल
11.	लंदन (यूनाइटेड किंगडम)	परामर्शदाता एवं सम्पादक
12.	पेरिस (फ्रांस)	परामर्शदाता
13.	जकार्ता (इडोनेशिया)	प्रथम सचिव, तृतीय सचिव
14.	कुवालालाम्पुर (मलेशिया)	प्रथम सचिव
15.	सिंगापुर	प्रथम सचिव
16.	बगदाद (इराक)	प्रथम सचिव
17.	बेरुत (लबनान)	प्रथम सचिव
18.	काहिरा (मिस्र अरब गणराज्य)	प्रथम सचिव
19.	अक्रा (घाना)	तृतीय सचिव
20.	दारेस्सलाम (तंजानिया)	द्वितीय सचिव
21.	वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमरीका)	परामर्शदाता एवं प्रथम सचिव
22.	भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमरीका)	प्रथम सचिव
23.	भारत का प्रधान कंसलावास, न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमरीका)	कोंसल
24.	सान फ्रांसिस्को (संयुक्त राज्य अमरीका)	कोंसल
25.	ओटावा (कनाड़ा)	परामर्शदाता
26.	बुअ्रानोस आइरेस (अर्जन्टीना)	द्वितीय सचिव
27.	कुवैत	प्रथम सचिव
28.	जेद्दा (सऊदी अरब)	प्रथम सचिव
29.	श्रीलंका	प्रथम सचिव
30.	तेहरान	प्रथम सचिव
31.	वानकुवर	प्रथम सचिव
32.	नैरोवी	तृतीय सचिव

(ख) उन मिशनों की सूची जहां सक्रिय प्रचार कार्य अधिकारियों द्वारा अंशकालिक आधार पर किया जाता है।

1.	ब्रसल्स (बेल्जियम)	परामर्शदाता द्वितीय सचिव
2.	दमिश्क (सीरिया)	प्रथम सचिव
3.	टोकियो (जापान)	प्रथम सचिव तृतीय सचिव
4.	मेक्सिको	द्वितीय सचिव
5	रोम (इटली)	प्रथम सचिव अताशे
6.	हांगकांग	द्वितीय सचिव
7.	मनीला (फिलीपीन्स)	अताशे
8.	अदीस अबाबा (इथोपिया)	प्रथम सचिव
9.	वियना (आस्ट्रिया)	प्रथम सचिव
10.	लुसाका (जाम्बिया)	द्वितीय सचिव
11.	बैंकाक (थाईलैंड)	परामर्शदाता
12.	बर्न (स्विटजरलैंड)	प्रथम सचिव
13.	लागोस (नाइजीरिया)	अताशे
14.	ओमान (जोर्डन)	द्वितीय सचिव
15.	स्टाकहोम (स्वीडन)	परामर्शदाता
16.	वारसा (पोलैंड)	प्रथम सचिव
17.	ट्यूनिस (ट्यूनिसिया)	द्वितीय सचिव
18.	रबात (मोरक्को)	द्वितीय सचिव
19.	थिम्पू (भूटान)	द्वितीय सचिव
20.	डकार (सेनेगल)	द्वितीय सचिव
21.	सियोल (कोरिया गणराज्य)	प्रथम सचिव
22.	ब्रासिलिया (ब्राजील)	तृतीय सचिव
23.	बुखारेस्ट (रूमानिया)	द्वितीय सचिव
24.	लीमा (पेरू)	द्वितीय सचिव
25.	हनोई (वियतनाम)	तृतीय सचिव
26.	उलान बटोर (मंगोलिया)	अताशे
27.	सान्तियागो (चिली)	प्रथम सचिव
28.	पीकिंग (चीन)	द्वितीय सचिव

महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसाय अधिनियम, 1961 में अनुसूचियों के प्रावधान हटाना

695. **डा० बापू कालदाते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को यह सलाह दी है कि वह महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसाय अधिनियम, 1961 में से अनुसूचियों सम्बन्धी प्रावधान हटा दे;

(ख) क्या सरकार ने सुझाव दिया है कि वह इन अनुसूचियों के स्थान पर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की अनुसूची जोड़ दे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रेल कोच एवं वैगन कारखाना

696. **डा० बापू कालदाते** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागपुर में दूसरा रेल कोच एवं वैगन कारखाने के लगाये जाने का प्रस्ताव छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) नागपुर में सवारी और माल-डिब्बों का एक नया कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था । लेकिन, रेल सवारी डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, एक नया रेलवे सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1979-80 में किया जा रहा है जिसमें क्षमता, लागत, स्थान निर्धारण से सम्बन्धित सिफारिशें भी होंगी ।

तिनसुकिया मेल और असम मेल में प्रत्येक में अलग-अलग सवारी डिब्बे

697. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मनीपुर से यात्रियों के लिए दीमापुर तक तथा वहां से तिनसुकिया मेल और आसाम मेल, प्रत्येक में अलग-अलग सवारी डिब्बा लगाये जाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को पता है वर्तमान व्यवस्था मनीपुर के यात्रियों की आवश्यकता से कम है और अलग यात्री डिब्बे को लगाये जाने के लिए वहां से लगातार मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस असुविधा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस पर अध्ययन करके स्थिति में सुधार लाने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। दीमापुर में तिनसुकिया मेल और असम मेल में डिब्बे जोड़ना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि दीमापुर स्टेशन पर शंटिंग की कोई सुविधा नहीं है ।

(ख) चूंकि दीमापुर में शंटिंग की सुविधाएं नहीं है, अत; दीमापुर स्टेशन से चढ़ने वाले यात्रियों के लिये 4 डाउन असम मेल में मरियानी स्टेशन पर एक प्रथम श्रेणी का कोच तथा एक द्वितीय श्रेणी का आंशिक रूप से तीनटियर शयन यान लगा दिये जाते हैं। इन डिब्बों में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी की शयन बर्थों/सीटों का पर्याप्त कोटा दिया जाता है । दीमापुर से न्यू बोंगाईगांव तक 8 डाउन तिनसुकिया मेल में तथा न्यू बोंगाईगांव से बड़ी लाइन के तिनसुकिया मेल में प्रथम श्रेणी में तथा द्वितीय श्रेणी की शयन बर्थों का भी कोटा दिया जाता है। असम मेल तथा तिनसुकिया मेल में उपलब्ध वर्तमान स्थानों के भीतर रहते हुए वर्तमान व्यवस्था दीमापुर आने जाने वाले यात्रियों को यथासम्भव अधिकतम सुविधाएं प्रदान करती हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिलचर-जिरीबम रेल मार्ग

698. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिलचर से जिरीबम (मणीपुर) तक नये रेल मार्ग के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि परियोजना की धीमी प्रगति से उस क्षेत्र के लोगों में घोर असन्तोष तथा चिन्ता उत्पन्न हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सिलचर-जिरीबम रेल सम्पर्क का निर्माण एक अनुमोदित कार्य है तथा इस कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70·00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । इस रेल सम्पर्क के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है तथा कार्य प्रगति पर है । सर्वेक्षण के पूरा हो जाने तथा परियोजना अनुमान को स्वीकृति मिल जाने पर निर्माण का कार्य शुरू किया जायेगा ।

पर्वतीय पूर्वोत्तर राज्यों में परिवहन सुविधाएं

699. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेहतर अन्तर्राज्यीय परिवहन सुविधाओं के लिए विशेष रूप से मोटर परिवहन के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार पर्वतीय पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर और नागालैंड के लिए विशेष प्रबन्धों पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सम्बन्धित राज्यों के समन्वय से पर्वतीय

क्षेत्रों को हो रही व्यापक कठिनाइयों का सम्यक अध्ययन करने का है;

(ङ) क्या राज्यों के परिवहन मंत्रियों की किसी बैठक में यह मामला विचार-विमर्श के लिए उठा था; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (च) पूर्वीक्षेत्र में माल के निर्बाध और सुगम आवागमन के लिए अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ने परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के बिना और एक स्थान पर कर भुगतान के आधार पर ट्रकों के लिए पूर्वी जोन परमिट स्कीम बनाई है। योजना के अन्तर्गत जिन गाड़ियों के लिए परमिट जारी किया जा सकता है उनको संख्या अभी हाल बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और असम के प्रत्येक राज्य के लिए बढ़ाकर 300 तथा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम के प्रत्येक राज्य के लिए 200 कर दी गई है।

2. भोमोरोगुरी में ब्रह्मपुत्र पर एक पुल के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए छठी योजना में 7.00 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, अर्थात सड़कों के लिए 5000 लाख रुपए और ब्रह्मपुत्र नदी पर भोमोरोगुरी में एक पुल के निर्माण के लिए 2500 लाख रुपए उत्तर पूर्वी कौंसिल प्लान के अन्तर्गत परिवहन और संचार सैक्टर के लिए 1979-80 में 1500 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं अर्थात ब्रह्मपुत्र पर भोमोरोगुरी पर पुल के निर्माण के लिए 500 लाख रुपए और सड़कों और पुलों के लिए 1000 लाख रुपए।

3. 12 जून, 1978 को असम के परिवहन मंत्री और अरुणाचल प्रदेश के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी जिसमें असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सवारी बसें चलाने की सहमति हुई थी। चूंकि, अरुणाचल प्रदेश के लिए मुख्य सप्लाई लिंक असम के साथ है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने असम के साथ परिवहन परस्पर करार करने का प्रस्ताव किया है।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा में से मणीपुरी डाक्टरों का स्थानांतरण

700. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह प्रस्तावित मणिपुर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संवर्ग से मणिपुरी डाक्टरों का स्थानांतरण कर दे;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मणिपुर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के गठन को तेज करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि वर्तमान व्यवस्था से मणिपुर में काम कर रहे डाक्टरों को भारी असुविधा हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह नहीं उठता।

(ग) और (घ) मणिपुर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग का गठन करने के लिए स्वयं मणिपुर सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने हैं। वैसे, स्वास्थ्य मंत्रालय मणिपुर सरकार को अपने स्वास्थ्य संवर्ग का शीघ्र गठन करने के लिए सलाह देता रहा है ताकि मणिपुर में काम करने वाले केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के प्रत्यावर्तन अथवा उन्हें खपाने सम्बन्धी मसले को शीघ्र निबटाया जा सके और उनकी कठिनाइयां दूर की जा सकें।

तीन वर्ष से एक ही स्टेशन पर नियुक्त क्लर्क

701. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में ऐसे गुड्स क्लर्कों, आरक्षण क्लर्कों और स्टेशन क्लर्कों की संख्या कितनी है जो गत तीन वर्षों से एक ही स्टेशन पर अथवा आस-पास के स्टेशन पर नियुक्त हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए जनता से सीधा सम्पर्क रखने वाले कर्मचारियों, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के साथ सम्पर्क रखने वाले कर्मचारियों को थोड़े-थोड़े अन्तराल के बाद स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे सभी कर्मचारियों को शीघ्र ही स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) पहले रेलों पर आवधिक स्थानान्तरण की एक योजना चालू थी जिसके अनुसार जन-साधारण के सम्पर्क में आने वाले रेल कर्मचारी जैसे माल बाबू, स्टेशन मास्टर, वाणिज्यिक क्लर्क आदि जब एक ही स्टेशन पर 5 वर्ष से अधिक सेवा कर लेते थे तो उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता था। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप इस योजना को 1972 में समाप्त कर दिया गया था। तथापि, रेलों को ऐसे आदेश हैं कि यदि किसी कर्मचारी की ईमानदारी के बारे में कोई विपरीत बात नोटिस में आये तो उस कर्मचारी की किसी छोटे और गैर-महत्वपूर्ण स्टेशन पर किसी असंवेदनीय सीट या पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाये। ऐसे आदेश भी मौजूद हैं कि सहायक स्टेशन मास्टरों, वाणिज्यिक कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के चयनात्मक आधार पर आवधिक स्थानान्तरण किये जायें जो रेल प्रशासन को प्राप्त होने वाली शिकायतों और उन कर्मचारियों की सामान्य ख्याति पर आधारित हों। इस प्रकार कदाचारी कर्मचारियों से निपटने के लिए पर्याप्त आदेश पहले से ही मौजूद हैं।

2. चूंकि आवधिक स्थानान्तरण योजना समाप्त की जा चुकी है, अतः भारतीय रेलों के अनेक स्टेशनों/कार्यालयों में ऐसे कर्मचारी होंगे जो उसी स्टेशन या उसके निकटवर्ती स्टेशन पर 3 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हों। प्रश्न के भाग (क) में मांगी गयी सूचना सभी क्षेत्रीय रेलों के सभी स्टेशनों/खंडों से सूचना एकत्र करना बड़ा श्रम साध्य काम है जिससे तदनुरूप लाभ होने की सम्भावना नहीं है।

पूर्वोत्तर रेल के ईज्जत नगर मंडल के सहायक स्टेशन मास्टर

702. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेल के ईज्जत नगर मंडल के सहायक स्टेशन मास्टरों (चयन श्रेणी) को 20 से 25 वर्षों की सेवा के बाद भी स्थायी घोषित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसी कौन सी अड़चनें हैं जिन्हें 20 वर्षों के दौरान भी नहीं सुलझाया जा सका है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार पूर्वोत्तर रेल के स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों (चयन वर्ग) की नियुक्ति तथा वरिष्ठता तिथियों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेगी; और

(घ) क्या उनके स्थाई किये जाने के कार्य को दूसरे सत्र तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जबरन नसबंदी के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाना

703. **श्री वसंत साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आपातस्थिति की अवधि के दौरान की गई जबरन नसबन्दी के कारण होने वाली मौतों के लिए मुआवजा देने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो घोषित मुआवजे की दर के बारे में ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार कुल कितने मामलों की रिपोर्ट की गई है और अब तक कितना मुआवजा दिया गया है;

(ग) आपात स्थिति की बाद की अवधि के बारे में उसी प्रकार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आपात स्थिति की बाद की अवधि के दौरान, राज्यवार परिवार नियोजन संतति नियंत्रण कार्यक्रम का क्या परिणाम रहा है तथा इसके मुख्य सूचक क्या हैं और आपात स्थिति की अवधि के दौरान की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) भारत सरकार की नीति ऐसे व्यक्तियों को नकद मुआवजा देने की नहीं हैं जो यह दावा करें कि उनकी नसबन्दी जबरन की गई थी । वैसे जो व्यक्ति नसबन्दी के बाद हुई जटिलताओं के फलस्वरूप मर जाते हैं उनके आश्रितों को अनुग्रहपूर्वक धन देने की भारत सरकार की एक योजना है ।

(ख) तथा (ग) इस योजना की मुख्य विशेषतायें एक नोट में दी गई हैं जो अनुबन्ध-एक पर है । मामलों की संख्या तथा राज्य उन्हें कितना-कितना धन उपलब्ध करा सके थे, इसकी सूचना अनुबन्ध दो और तीन के विवरण में दी गई है ।

(घ) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध चार के विवरण में दी गई है ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी० 4607/79]

कुतुब एक्सप्रेस में पुराने सवारी डिब्बों को बदला जाना

704. **श्री शरद यादव** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुतुब एक्सप्रेस में सवारी डिब्बे बहुत पुराने हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पुराने सवारी डिब्बों को नये डिब्बों द्वारा कब बदला जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सम्बन्धित डिब्बों में से कोई भी गतायु नहीं है।

माल की ढुलाई के लिए वैगन

705. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों से मालगोदामों तक अनाज पहुँचाने के लिए चालू वर्ष में कितने वेगनों की मांग की गई और जनवरी, 1979 से जून, 1979 तक कितने वैगन इस कार्य के लिए इस्तेमाल किए गए थे;

(ख) क्या यह सच है कि वैगनों की कमी के कारण मानसून आरम्भ होने से पहले अनाज की ढुलाई सम्भव नहीं है; और

(ग) अनाज की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में वैगनों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली-वाराणसी लाइन पर अधिक सवारी डिब्बे जोड़ना

706 **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष गर्मी के मौसम में रेल गाड़ियों में स्थान उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों ने वाराणसी, अकबरपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, लखनऊ, हरदोई होकर जाने वाली रेलगाड़ियों अर्थात् लखनऊ मालगाड़ी दिल्ली-विश्वनाथ एक्सप्रेस, दून-एक्सप्रेस, दिल्ली-वाराणसी एक्सप्रेस और अन्य गाड़ियों की छतों पर बैठकर सफर किया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन रेलगाड़ियों में शीघ्र अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार 30 डाउन, 29 अप लखनऊ मेल को जौनपुर अथवा वाराणसी तक बढ़ाने का है जिससे यात्रियों को कुछ सुविधा मिल सके; और

(घ) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए जौनपुर, अकबरपुर, फैजाबाद, लखनऊ-दिल्ली होकर एक नई रेलगाड़ी चलाने के लिए

तुरन्त कार्यवाही करने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां, गर्मी के दिनों में वाराणसी-लखनऊ खण्ड पर चलने वाली गाड़ियों में अधिक भीड़-भाड़ थी। यथा सम्भव अधिकतम स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 157/158 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे का एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा लगाया गया था और 9/10 देहरादून एक्सप्रेस में वाराणसी और लखनऊ के बीच दूसरे दर्जे का एक डिब्बा और बढ़ा दिया गया था। 83/84 और 113/114 दिल्ली-वाराणसी एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे दर्जे का एक शयन यान लगाकर सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गयी थी। चूंकि सभी गाड़ियां अधिकतम अनुमत भार के साथ चल रही हैं इसलिए सवारी डिब्बों की संख्या बढाना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) जौनपुर तक आने जाने के लिए 29/30 लखनऊ मेल को बढ़ाना या जौनपुर-अकबरपुर-फैजाबाद-लखनऊ के रास्ते दिल्ली तक के लिए एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टी से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि मार्गवर्ती खंडों में लाइन क्षमता पर अत्यधिक दबाव है तथा दिल्ली क्षेत्र और जौनपुर में पर्यन्त सुविधाओं की कमी है।

स्टेशनों पर प्लेटफार्म निर्माण सम्बन्धी मापदंड

707. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार करने का है जहां अब तक बिजली नहीं लगी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 में कितने रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार ने प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए और रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने के लिए कोई मापदंड निर्धारित किया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) इस प्रकार का कार्यक्रम केवल तभी तैयार किया जा सकता है जब राज्य सरकारें/बिजली बोर्ड अपनी लाइनें बढ़ा दें और सभी रेलवे स्टेशनों के पड़ौस में बिजली पहुँचा दें। फिलहाल, रेल मन्त्रालय ने उन सभी स्टेशनों पर बिजली लगाने का निर्णय किया है जो वर्तमान एल० टी० पावर सप्लाई लाइनों से एक किलोमीटर के अन्दर-अन्दर स्थित हैं। इस निर्णय के अधीन लगभग एक वर्ष के दौरान 494 स्टेशनों पर बिजली लग जाने की सम्भावना है।

(ग) उन सभी स्टेशनों पर जहां गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था है, अनिवार्यतः प्लेट-फार्मों की व्यवस्था की जाती है रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने के बारे में मापदंड निर्धारित किये हुए हैं।

यूनानी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान

708. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यूनानी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय संस्थान की

स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां इनकी स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) यूनानी पद्धति की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद का विचार मद्रास और पटना में यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनुसंधान कार्य के लिए क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना करने का है।

राजमार्ग प्रशिक्षण संस्थान

709. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राजमार्ग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह किस प्रकार का प्रशिक्षण देगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सहयोग से राजमार्ग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर अमल तभी हो सकता है जब राज्य सरकारें इसके लिए सहमत हों और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) इस समय, क्वालिटी में सुधार लाने के लिए समुचित अध्ययन करने, सड़क परियोजनाओं का निर्माण करने और अपेक्षित क्वालिटी कट्रोल के अधीन कार्रवाई करने की काफी जरूरत है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों के राजमार्ग इंजीनियरों को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण देने के लिए मिल-जुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। वास्तव में, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उक्त प्रस्ताव किया गया है।

(ग) यह संस्थान 'प्रवेशकालीन' और 'सेवाकालीन' प्रशिक्षण देगा। 'प्रवेश कालीन' प्रशिक्षण के अन्तर्गत राजमार्ग इंजीनियरी और प्रशासनिक पद्धतियों के सभी पहलू आ जाते हैं और इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को यह भी बताया जाएगा कि राजमार्ग परियोजना की आयोजना एवं उनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित सरकारी विभागों की मूल भूमिका क्या है। 'सेवाकालीन' प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में हुई नवीनतम प्रगति से अवगत कराना है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समेकित करना

710. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान योजनाओं यथा भविष्य निधि, परिवार पेंशन योजना तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना को समेकित करके एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न का व्यापक अध्ययन करने का प्रस्ताव है जिसमें इस समय उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का समाकलन भी शामिल है ।

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को भेजी गई चिकित्सा गाड़ियां

711. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में भारत को कुछ चिकित्सा गाड़ियां (मेडिकल वैन्स) भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इन गाड़ियों को राज्यों में बांटने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सहायता के अन्तर्गत भारत को मोबाइल क्लिनिकें भेजना स्वीकार कर लिया है ।

(ख) और (ग) ब्रिटिश सरकार से 318 मोबाइल क्लिनिकें प्राप्त की जानी हैं । सरकार द्वारा 1977-78 में शुरू किये गये चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम के रिओरियेंटेशन के अन्तर्गत देश के प्रत्येक 106 मेडिकल कालेजों को तीन-तीन मोबाइल क्लिनिकें दी जायेंगी । प्रत्येक कालेज के साथ तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्बद्ध होंगे ।

गम्भीर रेल दुर्घटनाएं और उनका ब्यौरा

712. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
पंडित द्वारिका नाथ तिवारी } : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान भारत में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं और वर्ष 1979-80 के प्रथम तीन महीनों में कितनी हुई;

(ख) गम्भीर रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी गम्भीर दुर्घटनाओं की जांच की गई हैं; और

(घ) जांच समिति के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रेलवे में वर्ष 1978-79 के दौरान रेलों के टकराने, उनके पटरियों से उतरने, रेल फाटकों पर हुई दुर्घटनायें तथा रेलों में आगजनी आदि की कुल 931 घटनायें हुई । अप्रैल से जून, 1979 के बीच 239 रेल दुर्घटनायें हुईं जबकि गत वर्षों के इसी समय के दौरान 258 दुर्घटनायें हुईं, जोकि निश्चय ही एक सन्तोषजनक बात है ।

(ख) से (ग) रेल दुर्घटनाओं के कारण किसी भी यात्री को आई चोटों या किसी की मृत्यु होने की सभी प्रकार की घटनाओं की जांच करवाना रेलवे सुरक्षा आयुक्तों के लिए अनिवार्य

है। अप्रैल, 1978 से जून, 1979 के बीच उन्होंने 40 रेल दुर्घटनाओं की जांच की, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

रेलों की टक्करों की दुर्घटनायें	16
पटरी से उतरने की दुर्घटनायें	15
रेल फाटकों पर हुई दुर्घटनायें	4
रेलों में आगजनी	3
प्रकीर्ण	2
	40

रेल सुरक्षा आयोग के निष्कर्ष/अन्तरिम निष्कर्ष भी 39 मामलों में प्राप्त हो गये हैं। उनका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :—

रेल कर्मचारियों की असावधानी के कारण	21
गैर—रेल कर्मचारियों की असावधानी के कारण	5
उपकरणों की असफलता के कारण	5
तोड़-फोड़ के कारण	4
दुर्घटनाओं के कारण	1
जिनके कारणों का पता नहीं चल सका	1
जिनके कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका	2

रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का स्वरूप व्यापक है। मोटे रूप से वह इस प्रकार है :—

(एक) कर्मचारियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना।

(दो) कर्मचारियों द्वारा नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विशेष नियन्त्रण।

(तीन) सम्बद्ध कर्मचारियों को समय पर चिकित्सा उपलब्ध करवाना तथा उनके प्रशिक्षण के कार्य को बढ़ाना।

(चार) रोलिंग स्टाक के रख-रखाव में सुधार करना।

(पांच) फाटकों के आर-पार गतिरोधकों की व्यवस्था करना तथा मोटर गहन नियमों को लागू करना।

मद्रास पत्तन पर नौका बेसिन को नया रूप दिया जाना

713. **श्री सी० वेणु गोपाल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पत्तनों में भीड़-भाड़ आदि की समस्या पर काबू पाने के

लिए मद्रास पत्तन पर एक शुष्क गोदी का निर्माण करने और मद्रास में नौका बेसिन को नया रूप देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का विवरण, लागत और इसे पूरा करने की समय सीमा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) मद्रास पत्तन पर एक ड्राई डाक का निर्माण करने और बोट बेसिन को फिर से बनाने के सुझाव वर्ष 1978-83 की योजना में पत्तन के सामान्य विकास कार्यक्रम के रूप में शामिल हैं।

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

ड्राई डाक : इसका उद्देश्य पत्तन के अपने जलयानों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त सुविधाएं देना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 745 लाख रुपये है और शुरू होने के बाद तीन वर्षों में इसके पूरी होने का अनुमान है।

बोट बेसिन : इसका उद्देश्य पत्तन के जलयानों के लिए उचित शेल्टर की व्यवस्था करना है। इसके प्रस्ताव में साइड-वाल्स और पुरानी वर्क शापस् और यार्डों को फिर से बनाने का काम शामिल है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 372 लाख रुपए है और शुरू होने के बाद दो वर्षों में इसके पूरी होने का अनुमान है।

वर्ष 1978-79 के दौरान दर्ज किए गए परिवार नियोजन के मामले

715. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत परिवार नियोजन के कितने मामले दर्ज किये गये; (एक) स्वेच्छा से कराई गई नसबन्दी के मामले; (दो) लूप लगवाने के मामले; और (तीन) परम्परागत गर्भ-निरोधक उपायों से किए गए ऐसे मामले;

(ख) वर्ष 1978-79 में जन्म-दर में वास्तव में कितनी कमी हुई है; और

(ग) वर्ष 1979-80 के लिए जन्म-दर में कितने प्रतिशत कमी करने की योजना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) 1978-79 में ये परिवार नियोजन के प्रत्येक तरीके को जितने लोग अपना रहे थे, उनकी कुल संख्या इस प्रकार है :—

परिवार नियोजन के तरीके	1978-79
1) स्वेच्छिक नसबन्दी आपरेशन	1,447,346
2) लूप निवेशन	537,644
3) प्रचलित गर्भ निरोधक) (समीकृत उपयोगकर्ता)	3,270,109

ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) जन्म-दर के आंकड़ों का अनुमान भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा अपनी नमूना-पंजीयन पद्धति के आधार पर लगाया जाता है। बिहार को छोड़कर उनके पास नवीनतम अनुमान 1977 के वर्ष का ही है जो 32.9 प्रति हजार जनसंख्या है। 1978-79 का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। वैसे, परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के सम्बन्ध में पीछे जो कार्य हुआ है, उसके आधार पर अनुमान है कि 1978-79 में जन्म-दर लगभग 32.96 प्रति हजार जनसंख्या हो गई होगी।

(ग) किसी भी वर्ष की जन्म-दर मुख्यतया उससे पिछले वर्षों में किए गए परिवार नियोजन कार्य पर निर्भर करती है। 1979-80 के दौरान जन्म-दर में गिरावट आने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि 1977-78 और 1978-79 के बीच परिवार नियोजन के तरीकों का काम, विशेषतया नसबन्दी आपरेशनों के काम का स्तर, काफी कम रहा था। वैसे, यदि 1979-80 के लिए निर्धारित किए गए परिवार नियोजन के तरीकों के लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो 1980-81 के दौरान जन्म-दर घटकर 32.3 हो सकती है।

काश्मीर

716. **श्री जी० एस० तोहरा** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काश्मीर के प्रश्न पर चीन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन दोहराये जाने से सम्बन्धित हाल ही की प्रेस रिपोर्ट देखी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) सरकार को इस आशय की खबरों की जानकारी है कि चीन ने काश्मीर के बारे में अपने ज्ञात रवैये को दुहराया है लेकिन इस्लामाबाद स्थित विदेश कार्यालय के एक प्रवक्ता ने यह भी संकेत दिया है कि कश्मीर के मसले का समाधान खोजने के लिए चीन बातचीत करने की नीति के पक्ष में है।

(ग) चीन ने जम्मू और कश्मीर के बारे में पहले भी अपना रवैया व्यक्त किया है। चीनियों को उच्चतम स्तर पर यह बता दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है। फरवरी, 1979 में विदेश मन्त्री की चीन यात्रा के दौरान भी उन्हें यह जता दिया गया था।

विदेशों में श्रम-रोजगार की प्रक्रिया

717. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री जनार्दन पुजारी } : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण परियोजनाओं के लिए विदेशों में श्रम रोजगार से सम्बन्धित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च, 1979 के एक निर्णय में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर नियोजन के लिए विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों के उत्प्रवास सम्बन्धी आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जाएगी। उत्प्रवास के लिए आवेदन पत्रों पर इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। विदेशों में नियोजन के लिए भारतीय श्रमिक जिनमें निर्माण परियोजनाओं के श्रमिक भी शामिल हैं, को उत्प्रवास सम्बन्धी अनुमति देने के लिए इस समय जो कार्यविधि अपनायी जाती है, उसे काफी हद तक सरल बना दिया गया है और अब इसके लिए केवल न्यूनतम औपचारिकतायें पूरी करनी होती हैं जो कि विदेशों में भारतीय श्रमिकों के निर्वाह और सेवा कार्य सम्बन्धी शर्तों की सुरक्षा के लिए तथा विदेशी नियोक्ताओं द्वारा शोषण से उनका बचाव करने के लिए आवश्यक समझी जाती हैं।

दिल्ली परिवहन निगम का दिल्ली प्रशासन को सौंपा जाना

718. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम को दिल्ली प्रशासन को सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चाँद राम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम का प्रबन्ध, दिल्ली नगर निगम को वापस हस्तान्तरण करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने 27-7-77 को हुई अपनी विशेष बैठक में, जो स्थगन की जा चुकी थी, एक संकल्प पास किया। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद के साथ 5-4-78 को विचार विमर्श किया गया। तब सिद्धान्त रूप से यह सहमति हुई थी कि दिल्ली परिवहन निगम का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया जाए क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम न केवल नगर निगम की सीमाओं में ही बस सेवा परिचालन करता है बल्कि नई दिल्ली नगर पालिका और कैन्टोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में और अन्तर्राज्यीय मार्गों पर भी बस सेवा का परिचालन कर रहा है। इस प्रकार यह दिल्ली के सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य परिवहन उपक्रम के रूप में कार्य कर रहे हैं और अन्य राज्यों में राज्य परिवहन उपक्रम संबंधित राज्य सरकारों के नियन्त्रण में परिचालन कर रहे हैं। हस्तांतरण की विधि और इससे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर इस समय विचार किया जा रहा है।

आदिलाबाद और गुघस के बीच रेलवे लाईन

719. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे विभाग में (1) आदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश) से (गुघस चन्द्रापिन, महाराष्ट्र) के बीच 40 कि० मी० लम्बी एक नई रेलवे लाइन

बिछाने का (2) आदिलाबाद और परभनी के बीच (100 कि० मी० लम्बी) छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का अनुरोध किया है;

(ख) उस सरकार द्वारा इन दो प्रस्तावों के समर्थन में क्या कारण दिए गए हैं;

(ग) इन परियोजनाओं पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि 60 मेगावाट के वर्तमान क्षमता वाले पार्लि थरमल पावर स्टेशन का विस्तार 210 मेगावाट के दो सेट लगाकर किया जा रहा है और 210 मेगावट के तीन सेट लगाकर नासिक थर्मस पावर स्टेशन का विस्तार भी 900 मेगावाट की क्षमता वाले पावर स्टेशन के रूप में किया जा रहा है। राज्य सरकार इन दो पावर स्टेशनों को कोयले की सप्लाई के लिए सिंगरेनी कोयला क्षेत्र की बजाय वार्धा चन्दा कोयला क्षेत्रों के साथ सम्बद्ध करना चाहेगी।

(ग) परभनी-मुडखेड-आदिलाबाद मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन खण्ड में बदलने और इसे घूगस तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण कार्य भी महाराष्ट्र सरकार के खर्च पर किया गया है। इस बड़ी लाइन के सम्पर्क पर 41.7 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था (29.99 करोड़ रुपया परभनी-मुखेड-आदिलाबाद मीटर खण्ड को बड़ी लाईन में परिवर्तन करने और 11.72 करोड़ रुपया आदिलाबाद और घूगस के बीच बड़ी लाइन से सम्पर्क स्थापित करने के लिए)।

(घ) कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि यह निश्चित करने के लिए कि रेलों को कितने यातायात का परिवहन करना होगा यह जरूरी है कि वर्धा घाटी में कोयला भण्डार का प्रमाण मिल जाये तथा इस क्षेत्र को कोयले के लिए थर्मल पावर स्टेशन के साथ निश्चित रूप से सम्बद्ध कर दिया जाये।

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी

720. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के बम्बई और कलकत्ता कार्यालयों में वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79 और 1 अप्रैल, 1979 से 30 जून, 1979 की अवधि के दौरान तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए;

(ख) इन नियुक्तियों के तदर्थ आधार पर किये जाने से कितना खर्च आया, और यदि इन कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिया जाता तो कितना खर्च आता; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने अधिकारियों की सीधी भर्ती की गई और उस पर कितना खर्च आया ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया के वेतन-रजिस्टरों के अनुसार इसके बम्बई और कलकत्ता स्थित कार्यालयों में तदर्थ आधार पर काम करने वाले श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों की संख्या 125 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	श्रेणी-3 कर्मचारी	श्रेणी-4 कर्मचारी
1975-76	शून्य	शून्य
1976-77	26	शून्य
1977-78	37	55
1978-79	2	4
1-4-79/30-6-79	—	1
	65	60

कुल जोड़=125

(ख) इन 125 कर्मचारियों को एक महीने के लिए देय वेतन की रकम निम्न प्रकार है :—

तदर्थ आधार पर	यदि नियमित वेतनमान दिए जाएं
55,800 रुपये	1,14,071 रु०

(ग)

वर्ष	वर्ष के दौरान सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों की संख्या	वित्तीय भार
1975-76	65	80,480 रु०
1976-77	36	7,38,899 रु०
1977-78	6	12,62,374 रु०
1978-79	14	14,06,289 रु०
1-4-79/30-6-79	6	3,82,589 रु०

गत छः महीनों के दौरान हड़ताल और तालाबन्दी

721. **श्री के० लकप्पा** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में श्रमिकों द्वारा हड़ताल और प्रबन्धकों द्वारा तालाबन्दी के मामले में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार देश भर में श्रमिक अशांति को किस प्रकार समाप्त करने का है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या विशेष उपाय किये गए हैं/किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) निम्नलिखित अनतिम आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले छः महीनों के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों में वृद्धि नहीं हुई है :

	अक्तूबर, 78 मार्च, 79	अक्तूबर, 77 मार्च, 78
(1) हड़तालें		
सरकारी क्षेत्र	479	348
निजी क्षेत्र	814	1031
कुल	1293	1379
(2) तालाबन्दियां		
सरकारी क्षेत्र	4	11
निजी क्षेत्र	188	268
कुल	192	279

(ग) और (घ) सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। केन्द्र और राज्यों दोनों में औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र अनौपचारिक मध्यस्थता और संराधन के माध्यम से काम-बन्दी को कम करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त अनिर्णीत विवादों को वर्तमान कानूनों और पद्धतियों के अधीन मध्यस्थता (जहां कहीं पक्षकार इस पर सहमत होते हैं) या न्याय निर्णयन के लिए भेजा जाता है ।

गुजरात को कोयले की सप्लाई

722. **श्री प्रसन्न भाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष गुजरात राज्य में कोयला ले जाने के लिए वैगनों के आवंटन द्वारा सप्लाई किये जा रहे कोयले की कुल अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में जून तक कोयले की ढुलाई के लिए राज्य को कितने वैगन आबंटन किए गए हैं;

(ग) क्या कोयले की ढुलाई के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त संख्या में वैगन सप्लाई नहीं किए गए थे जिससे राज्य में कोयले की कमी हो गई और इसके परिणामस्वरूप विद्युत संयंत्रों तथा औद्योगिक एककों में संकट पैदा हो गया; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने वैगन दिए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) गुजरात के लिए स्वीकृत कार्यक्रम कुल मिलाकर लगभग 3,06,490 माल डिब्बे प्रतिवर्ष । कोयले की लगभग, 10,000 माल डिब्बों की दैनिक उपलब्धता की तुलना में अखिल भारतीय आधार पर स्वीकृत कार्यक्रम लगभग 14,000 माल डिब्बे प्रतिदिन बैठता है।

(ख) फुटकर संचलित माल-डिब्बों के अतिरिक्त 1978-79 में आवंटित माल-डिब्बों की संख्या 2,14,375 रही थी । अप्रैल से जून, 1979 तक की अवधि के दौरान आवंटित माल डिब्बों की संख्या 59,778 थी ।

(ग) वेस्टर्न कोल फील्डस (जो गुजरात को कोयला सप्लाई करती है) द्वारा नियन्त्रित कोयला खानों की माल डिब्बों की आवश्यकताओं को रेलें सम्पूर्ण रूप में पूरा कर रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर उपलब्धता से मांग लगभग अधिक होने के कारण, सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा करना सदैव सम्भव नहीं हो पाता है ।

(घ) कोयला खानों की माल डिब्बा अपेक्षाओं को पूर्ण रूप में पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगी ।

गाँवों में स्वास्थ्य कर्मचारी

723. **पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में स्वास्थ्य कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य, संस्थान, कलकत्ता, भारतीय प्रबन्धक संस्थान, अहमदाबाद, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, बम्बई, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली तथा गांधीग्राम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, गांधीग्राम, तमिलनाडु द्वारा इस योजना का पारस्परिक मूल्यांकन किया गया । डेमोग्राफिक अनुसंधान केन्द्रों और आर्थिक विकास संस्थान विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा भी इस योजना का मूल्यांकन किया गया है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा जो अध्ययन किया गया था, उसके अन्तर्गत 142 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आते हैं, जो देश के कोने-कोने में स्थित है। इन एजेंसियों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उनके अनुसार लोगों ने इस योजना का स्वागत किया । इन रिपोर्टों के आधार पर 2-10-78 से इस योजना का 1056 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विस्तार किया गया है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा इस योजना का पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है और आशा है कि उनकी रिपोर्ट सितम्बर, 1979 तक मिल जायेगी।

चित्तुर रेलवे स्टेशन

724. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चित्तूर रेलवे स्टेशन को नया रूप देने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) चित्तूर रेलवे स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन का काम पहले ही प्रारम्भ हो चुका है। आशा है यह कार्य 1980 के मध्य तक पूरा हो जायेगा।

बैरिटिस उद्योग

725. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कड्डप्पा जिले में बैरिटिस उद्योग को निर्यात के लिए पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे नहीं मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। जनवरी से जून, 1979 के दौरान कोडरु और कडप स्टेशनों से बेराइट्स के 2,074 मालडिब्बों का लदान किया गया जिनमें निर्यात के लिए 1124 मालडिब्बे भी शामिल हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े बन्दरगाहों पर संचालन कार्यक्षमता में सुधार के लिए किए गए उपाय

726. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और काण्डला जैसे बड़े बन्दरगाहों पर, पिछले मार्च-अप्रैल में अनुभव की गई भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए, संचालन कार्यक्षमता में सुधार के लिए सरकार ने क्या प्रभावशाली उपाय किए हैं;

(ख) पिछले मार्च-अप्रैल की भीड़-भाड़ की स्थिति की तुलना में उक्त बड़े बन्दरगाहों में से प्रत्येक पर स्थान के लिए वर्तमान औसत प्रतीक्षा की अवधि और जहाजों की वापसी की औसत अवधि क्या है;

(ग) जहाजों को छोड़े जाने में होने वाले विलम्ब के लिए जाने वाले प्रशुल्क अधिभार में बन्दरगाहों की स्थिति सुधर जाने के कारण किस सीमा तक कमी हुई है; और

(घ) मानसून के महीने में बन्दरगाहों पर होने वाली भीड़-भाड़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) बड़े-बड़े पत्तनों पर संचालन कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए जो उपाय किए गए हैं वे निम्नलिखित हैं :—

(1) सम्बन्धित मशीनों की तुरन्त मरम्मत और देखभाल की जाती है ।

(2) माल से शेड़ो के खाली करने के लिए विशेष कदम उठाये जा रहे हैं जिससे वर्थों पर जहाजों को जल्दी-जल्दी लाकर माल उतारा जा सके ।

(3) जहाजी कम्पनियों और आयातकर्त्ताओं को किराये पर प्राइवेट मोबाइल मशीने जैसे क्रेन आदि लाने की छूट दी जाती है ।

(4) जहाज सम्बन्धी दिक्कतों को दूर करने के लिए अधिकारी तत्काल घटना-स्थल पर आते हैं ।

(5) सम्बन्धित जहाजी कम्पनियों के साथ प्राय: बैठकें की जाती हैं जिससे माल लाने ले-जाने के लिए जहाजों को बर्थ पर आने में पर्याप्त सुविधा दी जा सके और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो ।

(6) समुद्र में ही जहाजों पर से बजरों में सामान उतारने की व्यवस्था ।

(7) इस बात की बार-बार घोषणा की जाती है कि अगर दो महीने की अवधि में माल की डिलीवरी न ली गई और माल न हटाया गया तो माल को बेच दिया जाएगा ।

(8) डेमरेज की दर में वृद्धि जिससे आयातकर्त्ता अपने-अपने माल को पत्तनों के शेड़ो से जल्दी से जल्दी हटालें ।

(9) फार्क लिफ्ट्स मोबाइल क्रेन, वेइंग ब्रिज आदि मशीनों को और अधिक संख्या में मंगाया और

(10) जिन पत्तनों पर जहाजों का जमाव हो जाय उन पत्तनों से माल को दूसरे पत्तनों की ओर मोड़ देना ।

(ख)

पत्तन	इन्तजार करने की औसत अवधि (दिन)				माल उतार कर जहाजों को वापस जाने में औसत अवधि (दिन)			
	मार्च	अप्रैल	मई	जून	मार्च	अप्रैल	मई	जून
बम्बई	6·94	5·90	5·08	—	14·26	11·93	9·40	—
कलकत्ता	14·3	7·7	7·5	8·6	31	27	28	28
मद्रास	—	3·2	4·4	4·7	—	5·5	5·6	5·3

1	2	3	4
(ग) जहाज (कम्पनी-वर्ग)	पत्तन	अनुचित रूप से माल के पड़े रहने पर लगने वाले अधिभार में कटौती व वह तारीख जब से यह कटौती लागू हुई।	
		से	तक
1. करमहोम कांफ्रेंस	बम्बई	50 प्रतिशत 12-2-79 से	45 प्र श० 1-6-79 से
		(आयात और निर्यात दोनों)	
		45 प्रतिशत 1-6-79 से	30 प्रतिशत 14-6-79 से (निर्यात)
			35 प्रतिशत 14-6-79 से (आयात)
2. इंडिया पाकिस्तान बांगला देश मिडिल ईस्ट कांफ्रेंस (केवल निर्यात)	बम्बई	35 प्रतिशत 16-3-79 से	30 प्रतिशत 6-6-79 से
3. मद्रास एंड पांडिचेरी कंटीनेंटल कांफ्रेंस	मद्रास	25 प्रतिशत 8-1-79 से	15 प्रतिशत 14-4-79 से
मद्रास होमवर्ड फ्रेट कांफ्रेंस निर्यात और आयात		15 प्रतिशत 4-4-79 से	10 प्रतिशत 19-4-79 से
		10 प्रतिशत 19-4-79 से	5 प्रतिशत 14-6-79 से
4. इंडिया पाकिस्तान बांगला देश मिडिल ईस्ट कांफ्रेंस (केवल निर्यात)	मद्रास	20 प्रतिशत 27-12-78	10 प्रतिशत 22-3-79 से
		10 प्रतिशत 22-3-79 से	4-4-79 से वापिस
5. जापान/इंडिया पाकिस्तान/गल्फ जापान कांफ्रेंस (केवल आयात)	मद्रास	15 प्रतिशत 20-3-79 से	10 प्रतिशत 6-4-79 से
		10 प्रतिशत 6-4-79 से	5 प्रतिशत 25-4-79 से
6. पेसिफिक/इंडिया/ पाकिस्तान बांगलादेश बर्मा एंड श्रीलंका एग्रीमेंट (केवल आयात)	कलकत्ता	15 प्रतिशत 2-5-79 से (इसमें 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की वृद्धि 2-6-79 से की गई)	20 प्रतिशत 20-5-79 से

जहां तक कांडला पत्तन का सम्बन्ध है, किसी भी जहाजी कम्पनी-वर्ग ने अभी तक माल के अनुचित रूप से एक स्थान पर रुक जाने के कारण कोई अधिभार नहीं लगाया है।

(घ) माल को नुकसान होने से बचाने के लिए तब पानी बरसता है तब माल को उतारना-रखना या तो धीरे-धीरे किया जाता है या उसे बन्द कर रखा जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए मानसून के दिनों में माल को उतार जल्दी बर्थ खाली करने में जहाजों को देर लगती है और वे बर्थों आदि पर अधिक समय तक अनिवार्य रूप से रुके रहते हैं और ऐसी परिस्थिति में कोई विशेष कार्रवाई करना संभव नहीं होता है।

सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली को सरकारी अधिकार में लिया जाना

727. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :

(क) क्या सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली के हरिजन कर्मचारियों ने अस्पताल को सरकारी अधिकार में लेने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) सर गंगाराम अस्पताल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने मुख्य कार्यकारी पार्षद को 13-4-1979 को एक पत्र लिखा था जिसमें दिल्ली प्रशासन से इस अस्पताल को अपने अधिकार में लेने के लिए आग्रह किया गया था।

(ख) दिल्ली प्रशासन की इस अस्पताल को अपने अधिकार में लेने की कोई योजना नहीं है।

भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि तथा उनकी आय

728. **श्री जर्नादन पुजारी**
श्री अमर राय प्रधान
श्री जी० एस० तौहरा } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन श्रमिकों की संख्या मे भारी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इस समय उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनकी दैनिक आय भी घट गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) देश में 1964-65 के दौरान ग्रामीण श्रमिक परिवारों में भूमिहीन व्यक्तियों की अनुमानित संख्या लगभग 460 लाख थी जो 1974-75 के दौरान बढ़कर 600 लाख हो गई।

(ख) और (ग) 1964-65 से 1974-75 की अवधि के दौरान कृषि और गैर-कृषि कार्यों में लगे ग्रामीण श्रमिक परिवारों की आय मुद्रा के सम्बन्ध में अधिक हो गई परन्तु वास्तविक मजदूरी इस कारण कम हो गई क्योंकि वर्ष 1973-74 के दौरान कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 283 से बढ़कर वर्ष 1974-75 (1960-61 = 100) में 308 हो गया।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का विकास

729. **श्री राजजी लाल सुमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किया गया है; और

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में किये गये प्रावधान की तुलना में यह कितना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) योजना आयोग द्वारा प्रकाशित किये गये ड्राफ्ट प्लान दस्तावेज में अंकित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथियों के लिए 1978-79 से 1982-83 की योजना अवधि के लिए प्रस्तावित परिव्यय लगभग 60 करोड़ रुपये है। वैसे, राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया राज्यों को स्थानान्तरित करने के बारे में जो निर्णय लिये गये हैं उनके परिणाम-स्वरूप इस परिव्यय के घट जाने की सम्भावना है।

(ख) पांचवीं पचवर्षीय योजना के दौरान (1973-74 से 1977-78 तक) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के लिए परिव्यय की राशि 25.07 करोड़ रुपये थी।

सन्तरागाछी में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय खोलना

730. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्री महोदय को सन्तरागाछी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के क्वार्टरों के कम्पलैक्स के भीतर एक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय खोलने के बारे में सन्तरागाछी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांग के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) 1979-80 के दौरान सन्तरागाछी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक औषधालय खोलने का विचार है। यह औषधालय सन्तरागाछी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के क्वार्टरों के कम्पलैक्स में रह रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

कलकत्ता में चौथा राष्ट्रीय कैन्सर अनुसन्धान केन्द्र एवं अस्पताल

731. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता स्थित चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र को चौथा राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र एवं अस्पताल बनाने के विषय में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कैंसर के अनुसंधान और उपचार के लिए तीन केन्द्रों का क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में विकास करने की परिकल्पना की गई थी। चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता इन तीन केन्द्रों में से एक है और इसको क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में पहले ही मान्यता प्राप्त है।

(ख) ओर (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

हल्दिया पोत प्रागंण के बारे में परामर्शदात्री फर्मों की रिपोर्टों की प्रतियां

732. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया में एक बड़े पोत-प्रागंण की स्थापना के बारे में परामर्शदात्री फर्मों द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों की प्रतियां अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं भेजी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

एलैक्जेन्ड्रा-एन के सेवा मुक्त नाविकों को उनकी देय राशि की अदायगी न होना

733. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अप्रैल, 1979 से बम्बई पत्तन पर रोके गये जहाज एलैक्जेन्ड्रा-एन के सेवामुक्त नाविकों को उनकी देय राशि की अदायगी न किये जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) फारवर्ड सीमेन यूनियन आफ इंडिया से 23-5-79 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जो मैसर्स नीलहाट शिपिंग कम्पनी के जहाज अलैक्जेन्ड्रा-एन के बारे में था। शिपिंग मास्टर बम्बई से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भोजन की सप्लाई न किये जाने के कारण ढाई दिनों के लिए प्रति-दिन 20 रुपये की दर से कर्मीदल को नकद प्रतिपूर्ति की गई, क्योंकि भंडारी जो कर्मीदल के लिए खाना बनाता था, 24-4-79 को इलाज के लिए तट पर भेज दिया गया था। शिपिंग मास्टर

बम्बई ने कर्मीदल के 6 सदस्यों को बम्बई में जहाज पर हिंसात्मक हो जाने पर अनुशासनिक कार्रवाही करते हुए डिस्चार्ज कर दिया। बम्बई में जिस कर्मीदल ने वेतन पर समझौता करने से इनकार किया था, वे शिपिंग मास्टर बम्बई के उन आदेशों को रद्द करने के लिए शिपिंग मास्टर कलकत्ता पर दबाव डाल रहे हैं जिनमें जुरमाने की वापसी और समयपूर्व डिस्चार्ज कम्पेनसेशन के भुगतान की मांग की गई थी। चूंकि मांग गैर-कानूनी थी, और अपने क्षेत्राधिकार से बाहर थी इसलिए उसे शिपिंग मास्टर कलकत्ता ने अस्वीकार कर दिया।

कम्प्यूटर से आरक्षण

734. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में कम्प्यूटर से आरक्षण व्यवस्था आरम्भ की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटर से आरक्षण किये जाने के फलस्वरूप कितने पदों के समाप्त होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) यात्री सीट/शायिका के आरक्षण का संगणकीकरण, पहले से ही एक कार्यक्रम के आधार पर आरम्भ किया गया है। इस काम के लिए संगणकों की व्यवस्था करने से सम्बद्ध पहलू का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) जब कभी संगणकीकरण आरम्भ किया जायेगा, वर्तमान कर्मचारियों की किसी प्रकार की छंटनी नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके हितों की सुरक्षा हो।

ट्रैवल एजेंसियां

735. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ट्रैवल एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें प्रत्येक रेलवे में रेलवे से आरक्षण की सुविधाएं प्राप्त हैं; और

(ख) प्रत्येक रेलवे में उन्हे आरक्षण का कितना-कितना कोटा अलाट किया गया है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) रेल टिकटों की बिक्री के लिए रेलों द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंसियों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। किसी भी दर्जे में रेल स्थान का आरक्षण करने के लिए मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंसियों को अलग कोटा नहीं दिये गये हैं। लेकिन, मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंट आरक्षण खुलने के बाद टेलीफोन पर आरक्षण कार्यालय से आरक्षित स्थान सुरक्षित करवा सकते हैं। इन आरक्षणों को आरक्षण कार्यालय में उपयुक्त मांग-पत्र पेश करके कन्फर्म करवाना आवश्यक है।

विवरण

रेलों द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक एजेंसियों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

मध्य रेलवे

1. मैसर्स एशियाटिक ट्रैवल सर्विस, बम्बई।
2. ,, बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लि०, बम्बई।
3. ,, ट्रेड विंग्स लि०, बम्बई।

4. ,, एयरप्रेट (पी) लि०, बम्बई ।
5. ,, काक्स एण्ड किंग्स (एजेंट्स) लि०, बम्बई ।
6. ,, हिन्द मुसाफिर एजेंसी (पी) लि०, बम्बई ।
7. ,, ओरियन्ट एक्सप्रेस कं० (पी) लि०, बम्बई ।
8. ,, ट्रैवल कारपोरेशन इंडिया (पी) लि०, बम्बई ।
9. ,, वैनसिमल बसारमल एण्ड ब्रदर्स, बम्बई ।
10. ,, अम्बेसडर ट्रैवल्स (पी) लि०, बम्बई ।

पश्चिम रेलवे

1. मैसर्स एयरप्रेट प्रा० लि०, बम्बई ।
2. ,, एशियाटिक ट्रैवल सर्विस, बम्बई ।
3. ,, ट्रेड विंग्स, बम्बई ।
4. ,, वेनसिमल बसारमल एण्ड ब्रदर्स, बम्बई ।
5. ,, ट्रेड कारपोरेशन इंडिया (पी) लि०, बम्बई ।
6. ,, हिन्द मुसाफिर एजेंसी (पी) लि०, बम्बई ।
7. ,, काक्स एण्ड किंग्स (एजेंट्स) लि०, बम्बई ।
8. ,, थामस कुक, बम्बई ।
9. ,, ओरियन्ट एक्सप्रेस कं० (पी) लि०, बम्बई ।
10. ,, बालमेर लारी एण्ड कं०, लि०, बम्बई ।

दक्षिण रेलवे

1. मैसर्स भारत ट्रैवल सर्विस (पी) लि०, मद्रास ।
2. ,, राममोहन एण्ड कं०, मद्रास ।
3. ,, ट्रेड विंग्स लि०, मद्रास ।
4. ,, थामस कुक ओवरसीज लि०, मद्रास ।
5. ,, ट्रैवल कारपोरेशन इंडिया प्रा० लि०, मद्रास ।
6. ,, मर्करी ट्रैवल इंडिया लि०, मद्रास ।

उत्तर रेलवे

1. मैसर्स मर्करी ट्रेवल्स (इंडिया) लि०, नई दिल्ली ।
2. ,, काक्स एन्ड किंग्स (एजेंट) लि०, नई दिल्ली ।
3. ,, ओरियेंट एक्सप्रेस कं० (प्र०) लि०, नई दिल्ली ।
4. ,, ट्रेवल्स कारपोरेशन (इंडिया) प्रा० लि०, नई दिल्ली ।
5. ,, सीता वर्ल्ड ट्रेवल्स (इंडिया) प्रा० लि०, नई दिल्ली ।
6. ,, ऐवरेस्ट ट्रेवल्स सर्विस, नई दिल्ली ।
7. ,, मैकिन्स ट्रेवल्स सर्विस, नई दिल्ली ।
8. ,, इंड ट्रेवल्स, नई दिल्ली ।

9. मैसर्स एम्बेसडर ट्रेवल्स प्रा० लि०, नई दिल्ली।
10. ,, इंडिया एयर ट्रेवल्स, नई दिल्ली।
11. ,, अमरीकन एक्सप्रेस, नई दिल्ली।
12. ,, ट्रेड विंग्स लि०, नई दिल्ली।
13. ,, चौधरी इंटरनेशनल प्रा० लि०, नई दिल्ली।
14. ,,इंडियन ट्रेवल्स प्रा० लि०, नई दिल्ली।

पूर्व रेलवे

1. मैसर्स वामर लारी एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता।
2. ,, ट्रेवल कारपोरेशन आफ इंडिया, कलकत्ता।
3. ,, पैनर्ज कम्पनी, कलकत्ता।
4. ,, बंसीमल वासरमल, कलकत्ता।
5. ,, इंडियन एयर ट्रेवल, कलकत्ता।

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस, कलकत्ता।
2. ,, इंडियन एयर ट्रेवल, कलकत्ता।
3. ,, बाम्रलारी एण्ड कं०, लि०, कलकत्ता।
4. ,, बंसीमल बासरमल एण्ड ब्रदर्स, कलकत्ता।
5. ,, ट्रेवल कारपोरेशन (इंडिया), कलकत्ता।
6. ,, पैनर्स कम्पनी, कलकत्ता।

दक्षिण मध्य रेलवे

1. मैसर्स ट्रेड विंग्स लि०, हैदराबाद।

जहाज कर्मचारियों को सुविधायें तथा लाभ देने के बारे में अभ्यावेदन

736. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फारवर्ड सीमेंस यूनियन आफ इंडिया, कलकत्ता की ओर से दिनांक 26 मई, 1979 का एक अभवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जहाज-कर्मचारियों के साथ घटिया स्तर का अमानवीय व्यवहार रोकने तथा उन्हें उचित सुविधायें तथा लाभ देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) 26-5-79 को फारवर्ड सीमेन यूनियन आफ इंडिया से प्राप्त अभ्यावेदन का सम्बन्ध सिंधिया के जलधरती जहाज से था।

(2) अभ्यावेदन पर शिपिंग मास्टर, कलकत्ता द्वारा पूछताछ की गई और उसकी रिपोर्ट के अनुसार दोष लगाए गये, कर्मीदल के साथ कोई भी अमानुषिक और घटिया प्रकार का व्यवहार किया नहीं पाया गया जहाज के मालिक ने रसद की कम और घटिया किस्म की सप्लाई तथा कार्य की अन्य मदों के बारे में झगड़ा तय कर लिया था। बम्बई में समझौते की शर्तों की समाप्ति के पश्चात क्षतिपूर्ति की अदायगी के सम्बन्ध में लोगबुक में इंदराज कर दिए गये हैं। कई बार कई कारणों से अर्थात् विशेष पत्तन पर जहाज के पहुँचने की अनिश्चितता के कारण रसद की विशेष मदों की सप्लाई की कठिनाई उठ खड़ी होती है। कर्मीदल सदस्यों ने हैंचिंग की सप्लाई इत्यादि के लिये क्षतिपूर्ति की नई मांगें गठाई है और पोत स्वामी जहाजों के विलम्ब से बचने के लिए खुले दिल से क्षतिपूर्ति का भुगतान करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

दक्षिण मध्य रेलवे में जलपान स्टालों के ठेके

737. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण-मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में जलपान स्टालों के लिए छोटे बड़े कितने ठेके दिये गये हैं;

(ख) क्या जलपान तथा अन्य प्रकार के स्टालों के 10 प्रतिशत ठेके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिये गये हैं; जैसा कि नियमों में व्यवस्था है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे के प्रत्येक मंडल में जलपान स्टालों के लिये दिये गये छोटे और बड़े ठेकों की संख्या नीचे बतायी गयी है :—

मंडल	ठेकों की संख्या	
	छोटे	बड़े
सिकन्दराबाद	4	कोई नहीं
हैदराबाद	16	2
गुन्तकल	कोई नहीं	कोई नहीं
विजयवाड़ा	10	2
हुबली	12	कोई नहीं

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को खानपान/वेंडिंग के ठेके देने के लिए कोई प्रतिशत निश्चित नहीं किया गया है। संशोधित नीति के अनुसार आधी

यूनिट तक के खानपान/वेंडिंग के सभी छोटे ठेके केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को दिये जाते हैं। बड़े ठेके देने में उन्हें सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते कि वे अन्य शर्तें पूरी करते हों।

रेलवे ड्राइवरों के वेतनमान

738. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ड्राइवरों का वेतनमान और अन्य सुविधाएं गार्डों के बराबर होने के कारण ड्राइवरों में व्याप्त असंतोष और निराशा को दूर करने के लिए क्या तत्काल कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार ड्राइवरों को कुछ विशेष सुविधाएं दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या ड्राइवरों को इस समय दी जा रही वर्दी के कारण भी उनमें गहरा असंतोष और निराशा व्याप्त है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) ड्राइवरों और गार्डों के संशोधित वेतनमानों और अनुमेय रनिंग भत्ते के सम्बन्ध में नीचे दी गयी स्थिति से पता चलता है कि गार्डों की तुलना में ड्राइवरों की स्थिति बेहतर है। इसलिए, ड्राइवरों में असन्तोष और आक्रोश होने का कोई कारण नहीं है :

ड्राइवर			गार्ड		
कोटि	संशोधित वेतनमान	प्रतिशत कि०मी० रनिंग भत्ते की दरें (रु०)	कोटि	संशोधित वेतनमान	प्रतिशत कि०मी० रनिंग भत्ते की दरें (रु०)
ड्राइवर 'ए' (स्पेशल ग्रेड)	550-750	9.60	गार्ड 'ए' (स्पेशल ग्रेड)	425-640	6.90
ड्राइवर 'ए'	550-700	9.55	गार्ड 'ए'	425-600	6.85
ड्राइवर 'बी'	425-640	9.50	गार्ड 'बी'	330-560	6.80
ड्राइवर 'सी'	425-600	9.45	गार्ड 'सी	330-530	6.75
(स्पेशल ग्रेड)	—	—	—	—	—
ड्राइवर 'सी'	330-560	9.40	—	—	—

निःशुल्क पास, सरकारी आवास, रनिंग कमरों सरीखी अन्य सुविधाओं का दोनों कोटियों द्वारा समान रूप से उपयोग किया जा रहा है।

(ख) सरकार ने 'रनिंग भत्तों' पर हाल ही में एक समिति गठित की है जो ड्राइवरों समेत सभी रनिंग कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति के लिए वर्तमान योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी ।

(ग) ड्राइवरों को इस समय दी जाने वाली यूनिफार्मों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । रेल कर्मचारियों के लिये वर्तमान ड्रैस विनियमों की समीक्षा के लिये निकट अतीत में ही एक यूनिफार्म समिति का गठन किया गया है । यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ ड्राइवरों समेत सभी रेल कर्मचारियों के लिए निर्धारणीय यूनिफार्मों की स्टाइलों पर विचार करेगी ।

अंकलेश्वर-राजपीपला लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

739. **श्री एफ० पी० गायकवाड** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे ने छोटा उदयपुर-प्रतापनगर के बीच और अंकलेश्वर-राजपीपला के बीच सेक्शनों पर छोटी लाइन को बड़ी लाइन मे बदलने हेतु इंजीनियरिंग-वयातायात सर्वेक्षण के लिए कोई अनुमान लगाया है और उसे रेलवे बोर्ड को भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने उस अनुमान का अनुमोदन कर दिया है और सर्वेक्षण करने के लिए पश्चिम रेलवे को अपेक्षित अनुदेश दे दिए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे स्वीकृति कब तक दिये जाने और उस पर कब तक काम शुरू किये जाने की आशा है विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नवागाम बांध पर निर्माण-कार्य पहले से ही जोरों पर चल रहा है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां ।

(ख) आगामी वर्ष के लिए नये सर्वेक्षणों के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय इस पर विचार किया जाएगा ।

बहु-वस्तु स्टाकयार्ड

740. **श्री निहार लास्कर**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन
श्री ए० आर० बद्रीनारायण } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और उद्योग के लिए अपेक्षित आवश्यक सामग्री की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रेलवे का देश के केन्द्रीय स्थानों पर बहु-वस्तु स्टाकयार्ड स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्टाकयार्ड कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे;

(ग) इन पर कितना खर्च होगा; और

(घ) इनकी स्थापना कब तक होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) कुछ राज्य सरकारों के परामर्श से बहुत ही सीमित पैमाने पर एक पायलट योजना का विकास किया जा रहा है ताकि पंजाब,

हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के प्रत्येक राज्यों में मूलत: उन उप-भोक्ताओं को कोयले की सप्लाई करने के लिए जिनके पास पूरी गाड़ी लदान को सम्भालने के लिए अपनी पर्यन्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, एक या दो स्टाक यार्ड परीक्षण के तौर पर स्थापित किये जाने की व्यावहारिकता पर विचार किया जा सके। कोयला स्टाक यार्ड की योजना का विस्तार कुछ अन्य थोक वस्तुओं जैसे, सीमेंट और उर्वरक की सम्हलाई के लिए भी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) क्षेत्रीय रेल प्रशासन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्य सरकारों के निकट समन्वयन से इन प्रत्येक राज्यों में एक या दो स्टाक यार्ड के लिए स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं।

(ग) और (घ) इन राज्यों में परीक्षण के तौर पर स्टाक यार्ड स्थापित करने से सम्बन्धित व्यावहारिकता रिपोर्ट को देखते हुए लागत के ब्यौरे, स्टाक यार्ड का संचालन करने वाली एजेंसी और इस प्रकार के प्रायोगिक स्टाक यार्ड का कार्य शुरू होने की सम्भावित तारीख आदि निर्धारित की जाएगी।

भारतीय जहाजरानी कम्पनियों में सम्भावित नकद घाटा

741. **श्री निहार लास्कर**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री पी० एम० सईद } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार मिला है कि भारतीय जहाजरानी कम्पनियों को वर्ष 1978 से 1980 के बीच तीन वर्षों के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए का नकद घाटा होगा;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस उद्योग की सहायता के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) इस घाटे को पूरा करने के लिए नौवहन कम्पनियों ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) उक्त घाटा किस हद तक कम हो जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) सरकार को इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) भाड़ा दरों और चार्टर दरों में मंदी और तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण विश्व भर में नौवहन उद्योग वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहा है।

(ग) सरकार नौवहन उद्योग की निम्न प्रकार से सहायता कर रही है :—

(i) विदेशी मुद्रा ऋण किस्तों के स्थान पर विदेशों से जहाज प्राप्ति की नई योजना के अनुरूप ऋण देना।

(ii) नौवहन विकास निधि समिति की ऋण किस्तों की वापसी तीन वर्ष तक स्थगित करना।

(iii) पहले से खरीदे गये जहाजों के लिए अतिरिक्त ऋण देना ।

(iv) भारतीय नौवहन उद्योग की समस्याओं के अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें करने के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया है ।

(घ) नौवहन कम्पनियों द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु संसाधन जुटाने के लिए सही प्रयास किए जाने की सम्भावना है । भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नौवहन कम्पनियां कोई लाभांश घोषित नहीं करेंगी ।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में स्थिति आशाप्रद है, परन्तु ओ० पी० ई० सी० देशों द्वारा तेल में वृद्धि किये जाने के कथित निर्णय से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।

नौवहन कम्पनियों को सहायता के बारे में समिति

742. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन**
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन कम्पनियों को दी जाने वाली सहायता का अध्ययन करने के लिये एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ग) सरकार ने उन्हें क्या सहायता देने पर विचार किया है;

(घ) क्या वर्तमान एककों के विलय अथवा राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर भी विचार किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां । नौवहन उद्योग के वर्तमान संकट के सन्दर्भ में भारतीय नौवहन समस्याओं के अध्ययन के लिए 30-4-78 को एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है ।

(ख) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं होता ।

संसद सदस्यों द्वारा विदेशों का दौरा

743. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1977 से 20 मई, 1979 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित विदेशों के दौरों पर कितने संसद सदस्य गये; और

(ख) क्या कुछ सदस्य एक से अधिक बार विदेशों के दौरों पर गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) संसद सदस्यों के विदेशी दौरों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सड़क परिषद् का प्रस्ताव

744. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से परामर्श करके एक राष्ट्रीय सड़क परिषद का गठन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) किसी भी राष्ट्रीय सड़क परिषद के गठन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं होता।

रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा

745. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में विभिन्न रेलवे विभागों, रेलवे बोर्ड और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में सभी श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ख) क्या प्रत्येक रेलवे जोन और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखा गया था ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण के प्रतिशत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(क) श्रेणी 1, 2 और 3 के लिए जिसमें कम-से-कम वेतनमान 425 रुपये (सं० वे०) अथवा अधिक हो, अखिल भारतीय आधार पर भर्ती :—

	अनु० जाति	अनु० जनजाति
1) खुली प्रतियोगिता द्वारा	15	7 $\frac{1}{2}$
2) ऊपर मद (1) के अलावा	16-$\frac{2}{3}$	7 $\frac{1}{2}$

(ख) श्रेणी 3 और 4 के पदों में भर्ती जिनके न्यूनतम वेतनमान 425 रुपये (सं० वे०) से कम हों, स्थानीय तथा आंचलिक आधार पर की जाती है :—

रेलवे/यूनिट	अनु० जाति	अनु० जनजाति
1. मध्य	12	10
2. पूर्व	17	7

1	2	3
3. उत्तर	20	5
4. पूर्वोत्तर	19	5
5. पूर्वोत्तर सीमा	12	18
6. दक्षिण	14	5
7. दक्षिण मध्य	11	5
8. दक्षिण पूर्व	14	15
9. पश्चिम	11	14
10. चि० रे० ई० का०	17	8
11. डी० रे० ई० का०	21	5
12. स० डि० का०	18	5
13. रेल दर अधिकरण, मद्रास	18	5
14. रेलवे स्टाफ कालेज, वडोदरा	7	14
15. भारतीय रेल उच्च रेल पथ प्रो० संस्थान, पुणे	6	6
16. भारतीय रेल सिगनल एवं दूर संचार इंजी० संस्थान, सिकन्दराबाद	13	5
17. भारतीय रेल सम्मेलन, नई दिल्ली 18. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली 19. अ० अ० और मा० सं०, लखनऊ 20. रेल सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली	16-$\frac{2}{3}$	7-$\frac{1}{2}$
(ग) पदोन्नति द्वारा भरे गये पद	15	7-$\frac{1}{2}$

(ख) क्षेत्रीय/आंचलिक आधार पर भर्ती के मामले में आरक्षण का प्रतिशत, सामान्यतः उस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया गया है। लेकिन अनुसूचित जनजातियों के मामले में, यहां तक कि किसी विशेष क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या-प्रतिशत 5% से कम है, तो कम से कम 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

भारत की घटनाओं की पड़ौसी देशों में प्रतिक्रिया

746. **प्रो० दिलीप चक्रवर्ती** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए दंगों, आचार्य विनोबा भावे के अनशन और प्रधान मन्त्री के गो संरक्षण के मामले में संविधान में परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में पड़ौसी देशों में क्या प्रतिक्रियाएं हुई है; और

(ख) हमारे दूतावासों ने उसका क्या उत्तर दिया और भारतीय दृष्टिकोण को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया था।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) हाल के दुर्भाग्यपूर्ण दंगों के सम्बन्ध में आचार्य विनोबा भावे के अनशन के में सम्बन्ध और गो-संरक्षण के सम्बन्ध में संविधान में परिवर्तन करने के विषय में प्रधान मन्त्री के प्रस्ताव पर पड़ौसी देशों में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं हुई है ।

बंगलादेश और पाकिस्तान में, अखबारों में राजनीतिक पार्टियों द्वारा आलोचना की गई है । हमारे मिशनों ने सरकार की स्थिति के सम्बन्ध में सम्बद्ध पक्षों की स्थिति समझने में सक्रियतापूर्वक कार्य किया है।

प्रकाश गृह तथा प्रकाशपोत विभाग के कर्मचारी संघ की मांग

747. **श्री बी० जी० हांडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रकाशगृह तथा प्रकाशपोत विभाग का कर्मचारी संघ अनिवार्य जमा योचना के लेखों का वार्षिक विवरण जारी करने की मांग कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिवर्ष इस प्रकार के विवरण जारी करना सरकार का कर्त्तव्य है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के विवरण नियमित रूप से जारी न कर अनुदेशों का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ख) जी हां।

(ग) दीपघर और दीपपोत विभाग के मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों ने 30-6-78 तक के अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य जमा लेखों के विवरण अब जारी कर दिए हैं। ये विवरण कर्मचारियों को समय पर नियमित रूप से जारी करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

हल्दिया में शिपयार्ड

748. **श्री समर मुखर्जी**
प्रो० समर गुहा } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में परियोजना के तकनीकी आर्थिक लाभ को देखते हुए बवेजा समिति द्वारा की गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हल्दिया में जहाज मरम्मत करने का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) सरकार द्वारा गठित एक अध्ययन दल ने हल्दिया में एक जहाज मरम्मत कम्पलैक्स की स्थापना करने की सिफारिश की है। सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है। मैसर्स गार्डन रीच शिप-बिल्डर्ज एंड इंजीनियर्ज फर्म जिन्होंने जहाज-मरम्मत कम्पलैक्स की स्थापना का प्रस्ताव किया है, ने इस विल्डर्ज प्रयोजन के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट पर रक्षा उत्पादन विभाग में विचार किया जा रहा हैं।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रेल कर्मचारी संघ, चित-रंजन से अभ्यावेदन

749. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रेल कर्मचारी संघ, चितरंजन, की ओर से सुनरी समुदाय द्वारा झूठे अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पेश करने पर की गई नियुक्तियों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई जांच के क्या परिणाम निकलें है; और

(ग) उक्त झूठे प्रमाण-पत्र पेश करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जांच के परिणामस्वरूप बिहार राज्य के सुनरी जाति के रेल कर्मचारियों के 40 मामले नोटिस में आये हैं। इनमें से, 37 मामले श्रेणी-III और 3 मामले श्रेणी-IV के कर्मचारियों के हैं। प्रत्येक मामले की जांच सिविल प्राधिकारियों के सहयोग से की जा रही है और उन व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

जापान के मजदूरी संघों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत

750. **श्री डी० अमात** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के मजदूर संघों के प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) क्या प्रतिनिधि मंडल और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) मिस्टर योशियों निशी-मतसू, महा मन्त्री, जापानीज फैडेरशन आफ रबड़ वर्क्स यूनियन, के नेतृत्व में जापान के मजदूर संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने 27 मई, 1979 को भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल के दौरे का प्रबन्ध अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ने किया था। 28 मई, 1979 को संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री के साथ शिष्टाचार भेंट के अतिरिक्त, प्रतिनिधि मंडल और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क विकास

751. **श्री किरित विक्रिम देव बर्मन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्रिपुरा तथा अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 1979-80 के लिए सड़क विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र के लिए अलग से राष्ट्रीय राजपथ विकास कार्यक्रम कौन से हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, बजट अनुमान 1979-80 में त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी परिषद क्षेत्र में सड़क विकास पर 21·84 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है, जो निम्न प्रकार है :—

		करोड़ रुपये
1.	राष्ट्रीय राज मार्ग	10.84
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग से भिन्न अन्य सड़कें	11·00
		21·84

इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में राज्य क्षेत्र में 44·62 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है और उत्तर पूर्वी परिषद कार्यक्रम में भी 10·00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई (दूसरी ब्रह्मपुत्र पुल को छोड़कर)।

मई, 1979 में बच्चों और उनकी माताओं की डाक्टरी जांच

752. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव विकास योजना के अन्तर्गत दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में मई 1979 में 6 वर्ष तक के बच्चों और उनकी माताओं की डाक्टरी जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) कितने प्रतिशत बच्चे और उनकी मातायें स्वस्थ पाई गई और उनमें कौन-कौन सी बीमारियों का क्या पता चला ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पत्तन अधिभार के कारण भार

753. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जून, 1979 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के पोर्ट सरचार्ज अन्नीसेस्री बर्डन (पत्तन अधिभार अनावश्यक भार) शीर्षक से प्रकाशित वक्तव्य की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) नौवहन महानिदेशक से जहाजी कम्पनी वर्गों/रेट एग्रीमेंट करने वाले जहाजी वर्गों को जिन्होंने कलकत्ता पत्तन पर माल के जमाव के कारण प्रभार लगाये हैं इस पत्तन में माल के जमाव में कमी होने की दृष्टि में रखते हुए इन प्रभारों को वापस लेने/कम करने के उचित निर्देश भेजने के लिए कहा गया है ।

पंजाब में सुपर-फास्ट रेल गाड़ियां

754. **श्री जी० एस० तोहरा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि पंजाब में सुपर फास्ट रेलगाड़ियां चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : पंजाब में पहले से ही सप्ताह में दो बार चलने वाली दो जोड़ी सुपर फास्ट गाड़ियों अर्थात 171/172 बम्बई सेन्ट्रल-जम्मू तवी एक्सप्रेस तथा 173/174 हावड़ा-जम्मू तवी हिमगिरि एक्सप्रेस की सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा तेज डीलक्स एक्सप्रेस भी पंजाब को दिल्ली, हावड़ा और बम्बई से जोड़ती है । इसके अतिरिक्त लगभग 15 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां हैं जो पंजाब क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं।

बिहार में कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी का भुगतान

755. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित की है;

(ख) क्या सरकार जानती है कि न तो उद्योगों में और न कृषि में श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी दी जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि और ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान करने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) बिहार सरकार ने कृषि में रोजगार और 30 अन्य अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन न्यूनतम

मजदूरी निर्धारित की है।

(ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में यह कहना सही नहीं है कि उद्योगों या कृषि में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तथापि इस बारे में शिकायतें हैं कि कृषि क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(ग) जब कभी राज्य सरकार के ध्यान में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने संबंधी मामले लाए जाते हैं, तब अधिनियम के अधीन समुचित कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार ने कार्यान्वयन तंत्र को भी मजबूत बना दिया है, ताकि अधिनियम का प्रवर्तन बेहतर ढंग से हो सके। अभियोजन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तथा दांडिक उपबन्धों को और कड़ा बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है।

प्रकाशस्तम्भ तथा प्रकाशपोत विभाग में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिक

756. **श्री बी० जी० हांडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रकाशस्तम्भ तथा प्रकाशपोत विभाग के मुख्यालय में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक काम कर रहे हैं जिनकी 15-20 वर्ष से अधिक सेवा हो चुकी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अवर श्रेणी लिपिकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिकों के रूप में पदोन्नत करने की पेशकश की जा रही है और क्षेत्रीय कार्यालयों के उच्च श्रेणी लिपिकों का मुख्यालय में स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनको मुख्यालय में पदोन्नत करने का है जैसा कि स्टाफ ऐसोसिएशन ने अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दीपघर तथा दीपपोत विभाग में यू० डी० सी० ग्रेड में पदोन्नतियां उस विभाग में दोनों नई दिल्ली में मुख्यालय में और विभिन्न अन्य स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अवर श्रेणी लिपिकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती है। यू० डी० सी० के पद एक गैर चयन पद है और तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त अवर श्रेणी लिपिकों की पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर की जाती है। सभी पदोन्नतों को उनके सेवा स्थान पर ही लगाने के भरसक प्रयत्न किये जाते हैं, परन्तु मुख्यालय तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानांतरण के अनुरोध को कठिनाई के आधार पर स्वीकार किया जाता है। पदोन्नतियों के प्रस्ताव को क्षेत्रीकरण के आधार पर इस कारण से कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि अधिकतम कर्मचारी संघों ने इस बात का इस आधार पर विरोध किया है कि ऐसा करने से पदोन्नति के और स्थायीकरण के मौके कम हो जाते हैं। अतः यथास्थिति को बनाए रखा जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 11162 (दिनांक) 17-5-1979 में शुद्धि करने वाला विवरण

लोकसभा में श्री समर मुखर्जी द्वारा 17-5-1979 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न 11162 के भाग (क), (ख), और (ग) के सन्दर्भ में निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :

(क) 395.

(ख) एक आवेदक के मामले को छोड़कर जिसमें बाढ़ अग्रिम की स्वीकृति को शासित करने वाले नियमों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थीं, अन्य सभी कर्मचारियों को इसके भुगतान की व्यवस्था कर दी गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न (भाग क, ख और ग) का सही उत्तर इस प्रकार है :

(क) 400

(ख) दो कर्मचारी बाढ़ अग्रिम के शासक नियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते थे। इसके अलावा, एक कर्मचारी का आवेदन हिमाचल प्रदेश में आयी बाढ़ से सम्बद्ध था और तीन कर्मचारियों ने उस समय राजस्थान में आयी बाढ़ को लेकर आवेदन दिए थे, जब तक रेल मंत्रालय ने इन राज्यों के संदर्भ में कोई आदेश जारी नहीं किये थे। अन्य सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में भुगतान किया जा चुका है।

(ग) चूंकि उन कर्मचारियों की, जिनकी सम्पत्ति को राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण गंभीर क्षति पहुंची थी, बाढ़ अग्रिम प्रदान करने के आदेश बाद में जारी कर दिये गए थे, इसलिए सम्बन्धित कर्मचारी, नियमों के अधीन, इस तरह के अग्रिम के पात्र बन गए थे।

उत्तर में गलती थोड़े दिन पहले ही नोटिस में आयी थी और इस स्थिति का सत्यापन उत्तर तथा पश्चिम रेलवे के उपलब्ध रिकार्ड से और सम्बन्धित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित था। इस कारण निर्धारित समयावधि के भीतर यह विवरण सभा-पटल पर नहीं रखा जा सका।

अध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर रखे जायेंगे। (व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : महोदय, मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : कोई इसका पहले ही जिक्र कर चुका है। मैं मामले को सम्बद्ध अधिकारियों के पास भेज रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कंवरलाल गुप्त : इसके बारे में मैं आपको लिख भी चुका हूं, मेरा तो एक विनम्र सा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु इसके बारे में कोई पहले ही बोल चुका है।

श्री कंवरलाल गुप्त : सारे शहर में पानी की बूंद भी नहीं है। वे इस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मनी राम बागड़ी (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे घरों में आज पानी नहीं आया है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी) : हम लोगों ने पानी न होने की वजह से आज स्नान भी नहीं किया है।···(**व्यवधान**)···कुछ लोग शर्म खाये हुए हैं और वे डूबना चाहते हैं। उनके लिए एक चुल्लू पानी तक नहीं है।···(**व्यवधान**)···

श्री कंवरलाल गुप्त : मुझे आशंका है कि कहीं विद्युत की भी हड़ताल न हो जाये। क्या सरकार कुछ कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले पर पहले ही कार्यवाही कर चुका हूँ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। चार मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : वे हैं कौन ?

श्री मनीराम बागड़ी : सर्वश्री रविराय, जनेश्वर मिश्र, राम कृपाल सिंह। चार मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मेरे पास 50 लोगों के दस्तखतों की लिस्ट है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री कुसुम कान्त बसारिया ने मुझे उनके घर से फोन किया है कि श्री हीराभाई, जो मध्यप्रदेश के एम० पी० हैं, उनको कुछ लोग उनके घर से लिवा ले गये और उनका पता नहीं चल रहा है कि वे कहाँ है।···(**व्यवधान**)···आप हमारे कस्टोडियन हैं। श्री कुसुम कान्त बसारिया ने बताया है कि श्री हीरा भाई, एम० पी० को कुछ लोग उनके घर से लिवा ले गए हैं और उनका कुछ पता नहीं है। यह मामूली घटना नहीं है। आप एम० पीज के कस्टोडियन हैं। कौन लोग उनको ले गए हैं, इस पर आप व्यवस्था दें··· (**व्यवधान**)···

श्री लालू प्रसाद (छपरा) : आज हमारे घरों में पानी नहीं है और स्नान करने के लिए पानी न होने के कारण हम बिना स्नान किये आए हैं।···(**व्यवधान**)···

श्री सौगतराय (बैरकपुर) :···(**व्यवधान**)···जिससे कि वे अविश्वास प्रस्ताव के हक में मत न दे सकें। श्री चन्द्र शेखरसिंह कुछ बात आपको सूचित की थी। यदि सांसदों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता, यदि सरकारी तन्त्र और इसके शक्ति संचालकों को संसद सदस्यों के

विरुद्ध प्रयोग में लाया जायेगा तो लोकतान्त्रिक प्रणाली का एकदम से दिवाला निकल जायेगा। अध्यक्ष के नाते आपको इस बात पर गौर करना चाहिए।

श्री अमृत नाहटा (पाली) : आज सवेरे मुझे यह धमकी देते हुए एक दूरभाष मिला कि "अविश्वास प्रस्ताव पर न बोलें अन्यथा आपको परिणाम भुगतने होंगे।" टेलीफोन पर मुझे मार डालने की धमकी दी। आप गृह मंत्री महोदय से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की इस चाटुकारिता को नियन्त्रण में रखने को कहें। ये कटार दिखाने वाले कायर हमें इस प्रकार नहीं डरा सकते।

श्री सोगतराय : शहर में बहुत से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुयायी और नेता लोग आ धमके हैं। वे चारों ओर जा-जाकर संसद सदस्यों को डरा धमका रहे हैं। इस कार्य के लिए प्रधानमन्त्री कार्यालय का उपयोग किया जा रहा है।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : यह तो एक निराधार आरोप है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : श्री अमृत नाहटा से मेरा निवेदन है कि 'किस्सा कुर्सी का' फिल्म के बाद किस्सा धमकी का फिल्म बना दें।

श्री कंवर लाल गुप्त : श्री नाहटा ने जो कुछ कहा है उसकी जांच कराई जाए। मैं कहता हूं कि यह निराधार है। यदि यह गलत पाया जाता है तो उन्हें दण्ड मिलना चाहिये। (**व्यवधान**)

श्री अमृत नाहटा (पाली) : किसी गुमनाम व्यक्ति ने टेलीफोन किया था। वह कोई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आदमी था जिसने मुझे टेलीफोन पर धमकी दी (**व्यवधान**)।

श्री कंवर लाल गुप्त : वे त्यागपत्र देकर मतदाताओं का सामना करें।

श्री अमृत नाहटा : श्री कंवरलाल गुप्त भी त्यागपत्र दें। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें। (**व्यवधान**) ×

श्री भगतराम (फिल्लौर) : आपकी गवर्नमैंट इस देश में लोगों के लिए रोजगार का प्रबन्ध नहीं कर सकी है, लोगों को रोजगार नहीं दे सकी है। इसकी वजह से हमारे देश के बहुत से लोगों को बेकार रहना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है। वे लोग मजबूर होकर विदेशों की तरफ देखते हैं और पासपोर्ट बनवाकर विदेशों में जाकर नौकरियां करते हैं बाहर जाने के लिए लोगों को पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। लाखों लोग हर साल पास्पोर्ट बनवाते हैं। फिर भी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको बाहर जाना नसीब नहीं होता है। जब यह नई गवर्नमैंट आई और इसने काम करना शुरू किया तो इसने बहुत अच्छा एक काम किया कि पहले तो एम० पीज० को और उसके बाद एम० एल० एज० को पास्पोर्ट फार्म पर दस्तखत करने का अधिकार दे दिया। इससे लोगों को बहुत सहूलियत भी

× कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हो गई थी। पहले जो लोग पास्पोर्ट बनवाते रहे हैं वे एजंटों के जरिये ही बनवाते रहे हैं। वहां उनकी लूट होती थी। एक-एक पास्पोर्ट पर उन लोगों का पांच-पांच सौ रुपया खर्च हो जाता था। जो गांव के लोग होते थे उनकी उसमें बहुत लूट होती थी। अब इस गवर्नमैंट ने पहले तो यह करना शुरू किया कि पुलिस वेरिफिकेशन करवानी शुरू कर दी। उसके बाद उसने जमानत लेनी शुरू कर दी है। यह दोनों बहुत ज्यादती वाली बातें हैं—

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पद के पास किसी कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है।

श्री भगत राम : सबसे बड़ी बात यह है कि एम पी लोगों के जो अधिकार हैं उन पर इस तरह से कुठाराघात हो रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करने के बाद जमानत लेना जो शुरू कर दिया गया है इससे एम पीज के साथबहुत ज्यादती की गई है। मैं चाहता हूं कि एम० पीज के अधिकारों की रक्षा की जाएऔर पुलिस वेरिफिकेशन और जमानत दोनों बन्द किये जाएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता।

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) : माननीय नाहटा जी ने एक बात कही है कि मेरी जिन्दगी खतरे में है। आप इस सदन के गार्जियन हैं। आपको उनको प्रोटैक्शन देना चाहिए। × ×

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता। कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये।

श्री मनीराम बागड़ी :···

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पारपत्र नियम (5वां, 6वां और 7वां संशोधन), 1979

विदेश-मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :

(1) मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) पारपत्र (पांचवा संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 1 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 280 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

× × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) पारपत्र (छठा संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 9 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 288 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पारपत्र (सातवां संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 1 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 335 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4598/79]

नागपुर जिले में सिलेबाड़ा कोयला खान में हुई दुर्घटना की जांच का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले में सिलेवाड़ा कोयला खान में 18 नवम्बर, 1975 को हुई दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने वाले जांच न्यायालय के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 4599/79]

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजपथ के विकास या अनुरक्षण के बारे में अनुबन्ध

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांदराम) : मैं राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत, केरल राज्य में स्थित समूचे राष्ट्रीय राजपथ अथवा उसके किसी भाग के विकास अथवा रख-रखाव के सम्बन्ध में 28 मार्च, 1979 को केन्द्रीय सरकार और केरल राज्य सरकार के बीच हुए समझौते (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4600/79]

1890 के भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रेल मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 56 (ख) के अन्तर्गत जारी की गई अधि-सूचना संख्या सा० आ०340 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा कतिपय रेलवे स्टेशनों को सामान की अविलम्बनीय ढुलाई के प्रयोजन के लिए "अधिसूचित स्टेशन" घोषित किया गया है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 460179]

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय समुद्रयात्री कल्याण बोर्ड

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रभारी राज्यमंत्री (श्रीचाँदराम) : मैं प्रस्ताव रखता हूँ : "कि राष्ट्रीय समुद्रयात्री कल्याण बोर्ड नियम; 1963 के नियम 4 (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश दें, राष्ट्रीय समुद्रयात्री कल्याण बोर्ड में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय समुद्रयात्री कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य उक्त नियमों के अन्य उपलब्धों के अध्यधीन, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश दें, राष्ट्रीय समुद्रयात्री कल्याण बोर्ड में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा की स्थापना, उसके गठन, कृत्य तथा शक्तियां रिनिश्चित करने और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक बिषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय शरदकालीन सत्र, 1979 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा की स्थापना, उसके गठन, कृत्य तथा शक्तियां परिनिश्चित करने और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय शरदकालीन सत्र, 1979 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब हम अविश्वास प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : श्रीमन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब यह

स्पष्ट हो चुका है कि सरकार सभा का विश्वास खो चुकी है तो हम इस प्रस्ताव पर कैसे चर्चा जारी रख सकते·····

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह विषय सभा के समक्ष है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह स्पष्ट है कि सरकार सभा का विश्वास खो चुकी है । यह बने रहने की अधिकारी नहीं है···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : यह विषय सभा के समक्ष है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : × ×

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि दलबदल बिल लाने की जो बात थी टैक्नीकल कारण से उसे वापस लेने के लिए विवश होना पड़ा । आज दल-बदल को खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसीलिए चव्हाण साहब यह प्रस्ताव लाये हैं । इस लंगड़े अविश्वास प्रस्ताव में बल देने के लिये अब किस्से गढ़े जाने लगे हैं । एक किस्से की अभी चर्चा हुई । इमरजेंसी के दौरान जब लोगों को बन्द किया गया था जेल में तो हमारे में से बहुत से मित्र यह कहते थे कि बिना किसी का ट्रायल हुए बगैर जेल में नहीं बन्द करना चाहिए । अभी एक बात आर. एस. एस. के खिलाफ की गई । आर. एस. एस. के खिलाफ रोज विषवमन होता है और वह भी बिना जांच किये हुए होता है ।

श्री **अमृत नाहटा** : आपने मिजो नेशनल फ्रंट पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । आपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया ? ·····(**व्यवधान**)·····

श्री निर्मल चन्द्र जैन : किसी ने यदि कदाचित माननीय अमृत नाटा को कह भी दिया हो तो उन्होंने आर० एस० एस० का नाम ले दिया । इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है । एक उन्होंने किस्सा कुर्सी का चित्र बनाया था, और अब वह गढ़ रहे हैं एक सपना कुर्सी का । आर० एस० एस० के विरुद्ध जिसको जो कुछ बोलना हो उसके पहले जांच होनी चाहिए, अदालत में कार्य-वाही होनी चाहिए । ऐसे चाहे जब किसी के यहां बोलने से विष ही यहां पर बोया जाता है और इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, सब कुछ कहने का मेरा सार किसी के विरुद्ध विष-वमन करना नहीं है, मेरा कहना यह है कि यदि आप हवा बोयेंगे तो आंधी काटेंगे । कांग्रेस इन्दिरा के शासन ने जो कुछ बोया है और जिसके हिस्सेदार उस समय चह्वाण साहब थे, उसके साथ वर्तमान की परिस्थियां उसका कारण बनी हैं ।

जनता पार्टी ने ढाई वर्ष में बहुत कुछ सुधारने की चेष्टा की है और अलादीन का चिराग तो उपलब्ध नहीं है कि एकदम से सब बदल दिए जायें । मेरे मित्र श्री कंवरलाल गुप्त और डा० रामजी सिंह ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, जो कांग्रेस के शासन में नहीं हो सका था, वह इन ढाई वर्षों

× × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

के शासन में हुआ है, लेकिन इसके बाद भी आज के विरोधी आग में घी डालकर अशांति की ज्वाला को भड़काना चाहते हैं, इससे प्रजातंत्र खतरे में पड़ेगा। आज आप हमारे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, आज जनता भी आप सब के प्रति पूरी राजनीति के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहती है, अव्यवस्था का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिये प्रजातंत्र को खतरे में पड़ने से बचाइये और प्रजातंत्र की व्यवस्था खतरे में है, उसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए, और सम्यक रूप से सब मिलकर विचार कर इस अविश्वास प्रस्ताव को वापिस ले लें, इससे शांति भी बनेगी और प्रजातंत्र की स्थापना भी होगी।

श्री राजनारायण (रायबरेली) : श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने जो अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और एक वाक्य में यह कहता हूँ कि यदि प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई में तनिक भी राजनीतिक ईमानदारी हो, तनिक भी राजनीतिक निष्ठा हो, जनतंत्र के प्रति प्रेम हो और भ्रष्टाचार को आगे न बढ़ाने की इच्छा हो तो फौरन अभी त्यागपत्र दे दें।

मै एक भी बात इधर-उधर से लेकर नहीं कहना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि यहां पर वही बात रखी जाये जो प्रमाणित हो, जो लिखित हो और जिसके विरुद्ध कभी भी मोरारजी भाई या उनकी ओर से कोई मुकदमा चलाना चाहें तो चला सकते हैं।

मैं सबसे पहले मोरारजी भाई की यह किताब छपी है गुजराती में, सम्पूर्ण गुजरात का दौरा करने के बाद मुझे एक किताब मिली और उसकी हमने फोटोस्टेट करवायी है, इसको अगर कोई और चाहेंगे तो और करवाकर बांट देंगे, इसका जो अंग्रेजी ट्रांस्लेशन है, उसको पढ़कर मैं सुनाता हूं। इस किताब का नाम गुजराती में है आछे मुरारजी देसाई—यह हैं मोरारजी देसाई।

"1929-30 में गुजरात राज्य के पंचमहल जिले के गोधरा शहर में एक साम्प्रदायिक दंगा हुआ था। इस सम्बन्ध में श्री मोरारजी द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे विभागीय जांच हुई थी और इस जांच के पश्चात 10 अप्रैल, 1930 को बम्बई राज्य के राजस्व विभाग द्वारा पत्र संख्या 3307/डी/28 के माध्यम से निम्नलिखित आदेश जारी किया गया :-

विषय : एक सरकारी कर्मचारी के रूप में की मोरारजी देसाई की भूमिका

इस संकट की घड़ी में सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट के रूप में श्री मोरारजी देसाई अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह असफल रहे हैं और यह विश्वास करना कठिन नहीं है कि उनकी यह असफलता उनके साम्प्रदायिक होने के कारण हुई है। सरकार उनके इस दोष को गम्भीरता से लेती है और साधारण परिस्थितियों में इस कारण उन्हें सेवा से हटाया भी जा सकता है किन्तु उनकी गत 10 वर्षों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस तरह का कठोर कदम उठाने से संकोच करती है और इसलिए सिफारिश करती है कि दूसरे रैंक के डिप्टी कलेक्टरों की पदोन्नति की सूची में उनका नाम पांचव्यक्तियों से पीछे कर दिया जाए।

[श्री राजनारायण]

मैं इस सदन को यह समझाना चाहता हूं कि आज श्री मोरारजी देसाई और राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ का गठबंधन क्यों है। इसके लिए यह किताब और यह घटना काफी है। अंग्रेजी राज के समय उनके कैरेक्टर की जांच हुई। उस जांच की रपट प्रकट करती है कि फ्राम दि वेरी बिगिनिंग वह कम्युनल थे, और कम्युनल होने के कारण वह आज देश को जहन्नुम में ले जाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गठबंधन करके इस देश को साम्प्रदायिकता के जहर से भर दिया है।

इतना ही नहीं, मैं और पढ़ देना चाहता हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार रावर्ट पेने अपनी पुस्तक लाइफ एंड डेथ आफ महात्मा गांधी, में पृष्ट 629 पर मोरारजी देसाई के बारे में इस प्रकार लिखते है :—

मोरारजी देसाई एक अच्छे प्रशासक थे। उनकी बुद्धि बड़ी कुटिल थी और वह साजिश करने में सक्षम थे। 11 वर्षों तक ब्रिटिश शासन में मजिस्ट्रेट रहे।"

यह रपट भी कहती है कि श्री मोरारजी देसाई का दिमाग इनट्रिकेट है— वह साजिश और तिकड़म करने में कलाबाजी करता है, और इस साजिश और तिकड़म की कलाबाजी में आज देश रसातल को जा रहा है।

मैं श्री मोरारजी देसाई से करबध् प्रार्थना करूंगा कि हे मोरारजी भाई, आप रहें या न रहें इस देश को तो रखने दें; यह देश तो सबका है, हम रहें या न रहें, लेकिन हमारा राष्ट्र तो बना रहे। मैं अपने भाई, श्री मोहन धारिया से कहना चाहता हूं कि वह इस गंभीरता से विचार करें कि आखिर मुल्क में हो क्या रहा है। कम्युनल रायट्स क्यों बढ़ हैं, क्यों साम्प्रदायिकता की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इस को विरोधी पक्ष और सत्ताधारी पक्ष के सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझें।

मैं चाहूंगा कि सदन की एक कमेटी टाटानगर जाये और जाकर देखे कि किस तरह की घटनायें वहां पर हुई हैं, किस तरह से साजिश हुई है और किस तरह ऊपरी कोशिश कर के, सत-झौता कर के, दीनानाथ पांडे को 10 तारीख की रात को प्रोसेशन निकालने की अनुमति दी गई। क्या इस तरह से आप देश में साम्प्रदायिकता की फैलती हुई आग को रोक पायेंगे ? जब ऊपर से इस तरह का काम होगा, तो इस तरह की घटनायें कभी रुकेगी नहीं।

मैं अपने भाई और बुजुर्ग, विरोधी दल के नेता, श्री यशवंतराव चव्हाण से निवेदन करना चाहता हूं—वह बहुत दिनों तक सरकार से सम्बन्धित रहे हैं—कि आखिर ये खीजें कहां छिपी हुई थीं। हमने पांच हजार किताबें छपवाई हैं। मैं हर एक एम० पी० से निवेदन करूंगा कि वह उस किताब को ले कर पढ़े।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी कहते हैं। कि "वे नाजियों तथा फासिस्टों की तरह हैं।"...

मैं आज पूछना चाहता हूं अपने मित्र, श्री मोहन धारिया से, श्री जार्ज फर्नान्डीस से और श्री कुन्डू से, जो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, कि जिस संस्था के बारे में महात्मा गांधी ने फाशिस्ट, नात्सी और ब्लैक शर्ट जैसे शब्दों का प्रयोग किया, क्या वे उस संस्था के साथ मिलकर गवर्नमेंट चलायेंगे, उस संस्था के साथ गवर्नमेंट चलाकर इस देश में जनतंत्र, जम्हूरियत और सैकुलरिज्म कायम करेंगे ।...(व्यवधान)...

इसके बाद मैं सरदार बल्लभभाई पटेल के बारे में कहना चाहता हूं पटेल जी ने कहा है :

"हिन्दू राष्ट्र के नाम पर वे ब्राह्मण राष्ट्र, एक पेशवा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते है।"

वे वहां पर एक पेशवा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने राज्य लिया पेशवाओं से, इसलिए जब अंग्रेजी राज जाय तो पेशवा के हाथ में ताकत आए। मगर उनकी ताकत कम है इसलिए उनके हाथ में ताकत जा नहीं सकती, इसलिए उन्होंने हिन्दू राष्ट्र का नारा दिया। यह पुस्तिका हमारे पास मौजूद है, अभी 28 मार्च को नागपुर से यह पुस्तिका प्रकाशित हुई है जब कि रामनवमी का त्यौहार चलता है। इस में उन्होंने लिखा है—

"हम तीन तत्वों में विश्वास करते हैं।" और हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, भगवा ध्वज ही हमारा राष्ट्र ध्वज है। एकलाचलनुवर्तित्। यानी एक का ही शासन चलेगा। जो कुछ नागपुर बोलेगा उसी को मानना पड़ेगा और भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज है। क्या जनता पार्टी भी अब अपने हाथ में वह झंडा लेगी ? एक राष्ट्रीय झंडा तिरंगा और अशोक चक्र है और एक यह भगवा ध्वज राष्ट्रीय झंडा होगा ? यहां तक हम मान सकते थे यदि वह कहते कि भगवा ध्वज हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झंडा है जैसे किसान सम्मेलन का झंडा है या जैसे मजदूर संगठनों का अपना झंडा होता है। मगर भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज हो गया। शर्म आती है, लज्जा आती है। जवानी के तमाम अरमानों को हथेली पर लेकर हमारे नौजवानों ने जनता पार्टी का निर्माण किया सम्पूर्ण क्रान्ति को सफल करने के लिए। क्या सम्पूर्ण क्रान्ति को सफल करने का यही तरीका है ? बहुत ही सफाई के साथ मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करता है और मुसलमान और हिन्दू में नफरत पैदा कर के उसी नफरत के कीड़े से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पैदा होता है। हम लोग जो विरोध पक्ष में बैठे हैं चाहते हैं कि इस नफरत के कीड़े को साफ करें जिस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कीड़ा खुद मर जाय। क्या हमारे मोहन धारिया साहब इसमें साथ देंगे ? जार्ज फर्नान्डीस इसमें साथ देंगे ? कुन्डु साहब साथ देंगे ? किस दिन के लिए बैठे हैं ? क्या जब देश रसातल को चला जायगा तब चेतेंगे ? अभी बाकी है ? हमने आदरणीय जयप्रकाश जी से जाकर कहा कि हम अब तक रुके थे, अब नहीं रुक सकते। जो कुछ हमने अलीगढ़ में देखा, जो कुछ और देखा उसके बाद अब रुक नहीं सकते। इसलिए मैं आज सफाई से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन होना चाहिए। इसमें थोडी भी हिचक नहीं होनी चाहिए और अपने समर्थन में मैं जे० पी० को लाना चाहता हुँ। श्री जयप्रकाश नारायण ने कह है—

[श्री राजनारायण]

श्री जय प्रकाश नारायण के भाषणों में हिन्दू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे साम्प्रदायिक संगठनों की कटु आलोचना की गई है और उन्होंने इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

जयप्रकाश जी ने कहा कि इसको इल्लीगल करार दो और प्रतिबन्धित करो। फिर भी उन्हीं जयप्रकाश नारायण का नाम ले लेकर जो यहाँ चुनाव जीत कर आए हैं वह राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की जूतियाँ साफ कर रहे हैं और उनके तलुवे चाट रहे हैं, उसके तलुवे चाटकर गृहमंत्री बनने की साजिश कर रहे हैं। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। जो सोच हो, वही बोल हो और वही तर्क हो। जब मनुष्य के सोचने, मनुष्य की बोली और मनुष्य के कर्म में मतभेद हो जाता है तो अनर्थ होता है। इसको मैं इतने पर ही छोड़ देता हूँ।

हमारे पास एक और आइटम है। यह है मिस्टर जे० ए० नायक की किताब—फ्राम होटल रेवोल्यूशन टु होटल फेल्योर। इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब में यह लिखा है—

"मोरारजी देसाई ने ऐसी स्थिति में नानाजी देशमुख से सहायता की मांग की। राजनारायण को शिमला का दौरा करना था और वहां एक सार्वजनिक बैठक को सम्बोधित करना था। नानाजी ने हिमाचल प्रदेश के जनसंघ मुख्य मंत्री से सम्पर्क किया और उन्हें ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए कहा जिससे कि स्वास्थ्य मंत्री को मंत्रि-मंडल से निकाला जा सके। जनसंघ ने राजनारायण के विरुद्ध मामला बनाने के लिए प्रधान मंत्री के साथ पूरा सहयोग किया जिससे कि प्रधान मंत्री तथा दल के अध्यक्ष संसदीय बोर्ड द्वारा राज नारायण के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने से रोकने में समर्थ हो गए।"

श्रीमान मैं आपकी अनुमति से यह पुस्तक सभा पटल पर रखता हूँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने विश्व के लोक तांत्रिक तिहास में किसी ऐसे प्रधान मंत्री का नाम सुना जो कि अपने साथियों के साथ इस तरह षडयंत्र करें ? इससे बढ़कर लज्जा और शर्म की बात और क्या हो सकती है ?

मधुरस भरा कनक घट जैसे, मन मलीन तन सुन्दर जैसे।

मन तो है मलीन लेकिन शरीर है सुन्दर जैसे सोने के घड़े में विष भरा हो। वह हैं श्री मोरारजी देसाई—इसको आप अच्छी तरह से समझ लें।

शायद हमारा समय जल्दी खातमे की ओर बढ़ रहा है इसलिए मैं बालसुब्रह्मण्यम के केस पर आजाना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले एक बात की सफाई और करूंगा। शांति भूषण जी हमारे बीच में आ गए हैं जिनको मैं समझता था सेक्युलर हैं, डिमोक्रैटिक हैं और एथारिटेरियन रूल के विरोधी हैं और आजीवन इसके लिए लड़ते रहेंगे। आज मैं उनसे निवेदन करूंगा क्या श्री मोरारजी देसाई से बढ़कर कोई और एथारिटेरियन है ? क्या श्री मोरारजो देसाई से बढ़कर कोई दूसरा अधिनायकशाही है ? इनसे बढ़कर अधिनायकशाही और कौन है ?

श्रीमन्, यह जनता पार्टी का कांस्टीट्यूशन है। इस समय तो जनता पार्टी स्पिलिट हो गई है दो भागों में—एक जनता पार्टी (सी) और एक जनता पार्टी (एस)। हम लोग तो सेक्युलर हैं

और जो भी हमारे साथ आने वाले होंगे वे भी सेक्युलर होंगे। सभी सेक्युलर इधर आ जायेंगें। तो इस कांस्टीट्यूशन के क्लाज (5) में लिखा हुआ है कि जो लोग जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के मेम्बर होंगे वे जनता पार्टी के मेम्बर नहीं बन सकते। अगर उस पार्टी का प्रोग्राम अलग है, उसका विमान अलग है, तो वह डबल मेम्बरशिप मानी आयेगी। जनता पार्टी के संविधान में इस बात के रहते हुए क्या आर० एस० एस० के लोग इसके मेम्बर बन सकते हैं? जब हमारे इस सदन में कहा गया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनकम टैक्स बकाया है तब पहले कहते थे कि हम कल्चरल हैं।

आप हमसे पूछते है कि संस्कृति का क्या अर्थ है। क्या वे हिन्दू संस्कृति की परिभाषा कर सकते हैं। हिन्दू संस्कृति क्या है। हिन्दू संस्कृति के प्रतिनिधि राम, कृष्ण चर्बक हैं। क्या हिन्दू संस्कृति के प्रतिनिधि अटल बिहारी वाजपेयी है। मगर आज उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति वह है जिनमें राजनीति, अर्थ नीति, समाज नीति और संस्कृति—इन चारों का समावेश है। एक एफिडेविट दाखिल किया है 6 मार्च, 1978 को, वह सब हमने एक किताब में छाप दिया है, आप की आज्ञा हो तो मैं उसको टेबिल पर रख दूंगा। एफिडेविट, जिसको हलफनामा कहते हैं, उसमें इन्होंने लिखा है कि हमारे बहुत से लोग केन्द्रीय कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, राज्यों में मिनिस्टर हैं फिर वे कैसे कह सकते हैं कि हम पोलिटिकल नहीं है? जब पालिटिक्स में घुसे हुए हैं तब क्यों कहते हैं कि हम कल्चरल हैं? आप दो जीभ से मत बोलिए। दो जीभ इनसान के नहीं होती है, दो जीभ सांप के होती है जो करता है लप, लप, लप और काट लेता है तो लहर नहीं आती है। मैं श्री मोरारजी भाई से कहूंगा कि दो जीभ न रखें, अगर काट लेंगे तो लहर नहीं आयेगी। इसलिए अगर आप देश को बचाना चाहते हो तो दो जीभ वाले प्रधानमंत्री, श्री मोरारजी भाई से इस देश का पिण्ड छुड़ाओ।

हमारी यह फाइट मोरारजी देसाई से है। मैं आज आपके सामने डिक्लेअर करता हूं कि हमारी जो नई सरकार विरोधी दल के लोग बनायेंगे, हम उसमें किसी पद पर नहीं रहेंगे, मंत्रिमण्डल में नहीं जायेंगे। मैं इस बात को आज डिलेअर कर रहा हूं···(व्यवधान)···मैं तो पहली बार भी नहीं जा रहा था, बहुत ही आर्जू-मिन्नत के बाद गया था। आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी का लम्बा तार आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था—वह हम से उम्र में बड़े हैं—कि राजनारायण जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में शामिल होकर इसको चलाने में सहायक बनिये। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि राजनारायण जी नहीं जायेंगे तो मैं भी शपथ नहीं लूंगा। इन परिस्थितियों में हम चले गए। लेकिन एक-दो महीने के बाद ही डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल का नाम रखने के बारे में हमारा झंझट हो गया और तभी से हमने कहा कि हमें आज्ञा दीजिये। उसके बाद 'ईश्वर राखा धर्म हमारा।' ईश्वर ने हमारा धर्म बचा लिया। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमने जनता पार्टी को क्षति पहुँचाई है। अब देश जाने, समाज जाने, लोग जानें कि जनता पार्टी को नष्ट-भ्रष्ट करने वाले, जनता पार्टी के चेहरे पर कालिख पोतने वाले—यदि कोई हैं तो मोरारजी देसाई हैं और उनको प्रधानमंत्री पद से हटाना होगा।···(व्यवधान)···

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, अब मैं बालसुब्रह्मण्यम के मामले पर आता हूं। बालसुब्रह्मण्यम के मामले में अब वह-वह खबरें आपके सामने आयेंगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यह गवर्नमेंट आश्चर्यचकित हो जायगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : बालसुब्रह्मण्यम का संजय से बहुत सम्पर्क था।

श्री राजनारायण : संजय को तो हमने हटा दिया, अब हम इनको हटाने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप हमको बीच में मत टोकिये। मैं जनेश्वर मिश्र जी से निवेदन करूंगा, वह इस्तीफा दे चुके हैं, थोड़ा हमको हमारे कागजों को खोजने में यहां आकर मदद करें।

श्रीमन् ता० 4 को बालसुब्रह्मण्यम की बिल्डिंग पर रेड होती है। आप जज रह चुके हैं और कोई मामूली जज नहीं रहे हैं। डयूरिंग-दि-पीरियड जब कि जांच हो रही हो, इन्वेस्टीगेशन चल रहा हो, सर्च हो रही हो, क्या किसी जज ने इस तरह का स्टे-आर्डर पास किया है ? मान लीजिये किसी को पता हो कि हमारे कमरे में कागज घुसा हुआ है, पुलिस वहां गई है तो क्या किसी जज ने ऐसा कहा है कि जांच नहीं कर सकते ? वहां जांच हो रही है, एन्फोर्समेन्ट डिपार्टमेंन्ट के लोग जांच कर रहे हैं और वहां पर आर्डर चला जाता है कि : रुकिये। आगे मत बढ़िये। क्या विश्व में ऐसी कोई मिसाल है ? मैं उन जज-साहब के विवेक पर आश्चर्यचकित हूँ। मैं भाई शांति भूषणजी से पूछना चाहता हूँ—वह जज कौन है, कब एप्वाइन्ट हुए ? शांति भूषणजी यहां लिस्ट रखें कि जजों की एप्वाइंटमेंट कैसे हुई है, कौन-कौन जज हैं, इनमें कितने देसाई हैं और कौन हैं, तब पता चलेगा। साथ ही जो गोल्ड की चोरी हुई, सोना ले गये थे, वह सोना किसको बेचा गया, किस भाव पर बेचा गया और किन-किन से खरीदवाया गया—यह पूरी सूची आनी चाहिए ? इसलिए मेरी मांग है कि बालसुब्रह्मण्यम की जांच के जितने कागजात आये हैं, वे सारे-के-सारे कागजात सदन के पटल पर रखे जांय और सदन के सदस्य, सभी दलों के नेता उसकी जांच करें, तब पता चलेगा कि इसमें कितने फेसेज हैं। क्या उसमें मोरारजी देसाई का नाम नहीं है—क्या उसमें चांदराम का नाम नहीं है—है। क्या उसमें अन्य मंत्रियों के नाम नहीं हैं—हैं। कान्तिलाल देसाई का नाम तो खूब है ही। कागज तो मिल ही जायेगा, कहां जायेगा।

अब मैं एक लैटर यहां रख रहा हूँ श्री कान्तिलाल देसाई द्वारा लिखा हुआ। यह श्री प्रेम भाटिया को उन्होंने लिखा था :-

प्रिय श्री प्रेम भाटिया,

कुछ दिन पूर्व आपके साथ "अतुल ड्रग हाउस लिमिटेड" नामक फर्म के बारे में हुई बातचीत के संदर्भ में मैं कम्पनी से सम्बन्धित सभी कागजात भेज रहा हूँ। इनमें पार्टियों के बीच हुए करार सम्बन्धी कागजात भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी से भारतीय पार्टी को निकालने के बारे में अफ्रीकी पार्टी द्वारा पारित किये गये संकल्पों की एक प्रति भी भेज रहा हूँ। यदि आप इन कागजातों के अध्ययन के लिए कुछ समय निकाल सकें तो मुझे खुशी होगी। साथ ही आप अफ्रीकी पार्टियों को सलाह भी दें कि वे इस तरह का अनुचित व्यवहार न करें जिससे कि

भारत में गलत भावनाएँ उत्पन्न हों। भारतीय पार्टी ने ऐसा कोई बुरा कार्य नहीं किया है, जिसके लिए अफ्रीकी पार्टी को भारतीय पार्टी को कम्पनी से निकालने के लिए बाध्य होना पड़ें।

इसके बाद और है। श्री कान्तिलाल देसाई, 5, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड,नई दिल्ली। यह 1978 का है। यह फोटोस्टेट है। फोटोस्टेट इसलिए लाया हूं ताकि यह पता चल सके कि श्री कान्तिलाल देसाई, 'फ्रोम दि वैरी बिगनिंग' श्री मोरारजी देसाई के कार्य में हस्तक्षेप करते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में हस्तक्षेप करते रहे हैं। यह उनकी होबी है।

अब मैं आता हूं 19,जुलाई, 1978 के लेटर पर। इससे सारी बात का पता चल जाएगा। इन्होंने इंकार किया है कि फ्रंकफर्ट में वे हमसे नहीं मिले। मैं किसी बात को छिपाता नहीं हूं। बालसुब्रह्मण्यम ने आज हमको लन्दन से फोन किया था और सारी हिस्ट्री को उन्होंने बताया और कहा कि आप कहिए सारी बातें पार्लियामेंट में। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्लियामेंट हमारे प्राणों की रक्षा करे, तो मैं आकर देश की रक्षा के लिये जितना करप्शन श्री मोरारजी देसाई और श्री कान्तिलाल देसाई का है, उस सबको बता सकता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बालसुब्रह्मण्यम को देश में बुलाया जाए और वे देश में आ कर अदालत में सारी बातों को पेश करें ताकि पता चले कि करप्शन कितनी हाई डिग्री पर चली गई है। श्रीमन, अब देखिये इस श्री कान्तिलाल देसाई के लेटर को। मैं नहीं जानता कि ये किर-लोस्कर कौन हैं ? शायद श्री मोरारजी देसाई के समधी हैं और श्री कांतिलाल देसाई के ससुर हैं, फादर-इन-ला, आप समझ सकते हैं। इसमें यह लिखा है:

प्रिय डा० स्टाल,

आपके दि० 10 जून, 1978 के पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि आप सितम्बर में व्यापार के सिलसिले में भारत आ रहे हैं। मुझे आपको यहाँ पा-कर अपार हर्ष होगा। जून माह के अन्तिम सप्ताह में मैं फ्रैंकफर्ट में था किन्तु किन्हीं कारणों से मैं आपको नहीं मिल सका। मुझे पता चला कि आपके घर में कोई समारोह था और इसलिए उन दिनों आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सके।

अपनी न्यूओमेटिक परियोजना के बारे में मैंने सोचा कि आप मेसर्स किरलोस्कर से बातचीत कर रहे थे। यह भारत में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फर्म है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि आपने बंगलौर में किसी अफ्रीकी फर्म के साथ बातचीत की है जो कि आपके ऐजेन्ट समझे जाते हैं। खैर जब आप भारत आओ तो फिर विस्तार से बातचीत करेंगे।

अगर जनतंत्र में कुछ ताकत हो, तो हाथ पकड़कर प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी से अलग कर दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : इस पर दस्तखत किसका है ?

श्री राजनारायण : श्री कांतिलाल देसाई का। श्री कांतिलाल देसाई ने यह चिट्ठी लिखी थी : "प्रिय डा० स्टाल"

[श्री राज नारायण]

मेरे पास फोटोस्टेट कापी है। हमारे सतीश अग्रवाल का यह मंत्रालय है। उनका सम्बन्ध आर० एस० एस० से है। वित्त मंत्रालय (डिपार्टमैंट आफ रेवेन्यू) के एडीशनल सैक्रेटरी एम० रामचन्द्रन के नोट दिनांक 7-6-79 के कुछ उद्धरण मैं पेश करना चाहता हूँ :

इस नोट में मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। 4-6-79 की सुबह चाय पर मैं मंत्री के साथ मीटिंग ले रहा था जैसा वे अक्सर दौरे से लौटने के बाद किया करते हैं। जब मैं अपने कमरे में लौटा तो मेरे निजी सचिव श्री एस० आर० सहगल ने सूचित किया कि प्रधानमंत्रीजी के विशेष निजी सचिव श्री वी. वाई. टोनपे का टेलीफोन आया था कि जैसे ही मुझे फुर्सत मिले मैं उनसे सम्पर्क करूं। जब मैंने श्री टोनपे से सम्पर्क किया तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं इन्फोर्समैंट डायरेक्टोरेट का इन्चार्ज हूं और मेरे हाँ में जवाब देने पर उन्होंने जानना चाहा कि क्या श्री पी. एन. बालसुब्रह्मण्यम की कोई तलाशी हुई ? मैंने सूचित किया कि मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिनों पहले श्री पी. एन. बालसुब्रह्मण्यम के बारे में कुछ निश्चित खास सूचनाएं मिली थीं और राय बनी कि उनके स्थान की तलाशी ली जाए। मैंने श्री टोनपे को बताया कि वस्तुस्थिति की जानकारी करके उन्हें रपट करूंगा।

अब आप देखें कि टोनपे ने क्यों फोन किया ? प्रधानमंत्री के विशेष निजी सचिव ने जो सर्च हो रही है उस सर्च के बारे में उनसे क्यों पूछा ? इसीलिए तो पूछा कि उसको प्रभावित करूं ? इसीलिए तो जज ने स्टे किया आउट आफ दि वे जा कर स्टे किया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी न्यायाधीश के चरित्र पर मत जाइये। इसकी अनुमति नहीं है।

श्री राजनारायण : शांति भूषणजी बैठे हुए हैं। ये कानून के पंडित हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कानून के दायरे में क्या यह चीज आती है ?

8-6-1979 को प्रवर्तन विभाग के निदेशक श्री मनचंदा ने यह बताया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव श्री एच० एस० शाह से एक संकेत मिला था जिसमें जिन्होंने यह कहा था कि श्रीमती आनन्द की एक शिकायत थी और सरकार इस मामले के पूर्ण ब्यौरे जानना चाहती है।

काम है फाइनेंस मिनिस्टरी का, सतीश अग्रवाल साहब के डिपार्टमैंट और उनके आर्डर से सारी कार्रवाई हो रही है लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री के सचिव आदि लोग तलाशी को रुकवा रहे हैं। क्यों ?

मुझे खुशी है कि मेरे भाषण के अंतिम क्षणों में बाबू जगजीवन राम जी यहाँ आ गए हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं। आरा और बनारस साथ-साथ लगते हैं। वह दिनकर जी को जानते हैं। दिनकर जी ने क्या लिखा था वह मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया लेकिन दुर्योधन नहीं माना। इस पर कृष्ण जी ने कहा :

ले अब मैं भी जाता हूँ
अंतिम संकल्प सुनाता हूं

याचना नहीं अब रण होगा
जीवन जय या कि मरण होगा
दुर्योधन तू भूशाई होगा ।
हिंसा का उत्तरदायी होगा ।

श्री मोरारजी देसाई को भी मैं यही कहना चाहता हूँ। हे जनता पार्टी रूपी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जिस तरह से दुर्योधन भूशाई हुआ था उसी तरह से इस अविश्वास के प्रस्ताव पर तू भी भूशाई होगा और जो हिंसा होगी, जो जनता की अपार क्षति हुई है, उसकी आकांक्षायें धूमिल हुई हैं, उसकी आशायें निराशा में परिणत हुई हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी तेरे पर जाएगी ।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ और बैठ जाता हूँ । धन्यवाद ।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चव्हाण जी ने जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध रखा है उसके विरोध में मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ । "उम्र तो कटी इश्के बुतां में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे ।"

अध्यक्ष महोदय, सँस्कृत में लिखा है संशय विनष्यति । मैं जनता पार्टी के लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि हम रणस्थली में हैं अपने सिद्धांतों के लिये, अपनी लोकशाही के लिए, मानवीय जनतांत्रिक मूल्यों के लिए, जिसके लिए हमने सालों तकलीफ उठायी है । हमारे राम सागर मिश्र जैसे लोग जेल में मर गए कांग्रेसियों की, बुरा मत मानना चव्हाण साहब वह दिन मुझे याद है जब उनकी लाश सामने रखी गई थी, मैं चन्द्रभानु गुप्त को बधाई देता हूँ, स्वर्गीय राम सागर मिश्र की लाश नहीं दी जा रही थी क्योंकि वह एम० आई० एस० ए० के प्रिजनर थे, लेकिन गुप्त जी ने लड़कर उनकी लाश दिलाई । और नेता जी आज कहते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ मिलकर, जिनकी उस समय सरकार थी, हम नेशनल गवर्नमेंट बनायेंगे । कहां जा रहे हैं नेता जी ? आज हम रणस्थली में हैं । आज सिद्धांतों की लड़ाई है, व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है ।

माननीय नेता जी को हमारे प्रधान मंत्री से शिकायत हो सकती हैं । हमें भी बहुत शिकायत है । हमें शिकायत यह है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुतों को मंत्री बना दिया लेकिन मुझे नहीं बनाया । हम जाते हैं प्रधानमंत्री के यहां तो अपोइंटमेंट लेते हैं । कहा जाता है कि 8 बजे आइये । हम जाते हैं तो समय समाप्त होते ही प्रधानमन्त्री उठकर खड़े हो जाते है कि समय समाप्त हो गया । मगर हमारे नेता जी जाते हैं, जो इधर से उधर चले गए, वह घंटों बैठकर शिकायत करते हैं । मगर हमने कभी ऊफ नहीं किया । यह कैरेक्टर है । और मैं कहना चाहता हूँ दुनिया के संसदीय इतिहास में उग्रसेन एक अपवाद है । पता नहीं जिन्दगी में क्या होगा ।

"अब न गिला, न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़,
फकत मर मिटने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है ।"

[श्री राजनारायण]

मैं कहना चाहता हूँ जब एस० वी० डी० सरकार बनी, नेता जी मौजूद हैं, माननीय अनन्त राम जायसवाल बैठे हैं . मैं सोशलिस्ट पार्टी का नेता था, पार्लियामेंटरी बोर्ड के चेयरमैन मधु लिमये ने ढलाया, उन्होंने कहा यह पार्टी पावर में है, और जब व्यक्ति विशेष नेता मंत्री बनना चाहते हों, पार्लियामेंटरी बोर्ड ने उसे टिकट भी दे दिया हो और मंत्री न बनाया गया हो, तो वह मैं ही हूँ । लेकिन मैंने कभी गाली गलौज नहीं की, मैंने नेताओं की चाटुकारिता नहीं की, यह हमारा आचरण है ।

इसलिये आप पहली मई को याद करें

हम लोग आए थे, सम्मेलन हुआ था, मैंने खुद देखा कि नानाजी देशमुख के साथ माननीय राजनारायण जी मौहब्बत फरमा रहे थे । हमने जिन्दगी में कभी नहीं देखा था ।

मैं नानाजी को याद दिलाना चाहता हूँ, नानाजी जब पहले-पहले महाराष्ट्र से आए तो हमारी ससुराल के इलाके में आ गये, ग्रामीण अंचल में । वह हमारे परिवार से पूरे-पूरे परिचित हैं और हमारा बड़ा भात भी खाया है. कहने की जरूरत नहीं है, मगर हमारा कोई सम्पर्क नहीं था । लेकिन हमारे नेताजी साथ बैठते थे । मैं नेताजी से कहता था कि यह काम कैसे होगा, अपने मधुलिमये जी से कहता था तो कहते थे कि जरा नानाजी से बात कर लें । नानाजी ने मुझे कई बार खाने पर बुलाया, परन्तु मैं जा ही नहीं सका । नहीं गया । तो तब तो उनसे बड़ी मौहब्बत थी, लेकिन इस समय कौन-सी बात हो गई जो कूचाएँ इश्क में इतनी ज्यादा बेहयायी हुई कि दुलत्ती चल गई और आप इधर से खिसक कर उधर चले गए ?

क्या कारण है, मैं वही कहता हूँ । मैं कोई वाह-वाही के लिये नहीं कहता हूं, मगर मैं बताता हूँ कि इसका कारण क्या है, बहुत सोचना पड़ेगा । (व्यवधान) जब नेताजी बोल रहे थे तो हमने तो उन्हें टोका नहीं, अब जब हम बोल रहे हैं तो वह भी न टोकें ।

तो इसका सोचना है कि क्या गंभीर मामला है, कौन सी बात अब हो गई है कौन-सा झगड़ा पड़ गया ? मगर मैं बताता हूँ कि जनता ने हमको भेजा, हमारी क्या हैसियत थी, जेल से छूटे थे, नेताजी और सभी ने बड़ी कोशिश करके मुझे टिकट दिलाया । मगर हमारा टिकट मुझे इतना खराब था कि हमारे नेता लोग हमारा टिकट काटने लगे । टिकट दिलाया, मैं पार्लियामेंट में आया, मेरे वही कपड़े थे जो मैं जेल में पहने था और वही कपड़े पहनकर अपनी लड़की की शादी की । मेरे जेल में होने के कारण लड़की की शादी रुक गई थी । मगर यहां पर हमने कहा कि जम्हूरियत को बचाना है, जनतन्त्र को बचाना है, इस इन्दिरा गांधी की कांग्रेस को हटाना है इसलिये किसी से भी एका करना हो तो कर लें । खासकर उनके साथ जो जेल में थे जो हमारे साथ थे । जिन्होंने हमारे साथ लाठी खाई । श्री रवीन्द्र किशोर शाही हमारी पार्टी के नहीं थे वह जनसंघ उत्तरप्रदेश के अध्यक्ष थे । हमारे साथ जेल में थे, जेलर ने बेड़िया डालकर घायल कर दिया, हम लोग जेलर पर टूट पड़े । इसलिए नहीं कि वह जनसंघी थे, इसलिए नहीं कि हमारे इलाके के थे । बल्कि इसीलिये कि वह समान धर्मी थे, समान तरीके से मार खाते थे, अन्याय की बात पर हम लोग टूट पड़े । हम उनके साथ आये ।

आप आर० एस० एस० की बात कहते हैं, आर० एस० एस० के हम भी बड़े विरोधी हैं, मगर आज क्या है ? मैं सभी से कहना चाहता हूं कि मोरारजी भाई बहुत खराब हैं, हमने कहां कोई सर्टिफिकेट दिया है कि बहुत अच्छे हैं। हमने तो जयप्रकाश नारायण के चरणों में रहकर सियासत सीखी है। मैं टैरेरिस्ट मूवमैंट में काम करता था, डा० लोहिया के बीच बगल में बैठकर वालेन्टियर की हैसियत से राजनीति में काम करता था। हमारे गुरु नरेन्द्रदेव जी थे और उन्होंने जो भाषण किया, वह मैं यहां आज नेताजी को सुनाने के लिए लाया हूँ ।

31 मार्च, 1948 को जब हमारे गुरु आचार्य नरेन्द्रदेव ने नासिक सम्मेलन के बाद, मैं तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से 1947 में ही अलग अलग हो गया था, मेरा विचार था कि कांग्रेस कुछ करने वाली नहीं है। मगर कानपुर सम्मेलन में हमारी पार्टी रह गई, मैंने कहा कि अलग पार्टी बनाओ और पार्टी बनाने के बाद नासिक में सब इकट्ठे हुए। हम लोग भी एक सोशलिस्ट पार्टी में आए, सभी ने कांग्रेस छोड़ दी। मैं दो शब्द कहना चाहता हूं, आदर्शों की बात आप करते हैं, कौन आदर्शों को लेकर आज आप इधर से उचक कर उधर बैठ गये ? आपके कौन से आदर्श हैं ? आपके सामने की बात है। आचार्य जी ने 12 विधायकों को लेकर पार्लियामैंट में भाषण किया, वह भाषण मेरे हाथ में मौजूद है मैं उसमें से एक-दो लाइनें पढ़ूंगा। भाषण के बाद कहा कि आपसे बहुत मौहब्बत है पंडित जी, बहुत दिन इस घर में रहे। अब चुनाव में जायेंगे हो सका और आपका आशीर्वाद रहा तो आपके इस विधान भवन के कोने में अपनी कुटिया बनाएंगे। लेकिन नहीं आये। उन दिनों मैं बम्बई से आया था, कोई मेरी पहचान नहीं थी। सबके सब हार गये, लेकिन एक आदर्श था।

डिफेक्शन की बात आप करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं आज जितने हमारे लोग अलग हुए हैं, श्री श्याम नन्दन मिश्र से लेकर श्री रामनरेश कुशवाहा तक जो कि हमारे जिगर के टुकड़े हैं, आप सब इस्तीफा दे दीजिए, आ जाइए चुनाव में और आपके खिलाफ जब हमारे लोग खड़े हों, तो उनको हराकर फिर आ जाइये और फिर सरकार बनाइये। मैं उनमें से हूँ···

अध्यक्ष महोदय : अब हम इसे मध्याह्न भोजन के पश्चात शुरू करेंगे। (**व्यवधान**)

अनेक माननीय सदस्य : उन्हें समाप्त करने दीजिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोकसभा मध्याह्न भोजन पश्चात 2 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री उग्रसेन : उपाध्यक्ष महोदय, अभी पहले मैं उस ऐतिहासिक डाकूमेंट से कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ जो मेरे गुरु आचार्य नरेन्द्र देव ने 31 मार्च 1948 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से अपना और अपने 11 और साथियों का इस्तीफा देते हुए पढ़ा था। उसका केवल एक अंश ही पढ़ना चाहता हूँ। नासिक सम्मेलन सोशलिस्ट पार्टी का हुआ, उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई। उस समय आचार्य जी ने अपने दोस्तों से यह कहा कि जब हम

[श्री उग्रसेन]

कांग्रेस से अलग हो गए हैं तो हमारा नैतिक आचरण है कि हम इनके टिकट को भी वापस कर दें और इनके पद को भी वापस कर दें। यह पढ़ने के बाद उन्होंने विधान सभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जो लिखित वक्तव्य पढ़ा था उसका एक अंश मैं पढ़ना चाहता हूँ। यह 31 मार्च 1948 की उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही से उद्धृत कर रहा हूँ :

'केवल साम्प्रदायिकता का विरोध करने से जनतंत्र की स्थापना नहीं होती !..."

कुछ जनतांत्रिक मूल्य हैं, कुछ माननीय आदर्श हैं। एक बात।

दूसरा अंश पढ़ना चाहता हूँ। आचार्य जी ने कहा—

"हम संतप्त हृदय से अपना घर छोड़ रहे हैं किन्तु जो अपनी पैतृक सम्पत्ति है उससे हम दस्तबरदार नहीं हो रहे हैं। यह सम्पत्ति भौतिक नहीं है। आदर्शों तथा पवित्र उद्देश्यों की सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति का उत्तराधिकारी न केवल ज्येष्ठ पुत्र होता है और न इस रिक्थ का सम-विभाग ही होता है। धार्मिक समुदायों का पर्सनल ला अर्थात् व्यक्तिगत विधान इस पर लागू नहीं होता। इस सम्पत्ति का दावेदार वही हो सकता है जो अपने आचरण और विश्वास से अपने को उसका अधिकारी सिद्ध कर सके।"

मैं अपने मित्रों से यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप उन आदर्शों को, जिनको लेकर के जनता पार्टी में आए थे, आज उधर चले गए तो उनको भी साथ ले गए तो आपको अपने आचरण से और अपने व्यवहार से जनता के सामने इसे साबित करना पड़ेगा कि कौन सी परिस्थिति आज पैदा हो गई कि अपने पुराने घर में आग लगाकर नया महल बनाने चल पड़े ? यह जनता आपसे पूछेगी और आपको इसका जबाब देना पड़ेगा।

मैं बौद्ध फिलास्फी का बहुत बड़ा कायल हूं। कुशीनारा मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। मैं कुशीनारा निर्वाचन क्षेत्र को रेप्रेजेन्ट करता हूँ। महात्मा बुद्ध ने लिखा है कि "जातं मा पुच्छ, चरणं च पुच्छ।"

जाति मत पूछो, आचरण देखो। इसलिए मैं श्री ओम प्रकाश त्यागी के रेलिजन बिल का विरोध करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जनता पार्टी जिसको हमने बनाया उसमें कुछ व्यक्तिगत झगड़े से, लड़ाई से और आपस के लेन-देन के मामले में नाराज होकर उधर चले गए तो आपको इसके लिए जनता को जवाब देना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे गुरु डाक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की हवा चलाई थी 1967 में और आज 9 प्रदेशों में चव्हाण साहब की कांग्रेस ध्वस्त हो गई। हमने भी एस वी डी की गवर्नमेंट चलाई है, मैं फार्मेशन पार्टी का सेक्रेटरी बनाया गया था। हम विधायकों ने चौधरी साहब को मुख्य मंत्री बनाया था लेकिन हमने उनको गिराने में पहल नहीं की। मैं बताना चाहता हूँ, यह इतिहास है, अगर चौधरी साहब बोलते तो मैं कहता कि कह डालिए कि हमारे नेता राजनारायण जी ने गिराया था। (व्यवधान) यही नहीं, रामनरेश कुशवाहा जी जो मंत्री थे अब एम० पी० हैं उनसे किताब लिखवाई—चरण सिंह नहीं चेयर सिंह। आप चौधरी साहब से पूछें

कि वे उग्रसेन को क्या समझते हैं और राजनारायण को क्या समझते हैं ? आज राजनारायण की जरूरत है, यह बात दूसरी है लेकिन हमारी भी जरूरत होगी।

राजनारायण जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आप कौन हैं, राम है या हनुमान हैं तो उन्होंने कहा कि हनुमान है। अखबार वाले ने मुझसे कहा कि वे तो बड़े सशक्त नेता हैं, वे कहते हैं कि राम नही हैं, हनुमान हैं तो मैंने कहा कि उसमें एक लाइन और जोड़ लेना कि राजनारायण जी वे हनुमान हैं—यह इतिहास में लिखा जाना चाहिए—जिनके इष्टदेव बराबर मतलब से बदला करते है। ···(व्यवधान)...इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास, क्रांतियां, परिवर्तन, तूफान ऐसा नहीं है कि अल्ला मियां ने कहा और वह हो गया।

राजनारायण जी रामायण की बड़ी चर्चा करते हैं, हमने तो रामायण ज्यादा पढ़ी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा गया कि उन्होंने कुछ करके बतलाया लेकिन बालि का हनन करने में उनसे भी कमजोरी हो गई, उनसे भी मर्यादा का हनन हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान नहीं थे। अगर आप रोज उनका पाठ करते हैं, माला पहनते हैं और दो घंटे पूजा करते हैं पत्थर पूजते है तो आप राम की मर्यादा को भी निभायें। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे मित्रो, हालाकि सियासत में पेशीनगोई करना मुश्किल है, कि अगर आपके कुकर्मों से जनता पार्टी टूटी तो यह देश टूट जायेगा, जनतन्त्र टूट जायेगा। ...(व्यवधान)... मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बहुत नाचीज हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं तो नेताओं का झंडा उठाता हूं लेकिन लालू, उग्रसेन की जिन्दगी की रात बिस्तरा बिछाते ही बीत गई, सोने की नौबत नहीं आई। मैंने बम्बई की गलियों में घूमकर पाँच साल काम किया है और वहां से लौटकर पूरब में आया तो अपने लिए गालिब का एक शेर कहा करता था :

"है कोई ऐसा भी जो गालिब को न जाने
शायर तो बहुत अच्छा है मगर बदनाम बहुत है।"

लोग मुझसे बुरा मान जाते हैं, मोरारजी भाई भी बुरा मान जाते हैं, राजनारायण जी भी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि मैं सबके पास जाने का आदी नहीं हूँ। मैं सिद्धान्तों का आदी हूँ। हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। जनता पार्टी की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन से मैं बिलकुल इत्तिफाक नहीं करता। मैं ट्रेड-यूनियन मूवमेन्ट का आदमी हूं। मगर मेरा आपसे कहना यह है कि जनता पार्टी की सरकार को आप बचाइये, आप उधर चले गये, कोई परवाह नहीं, आप वहीं बैठिये, लेकिन वोट हमारे साथ दीजिये।

आप सोचिये—आप क्या बनाये हैं ? हमने भी डेमोक्रेसी की परिभाषा पढ़ी है। वह परिभाषा क्या है—

जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन"

लेकिन आप क्या बना रहे हैं—

"दलबदलुओं के लिए, दलबदलुओं द्वारा, दलबदलुओं का शासन"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बचपन में मास्टरी किया करता था। बम्बई में जब खाने-पीने की दिक्कत हुई तो यह करना पड़ा, क्योंकि डिग्री या डिप्लोमा मेरे पास नहीं था, 1942 की

[श्री उग्रसेन]

क्रांन्ति में पुलिस सब उठाकर ले गई थी। मैं अपने इन साथियों से कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी की परिभाषा को मत बदलो। सबसे बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि गैर-कांग्रेस की बात चलाने वाले मेरे मित्र राजनारायण जी आज चव्हाण साहब कांग्रेसी के साथ जाकर मिल गये हैं। क्या कहूँ बहुत सोच-समझकर बोलना पड़ता है—मेरे मित्रों के सेवा में यह शेर अर्ज है— यह इश्क नहीं आसाँ"—वर्मा जी ध्यान दें, यह आपके लिये भी है और चन्द्र शेखर,मे रे जिगर के टुकड़े लिखते जिगर जरा सुनो—

यह इश्क नहीं आसां, बस इतना समझ लीजे,
यह आग दरिया है और डूब कर जाना है।

जनता पार्टी की मुहब्बत इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देगी।...

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) : समुन्द्र का पानी डाल देंगे।

श्री उग्र सेन : पूर्वांचल की रूठी हुई दुलहन की तरह चले गये और सैंया जी मनाने को गये।

मैं जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाना नहीं चाहता, बहुत से लोग पहले ही गिना चुके हैं। हमने लोकतन्त्र को स्थापित किया है, हमने न्यायपालिका की गरिमा को बढ़ाया है, 27 महीनों में जितने गलत लोगों पर मुकदमे चलाये गये, उन को वापस लिया, 51 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की, 1 करोड़ 70 लाख एकड़ में 5 वर्षों में सिंचाई की व्यवस्था का लक्ष्य है, 13.5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ—क्या ये सब गलत काम हैं ? हमने एक हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से विदेशी मुद्रा बढ़ाई। हमारे यहां पहले साढ़े-तीन हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा थी, जो अब 6 हजार करोड़ है। अगली पंचवर्षीय योजना में 30 हजार करोड़ रुपया हम गांवों के विकास और खेती पर लगाने जा रहे हैं। पिछली कांग्रेसी सरकार ने पांच पंच वर्षीय योजनाओं में जितना रुपया लगाया, उसका डेढ़ गुना हम लगाने जा रहे हैं। औद्योगिक विकास में देखिये —हमारे उद्योग मंत्री ने पिछले 2 वर्षों में 60,000 लोगों को कालीन उद्योग के लिये ट्रेनिंग दी। हमनेवायदा किया था कि बेरोजगारी को 10 वर्षों में मिटा देंगे—हमारे मोरारजी भाई ने इस तरह घोषणा की थी—क्या हम उस तरह आगे नहीं बढ़े हैं ?

मैं अब इन सब बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं— आज आपको जनसंघ बुरा लग रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं---नाना जी, बुरा मत मानियेगा, जिस दिन 4 स्टेट्स राजनारायण जी ने ले लिये और 4 स्टेट्स नाना जी ने ले लिय—तो क्या हम से पूछा था ? जब मैंने अपने नेता से पूछा—मैं नेता जी का नाम नहीं लूंगा—क्या हमारा भी कुछ हिस्सा है, क्या हम भी चौकीदारी करेंगे, तो हमारे दोस्त ने कहा—तुम्हारी हैसियत क्या है ! जब तक नानाजी आपको देते रहे, तो वह अच्छे थे, जब देना बन्द कर दिया, तो बुरे हो गये ? इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है।

अन्त मे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, इतना ही कहूंगा कि जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो वायदे किये गये हैं—राइट-टु-वर्क

का वायदा है, विकेन्द्रीकरण का वायदा है, लोगों को रोजगार देने का वायदा है, सम्प्रदाय-विरोधी और धर्मनिरपेक्ष राज्य के वायदे किये हैं, उनको जनता सरकार को पूरा करना पड़ेगा। हमने जनसंघ के नेताओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम सब तैयार हैं पर क्या घुटने टिकवा कर आज ही सब करवा लोगे। हमने कहा कि हमारा यह मतलब नहीं है। लोहिया जी कहते थे कि एक मुंह के अन्दर दो जीभ नहीं होती, इसलिए दो जबान मत करो। वे कहते थे कि गोली की इज्जत नहीं होती, बल्कि बोली की इज्जत होती है। इसलिये जीभ का आदर करो। धर्म-निरपेक्ष राज्य बनाने का हमने वायदा किया है और महात्मा गांधी की समाधि पर हमने कसम खाई है। आज उस कसम को भूल गये ? उसको मानना ही पड़ेगा हमको भी। आज जैसी देश की हालत जा रही है, उसमें नये सिरे से, नई उमंग से और नई रोशनी में इस सरकार को काम करने का मौका दो। मैं राजनारायण जी को धन्यवाद देता हूं और उन्होंने इस समय ऐसा चित्र उपस्थित कर दिया कि सबका ध्यान उधर चला गया और मैं अपने मित्रों से अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि अभी उधर बहुत पिटफाल्स हैं, बड़े खतरे हैं। वे अभी सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि तानाशाही प्रवृत्ति का नाश हो, तो इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन न करो।

मैं एक बात बीच में कहना भूल गया था और वह यह है कि आज आप यह देखें कि एशिया में फिलीपीन्स से अल्जीरिया तक कहीं भी जमहूरियत नहीं है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है, जहां पर जमहूरियत का एक्सपेरीमैंट हो रहा है और बाकी सब जगहों पर तानाशाही है। इसलिए अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर और हनुमान के नाम पर कम से कम भारत के जनतंत्र को और जनता पार्टी को इस समय ठोकर मत मारो। और स्टीफन साहब मैं आपको कहता हूं कि अगर नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, तो राष्ट्रपति किस का बनेगा, यह आप भी जानते हैं। मैं यह मानता हूं कि स्टीफन साहब का विश्वास जमहूरियत में है। मैं यह भी मानता हूँ कि श्री उन्नीकृष्णन का विश्वास जमहूरियत में है और हमारे लकप्पा साहब और श्री वयालार रवि का विश्वास भी जमहूरियत में है। वे किसी जमाने में हमारे साथी थे मगर धोखे से इधर से उधर चले गए। खैर, हमको इसकी कोई परवाह नहीं है मगर जो बातें उन्होंने कही हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। इसलिए मैं यह कहूँगा कि जनतंत्र को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए और इस देश की 65 करोड़ त्रस्त मानवता को बचाने के लिए, चह्वाण साहब ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, उसको गिरा दो और जनता पार्टी को मौका दो कि वह नई उमंग, नये जोश और जो आपने तकरीरें की हैं, उनसे नसीहत लेकर, जनता की भलाई का काम करे।

जहां तक मेरा प्रश्न है और मेरे जैसे सोचने वालों का प्रश्न है, मैं आपसे साफ कह देता हूं कि हमने अभी 4 जून को अपने कन्वेंशन में इस बात का फैसला किया है कि हम जनता पार्टी में रहेंगे लेकिन हमारे जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार हमारी जो मांगे हैं, उनको मनवाने के लिए और घोषणा-पत्र को लागू करने के लिए हम जी-तोड़ लड़ेंगे और एक जगह हिन्दुस्तान के समाजवादी जुटेंगे और निर्णय करेंगे और कांटों भरे जंगलों की राह भी हमको नहीं रोक सकती।

इन शब्दों के साथ मैं चह्वाण साहब के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूँ ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : महोदय, मैं आज इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय आपके माध्यम से इस सभा का ध्यान इस देश में प्रचलित एक मूलभूत बुराई की ओर दिलाना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि समस्या की गंभीरता इस हद तक सीमित नहीं होगी कि क्या यह सरकार समाप्त होने जा रही है और कब तक और किसी की सरकार आने वाली है । प्रश्न यह नहीं है ।

आपात स्थिति के कटु अनुभव के बाद हमने समझा कि एक अच्छी बात यह हुई है कि पहली बार संसदीय लोकतंत्र के आधार पर द्वि-दलीय प्रणाली उभरकर सामने आयी । मुझे उम्मीद है कि कम से कम नया दल संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि यह स्वयं इस देश के लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध होगा । परन्तु हुआ यह है कि नये दल ने अपने को मजबूत बनाने की कोशिश करने के बजाय जो मसले ही नहीं थे उन पर ही कार्यवाही करनी शुरू कर दी, इस तरह से यह अपने आप छिन्न-भिन्न होने लगा, उस दल के व्यक्ति आपस में लड़ने लगे और इस तरह से अस्थिर हो गया । और जो दल स्वयं स्थिर नहीं वह देश को स्थिर सरकार कैसे प्रदान कर सकता है । अतः सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह थी कि जनता पार्टी को स्वयं स्थिर रहना चाहिए था । मुझे आशा है कि कम से कम अविश्वास प्रस्ताव उन्हें आत्म निरीक्षण का अवसर प्रदान करेगा । वे एक बात को भूल रहे हैं··· (**व्यवधान**) ··· श्री ज्योतिर्मय बसु जयपुर जेल में थे । किसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए वह एक अन्तिम व्यक्ति हैं··· (**व्यवधान**) ··· ××

श्री वसन्त साठे : इस देश में स्थिर सरकार की आवश्यकता है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : ब्रिटिश सेना के कैप्टन, वह और क्या कर सकते हैं ? बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के एक वेतनभोगी एजेन्ट । (**व्यवधान**) ××

श्री वसन्त साठे : मैं आपके और इस सभा के माध्यम से देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं ····· (**व्यवधान**) ·····

उपाध्यक्ष महोदय : सभी व्यवधान सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे । मैं सदस्यों को याद दिलाता हूं कि चर्चा गम्भीर रूप से होनी चाहिए । समय अधिक नहीं है और श्री बसन्त साठे को केवल 15 मिनट मिले हैं । अतः वह जो विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उन्हें व्यक्त करने दीजिये ।

श्री बसन्त साठे : हमने उनके भाषण के दौरान तनिक भी अव्यवस्था उत्पन्न नहीं की । उन्होंने तो शुरू से ही अव्यवस्था उत्पन्न की । कृपया इसे ध्यान में रखें । मैं खुद गम्भीर बात करने जा रहा था····· (**व्यवधान**) ·····

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु, आप शान्त रहें ।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हरेक सदस्य दूसरे सदस्य ही संबोधित करता है, अध्यक्ष को नहीं । यदि वे ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मुझे सम्बोधित करें ।

×× कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री वसन्त साठे : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिला रहा था कि जब तक हम एक स्थिर दल द्वारा स्थिर सरकार बनाने की मूल समस्या के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक लोकतंत्रीय और संसदीय पद्धति में विश्वास नहीं होगा। जनता पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है वह यह है कि जनता पार्टी को लोगों की गरीबी मूलभूत समस्याओं को हल करने का जो सुअवसर मिला था वह उसने खो दिया है। यदि उन्होंने जनता पार्टी के सोशलिस्ट ग्रुप की बैठक में हाल में लायी गई लोगों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देने की कोशिश की होगी, यदि उन्होंने शुरू से ही सामस्याहीन मामलों पर रोने धोने के बजाय इन समस्याओं पर ध्यान दिया होता तो मैं समझता हूँ कि आज स्थिति भिन्न होती। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने यह समझा कि उन्होंने नकारात्मक मत प्राप्त किया। सत्तारूढ़ रहने के लिए नकारात्मक मत प्राप्त करके उन्होंने समझा कि उन्हें वही नकारात्मक पहलू अपनाकर जारी रहना चाहिए। मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। परन्तु तब उन्होंने इसे इतनी जल्दी इस स्थिति तक ला दिया है कि जिस जहर को वे उगलने का प्रयास कर रहे थे, वही उनके काम आया है और वे आज यह स्थिति देख रहे हैं।

इधर उधर के आँकड़े देने से कोई लाभ नहीं। देश में इस समय क्या स्थिति बनती जा रही है ? स्थिति यह है कि लोगों का इस सरकार से विश्वास उठता जा रहा है। साधारण मामलों को तो जाने दीजिए देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति से लोगों के दिलों में आतंक उत्पन्न हो रहा है। अर्थ-व्यवस्था को काफी गंभीर खतरा है। आप बातें करते हैं कि 'अर्थ-व्यवस्था बिल्कुल ठीक है और इसके समर्थन में मित्र लोग आंकड़े देख रहे है। वे भूतकाल में हमारी सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों की बात करते हैं परन्तु जरा एक उदाहरण देखिए कि नियन्त्रण तथा महालेखा परीक्षक ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में क्या कहा है।

श्री सूरत बहादुर शाह (खेरी) : श्री साठे ने, जो कि ऊंचे बोल सकते हैं अपनी आवाज धीमी क्यों कर ली है। वे गलत क्षणों पर ऊंचा बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान लें और कार्यवाही में खलल न डालें। उनका भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल हो रहा है, और ठीक चल रहा है। अनावश्यक रूप से कठिनाई उत्पन्न न कीजिए। सदन में बहुत शान्ति है। वे अपना भाषण दे रहे हैं और आप उनकी आवाज पर टिप्पणी कस रहे हैं। यदि आप नहीं सुन सकते तो मैं असमर्थ हूँ।

श्री वसन्त साठे : नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई है कि वर्ष 1977-78 में पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम छापे मारे गये हैं और छापों में बरामद माल में भी बहुत कमी आई है।

तलाशियों और छापों में बरामद वस्तुओं के आंकड़े निम्नलिखित है :

1975-76	3,683 करोड़ रुपये
1976-77	3,571 करोड़ रुपये

1977-78 में यह कम होकर 617 करोड़ रुपये हो गई।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आप कौन सा समाचार पत्र पढ़ रहे हैं ?

श्री वसन्त साठे : यह 3 जुलाई का **फाइनेन्शियल एक्सप्रेस** है। अब इससे क्या स्पष्ट होता है ? यह चीजें किनसे बरामद की गईं हैं ? ये वस्तुएं आम आदमी, निर्धन आदमी से नहीं बल्कि तस्करों, धनी लोगों, जमाखोरों और जिनके पास काला धन है उनसे बरामद किया गया है। यह कुल धन 3600 करोड़ रुपया हैं। यह सब धन उस घाटे के अतिरिक्त है जिसकी आप घोषणा करेंगे और जो इस समय है और इस राशि से यह घाटा पूरा हो सकता है जो इन बड़े-बड़े लोगों से बरामद की गयी है जिनको आप शरण दे रहे हैं।

इसी रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि 1977 में बकाया करों की राशि में 361.48 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है। आपको इस विषय में क्या कहना है ? अत: हमें यह नहीं कहते रहना चाहिए कि हमारी अर्थ-व्यवस्था ठीक चल रही है. प्रधानमन्त्री तो यही सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जब कभी आप ऐसा प्रश्न उठाते हैं तो वे कह देते हैं "अखबारों पर मत जाइये। समाचार पत्र बढ़ा-चढ़ाकर लिख रहे हैं। सब ठीक है। खुदा जन्नत में है और मैं यहां वजीरे-आजम हूं। इसलिए सब ठीक है।" यदि ऐसा सन्तोष रहा तो कोई भी इस देश की समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लेगा।

मैं निवेदन करता हूं कि समस्याएं गम्भीर हैं। राष्ट्र की एकता खतरे में पड़ जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि यदि लोगों का विश्वास लोकतान्त्रिक व्यवस्था से उठ गया तो क्या होगा ? इस उपमहाद्वीप के इर्द-गिर्द तथा अन्य स्थानों पर भी जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था ने विश्वास खो दिया है वहां सेना ने सत्ता हथिया ली है। यदि सैनिक शासन आ जाता है तो लोकतंत्र की तो बात ही क्या सारे देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। सेना किसी भी प्रकार इस राष्ट्र के उप-महाद्वीप को इकट्ठा नहीं रख सकती। भारत कब से एक राष्ट्र है ? केवल पिछले 30 वर्षों से। यदि सेना या अन्य कोई अर्द्ध सैनिक संगठन इस देश को अपने अधिकार में ले लेते हैं तो इस देश की एकता के विषय में क्या होगा आप कृपया इस पर विचार करें।

देश की सम्पूर्ण उत्तरी-पूर्वी सीमा को विस्तार वादियों से गम्भीर खतरा है। यदि उनको अवसर मिला तो वे गृह युद्ध आरम्भ करा देंगे और महान गठबंधन के नाम पर देश को विभक्त कर देंगे। दक्षिण में भाषा के सवाल पर जो कुछ आपने किया है क्या आप सोचते हैं कि वह सब सेना कर सकती है। यदि कोई हिन्दी साम्राज्य वादियों से बचने का नारा लगा दे तो दक्षिण आपके हाथ से चला जाएगा।

अत: मैं आपको यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि निरर्थक की राजनीतिके कारण देश की एकता खतरे में है। यह सरकार किन कार्यों को प्राथमिकता देती है ? इस पार्टी ने दक्षिण के लोगों को डरा-धमका कर हिन्दी को थोपने का प्रयत्न किया है। उन्होंने एक विधेयक भी प्रस्तुत किया। मैंने अपने मित्र त्यागी जी को कहा "आपने एक ऐसा विधेयक पेश कर दिया है जिसने ईसाई अल्पसंख्यकों के दिलों में तथा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के नाजुक इलाके में भय उत्पन्न कर दिया है। आज वहाँ उनकी सरकार है और वे पर्याप्त बहुमत में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं।"

मुस्लिम अल्पसंख्यकों के संबंध में भी यही बात है। मेरे मित्र श्री कंवर लाल गुप्त ने

आंकड़े देने का प्रयत्न किया है। आपने एक घटना में ही 100 व्यक्ति मार दिये और भूतकाल में तो कई सौ व्यक्ति मार दिये गए हैं। क्या तर्क करने का यही तरीका है। प्रश्न तो यह है कि अल्पसंख्यकों, हरिजनों, गिरिजनों, युवा विद्यार्थी समुदाय, श्रमिक या अन्य किसी वर्ग की क्या समस्याएं हैं। इसका कारण यह है कि मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीस तथा अन्य साथियों ने, जब वे विपक्ष में थे और उन्हें यह आशा नहीं थी कि वे जल्दी ही सत्ता में आ जाएंगे, सभी वर्गों में आशा का संचार किया और उनकी सभी मांगों का समर्थन किया। आज वे किस मुंह से श्रमिक वर्ग से मुद्रा स्फीति, आर्थिक दबाव के कारण बोनस की या अनिवार्य जमा योजना की राशि की मांग न करने के लिए कह सकते हैं। आज वे किस मुंह से मजदूर वर्ग को बोनस की और अनिवार्य जमा योजना की धनराशि वापस करने की माँग न करने, चाहे मुद्रा स्फीति हो या न हो, आर्थिक दबाव हो या न हो बात कर रहे हैं अतः वह समय आ गया है मैं आपको और सदन को इन मामलों पर गम्भीरता से विचार करने के लिए कहूँ।

यह तो विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह सरकार गिर जाएगी। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह अधिक समय तक चलने वाली नहीं है। परन्तु इसका विकल्प क्या है? मैं तीसरी शक्ति जैसी फजल की बातों में विश्वास नहीं करता। दस अनभिज्ञ व्यक्तियों से एक विशेषज्ञ नहीं बनता। दस सड़े हुए अण्डों से एक भी अच्छा आमलेट नहीं बन सकता तीसरी शक्ति के विषय में वे क्या बातें कर रहे हैं? प्रश्न यह है कि क्या इन लोगों ने अपने कार्यों से आम जनता के दिलों में विश्वास पैदा किया है? वे सारा समय परस्पर झगड़ा करते रहे हैं। मैं राष्ट्रपति जी से सहमत हूँ। यद्यपि राष्ट्रपति जी के नाम का उल्लेख सदन में नहीं किया जाना चाहिए परन्तु मैं इस बात का उल्लेख इसलिये कर रहा हूँ कि यह विवादास्पद नहीं है। राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की बात करने का समय आ गया है। हमें उन सब व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए जिन्हें देश से प्रेम है और जिनका देश में सम्मान है इनमें शेख अब्दुल्ला, नम्बूदरीपाद और ज्योति बसु हैं, सभी को बुलाया जाना चाहिए। आपको इन सबका एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन बुलाना चाहिए और एक बीस वर्षीय कार्यक्रम बना लेना चाहिए जिसे शताब्दी बदलने तक प्राप्त किया जा सके। एक सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय कार्यक्रम को लक्ष्य बना लिया जाए और तब पार्टियों का मूल्यांकन उनके कार्य निष्पादन की क्षमता और उस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से किया जाए। क्या यह सब इन लोगों द्वारा, इस राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है? क्या देश के लोग इन नेताओं से इस सब की अपेक्षा नहीं कर सकते? मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति देश भक्त है और उसके दिल में देशभक्ति की भावना है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि यदि आप श्रीमती गांधी को नहीं चाहते तो ठीक है वह अपना ख्याल स्वयं रख सकती है। आप उसे जेल में फेंक सकते हैं, परन्तु शेष आप सभी लोग एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन बुलाएं और देश की समस्याओं को हल करें। आप लोगों से गरीब व्यक्ति केवल इतनी ही अपेक्षा करता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह फजूल के मामलों पर समय नष्ट कर रही है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिकन्दर बख्त वक्तव्य देंगे ।

दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई में व्यवधान के बारे में वक्तव्य

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के कर्मचारियों ने 11 जुलाई, 1979 के सायंकल से हड़ताल कर दी है। दिल्ली नगर निगम से इस हड़ताल के कारणों के बारे में पता करने पर मालूम हुआ कि दिल्ली जल-मल कर्मचारी संघ ने अपनी मांगें दिल्ली नगर निगम को 11 जून, 1979 को भेजी थी जिसमें मुख्यतया 66 प्रतिशत की दर से वेतन वृद्धि तथा अन्य हितों के बारे मे लिखा था जिसमें संस्थान में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों के लिए नौकरी में आरक्षण करना भी शामिल था और इसलिए यह मामला श्रम आयुक्त के समाधान के लिए भेज दिया गया था। कर्मचारियों ने पहले 28 जून, 1979 से हड़ताल करने का प्रस्ताव किया था परन्तु दिल्ली के महापौर के हस्तक्षेप करने पर उन्होंने अपने इस निर्णय को 12 जुलाई, 1979 तक के लिए स्थगित कर दिया था। इसी दौरान श्रम आयुक्त के समक्ष चल रही समाधान कार्यवाही में कर्मचारियों की यूनियन ने भाग लिया। श्रम आयुक्त ने कर्मचारी यूनियन को इस बात की सलाह दी कि वे तब तक हड़ताल न करें जब तक कि समाधान की कार्यवाही पूर्ण न हो जाए। फिर भी, संस्थान के कर्मचारियों ने अचानक तथा गैर कानूनी ढंग से 11 जुलाई, 1979 की शाम से काम करना छोड़ दिया। नगर निगम से पता चला है कि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने से पहले जलपूर्ति संयंत्रों एवं जल वितरण प्रणाली को स्पष्टत: भंग कर दिया। निगम आयुक्त तथा निगम के अन्य कार्यकर्ताओं ने संयंत्रों को आज सवेरे जाकर देखा। संयंत्रों को ठीक करने तथा सामान्य जलपूर्ति को चालू करने के लिये सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना के तकनीकियों की सहायता ली गई। इसी दौरान वितरण पाइप लाइनों तथा वाल्वों की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच पड़ताल की गई कि वितरण प्रणाली में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। चूंकि दिल्ली नगर निगम ही नई दिल्ली नगरपालिका तथा छावनी क्षेत्रों को पानी सप्लाई करता है, अत: दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका तथा छावनी क्षेत्रों में आज सुबह पानी की सप्लाई में बहुत अधिक बाधा हुई। नगर निगम को आशा है कि अर्द्ध रात्रि के पूर्व ही पानी की सप्लाई की स्थिति सामान्य हो जाएगी।

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव—जारी

श्री बी० पी० मण्डल (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री यशवन्त राव चव्हाण के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं तो बल्कि श्री चव्हाण की अपील करूंगा कि वे अपनी देश भक्ति को भावना को ध्यान में रखते हुए अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले लें क्योंकि आप और सभी लोग यह जानते हैं कि जनता सरकार का कोई विकल्प नहीं है। जनता सरकार का

विकल्प अराजकता और गड़बड़ी ही है जो कि अन्त में देश में लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। इसे देश में कोई भी पसन्द नहीं करेगा।

आपातकाल के दौरान हमें यह अनुभव हुआ है कि लोकतंत्र छिन जाने से लोगों को कितना नुकसान होता है। पूरा देश एक जेल बना हुआ था। किसी को भी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं थी, किसी को भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, किसी को भी आन्दोलन करने की स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे लाखों नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को बिना मुकदमा चलाए जेल भेज दिया गया। जनता सरकार ने सबसे पहला जो काम किया वह था लोकतन्त्र की पुनःस्थापना करनी थी। अब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संसद सदस्यों के भाषणों को भी प्रकाशित नहीं होने दिया गया। समाचारपत्रों पर कड़ा सेंसर लगाया गया। इन सभी प्रतिबन्धों को अब समाप्त कर दिया गया है। अब पूरे देश में स्वतंत्रता है। यद्यपि मैं यह सोचता हूँ कि यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा, परन्तु अगर यह स्वीकृत हो भी जाता है तो प्रस्ताव पेश करने वाले के लिए यह बहुत देशद्रोही होने का कार्य होगा।

आखिरकार यह अविश्वास प्रस्ताव पेश करने से क्या हुआ है? इससे अत्याधिक दल-बदल हुआ है। इस देश में इस बात की काफी लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है कि दल-बदल को समाप्त किया जाए। चौथी लोकसभा के समय से ही दल-बदल विरोधी विधेयक विचाराधीन पड़ा है या और श्री चव्हाण सहित अन्य सभी नेता जोरदार शब्दों में यह कह रहे थे कि देश को यदि कहीं से खतरा है तो वह विधान सभाओं और संसद में होने वाली दल-बदल से है। श्री चव्हाण के अविश्वास प्रस्ताव पेश करने ही से काफी दल-बदल आरम्भ हो गई है।

मुझे खुद 1968 में ऐसा अनुभव हुआ है। जब महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार थी तब मैं श्री राजनारायण की भांति जो कि मेरे पास ही बैठे हैं स्वास्थ्य मंत्री था। मैंने भी श्री राजनारायण की भाँति स्वयं को अपमानित यह महसूस किया था। मैंने भी कई सदस्यों को संगठित किया और सरकार को उल्ट दिया और बाद में मैं मुख्य मंत्री बन गया। परन्तु उस समय श्री राजनारायण जैसे भद्र लोग ही जोरदार शब्दों में यह कह रहे थे कि :

"दल-बदल जो करता है, देश को धोखा देता है।"

एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं मुख्यमंत्री था मैं एक गाड़ी से हसनपुर जा रहा था और साथ वाली एक गाड़ी से श्री राजनारायण और उनके साथी जा रहे थे। ज्यों ही उन्हें पता चला कि दूसरी गाड़ी से मुख्य मंत्री जा रहे हैं तो उन्होंने नारा छोड़ा "दल-बदल जो करता है, देश को धोखा देता है।"

अब वे स्वयं वही कर रहे हैं जिसका वे विरोध किया करते थे यद्यपि मैं सरकार उलटने में सफल हो गया था और बाद में संसद सदस्यता से त्यागपत्र देने के बावजूद मैं एक आजाद उम्मीदवार के रूप में जीतने में सफल हो गया था, परन्तु उसी समय से मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः मैं श्री राजनारायण को वही काम करने से रोकता हूँ।

यदि वह इसे क्रांति कहते हैं तो इससे वह बेहतर क्रांति थी। सर्व प्रथम मेरे नेतृत्व में

[श्री बी० पी० मंडल]

शोषित दल की स्थापना की गई और पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति मुख्य मंत्री बना। इससे पूर्व कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि बिहार जैसे जाति गत भेद-भावों से ग्रस्त राज्य का पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री भी बन सकता है। पर फिर श्री राजनारायण स्वयं और उनके सभी लोग मेरे खिलाफ थे और सारे देश में इस बात को लेकर शोर मचाते रहे कि दल-बदल जो करता है, देश को धोखा देता है। आश्चर्य की बात है आज वह भी वही कैसे कर रहे हैं।

श्री राजनारायण जनसंघ के बारे में बोल रहे थे। उस सरकार में भी जिसमें महामाया बाबू मुख्यमंत्री थे और मैं एक मंत्री था, जनसंघ हमारा साथी था। श्री करपूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर भी जनसंघ सरकार में शामिल था। आज राजनारायण जी कहते हैं कि जमशेदपुर के दंगों के लिए जनसंघ के विधायक श्री पाण्डे जिम्मेदार हैं। जब श्री करपूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तब मैं जमशेदपुर गया था। जमशेदपुर के कुछ स्थानीय अधिकारियों का कहना था कि महाबीरी झण्डे का जुलूस उस गली से न गुजरे और विधायक छः दिन से हड़ताल पर थे। बाद में करपूरी जी ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को आदेश भेज दिये थे। राजनारायण भी उस समय उसी दल में थे। आदेश प्रधानमंत्री ने नहीं दिए थे। तो, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? (**व्यवधान**)

मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जब जमशेदपुर में दंगे हुए तब मुख्यमंत्री कौन था? कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और उस समय श्री करपूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। वस्तु स्थिति यह है कि 14 वर्ष से यानि 1965 से श्री राजनारायण और हम एस. एस. पी. में थे। इससे पूर्व मैं कांग्रेस में था। हम किसी न किसी रूप में समाजवादी दलों में रहे। हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से कोई सरोकार नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस संगठन के बारे में कुछ नहीं जानता। पर जब राजरारायण स्वास्थ्य मंत्री थे तब जनसंघ और रा० स्व० से० सं० अच्छे क्यों थे और जब वह सरकार छोड़ गए तो ये लोग बुरे क्यों हो गए। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इसमें क्या तर्क है? जब राजरारायण स्वास्थ्य मंत्री थे तब उनके लिए प्रधान-मंत्री अच्छे थे। जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से लौटे तो श्री राजनानायण हवाई अड्डे पर गए और उन पर इत्र छिड़का। तब प्रधानमंत्री बहुत अच्छे थे। और जब श्री राजनारायण सरकार में नहीं रहे तो वही प्रधानमंत्री इतने बुरे कैसे हो गए।

अतः मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जनता पार्टी का विकल्प केवल अराजकता होगी और देश अधिनायकवाद की ओर अग्रसर होगा। हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान और बंगला-देश में क्या कुछ हुआ हम देख चुके हैं। लोकतंत्र का विकल्प बहुत खतरनाक सिद्ध होगा और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

कानून और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ कहा गया है। कानून और व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं। अतः जो कुछ हो रहा है उसके लिए केन्द्र को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता।

1952 से पहले 1946 में जब डा० श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के मुख्य मंत्री थे तब वहां पुलिस ने दंगा किया था। गांधीजी भी वहां थे। श्री रामानन्द तिवारी पुलिस के सिपाहियों के नेता थे।

उस समय भी पुलिस से हथियार छीनने के लिए सेना बुलाई गई थी। अत: यह कोई गलत बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री था·····

एक माननीय सदस्य : श्री कमलापति त्रिपाठी।

श्री बी० पी० मण्डल : जब श्री कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री थे तब पुलिस आन्दोलन हुआ था और सेना बुलाई गई थी। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी ? क्या सरकार पुलिस को हथियार उठाते, हिंसा भड़काते, सम्पत्ति को लूटते और लूट मचाते देखती रहती ? क्या सरकार ऐसी स्थित में खामोश बैठ सकती है ? कोई भी सरकार यह सहन नहीं करेगी। अत: सरकार ने जान-माल स्थिति का कम से कम नुकसान होने देकर सेना का सहारा लिया और देश में स्थिति सामान्य बनाई तो यह उचित था। मैं सरकार में नहीं हूं। पर मुझे शक है कि इसमें विपक्ष में बैठे लोगों का हाथ है। उन्होंने ही शायद पुलिस को भड़काया है। किसी ने···

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : किसने ?···

श्री बी० पी० मण्डल : आप जैसे किसी व्यक्ति ने। मुझे शक है कि जो भद्रपुरुष जोर-जोर से बोल रहे हैं, इसमें उन्हीं का हाथ है। ···(**व्यवधान**)···

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बतूर) : शक की बात न करें। आप अपनी जानकारी के आधार पर बोलें।

श्री बी० पी० मण्डल : मुझे काफी जानकारी है। आप नाराज न हों। ऐसा लगता है कि आपको काफी आघात पहुँचा है। यह केरल में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ जहां आप सत्ता में हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वैस्ट बंगाल में कुछ नहीं हुआ, मण्डलजी।

श्री बी० पी० मण्डल : ठीक है। यह केरल में हुआ। अत: इसके लिए सरकार को शाबासी मिलनी चाहिए। जान-माल के नुकसान के बिना सरकार ने पुलिस आन्दोलन पर काबू पाया। अत: इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इस देश में 70 प्रतिशत से अधिक लोग पिछड़े हैं। अनुच्छेद 29 (2), 15 (4) और 16 (4) में क्या व्यवस्थाएं हैं। उनमें व्यवस्था है कि राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों की दशा सुधारने के उपाय करेगा और उनके लिए विशेष उपबन्ध और आरक्षण करके उनके साथ न्याय करेगा।

काका कालेकर आयोग 1953 में गठित किया गया था और 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें उसने देश की 2,399 जातियों और समुदायों की सूची दी। उसने 33 प्रतिशत आरक्षण इनके लिए करने की सिफारिश की। पर उस समय कांग्रेस के श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और श्री गोविन्द बल्लभ पन्त गृहमंत्री थे। उन्होंने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। उस पर वे इस प्रकार बैठे रहे जैसे कि संविधान निर्माता इससे अनभिज्ञ थे, जैसे कि यह उपलब्ध करके उन्होंने कोइ अपराध किया हो। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया गया। पर पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस सरकार ने पिछले 30 वर्ष में कुछ भी नहीं किया। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में पिछड़े वर्ग के अन्य लोगों के उत्थान के लिए हर समय प्रयास करने का वचन दिया था। इसके अनुसरण में उसने पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग नियुक्त

(श्री बी० पी० मण्डल)

किया और अनुसूचित जातियों के लिए भी आयोग गठित किया। तब तक अनुसूचित जातियों की शिकायतें सुनने के लिए केवल एक कमिश्नर था। पर इस सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए एक कमीशन नियुक्त किया है। वह इसे संवैधानिक रूप से पिछले समय में अनुमोदित करवाना चाहते थे···

श्री राम अवधेश सिंह (विक्रमगंज) : मैं यह कहना चाहता हूँ कि चुनाव घोषणापत्र को लागू करने का वायदा किया गया था। यह वायदा नहीं किया गया था कि नया कमीशन बहाल किया जाएगा बल्कि यह वायदा किया गया था कि काका कालेकर की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इस बारे में आप बताएं।

श्री बी० पी० मण्डल : मैं नहीं मानता···

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। वह नही मानते।

श्री बी० पी० मण्डल : यद्यपि माननीय सदस्य ने मुझे टोका पर मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं कि काका कालेकर आयोग की सिफारिश 20 वर्ष की अवधि के लिए वैध थी। अब 26 वर्ष हो गए हैं। अब वह समय-रोधित हो गई है। फिर 11 सदस्यों में से 7 ने विमत में टिप्पणी की थी, यहां तक कि अपने अग्रेतर पत्र में चेयरमैन भी बहुमत सदस्यों से इस मामले में सहमत नहीं थे। अगर इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया होता तो यह देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखा होता। वह उच्च और उच्चतम न्यायालयों में मान्य नहीं होता। अतः वर्तमान सरकार नए आयोग की स्थापना के लिए पूर्णतः औचित्य सिद्ध है और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह बतादूं कि इस आयोग के सभी सदस्य पिछड़े वर्गों के हैं। अतः वर्तमान सरकार की सहानुभूति स्पष्ट है। अनुसूचित जातियों के लिए 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है और सरकार ने उसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

किसी भी सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग की कल्पना नहीं की और इस सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग स्थापित किया है। अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 90 प्रतिशत है। अतः मैं महसूस करता हूँ कि यदि इस सरकार को गिराया जाता है तो पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों की दशा और बिगड़ जाएगी अतः मैं चव्हाण से राष्ट्रहित में अपना अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध करता हूँ। मैं इन शब्दों के साथ ही अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री अमृत नाहाटा (पाली) : मैंने अध्यक्ष महोदय का ध्यान टेलीफोन काल की ओर, जो मुझे आज सुबह प्राप्त हुई है, पहले ही दिलाया है। अब मैं गृह मंत्री का जो अभी यहां थे, किन्तु अब चले गए हैं, ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री हीराभाई गत 3 दिन से गुम हैं। वे श्री आर० के० अमीन के घर पर एक बैठक में भाग लेने के लिये अपने घर से चले थे। वे अपने घर नहीं पहुँचे और उनके परिवार के सदस्य चिंतित हैं···

श्री कल्याण जैन (इंदौर) : यह बहुत गम्भीर मामला है कि संसद का सदस्य तीन, चार दिन से लापता है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है—आप इस सदन के मालिक हैं—कि

सदन के मालिक होने के नाते इस बारे में आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और उनको लाने की कोशिश करें।

श्री अमृत नाहटा : मैं केवल यह चाहता हूँ कि गृहमंत्री अथवा प्रधानमंत्री इस सभा को आश्वासन दें कि हरियाणा विधान सभा के सदस्यों को जिस तरीके से सारे देश में घुमाया गया ऐसी शर्मनाक घटनाएं इस सभा में और देश की इस राजधानी में कभी नहीं होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने का विचार किया था तो हमने हाल में हुई घटनाओं को ही ध्यान में रखा था। संसद के इस सत्र से पहले कुछ बातें हुई थीं। भारत के सभी लोग इस सरकार की शासन करने की क्षमता पर संदेह कर रहे थे। अतः किन्ही तकनीकी कारणों के होते हुए भी हमने इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने का निश्चय किया था। इस समय हमें यह खयाल नहीं था कि बहुत जल्दी ही जनता पार्टी से लोग टूटने लग जाएंगे।

हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। कोई भी गम्भीर राजनीतिज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि जनता पार्टी से इस प्रकार लोगों के टूटने का कारण जनता पार्टी में जनसंघ द्वारा पार्टी पर प्रभुत्व जमाना है। यह इसलिए हुआ क्योंकि जनता पार्टी में जनसंघ ने उन लोगों की बेइज्जती, निरादर तथा बाहर निकालने का प्रयत्न किया जो ग्रामीण लोगों और पिछड़े लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः हम आपस में कलह पैदा न करें। तथ्य यह है कि हाल ही में जनता पार्टी पर जनसंघ का प्रभुत्व था। मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि जनता पार्टी से इतने लोग निकल रहे हैं।

महोदय, 2½ वर्ष पहले मैं भी जनता पार्टी में शामिल हुआ था क्योंकि मैंने सोचा था और मेरा यह विश्वास था कि इस देश में श्रीमती इन्दिरा गाँधी का एक सत्तावादी शासन लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है (**व्यवधान**)। मैं जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने वास्तव में भारतीय लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया है और भारत के लोगों के दबाव में उन्होंने लोकतंत्र की और संसदीय संस्थान की पुनःस्थापना की है। किन्तु महोदय, शीघ्र ही ऐसा मालूम हुआ कि जनता पार्टी में काफी आन्तरिक मतभेद हैं और ये इतने बड़े हैं जो अब तक पहले किसी भी सत्ताधारी दल में नही हुए हैं। देश में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक मोर्चों पर भी अधिक गम्भीर घटनाएँ हुई हैं।

इन 2½ वर्षों में हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां कमियां ही कमियां आरम्भ हुई हैं। देश में प्रत्येक वस्तु की कमी है। मेरी श्री मोहन धारिया के साथ जो इस समय उपस्थित नहीं हैं और जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति है कि उन्होंने इसका आसान विकल्प निकाला है। आज वे खाद्य तेल, सीमेंट, कोयला, इस्पात, तांबा, एल्यूमीनियम आदि बहुत सी वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। 1977-78 में हमारा कुल आयात 2,0707 करोड़ रुपये का था। 1978-79 में यह बढ़कर 3,085 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार आयात में चौदह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1977-78 में हमारा निर्यात 2,713 करोड़ रुपये का था। किन्तु 1978-79 में 2,494 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। इस प्रकार निर्यात में आठ प्रतिशत की कमी हुई है।

[श्री अमृत नाहटा)

हमारी विदेशी मुद्रानिधि भी घट रही है। 1976-77 में यह 1,096 करोड़ रुपये थी किन्तु गत वर्ष 1977-78 में यह केवल 580 करोड़ रुपये रह गई है।

विदेशी मुद्रा की आय का हमारा एकमात्र साधन हमारे ही लोग हैं। खाड़ी के देशों में उनके परिश्रम के कारण हमारी विदेशी मुद्रानिधि बढ़ी है। किन्तु खाड़ी के देशों में निर्माण कार्य घट रहा है और यह स्रोत सूखने जा रहा है। अतः इसका परिणाम यह हुआ है कि आयात बढ़ रहे हैं और निर्यात घट रहा है। इस सरकार के पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं रह जाता है कि विश्व में भीख मांगी जाये और विश्व बैंक के सामने घुटने टेके जायें। बंगला देश के युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से विदेशी सहायता शून्य के बराबर रही है। आपातकालीन स्थिति के दौरान श्री मेकनमारा पहली बार भारत आये थे। दूसरी बार जनता शासन के दौरान फिर जब भारत आए थे तो राजस्थान के एक गांव में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने गांव वालों को श्री मेकनामारा के पैर छूने के लिए कहा था। किन्तु यह संयोग नहीं है। 1977-78 में विदेशी सहायता 1,280 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष यह 1,444 करोड़ रुपये रही है। गत वर्ष ऋणों पर ब्याज आदि की अदायगी 621 करोड़ रुपए थी इस वर्ष यह 900 करोड़ रुपये रही है।

महोदय, प्रत्येक वर्ष भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रशासन और विश्वबैंक को 15 रुपये ब्याज आदि के रूप में अदायगी करता है और प्रत्येक भारतीय, जो आज जन्म लेता है, विदेशी ऐजेन्सियों का 400 रुपये का देनदार होता है। भारत में पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति जन्म से ही जीवनभर कर्जदार रहता है और उस कर्ज को वापस करने ने लिए उतना कमा नहीं सकता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आसान विकल्पों की नीति, आसान आयात की नीति तथा देश में आत्मनिर्भरता के लिए व्यापक सरकारी निवेश से सरकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने से इन्कार करने की नीतियां राष्ट्र को बेचने की नीति की ओर ले जा रही हैं और मैं यह भली भांति समझता हूं कि जनता सरकार देश को इसी दिशा में ले जा रही है।

महोदय, मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस वर्ष के अन्त तक 19 प्रतिशत मुद्रास्फीति हो जायेगी। भारत के इतिहास में किसी भी वर्ष इतनी मुद्रास्फीति नहीं हुई है। सबसे बुरी मुद्रास्फीति 1974 में 14 प्रतिशत थी। इस वर्ष यह 19 प्रतिशत होने जा रही है। इसका समाधान क्या है? प्रत्येक जनता नेता का अपना समाधान है किन्तु जनता पार्टी अथवा जनता सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। कोई मंत्री कहता है कि ऋण पूरी तरह बन्द हो जाना चाहिए। पहले भी हमने ऐसा किया था जिसके परिणामस्वरूप छोटे तथा मझोले उद्योग बन्द हो गये थे और इससे व्यापक बेरोजगारी हुई थी। कुछ कहते हैं कि सरकारी व्यय पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह एक अच्छी बात लगती है खास तौर से जब हजारों करोड़ रुपये निरर्थक राज सहायता पर खर्च किये जा रहे हैं। मेरे मित्र श्री मोहन धारिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली बना रहे हैं किन्तु वह कहते हैं कि जिन चीजों की सप्लाई कम है उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित नहीं किया जाएगा। तो फिर वितरण प्रणाली किस लिए है? क्या वे इस भ्रम में हैं कि आवश्यक वस्तुओं के थोक

व्यापार को अपने हाथ में लिए बिना कोई सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्भव हो सकती है ? कोई मंत्री मुद्रास्फीति के अन्तिम समाधान के रूप में वेतन वृद्धि पर रोक लगाना अर्थात मजदूरों के धन का, जो उनसे अनिवार्य रूप में जमा करवाया है, गोलमाल किया जाए। गोलमाल, विश्वासघात और धन का दुरुपयोग करना जनता पार्टी के तरीके हैं। मजदूरों ने अपने पसीने की कमाई की है। अब सरकार उसे वापस करने से इंकार करती है। यदि किसी और ने ऐसा किया होता तो वह जेल में होता किन्तु यह सरकार ऐसा कर रही है। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री निवारक निरोध, भारतीय रिजर्व बैंक में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने और वेतन वृद्धि पर रोक लगाने की बात करते हैं। इधर-उधर हड़तालें हो रही हैं। यह समाधान नहीं है। उन्होंने जो हालतें पैदा की हैं, यानि मुद्रास्फीति की स्थिति है, व्यापारियों द्वारा की जा रही चोर बाजारी को रोकने से इन्कार किया जा रहा है क्योंकि व्यापारी वर्ग, जो आज इस देश में एक शक्तिशाली वर्ग है, के प्रतिनिधि अर्थात् जनसंघ जनता पार्टी पर प्रभुत्व किये हुए है। आप जब तक व्यापारियों को खुश करते रहेंगे तब तक आप मूल्यों को बढ़ने से रोक नहीं सकते।

महोदय, मेरे मित्र जार्ज फर्नाण्डीस यहां हैं। जब देश को बेचने की बात कर रहा था तो मैं बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की ओर ध्यान आकर्षित रहा था, जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया है। गत ढाई वर्षों में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ 29 किये गए हैं। 1971-72 में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की इस देश में कुल परि-सम्पत्तियाँ 1,160 करोड़ रुपये थी जबकि 1977-78 में ये 2,330 करोड़ रुपए हो गईं। देश से बाहर भेजी जाने वाली धनराशि 80 करोड़ रुपये से बढ़कर 115 करोड़ रुपए हो गई। उनकी सहायक कम्पनियों की परिसम्पत्तियाँ 1,100 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,740 करोड़ रुपये हो गई। उनका काम गत वर्ष के 1,000 करोड़ रुपये से बढ़-कर 1040 करोड़ रुपया हो गया।

महोदय, मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीज कहते थे छोटा सुन्दर होता है। जनता पार्टी की आर्थिक नीति कहती है कि कुटीर उद्योगों द्वारा जो वस्तुएँ उत्पादित की जाती हैं उन्हें लघु उद्योग तथा बड़े उद्योग नहीं बनायेंगे और जो लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा तैयार किया जाता है वह बड़े उद्योगों द्वारा तैयार नहीं किया जाएगा। यही उनकी नीति है। आज लघु उद्योग क्षेत्र में कुल 2400 वस्तुएं तैयार की जाती हैं। किन्तु मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस केवल 504 मदों का ही आरक्षण करना चाहते हैं और यह आरक्षण भी काल्पनिक है। यह क्षमता पर और विकास पर आरक्षण है न कि वर्तमान उत्पादन से सम्बद्ध है। यह स्थिति है।

महोदय, लघु उद्योग के लिए परिव्यय के बारे में ऐसी एक बड़ी धारणा बनाई जा रही है कि जनता पार्टी छोटे पैमाने के उद्योगों के पक्ष में है। महोदय, स्थिति क्या है ? दूसरी योजना में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 3.8 प्रतिशत नियतन किया गया था। छठी योजना में अर्थात् जनता के आवर्ती योजना में यह नियतन कम होकर 2 प्रतिशत रह गया। हमारे प्रधानमंत्री बराबर यह कहते आ रहे हैं कि 10 वर्ष में बेरोजगारी दूर हो जाएगी, 4 वर्ष में नई शिक्षा-प्रणाली शुरू हो जाएगी तथा 6 महीने में यह हो जाएगा 4 महीने में वह हो जाएगा इस प्रकार कहते आ रहे हैं। क्या वे यह जानते हैं कि वे जो कुछ कह रहे हैं उसकी क्या जटिलता है ? महोदय, 10 वर्ष के अन्दर बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए आपको प्रतिवर्ष 60 लाख लोगों को रोजगार

[श्री अमृत नाहटा]

प्रदान करना होगा। आज स्थिति क्या है ? गत ढाई वर्षों में बेरोजगारी में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। मार्च, 197L में 1024 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे।

दिसम्बर, 1977 में यह संख्या 1092 लाख थी और दिसम्बर, 1978 में यह 1268 लाख थी दिसम्बर, 1979 में यह 1328 लाख हो गयी। अत: बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। वर्तमान स्थिति यह है और मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि जो वह कह रहे हैं, उसे वह कैसे पूरा करेंगे।

किसानों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि गन्ने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। आलू के मूल्य काफी गिरे हैं। आज आंध्र प्रदेश में धान को कोई नहीं खरीद रहा है। भारतीय खाद्य निगम इस आधार पर धान नहीं खरीद रहा कि वह घटिया किस्म का है किन्तु होता यह है कि किसानों को यह धान मिलों को सस्ते भावों पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भारतीय खाद्य निगम यही धान मिलों से खरीदता है, इस प्रकार वह किसानों को नुकसान पहुँचाता है और मिल मालिकों और बिचौलियों को लाभ पहुँचता है।

सरकारी क्षेत्र में धन लगाने के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि मुझे कुछ नहीं कहना चाहिये। जनता सरकार सरकारी क्षेत्र के लिये बिल्कुल वचनबद्ध नहीं है। उन्होंने सरकारी क्षेत्र में अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है।

एक माननीय सदस्य : फिल्म उद्योग का क्या हुआ ?

श्री अमृत नाहटा : हां, फिल्म उद्योग का प्रबन्ध सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए और उसे व्यापारियों के पंजों से मुक्त किया जाना चाहिए।

महोदय, वह इस देश में विदेशी पूंजी ला रहे हैं। उनके औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह कहा गया है :-

> "नियमानुसार, स्वामित्व और प्रभावी नियन्त्रण भारतीय हाथों में होना चाहिए यद्यपि सरकार अत्यधिक आयातोन्मुख और अथवा आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपवाद स्वरूप व्यवस्था कर सकती है। 100 प्रतिशत आयातोन्मुख मामलों में सरकार पूरे स्वामित्व वाली विदेशी कम्पनी पर भी विचार कर सकती है।"

महोदय यह स्थिति है। वह दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान के आदर्शों पर चल रहे हैं। ये छोटे-छोटे देश अपनी स्वतन्त्रता को दाव पर लगा सकते हैं, किन्तु भारत ऐसा नहीं कर सकता। वर्तमान सरकार जो विदेशी पूंजी को देश में आने दे रही है उसे जनता बाहर कर देगी।

इस देश में साम्प्रदायिक दंगे रोज हो रहे हैं। आज यह दंगे पूर्णिया में हो रहे हैं। बंगला देश के शरणार्थी भारत में आया करते थे। अब भारत से शरणार्थी बंगला देश जा रहे हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है ? मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह अब पश्चिमी सीमाओं से मुसलमानों को पाकिस्तान भगा रहे हैं। राजस्थान के वर्तमात मुख्यमंत्री, श्री भैरों सिंह शेखावत (जब वह 10 साल तक विधान सभा में विपक्ष में थे) कहा करते थे और उन्होंने यह सैकड़ों

बार कहा होगा कि मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान में भगा देना चाहिए। अब वह मुख्यमंत्री हैं और वहीं बात करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा वह देश की पश्चिमी सीमा पर हजारों शरणार्थियों को बस' कर आ रहे हैं। अत: मैं इस सम्बन्ध में सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। यदि भारत से एक भी मुसलमान पाकिस्तान में धकेल दिया जाता है तो जनता इसे सहन नहीं करेगी। वह जमकर इसका विरोध करेगी।

हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में स्थिति क्या है ? मैं केवल बेलची की बात नहीं कर रहा हूँ। आपातस्थिति में राजस्थान और देश में अन्य भागों में भूमिहीनों तथा अनुसूचित जातियों में भूमि बाँटी गई। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तथा पश्चिमी राजस्थान के अन्य भागों में तथा देश के अन्य क्षेत्रों में भी भूमि बांटी गई। किन्तु अब उनसे भूमि छीन ली गई है, उन्हें जबरदस्ती भूमि से बेदखल कर दिया गया है। यह भूमि अब सामन्तशाहों ने छीन ली हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को तथा भूमिहीनों को भूमि से वंचित करना ही उन पर सबसे बड़ा अत्याचार करना है। हम इसीलिए यह कहते हैं कि यह सरकार शहरी बनियों तथा गाँव के भू-स्वामियों का प्रतिनिधित्व करती है और सामन्तशाही को पुनर्जीवित करने के लिये उत्तरदायी है।

हमारे देश में हमारी एक हैडमास्टरनी थी। उसे हटा दिया गया है। अब एक हैडमास्टर है। हमारे पास ऐसे भ्रान्त और कर्त्तव्यच्युत लोगों का एक समूह है जिन्होंने देश में लोकतान्त्रिक संस्थानों को नष्ट कर दिया है। हमारे यहां एक नीरो समूह है जो फूटते हुए ज्वालामुखी के शिखर पर म्यूजीकल चेयर्ज का खेल खेल रहे हैं। जब जमशेदपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री जयपुर में पोलो मैच का मजा ले रहे थे। और एक महान गाँधीवादी गौरक्षा के लिये भूख हड़ताल कर रहा था क्योंकि उनकी मां ने उन्हें स्वप्न आकर ऐसा करने के लिए कहा था। क्या जब तक विनोबाजी को अच्छे स्वप्न नहीं आते, संसद तब तक प्रतीक्षा करती रहेगी ? सी० आर० पी० और सी० आई० एस० एफ० तथा सेना परस्पर गोलियों से वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार के संकट का पूर्वानुमान कोई भी देश नहीं लगा सकता। सेना का इस्तेमाल सीमाओं की सुरक्षा की बजाय ढहती वर्तमान सरकार की सुरक्षा के लिये किया गया है। हड़तालों को तोड़ने के लिए भी सेना का इस्तेमाल हो रहा है। जब सेना और सी० आर० पी० एक दूसरे पर गोली चला रही थी तो हरियाणा के विधायकों को जनसंघ के बन्दियों के रूप में देश की सैर कराई जा रही थी। उस समय यह नीरो समूह यही कर रहा था। आप जनता की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। आप इन्हें दलबदल की संज्ञा न दें। आपने जनता का विश्वास खो दिया है। मैं यह दावा करता हूं कि आपने जनता का विश्वास खो दिया है और यदि संसद में इस बात को अभिव्यक्ति दी जाती है तो मुझे विश्वास है कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जायेगा और यह सरकार गिर जायेगी।

श्री अशोक कृष्ण दत्त (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नये निर्वाचित विपक्ष के नेता द्वारा प्रस्तुत किये गये इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे पहले श्री वाई० बी० चव्हाण को बधाई देता हूं कि उनकी विपक्ष नेता के पद पर पुन: नियुक्त हुई है और मैं सच कहता हूं कि उनकी इस नियुक्ति पर मुझे प्रसन्नता हुई है। कभी हम एक ही पार्टी में हुआ

[श्री अशोक कृष्णदत्त]

करते थे और वह मेरे आदरणीय नेता थे। जब उन्होंने 1962 में संकट काल में रक्षा मन्त्रालय का भार संभाला तो हमने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। हमारा विचार था और हमें आशा थी कि वह महान कार्य करेंगे। मैं यह स्वीकार करता हूं कि आपात स्थिति के दौरान उनकी छवि बहुत बिगड़ गई थी। उस समय भी हमने सोचा था कि वह कुछ कर दिखायेंगे किन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस समय सम्भवतः वह छाया प्रधान मंत्री हैं और उस समय वह तत्कालीन प्रधानमंत्री की छाया में थे। उनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था किन्तु पिछले वर्ष जब वह विपक्ष के नेता के रूप में वापस आये तो उन्होंने पार्टी को पुनः सशक्त बनाने का प्रयास किया और एक नई छवि बनाई। किन्तु दुर्भाग्य से पर्दे के पीछे से तानाशाह ने उनकी पार्टी को विभक्त कर दिया और उन्हें विपक्ष के नेता के पद से हटना पड़ा। अब वापस आने के बाद मैंने आशा की थी कि उन्होंने जो बात कही थी कि वह अविश्वास प्रस्ताव को राष्ट्रीय कर्त्तव्य समझ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मेरा विचार था कि वह लोकतन्त्र की स्थापना के लिये कुछ कार्य करेंगे। क्या वह इस बात को नहीं समझते कि अविश्वास प्रस्ताव का लाभ कुछ दल-बदलू उठा रहे हैं जो लोकतन्त्र के विनाश पर तुले हैं? क्या वह इस बात में गम्भीरता से विश्वास करते हैं ···(व्यवधान)··· वह यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाये हैं? विपक्ष दल के एक उत्तरदायी नेता के रूप में उन्हें स्वयं को छाया प्रधानमंत्री मानना चाहिए। क्या वह इन दल-बदलुओं की सहायता से एक वैकल्पिक सरकार दे सकते हैं? थोड़ी देर पहले ही हमने इन दल-बदलुओं के बारे में कुछ सुना है।

श्री राम अवधेश सिंह (विक्रमगंज) : यह दल-बदल नहीं है, यह दल का विभाजन है।

श्री अशोक कृष्ण दत्त : मैं इस बारे में बाद में कहूंगा। क्या श्री अमृत नाहटा भी दल के साथ-साथ विभक्त हो गये हैं? वह जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। यदि उनके पास नैतिक साहस और नैतिक विचारधारा होती तो उन्हें अपनी सीट से त्यागपत्र दे देना चाहिये था, मतदाताओं के पास जाकर उनका समर्थन प्राप्त करना चाहिये था। वह कायर हैं, वह यहां से वहां चले गये हैं। श्री अमृत नाहटा ने सरकार की नीतियों की आलोचना की है, हमारी विदेश नीति की आलोचना की है। हमारे सक्षम मंत्री उसका उत्तर देंगे। मेरे पास समय सीमित है और मैं इन विषयों पर नहीं बोलना चाहता हूं। संसद के पिछले बजट सत्र में श्री अमृत नाहटा ने हम सबको निमन्त्रित किया था और उन्होंने मुझे भी निमन्त्रित किया था वह 10 मिनट की डाकुमेंटरी फिल्म दिखाना चाहते थे, इसे एक सरकारी आडिटोरियम में दिखाया जा रहा था। यह वृत्त चित्र कपड़ों के सम्बन्ध में था। यह फिल्म न तो अच्छी थी और न ही बुरी। किन्तु महत्वपूर्ण बात यह थी कि ज्यों ही फिल्म समाप्त हुई, और हम बाहर आ रहे थे तो वह बाहर खड़े थे उनके हाथ में एक साइक्लोस्टाइल्ड फार्म था जो सरकार को सम्बोधित था और वह हमसे उस पर हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। यह फार्म सरकार को सम्बोधित था जिसमें यह कहा गया था कि उस फिल्म को वृत्त चित्र के रूप में लिया जाये और दूरदर्शन पर दिखाया जाये। मैंने हस्ताक्षर करने से साफ इन्कार कर दिया। तब वह हमारी पार्टी में थे किन्तु मैंने उस फार्म पर हस्ताक्षर नहीं दिए क्योंकि काम करने का यह तरीका सही नहीं था।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि मैं यह अनुभव करता कि यह एक अच्छी फिल्म है, तो मैं उसकी प्रशंसा करता। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है यह एक उपेक्षापूर्ण फिल्म थी और वह हमारे हस्ताक्षर लेना चाहते थे। यदि सरकार ने इस फिल्म को दूरदर्शन के लिये ले लिया होता तो वह दलबदल न करते। माननीय विपक्ष के नेता को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि एक फिल्म की खातिर वह दलबदल कर इधर गये थे और एक दूसरी फिल्म के लिये दलबदल कर दूसरी तरफ चले गये। क्या विपक्ष के नेता इस प्रकार के लोगों पर निर्भर होकर एक वैकल्पिक सरकार बनायेंगे ?

विपक्ष के नेता ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये कहा था कि वह ऐसा राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर कर रहे हैं। क्षमा माँगते हुए उन्होंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य उन्हें अधिक रूचिकर नहीं लग रहा। उन्होंने थोड़ा रुक कर छमा मांगते हुये और कुछ बाते कहते हुए कहा था "देखिये श्री राजनारायण जैसे लोगों ने इसकी प्रशंसा की है।"

श्री राजनारायण इस तरफ से उस तरफ गये हैं। उनका दावा है कि उनकी पार्टी, असली जनता पार्टी (एस-सैक्युलर) है वह 'सी' कहकर हमें गाली दे रहे हैं। मैं उन्हें और दूसरे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम असली जनता पार्टी हैं। हम स्वयं को परिभाषित करने के लिये कोई विशेषण नहीं लगाना चाहते। आज वह स्वयं को 'धर्म निरपेक्ष' कह रहे हैं और हमें 'साम्प्रदायिक' कह कर दोष लगा रहे हैं क्योंकि आर. एस. एस. हमसे सम्बन्धित है। जब श्री राजनारायण जनता पार्टी में शामिल हुये थे जब वह जनता टिकट पर चुनाव लड़े थे क्या वह नहीं जानते थे कि आर. एस. एस. हमारे साथ है ?

जब तक वह मंत्री रहे तब तक वह यह भूले रहे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमारे साथ था। वह दिन-रात जनता पार्टी के उस महासचिव के साथ बातचीत कर रहे थे जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के थे। उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सही था परन्तु जैसे ही वह मंत्रिपद से हटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बुरा हो गया। क्या वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विपक्ष के माननीय नेता अपना लेफ्टिनेन्ट मानेंगे ? वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने श्री मोरारजी देसाई, श्री चन्द्र भानु गुप्त, उत्तर प्रदेश के अन्य लोगों और डा० लोहिया के साथ विश्वासघात किया। संभवत: उन्होंने अब पश्चाताप करके बिलिंगडन अस्पताल का नाम डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल रखा है। इस तरह से वह अपने गुरु का ऋण चुका रहे हैं। क्या विपक्ष के नेता को इन लोगों के साथ सरकार बनानी है ? मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को दोष नहीं देना चाहता। कल तक तो वे मेरे साथी व मित्र थे और मुझे विश्वास है कि सोमवार तक अनेक लोग वापस आकर जनता पार्टी को मजबूत बनायेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं लूंगा। ...(**व्यवधान**)...

मैं जानता हूँ कि श्री साठे बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके राजनारायण के साथ पुराने सम्बन्ध हैं ···(**व्यवधान**)। मैं समझता हूँ कि अनेक लोग भूल गए हैं। परन्तु श्री साठे को याद रखना चाहिए कि जिस समय संसद में 41 वें संशोधन पर विचार किया जा रहा था उस समय श्री राजनारायण राज्य सभा के सदस्य थे। 9 अगस्त, 1975 को जब 41 वें संशोधन पर मतदान हुआ था तब श्री राजनारायण ने किस पक्ष में मतदान किया था ? उन्होंने 41 वें संशोधन को

[श्री अशोक कृष्ण दत्त]

लागू करने के लिए इन्दिरा कांग्रेस के साथ मतदान किया था जिनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति, राज्यपालों और प्रधान मंत्री को कानून के कतिपय उपबंधों से छूट दी गई थी और श्री राजनारायण ने उसका समर्थन किया था। मैं राज्यसभा के रिकार्ड से उद्धरण दे रहा हूं। उन्होंने जाकर इन्दिरा गांधी का समर्थन किया। यह नई बात नहीं है। हो सकता है कि साठे इससे खुश हों। परन्तु क्या विपक्ष के माननीय नेता को इसके विकल्प में सरकार बनाने के लिए इन लोगों पर निर्भर रहना चाहिये ?

मैं आज राजनारायण का भाषण सुन रहा था। उन्होंने यह कहना शुरू किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच बैरभाव पैदा कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा गत 30 वर्षों से कर रहा है। राजनारायण ने उसके साथ हाथ मिलाकर उनके समर्थन से चुनाव क्यों लड़े ? यदि वह ईमामदार हैं तो उन्हें उस समय आकर यह कहना चाहिए था कि उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होगा। क्या उन्होंने ऐसा किया ?

श्री राजनारायण ने एक बात और कही कि श्री देसाई तानाशाह थ। सचमुच श्री देसाई तानाशाह हैं। परन्तु जब यह तानाशाह प्रधानमंत्री तथा श्री राजनारायण उस तानाशाह मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे। श्री देसाई देश से बाहर गये और श्री राजनारायण ने एकाएक इस देश में अराजकता पैदा करने का काम शुरू कर दिया। श्री देसाई के देश में वापस आने पर इस व्यक्ति ने जिनके मन में चोर था, इत्र की शीशी लेकर श्री मोरारजी देसाई को लगाने के लिए हवाई अड्डे जाने में देरी नहीं की। आज वह उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कल वह इत्र लगा रहे थे। और आने वाले कल को वह, यदि उनके अनुकूल होगा तो फिर श्री देसाई को इत्र लगायेंगे।

संसद में एक बड़ी पार्टी, चाहे वह इसे जनता (एस) या कुछ और कहें, के नेता की, जो वैकल्पिक सरकार बनाने को तुले हुए हैं, अनेक विशेषतायें हैं। एक विशेषता बड़प्पन है। उत्तर प्रदेश के मेरे मित्र इस सम्बन्ध में ब्यौरे देंगे। श्री उग्रसेन ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है। दूसरे लोग यह कहेंगे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या किया। परन्तु मैं तो यह कहूंगा कि उन्होंने यहां उस दिन क्या किया है जिस दिन वह राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करने गये थे। वहां उन्होंने उस समय राष्ट्रपति सहित अन्य सभी लोगों को आश्चर्य चकित कर दिया जब उन्होंने राष्ट्रपति के मुंह में कुछ मिठाई रख दी। क्या मंत्री का यही गौरव है ? (व्यवधान)

श्री अरविन्द बाला पजनौर : यह एक नयी बात है।

श्री अशोक कृष्ण दत्त : मेरे मित्र श्री बाला पजनौर वहां नहीं थे। उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। वह अनेक बातें भूल गए हैं।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : मैं इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। मैं गंभीर मामलों पर ध्यान देता हूं।

श्री अशोक कृष्ण दत्त: यदि वह इसे हास्यास्पद मामला समझते हैं तो मैं उनके सामने

एक और गम्भीर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। श्री बाला पजनौर और श्री मोहनयंगम उसमें हैं। श्री राजनारायण वहाँ आकर, दम्भपूर्ण शब्दो में यह कहते है कि वह धर्म निरपेक्ष हैं। केवल यह कहने से ही वह धर्मनिरपेक्ष नहीं बन जाते हैं। धर्मनिरपेक्षवाद तो विचार की एक स्थिति है। मेरा जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई सम्बन्ध नही है। परन्तु जब मैंने एक प्रतिज्ञा की है, मैं उनके साथ चुनावों में रहा हूं, जब मैंने उनके साथ पार्टी बनायी है तब मुझ उनके साथ सम्मान सहित काम करना चाहिए। यह सम्मान की शर्त है। परन्तु इसके साथ ही अब वह मंत्री के तब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के साथ रहकर पूरी तरह से संतुष्ट थे। आज वह अपना मत बदल रहे हैं। यह विचार की स्थिति है।

साम्प्रदायिकता तो संकीर्ण विचार और नीचता की उपज है। जो व्यक्ति एक मामले में तुच्छ रवैया अख्तियार करता है वह सभी मामले में हमेशा ऐसा ही करेगा। वह अपने आपको असाम्प्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। क्या श्री मोहन रंगम और श्री बाला बजनौर गतवर्ष की बात को भूल गए जबकि भाषा आन्दोलन के दौरान श्री राजनारायण ने दक्षिण भारतीयों पर किस तरह से हिन्दी थोपने का प्रयास किया था? क्या यह विचार की उचित स्थिति है?

श्री अरबिन्द बाला पजनौर : मैं उस सम्बन्ध में कुछ कहूंगा।

श्री रागावेलू मोहन रंगम (चेंगलपट्टू) : हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। यह हमारे हृदय में है।

श्री अशोक कृष्ण दत्त : मुझे आशा है कि यह उनके हृदयों में हैं।

श्री अरबिन्द बाला पजनौर : माननीय मित्र से मेरा अनुरोध है कि वह भाषा के मामले पर एक स्पष्ट वक्तव्य दें। (**व्यवधान**)

श्री अशोक कृष्ण दत्त : मैं श्री बाला पजनौर को कोई और आश्वासन नहीं देना चाहता। मैं हिन्दी जानता, समझता हूं बोल सकता हूं। परन्तु मैं यहाँ अंग्रेजी में इसलिए बोलता हूं कि मैं अंग्रेजी में अच्छी तरह से अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं और श्री बाला पजनौर अंग्रेजी में मेरी बात अच्छी तरह समझ सकते हैं।

श्री समर मुखर्जी यहां हैं। मुझे खुशी है कि वह यहां हैं। मैंने समझा था कि वे सभी यहां से चले गए हैं। परन्तु मुझे खुशी है कि वह वापस आ गए हैं। मैंने कल उनका भाषण सुना था। उनका भाषण बड़ा जोरदार था। परन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि उनका विचार क्या था। मैं समझता हूं कि वह यह विचार भी नहीं बना सके कि उन्हें सोमवार को क्या करना है। मैं उन्हें कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं ताकि वह इन बातों को सोमवार को याद रखें। हमारे पश्चिम बंगाल में मतभेद हैं। मैं पश्चिम बंगाल गया था। वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति थी। मैंने पश्चिम बंगाल सरकार से बात की थी। मैंने वहाँ की भारतीय साम्यवादी (मार्क्स) दल की सरकार की आलोचना की थी। परन्तु इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि भारतीय साम्यवादी (मार्क्स) के अपने मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि क्या वे इस अविश्वास प्रस्ताव को पास कराकर इंदिरा गाँधी को पुनः लाने में मदद करने जा रहे हैं। क्या वे यह भूल गए हैं कि उन दिनों श्री ज्योति बसु को क्या हो गया था? क्या वे यह भी भूल गए कि आपात स्थिति के दौरान क्या हुआ? (**व्यवधान**) श्री स्टीफन को विपक्ष के नेता पद से अपदस्थ किया गया है। कल

(श्री अशोक कृष्ण दत्त]

उनके भाषण से उनकी निराशाजनक भावना का पता लग रहा था। मैं उनसे और नहीं निपटना चाहता। परन्तु वह अभी भी कुछ मामले उठा रहे हैं। मैं श्री स्टीफन को गत वर्ष कांग्रेस पार्टी में हुई फूट के बारे में याद दिलाता हूं। (व्यवधान)। मैं समझता हूं कि श्री स्टीफन को यह याद रखना चाहिए था। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है। जब पिछले वर्ष इस कांग्रेस में फूट पड़ गयी थी। तब श्री स्टीफन ने श्री चव्हाण को समर्थन दिया था। परन्तु एकाएक जब कुर्सी का प्रलोभन दिया गया तो वह बदल गए। श्री स्टीफन इस तरह के व्यक्ति हैं (व्यवधान) मैं श्री स्टीफन को सम्बोधित नहीं कर रहा हूँ मैं विपक्ष के नेता को यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्य में उन्हें यह प्रस्ताव वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रस्ताव में श्री राजनारायण के नेतृत्व में प्रत्येक दलबदलू लाभ उठाने का प्रयास करेगा मैंने आपको उनकी गरिमा के बारे में बता दिया है। मैंने आपको उनके मंत्रिपद के कार्य को भी बता दिया है परन्तु एक नेता में निष्ठा मुख्य रूप से होनी चाहिए। नेता में उसके अनुयायियों की निष्ठा होती है और अपने अनुयायियों के साथ निष्ठा दिखाता है। परन्तु जब श्री राजनारायण हमारी तरफ थे तब उनकी निष्ठा क्या थी? आज मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह श्री जगजीवनराम को संबोधित कर रहे थे। वह कह रहे थे कि श्री जगजीवनराम उनके साथ आकर उनका समर्थन करें। गत वर्ष जब उनके पास अश्लील फोटो थे तब क्या उन्हें श्री जगजीवनराम के बारे में यह बात याद थी? (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस पक्ष के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सभी सदस्यों ने यह कहा कि :

"बाबू जगजीवनराम ने इन्कमटैक्स की चोरी की है।"

श्री सूरजभान (अम्बाला) : चोर तुम हो, बिड़ला के पैसे पर पलते हो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री अशोक कृष्ण दत्त : मैं माननीय मित्र के क्रोध को समझ सकता हूँ। क्रोध के कारण उन्होंने अपनी स्मरण शक्ति खो दी है।

क्रोधाद्भवति समाहेः समोहात्स्मृतिविभ्रमः।
स्मृति भ्रंशादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥

मैं अपने मार्क्सवादी मित्रों को यह याद दिला दूं कि एक दलबदलू ने, जिसने कल या परसों दल बदला है, 1966 में पश्चिम बंगाल में भी दल बदला था। हमारे मार्क्सवादी मित्रों ने उसे स्वीकार करके मंत्री बनाया। उसने उनके साथ विश्वासघात करने में कितनी देर लगायी? उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए।

मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि मैं इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध करता हूँ। इसके साथ ही मैं विपक्ष के नेता से अपील करता हूँ कि राष्ट्रीय कर्त्तव्य को ध्यान में रखते

हुए उन्हें यह प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि दलबदलू और वे लोग जो लोकतंत्र को समाप्त करने पर तुले हुए हैं, इस प्रस्ताव का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री पी० ए० संगमा (तुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभा के माननीय सदस्यों विशेषकर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के भाषणों और चर्चा से मुझे एक कहानी की याद आती है, जो तीन व्यवसायों के बारे में बताती है : वैज्ञानिक, कलाकार और राजनीतिज्ञ। एक दिन एक वैज्ञानिक, कलाकार और राजनीतिज्ञ में प्रधानमंत्री के बारे में यह चर्चा उठी कि किसका व्यवसाय सबसे पुराना और अच्छा है ? वैज्ञानिक ने कहा : निस्संदेह मेरा व्यवसाय सबसे अच्छा और पुराना है। अन्य सदस्यों ने पूछा कि कैसे ? जब ईश्वर ने मनुष्य की रचना की और उसे यह लगा कि वह अकेला था और उसे एक नारी की आवश्यकता थी। ईश्वर ने आदम को सुलाकर उनसे एक नारी की रचना की और इसलिए मेरा व्यवसाय सबसे पुराना है। कलाकार का कहना है : कि नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बाद में बनाया और उससे पहले ईश्वर ने सुन्दर ब्रह्मांड, तारागण, चन्द्रमा और वनस्पति की रचना की जो कि सभी एक कला है और इसलिए मेरा व्यवसाय सबसे पुराना है। इस पर राजनीतिक प्रधानमंत्री ने मुस्कराकर यह कहा : तुम दोनों गलती पर हो। राजनीति का मेरा व्यवसाय विश्व में सबसे पुराना है। वैज्ञानिक और कलाकार दोनों हक्के-बक्के थे। उन्होंने कहा : विश्व की रचना से पहले अराजकता और अव्यवस्था के अलावा और क्या था ? प्रधानमंत्री —राजनीतिज्ञ ने कहा : हां, अराजकता और अव्यवस्था थी यही तो सही राजनीति है, यही मेरा व्यवसाय है। आज हमारा राजनीतिज्ञ प्रधानमंत्री है। आज देश में हमारा ऐसा है नेतृत्व है जो खुश और संतुष्ट है, जिसे देश में अराजकता और अव्यवस्था पर गर्व है।

उपाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के बाद अब, मुझे पता चला है कि दो अविश्वास प्रस्ताव हैं। एक प्रधानमंत्री के विरुद्ध है और दूसरे श्री राजनारायण के जो अच्छे-अच्छे भाषण दिये गए हैं उनसे मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है "बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें मूंद लेता है।"

सरकार का कर्त्तव्य क्या है ? सरकार का सर्वप्रथम कर्त्तव्य यह है कि वह जनता और उसकी सम्पत्ति की रक्षा करें, साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये और शान्ति स्थापित कर सके। इन सब के अभाव में कुछ भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता। कोई विकास नहीं हो सकता। किन्तु यह सरकार देश में फैली अराजकता और जनता में फैली निराशा की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही है। किसी ने सही कहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं—सब ठीक हैं, सब जगह कुशल है और मैं प्रधानमंत्री हूँ।

जब ढाई वर्ष पहले यह सरकार अस्तित्व में आई थी तो उन्होंने क्या कार्य किया ? सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि जो पिछले तीस वर्ष की उपलब्धियां थीं उनको समाप्त कर दिया। क्या इस सरकार ने यह जानने का प्रयास किया कि इस देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये कौन-सी आवश्यक बातें हैं ? इस सरकार ने कौन-सी प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं ? इस सरकार ने नशाबन्दी को प्राथमिकता दी है। इस सरकार ने भाष लादने, जनता के खाने की आदतों और

[श्री पी० ए० संगमा]

धर्म में हस्तक्षेप करने को प्राथमिकता दी है।

चूंकि मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ जिसका उल्लेख विपक्ष के नेता ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए किया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ किया गया व्यवहार अत्यन्त दुःखद था। मैं इस देश की अल्पसंख्यक जाति का सदस्य हूँ। मैं आदिम जाति का सदस्य हूँ। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बद्ध हूँ। अनेक सदस्यों ने, विशेष कर प्रो० दलीप चक्रवर्ती ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सम्बन्ध में कहा है। इस समय वह यहां नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि वह इस क्षेत्र की समस्याओं को पूर्णतया समझते हैं। मुझे उनके इस दावे के बारे में सन्देह है। मैं इस क्षेत्र के अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की ओर से यह बता सकता हूँ कि यह जनता वर्तमान सरकार के हाथों में बड़ी असुरक्षा अनुभव कर रही है। यह इसलिये है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने इस क्षेत्र की समस्याओं को समझने का प्रयास नहीं किया।

आज मिजोरम में क्या हो रहा है। आज नागालैंड में क्या हो रहा है। क्योंकि सरकार ने स्थिति को ठीक ढंग से संभाला नहीं इसलिये ऐसा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने हमारे क्षेत्र की जो यात्रा की है उसने जलती में घी का काम किया है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज देश न केवल विश्वास का, बल्कि पीढ़ियों के अन्तर के संकट का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री जब नागालैंड गए थे और वहां के ग्रामीण नेताओं से मिले थे। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने यह पूछा, "क्या आप स्वयं को भारतीय मानते हैं। क्या आप भारतीय नागरिक है।" ग्रामीण नेताओं को इस प्रश्न से बड़ा धक्का लगा और इससे उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हम नागा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह उन्हें इस बात को बताने के लिए समय दे रहे हैं कि क्या वह स्वयं को भारतीय मानते हैं? यदि वह स्वयं को भारतीय नहीं मानते हैं तो वह उनसे बात नहीं करेंगे। लोगों ने कहा, "हम नागा हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा, "चले जाओ।" उन्होंने लोगों से बात नहीं की। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब कोई भारत का प्रधानमंत्री किसी भारतीय क्षेत्र की यात्रा करता है तो भारतीय लोगों से यह क्यों पूछता है कि क्या वह भारतीय नागरिक हैं प्रधानमंत्री के मन में ऐसा सन्देह क्यों होना चाहिये? हमारे प्रधन मंत्री इस प्रकार के हैं। पिछले सत्र के दौरान, श्री वसन्त साठे, श्री लवप्पा तथा मैंने प्रधानमंत्री द्वारा 7 अप्रैल को मेरे राज्य की राजधानी में दिये गए वक्तव्य के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, वक्तव्य यह था, "कि यदि आप एक वर्ष के अन्दर हिन्दी नहीं सीख सकते तो आपके लिए इस देश को छोड़ना बेहतर होगा।" प्रधान मंत्री ने ऐसे वक्तव्य से इन्कार किया है। उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने ऐसा कहा है। किन्तु मेरे पास समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ समाचार है। मैं उन पत्रकारों से मिला हूँ जिन्होंने यह समाचार दिये थे। मैं अपने राज्य के कुछ मंत्रिमण्डलस्तर के मन्त्रियों से मिला हूँ जिन्होंने उस समय पत्रकार सम्मेलन का टेप-रिकार्ड किया हुआ विवरण सुना था और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह बात कही

थी कि यदि वह एक वर्ष में हिन्दी नहीं सीख सकते तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिये। इस समय एक समाचार ही उद्धृत करना पर्याप्त रहेगा :

"चूंकि श्री देसाई का कथित उत्तर अस्पष्ट था अतः यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने कहा हो कि ऐसा वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया है। किन्तु जो लोग पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित थे, वह इस बात पर जोर देते हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही थी और जो समाचार दिया गया है वह "बिल्कुल गलत" नहीं है। कुछ संवाद दाताओं ने, जिनके पास पत्रकार सम्मेलन का टेप-रिकार्ड है, श्री देसाई को चुनौती दी है।"

मुझे खेद है कि प्रधानमन्त्री आज यहां उपस्थित नहीं है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वह पुनः इस बात को अस्वीकार करेंगे कि उन्होंने वैसा वक्तव्य नहीं दिया। सरकार की ओर से जो भी बैठा है उसे इस बात को ध्यान से नोट कर लेना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री सदन में पुनः यह वक्तव्य दें कि उन्होंने यह बात वहां नहीं कही थी। अथवा वह कहें कि "मैंने यह बात अपने व्यक्तिगत रूप में कही थी न कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में।"

राज्य के विभिन्न भागों से नेपाली जाति के लोग शिलांग आये और वह प्रधानमंत्री से मिले थे। उन्होंने मांग की थी कि नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये। श्री देसाई ने कहा—मैं समाचार पत्र से उद्धृत करता हूं :

"उन्होंने नेपाली भाषा समिति के शिष्टमंडल को कहा कि यदि वह नेपाली भाषा चाहते हैं तो वह नेपाल जा सकते हैं।"

भारत के प्रधानमंत्री जनता से इस ढंग से बात करते हैं। क्या राष्ट्र का प्रधानमन्त्री ऐसा होना चाहिए ? मैं भारत के प्रधानमन्त्री से स्पष्ट शब्दों में उत्तर चाहता हूँ कि भाषा के सम्बन्ध में उनकी नीति क्या है, धर्म के बारे में उनकी नीति क्या है ? परसों, गृह मन्त्री श्री एच० एम० पटेल ने मिजोरम स्थिति पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा था, "मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि धर्म स्वतन्त्रता विधेयक के विरुद्ध ईसाई ऐसा आंदोलन चला रहे हैं।" उन्हें इस बात से आश्चर्य हुआ है कि इस देश की 150 लाख जनता इस विधेयक से नाराज है। क्या इस देश के गृहमन्त्री को ऐसा बोलना चाहिये ? जब बच्चा रोता है तो क्या मां को यह कहना चाहिये, "मुझे आश्चर्य है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है ?" एक सौतेली माँ ही ऐसा कर सकती है असली माँ नहीं। हम बिल्कुल ऐसा ही अनुभव करते हैं। आज हमारे साथ अल्पसंख्यक, आदिवासी, ईसाई तथा मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है।

एक माननीय सदस्य : चौथे दर्जे के नागरिक।

श्री पी० ए० संगमा : जी हां, चौथे दर्जे के नागरिक। गृह मंत्री पूछ रहे थे कि हम धर्म की स्वतंत्रता विधेयक को लेकर नाराज क्यों हैं। विधेयक के प्रस्तावक सदस्य ने जो कहा है मैं उसे उद्धरित करना चाहता हूँ। यह इण्डियन एक्सप्रेस को लिखे गए 16 मई, 1979 का श्री रेमलाना

[श्री पी० ए० संगमा)

असलाम का पत्र है। श्री त्यागी ने जिन लोगों के समक्ष भाषण दिया था उसमें वह भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा :

"श्री त्यागी ने सभा में कहा कि बांगला देश में अल्पसंख्यकों को सजा दी जा रही है और उनकी संख्या तीव्रगति से घट रही है जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ती जा रही है उन्होंने कहा कि हरिजन, मुसलमान, ईसाई साम्यवादी, समाजवादी और अन्यों की कुल संख्या, जो केवल नाम के लिए हिन्दू हैं, भारत की जनसंख्या का 50% है। यदि स्थिति से निपटने के लिए तुरन्त कदम नहीं उठाए गए तो हिन्दू अल्पसंख्यक बन जाएंगे और उनके हाथों से देश का शासन जाता रहेगा। इसके बाद हिन्दू अपने ही देश में विदेशी बन जाएंगे।"

क्या यह इन लोगों के लिए शर्म की बात नहीं है जो यह दावा करते हैं कि भारत केवल हिन्दुओं का है ? यहीं कारण है भारत के डेढ़ करोड़ ईसाइयों के नाराज होने का। गृह मंत्री कहते हैं नाराज क्यों हैं, हम चिल्ला क्यों रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस रवैये में परिवर्तन आना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ

श्री ए० आर० बद्रीनारायण (शिमोगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री चव्हाण द्वारा पेश किए गए उस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूँ जिसका श्री स्टीफन ने जोरदार शब्दों में समर्थन किया है।

जब प्रस्ताव पेश किया गया तो मैं सोच रहा था कि वर्तमान परिस्थितयों में क्या यह जरूरी था। जनता पार्टी में समय-समय पर दरार पड़ने के संकेत मिलते रहे हैं। हर रोज कई सदस्य इसे छोड़ कर अलग होते जा रहे हैं। उसके प्रबुद्ध और देश भक्त सदस्य अधीरता अनुभव कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि यह अपने वायदों को पूरा करने में असफल रही है। श्री राजनारायण ने पहला धमाका किया और उसके बाद अनेक सदस्य पार्टी छोड़कर उनके साथ चले गए। वह महसूस करते हैं कि वे जनता पार्टी में चुनाव के बाद आए और जनता को उसने जो वचन दिए थे वे पूरे नहीं हो पाए। जब जनता पार्टी बनी थी तब भी वे समझते थे कि लोगों के साथ किए गए वायदे पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह पार्टी भिन्न भिन्न और विरोधी विचार धाराओं वाले व्यक्तियों का एक समूहमात्र थी। यह उन तत्वों का जमघट था जिनकी कोई सामान्य विचारधारा नहीं थी, समान सिद्धान्त नहीं थे, समान कार्यक्रम नहीं था। कोई समाजवादी दृष्टि-कोण वाले थे तो दूसरे शहरी और पूंजीवादी विचारधारा के, कोई धर्म पर आधारित्त राष्ट्र में विश्वास रखते थे तो कोई गांधीवाद में। यह शेर और मेमने, हाथी, मगरमच्छ और सांप को एक ही रंगमंच पर इकट्ठा करने वाली बात थी। पर इस सर्कस के व्यवस्थापकों के लिए यह कठिन काम था। यह सर्कस कभी सफल नहीं हो सकता था। यह हमारे प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता का परिणाम है कि वह इस पार्टी को इतने समय तक इकट्ठा रख सके। उन्होंने इसमें काफी कठिन भूमिका अदा की है। पर अब खेल समाप्त हो चुका है और दर्शक भी उकता चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पार्टी का आधार ही टूट रहा है और उसके सदस्यों में भ्रम पैदा हो गया है। श्री

कल्याण जैन का भाषण इसका स्पष्ट उदाहरण है। जब मैंने उन्हें बधाई दी तो उनका कहना था कि उनका दिमाग नहीं आत्मा बोल रही है। अविश्वास प्रस्ताव को सिद्ध करने हेतु अब किसी दलील की आवश्यकता नहीं है। जनता पार्टी की आत्मा ही अपनी कृत्यों की अभिव्यक्ति कर रही है। जनता को दिए गए पावन वचनों के सम्बन्ध में जनता की निराशा अभिव्यक्त कर रही है।

मेरे विचार से श्री चव्हाण का प्रयास मरे या मरते हुए घोड़े को मारना है।

गांधीवादी प्रोफेसर डा० रामजी सिंह बड़ी मेहनत कर रहे थे, इधर-उधर के उदाहरण पेश कर रहे थे और व्यक्तिगत कृत्यों की मदद ले रहे थे। मैं अच्छा होता यदि वह विषय की वस्तुपरक ढंग से समीक्षा करते और जनता पार्टी की समग्र रूप से उपलब्धि का जिक्र करते।

जनता पार्टी के प्रमुख वक्ता श्री कंवर लाल गुप्त ने जनता पार्टी के कृत्यों की व्याख्या करने का प्रयास किया पर पिछली सरकार की आलोचना करने में ही अपना भाषण समाप्त किया। उनके प्रयास में उनकी कुशाग्र बुद्धि और हाजिरजवाबी भी उनका साथ न दे सकी। इसी बात को देखते दिए हमारे वयोवृद्ध नेता श्री वी० पी० नायक ने टिप्पणी की थी कि किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्द ही उसकी संस्कृति के द्योतक होते हैं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे आवरण प्रदान करने हेतु प्रायः भाषायी कुतर्क या आकड़ों का सहारा लिया जाता है। सरकार या किसी संस्था के काम का अन्दाजा उन लोगों की भावना और बतों से लगाया जाता है जो उनके लाभ प्राप्तकर्ता हैं। इसका मापदण्ड साधारण है। आम व्यक्ति सरकार के बारे में उसका जो विचार है उसे अपनी भाषा में अपने तरीके से अभिव्यक्त करता है। उसके लिए आंकड़े जरूरी नहीं हैं। उसकी आवश्यकता साधारण है। वह रहने के लिए छत, अपने लिए आजीविका, बच्चों के लिए अच्छी और निःशुल्क शिक्षा चाहता है। उसे रोजमर्रा की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध होनी चाहिए। उसकी शान्ति में खलल नहीं पड़ना चाहिए। वह सुरक्षित अनुभव करे। उसकी खेती की उपज का उसे उचित मूल्य मिले। ये ही उसकी जरूरते हैं।

इन बातों को देखते हुए वह महसूस करता है कि जनता पार्टी ने उसकी बिलकुल उपेक्षा की है। उसका जीवन उसे भार लगने लगा है। वह समझता है कि उसके कल्याण में किसी को रुचि रहीं है। उसकी किसी को परवाह नहीं है।

इसके अलावा देश की एकता, सुरक्षा खतरे में है। देश की एकता में दरार पड़ रही है और सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब है।

कोई कानून नहीं है व्यवस्था नहीं है। महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। दिन दहाड़े अपराध किए जा रहे हैं। सेवाओं में अनुशासन भंग हो रहा है। श्री कल्याण जैन ने सही ही कहा है कि अनुशासन की नींव ही हिल गई है। भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता ऊपर से नीचे तक आ पहुँचे हैं। जिन से लोग अपनी रक्षा की आशा करते थे वहीं आपस में लड रहे हैं क्योंकि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उन्होंने उनके हितों की अनदेखी की है और बीमारी का निदान नहीं किया है और इसके प्रति मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। देश में अराजकता का बोलबाला

(श्री ए० आर० बद्रीनारायण]

है। छात्रों में सही प्रकार की शिक्षा न दिए जाने के कारण असंतोष है। कीमतों के बढ़ने के कारण मजदूरों में क्षोभ है। किसान जो देश की जनसंख्या का 75 प्रतिशत हैं इस बात से नाराज हैं कि उनकी वही आर्थिक दशा है जो आजादी से पहले थी। आजादी का फल उन तक नहीं पहुँचा है। यह ठीक है कि हमारे वित्त मंत्री ने, जो ग्रामीण जनता के हिमायती हैं; इस दिशा में कुछ ध्यान दिया है। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के शासन का हमेशा भय बना रहता है। हरिजनों और गिरिजनों के साथ पशुओं से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें गुलाम समझा जाता है। बुद्धिजीवी भी उनकी प्रतिभा को मान्यता न मिलने के कारण नाराज है।

संक्षेप में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ स्थिति ठीक हो।

पार्टी में, पार्टी से बाहर, देश में, देश से बाहर, इस बात पर क्षोभ है कि सरकार समय अनुकूल ऊपर नहीं उठ पायी और ऐसे समाज की स्थापना के लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पायी जिसमें समता हो, अभाव न हो और भूख न हो।

हमारे नेता ने ठीक ही कहा है कि प्रस्ताव अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करने के लिए लाया गया है ताकि देश उन करोड़ों लोगों में विश्वास पुनः जागृत किया जा सके जिन्होंने हमें अपने कल्याण और खुशहाली का उत्तरदायी बनाया है। हम उन लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते जिन्होंने सही और उचित कार्य करने लिए हम लोगों में विश्वास व्यक्त किया है। जब हम लोगों के लाभ के लिए सत्ता का उपयोग नहीं कर सकते तो हमें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं हैं। व्यक्ति से पार्टी बड़ी है और पार्टी से देश।

हमें अपने घर को ठीक करना है जिसमें काफी अव्यवस्था फैली हुई है। इस देश में प्रकृति हम पर बहुत ही दयालु है। यह विचित्र बात है कि सर्वत्र पानी उपलब्ध होते हुए भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। यह है हमारी दुर्दशा।

महोदय, सद्भावना रखने वाले लोगों ने जो सब कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते हुए मैं जोरदार शब्दों में मंत्रिपरिषद को यह बताना चाहता हूँ कि इस संसद का उनमें विश्वास नहीं रहा और वे अपने विवेक से सत्ता से त्यागपत्र दे दें और सरकार उनको सौंप दें जो बेहतर ढंग से इसका संचालन कर सकते हैं। लोगों ने काफी प्रतीक्षा कर ली है और अब और इन्तजार नहीं कर सकते। धन्यवाद।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं श्री चव्हाण के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। इस बारे में कहने से पहले मैं अपने मित्र श्री स्टीफन, जो एक अच्छे ईसाई हैं और जिन्होंने 'बाइबल' का अच्छा अध्ययन किया है, के बारे में कहना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे ऊपर अर्थात् जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि यह अपराधी पार्टी है और हमें राजनीतिक अपराधी कहते हैं। मैं यह जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि राजनीतिक अपराधी का क्या अर्थ है। मैं तथ्यों को याद दिलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यह आरोप वास्तव में कहाँ लगता है ?

क्या जनता पार्टी ने अपनी इच्छा से आपातस्थिति लगाई है ? क्या जनता पार्टी ने लोगों पर गोली चलाई है और उन्हें अकारण जेब में डाला है ? क्या यह आपराधिक अथवा न्यायिक कार्य-

वाही है ? मुझे विश्वास है कि श्री स्टीफन की परिभाषा समय-समय पर उनकी राजनीतिक सुविधा के अनुसार बदलती रहती है।

मेरे पास यहां अखबार की एक कतरन है जिसकी कुछ पंक्तियों को मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूँगा। आप उच्चतम न्यायालय के एक प्रसिद्ध न्यायाधीश रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस पर अपना फैसला दें किन्तु मुझे विश्वास है कि आप यह मानेंगे कि कहां अपराध है और राजनीतिक अपराध कहां है।

> "उस दुखद घटना का वर्णन करते हुए श्री तुलसीराम ने कहा कि कल उसे आन्ध्र-प्रदेश के दो मन्त्रियों ने श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने के लिये बाध्य किया। वह यह कह कर चले आये : मुझे खेद है कि मुझे कांग्रेस (आई) से अलग होना पड़ रहा है।"

किन्तु उन्हें उसमें शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसे किसने बाध्य किया ? मैं एक विधि वेत्ता होने के नाते आपसे पूछता हूँ कि क्या किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य करना उसका अपहरण करने के समान नहीं है ? क्या यह एक राजनीतिक अपराध नहीं है।

अभी हाल ही में दिल्ली की गलियों में एक बड़ी भारी राजनीतिक गतिविधि हुई जब श्री स्टीफन के राजकुमार एक प्रदर्शन कर रहे थे। यह क्या था ? इसमें अन्ततः हिंसा, गुण्डागर्दी और हवाई जहाज का अपहरण किया गया। क्या यह नैतिक दृष्टि से उचित था। किन्तु श्री स्टीफन एक प्रशंसनीय व्यक्ति हैं।

एक माननीय सदस्य : वह व्यक्ति कौन था ?

श्री यादवेन्द्रदत्त : संजय गांधी। आपकी सूझ-बूझ के लिए बधाई है। मैं उन्हें बता सकता हूँ। मैं उन्हें तर्क दे सकता हूँ किन्तु मैं उन्हें यह समझने के लिए दिमाग नहीं दे सकता हूं।

मैं श्री चव्हाण का आदर करता हूं क्योंकि कभी-कभी उन्होंने सिद्धान्तों की बात की है चाहे वे कैसे ही हों। वह उस समय मंत्री थे। जब जयप्रकाश नारायण पटना में एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे तो उनको गोली मारने की व्यवस्था किसने की थी ? क्या ये युवा कांग्रेस के लोग थे और क्या यह कांग्रेस (आई) के विधान सभा सदस्य के घर से हुआ था ? श्री स्टीफन मुझे आपकी बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य होता है।

श्री स्टीफन ने हमें, जनता पार्टी को, बाइबल से उद्धरित कर "व्हाइट सिपल्कर" कहा है। "व्हाइट सिपल्कर" क्या है ? यह एक कब्र है जिसमें किसी की हड्डियां रखी जाती हैं। 19 महीने का शासन क्या था ? यह 'व्हाइट सिपल्कर' से बुरा था और मुझे विश्वास है कि आप जिम्मेदार हैं और मुझे विश्वास है कि यदि ईसामसीह फिर से इस दुनिया में आयें तो वह उन्हीं पंक्तियों को फिर से दोहरायेंगे जो उन्होंने क्रास पर कही थीं : "हे पिता उन्हें क्षमा करो क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं।" यह श्री स्टीफन का मृत्यु गीत है।

श्री स्टीफन ने कहा है कि जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अधिपत्य है। मुझे इस पर आश्चर्य है। श्री स्टीफ़न को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कोई अनुभव नहीं है। मैं इसे 1943 से जानता हूं और मुझे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बद्ध होने का गर्व है।

[श्री यादवेन्द्र दत्त)

मैं इस तथ्य को छिपाना नहीं चाहता हूं। मैं आपके नेता की तरह शर्मिन्दा नहीं हूं। जब उन्होंने पहली बार मार्च, 1977 में कहा था कि "उसे फांसी लगाइए" मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु नेता की स्थिति ने उसके दिमाग में परिवर्तन किया। क्या ही आश्चर्य जनक परिवर्तन था। यह कुर्सी की वजह से परिवर्तन आया है न कि बौद्धिक क्षमता के कारण। मुझे आश्चर्य है कि किस प्रकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जनता पार्टी की सदस्यता पर अधिपत्य किया है। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। जिस दिन मैंने राजनीति में भाग लिया तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने मुझे अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था और मैंने इस्तीफा दे दिया था। आज मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक सदस्य हूँ। वे दोहरी सदस्यता की बात करते हैं। दोहरी सदस्यता कहाँ है ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : हां, मुझे इस पर गर्व है। मैं उनमे से नहीं हूँ स्टालन तगमा अथवा लेकिन तगमा पहनते हैं और कबूतर की तरह से बोलते रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारियों को संघ से निकलना पड़ेगा यदि वे राजनीति में आते हैं और वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधिपत्य की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। वे हमें साम्प्रदायिक कहते हैं। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। जब विभाजन के बाद सारा भारत जब रहा था तो मेरे स्थान जौनपुर में किसी प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। क्यों ? मैं इसके लिए आपको चुनौती देता हूं·····

एक माननीय सदस्य : उस समय आप महाराजा थे।

श्री यादवेन्द्रदत्त : मैं महाराजा हूं या भूतपूर्व महाराजा। लोग तो अभी भी वहाँ हैं।

एक दिन बनारस में हमने मुसलमान भाइयों के साथ कुछ चर्चा की थी और नमाज के समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने ही उन्हें एक मन्दिर में प्रार्थना करने के लिए बुलाया था। क्या किसी और का भी ऐसा करने का साहस था ? आप में से कोई भी ऐसा नहीं हैं। आप केवल पाखंडी हैं और फिर भी आप कहते हैं कि हम साम्प्रदायिक हैं। मुझे आश्चर्य है कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति, जो अपने आपको महान नेता कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। श्री चव्हाण मुझे इस बात के लिए क्षमा करें कि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने राजनैतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पास जाकर गुरु दक्षिणा दी। मैं यह भी बता सकता हूँ कि उन्होंने कितनी धन-राशि दी। मुझे विश्वास है श्री चव्हाण मुझसे सहमत होंगे।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : कितनी धनराशि ?

श्री यादवेन्द्र दत्त : वे लोग मुझसे पूछें और मैं बताऊंगा। आप इसकी चिन्ता न करें। मैं एक सज्जन को जानता हूँ जो धर्म निरपेक्षवाद के बड़े हिमायती बन रहे हैं। मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वह इस समय यहां नहीं हैं। उन्होंने मुझसे कहा "यदि सारे मतदाता और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शामिल होने हैं तो हम सारे देश पर छा जाएंगे।" उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अच्छा था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे कानपुर गए। जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के

प्रधान वहां आए थे और उन्होंने उनसे मिलने के लिए 2.21 बजे शाम का समय निर्धारित किया था।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : 4.20 बजे।

श्री यादवेन्द्र दत्त : आप 420 हो सकते है।

श्री अरबिन्द बाला पजनौर : आपके साथ बहुत से 420 हैं। आप 420 हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : आप हमें जो चाहे कहें हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं जानता हूँ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रधान से क्या बातचीत की थी।

वह अपने दो पैरों पर नहीं चले बल्कि चार पैरों पर चले। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तब अच्छा था। जब श्री राजनारायण ने प्रार्थना की थी और श्री नानाजी देशमुख के साथ बैठे थे और उनके साथ भाई जैसा व्यवहार किया था तब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अच्छा था। यह दो जुबानों से बात कर रहा है.....

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणासी) : यह इनका डक स्टैन्डर्ड है। एक जेन्टिलमैन नहीं है तो नाम नहीं लेते और दूसरा जेन्टिलमैन है, तो उसका नाम लेते हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : यह उसका अहम् भाव है। अत: यदि इससे किसी का राजनीतिक प्रयोजन हल होता है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अच्छा है। यदि इससे किसी का राजनीतिक प्रयोजन हल नहीं होता है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अच्छा नहीं यह बिलकुल पाखंड है और पाखंडियों को अपने आपको नीति संगत कहने का कोई अधिकार नहीं है।

क्या मैं पूछ सकता हूँ क्योंकि वह बड़े नैतिकवादी हैं, जिसकी फियट कार में वह सारे उत्तरप्रदेश में घूमें, कि उनके 10,000 रुपये प्रतिमाह के टेलीफोन बिल को कौन चुका रहा था ? उपाध्यक्ष महोदय यहां नहीं हैं। वह भी राजनारायण के अनुयायियों में से हैं ! मैं उत्तरप्रदेश जनसंघ पार्टी का नेता हूँ और विपक्ष का नेता था। उन्हें राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए 12 मतों की आवश्यकता थी। श्री राजनारायण आये और कहा "भाइयों हमें 12 मत दीजिए।" तब हम अच्छे थे। अब हम बुरे हो गये हैं। कैसा अचानक परिवर्तन हुआ है। महोदय, यदि अनुमति दें तो मैं यह हिन्दी कहावत कहूँ :

दो जवान से नहीं, छ: जबान से बोलते हैं। दो जबान का काटा बच सकता है लेकिन छ: जबान के काटे से लहर भी नहीं आयेगी।

श्री साठे ने कहा कि यदि जनता सरकार रहती है तो देश का विघटन हो जायेगा। मुझे आश्चर्य होता है कि कौन से देश की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसकी परिभाषा नहीं की है। सम्भवत: बेकार का विघटन हो जाये और श्री साठे और उनकी महारानी के विरुद्ध जा सकता है। किन्तु देश का विघटन नहीं होगा। इस देश में देशभक्ति है। इस देश में शक्ति की भावना है। इस देश में स्वत: ही शक्ति है। जो विघटन की बात करते हैं वे देशभक्त नहीं हैं। चाहे वे और कुछ क्यों न हो। क्या मैं श्री साठे और श्री सी० सुब्रह्मण्यम को इस सभा में दिये गए उनके पहले भाषण की याद दिलाना चाहता हूँ जब मार्च, 1977 में जनता सरकार सत्ता में आई ? मुझे

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

इस बात पर आश्चर्य होता है जब मेरे माननीय मित्र अपने को देशभक्त कहते हैं। उन्होंने उत्तर और दक्षिण के लोगों में परस्पर विरोधी विचार पैदा किये। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यह एक संयोग की बात है कि उत्तर में जनता आई और दक्षिण के कुछ भागों में काँग्रेस आई है। किन्तु क्या यह आवश्यक था कि उनकी भावनाओं को उभारा जाये ? इस सभा में इस भावना को उभारने का तथ्य ही यह दिखाता है कि वहां विघटन हो रहा है। यहां विघटन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैंने अभी तक उनके बारे में नहीं कहा है जो बहुत शोर मचा रहे। मैं अब उनके बारे में ही कहता हूँ। श्री चह्वाण हमें हरिजनों और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार करने वाले कह रहे हैं। क्या मैं उन्हें याद दिला दूं कि मराठवाड़ा में क्या हुआ था ? मराठवाड़ा में उनके नेतृत्व में जो हत्याएं हुई थी वैसी देश में कही नही हुई। श्री चव्हाण ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है जनता पार्टी के पास थैलियां है। क्या वह यह आरोप भूल गये हैं। महाराष्ट्र के बड़े-बड़े चीनी व्यापारियों के साथ कौन है ? श्री चव्हाण को इसका उत्तर देना है।

महोदय, बहुत सी बातें हैं जो मैं कहना चाहता था किन्तु मैं नहीं समझता कि आप मुझे अधिक समय देंगे। मैं केवल यही कहूँगा।

सहसा पयरितां प्रियाम्।
अविवेका परमां पदाम्॥

श्री चव्हाण दल बदलुओं के साथ और उन लोगों के साथ जिनका कोई नैतिक स्तर नहीं है वैकल्पिक सरकार बनाना चाहते हैं। वह इस अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय नहीं दे रहे हैं। वह लोकतंत्र पर अविश्वास प्रस्ताव पास कर रहे हैं। यह याद रखिए और पहले कि आप कोई कार्यवाही करें इसके परिणाम पर और इससे होने वाली हानि के बारे में सोचिए।

अतः, श्री चव्हाण, आपने कहा कि यह संकल्प पेश करना आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि यह आपका कर्त्तव्य है कि आप इस संकल्प को वापस ले लें। यह इस कारण नहीं कि हम इससे डरते हैं किन्तु इस कारण कि इसके जो परिणाम होंगे वे इस देश के लिए बहुत खतरनाक होंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

अंत में मैं आपको तथा अपने सभी मित्रों को यह कहना चाहता हूँ कि इस देश के नैतिक सिद्धांतों, अर्थात इस देश के नैतिक सिद्धांतों का दुखान्त अहंभाव है। अहंभाव से ही महाभारत हुआ, अहंभाव से ही जयचंद पैदा हुआ और अहंभाव से ही दलबदलू पैदा हुए हैं। यदि आप ऐसा करते जायें तो मुझे खेद है कि आप भ्रम में हैं।

हमारा दृष्टिकोण शुद्ध और सरल हैं। अन्त में मैं आपको फिर एक पद स्मरण कराना चाहता हूँ :

अर्जुनस्य प्रतिहोनः द्वै न दैन्यं न पलायनम्।

इन शब्दों के साथ मैं श्री चव्हाण के संकल्प का विरोध करता हूँ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम (पलानी) : जब मैं वाद-विवाद को सुन रहा था तो मेरे अन्दर एक निराशा की भावना आ रही थी क्योंकि आज हमारा लोकतन्त्र दांव पर है, हमारी धर्मनिरपेक्षता दांव पर है, सामाजिक-न्याय दांव पर है। और हमारे देश की एकता दांव पर है।

जनता सरकार जब सत्ता में आई तब उसे कई लाभ प्राप्त थे। उनके पास राजनीतिक साख थी और यदि मैं यह कहूँ कि मेरी साख भी उन्हें प्राप्त थी क्योंकि मैंने सोचा था कि संभवत: यह पार्टी स्वस्थ्य लोकतन्त्र की नींव रखेगी। इस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और यदि यही पार्टी सही ढंग से कार्य करेगी तो इससे हमारी लोकतन्त्र की नींव सुदृढ़ होगी। राजनीतिक साख के अतिरिक्त उनके पास कुछ ठोस आर्थिक आधार भी थे जैसे खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार, विदेशी मुद्रा का बढ़ता हुआ भंडार और इससे भी बढ़कर गतिशील औद्योगिक ढांचा था।

यदि आप सरकारी क्षेत्र के इतिहास को उठाकर देखें; जिसका मैं प्रभारी भी रहा हूँ, तो आपको पता लगेगा कि इसे किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है और हमने सोचा था कि हमने इसकी समस्याओं को हल कर लिया है तथा मैं सदन में यह घोषणा करने की स्थिति में था कि सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक सक्षम है। हमारी यह उपलब्धि थी। इसके अतिरिक्त उन्हें अनुभवी नेताओं का लाभ भी प्राप्त था। नेतृत्व करने के लिये मोरारजी भाई जैसे व्यक्ति थे, बाबूजी और चौधरी चरणसिंह भी थे। वे सभी कुशल व्यक्ति थे। उनके पास न केवल कुछ कुशल व्यक्ति थे बल्कि नई प्रतिभा वाले व्यक्ति भी थे। उनमें जार्ज आदि जैसे व्यक्ति हैं। इस सबके बाबजूद भी आज दो वर्ष पश्चात् क्या तस्वीर सामने आई है। क्या वे ईमानदारी से कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्थिति सुधारी है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : जी हां।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : ये अब भी इसी भ्रम में हैं। क्या ये ईमानदारी से कह सकते हैं उन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखा है। मैं पूर्ण सम्मान के साथ श्री जार्ज से पूछता हूँ कि कौन कहता है स्थिति में सुधार हुआ है। मुझे आशा है उसका उत्तर बाद में मिलेगा। मैं इसके विषय में अब बात नहीं करना चाहता। परन्तु विभिन्न वर्गों के लोगों की तो बात ही क्या मैं पूछता हूँ कि उन्होंने अपनी पार्टी के विश्वास को बनाए रखा है। मैं पूछता हूँ कि आज इतने अधिक लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं ? मुझे खेद है कि पार्टी अध्यक्ष यहाँ नहीं हैं। क्या पार्टी अध्यक्ष खड़े होकर ईमानदारी से यह कह सकते है कि उन्हें अपनी सरकार पर विश्वास है कि वह कार्य करने में समर्थ है ? वह ऐसा नहीं कह सकते। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्या वे इसे महसूस करते हैं या नहीं। यदि वे स्वयं अनुभव करते हैं तो कुछ आशा की जा सकती है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि उनकी विश्वसनीयता बहुत कम रह गई है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : ऐसा तो पिछली सरकार यानि श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन के दौरान भी था।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हो सकता है आप हमें दोष दे सकते हैं। परन्तु उन्हें हमारे से अच्छा कार्य करके दिखाना चाहिए।

ऐसा क्यों हुआ है ? हम इस पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम इनकी पहली गलती यही थी

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

कि इन्होंने स्वयं को एक संगठित पार्टी समझा न कि संयुक्त सरकार। एक संयुक्त सरकार को कुछ शर्तों और मानदण्डों का पालन करना पड़ता है। एक ही पार्टी की सरकार को एक सर्वमान्य नेतृत्व के अधीन बिल्कुल अलग ढंग से कार्य करना पड़ता है। परन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने यह सोचा कि उनकी पार्टी संगठित है और उन्होंने एक ही पार्टी की सरकार के रूप में कार्य करना आरम्भ कर दिया। जबकि सत्य यह था कि जनता पार्टी कई पार्टियों का गठजोड़ थी और विभिन्न पार्टियों ने अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने समाजवादी पार्टी के सदस्यों की बैठक बुलाई। इस सबसे क्या हुआ है ? यदि आप एक ही पार्टी के मानदण्डों को संयुक्त सरकार पर लागू करना चाहते हैं तो इससे अवश्य ही कठिनाइयाँ उठ खड़ी होंगी और कठिनाइयाँ पैदा भी हुई हैं। मैं जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित लोगों की सराहना करता हूँ। वे बहुत ही चतुर व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी चतुराई का लाभ भी उठाया है। उन्होंने स्वयं को प्रधानमन्त्री के इर्द-गिर्द रखा और पूरी तरह राजनीतिक लाभ उठाया। राज्यपालकीय के पद जिनका कोई महत्व नहीं होता किसी एक ही घटक के हिस्से में गए हैं।

एक माननीय सदस्य : काँग्रेस (ओ)

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : कोई भी हो। सभी सक्रिय, कार्यों से जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बाहर रहा है। यह एक और चतुराई का काम है। उन्होंने स्थिति का पूरा फायदा उठाया और अभी भी अधिक से अधिक राजनीतिक लाभ उठा रहे थे। यही भय था। अल्पसंख्यकों तथा अन्यों को तो छोड़िए। जनता पार्टी के अन्य घटक भी हैरान थे कि अगले आम चुनावों में क्या होगा, क्या वे पुन: निर्वाचित भी हो सकेंगे या उनपर जनसंघ का प्रभुत्व बना रहेगा। इसीलिये यह स्थिति उत्पन्न हुई। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के व्यक्तियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। यदि आप जनता पार्टी में पैदा होने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि मुख्य कारण यही था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अनुभव से यह सीखना है, हमें यह सोचने की बजाए कि कुछ पहले हो चुका है, या पार्टी पहले ही संगठित हो चुकी है, परिस्थितियों की वास्तविकता को समझना चाहिए। यही एक बात है जिसे हमें याद रखना होगा।

दूसरी बात जिससे उन्हें कठिनाइयां हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी वह यह है कि इन्होंने सभी को कुछ देने का वायदा कर दिया था इसीलिए लोग बहुत कुछ होने की आशा लगाए बैठे थे। इसके अतिरिक्त लोग सब कुछ बहुत जल्दी होने की आशा लगाए बैठे थे। जनता पार्टी के विभिन्न घटकों में समाज के प्रत्येक वर्ग के संरक्षक हैं।

श्री मोरारजी देसाई का विश्वास है कि ईश्वर उनके साथ है परन्तु इसके बावजुद भी सभी वर्गों के सभी लोगों या लोगों के कुछ वर्गों की आशाओं और इच्छाओं को पूरा करना असंभव है। अत: इससे समाज के सभी वर्गों में निराशा की भावना घर कर गई और यही कारण है कि लोगों की पूरी न की गई आशाएं और अपेक्षाएं उभर कर सामने आ रही हैं और उनके विरुद्ध कार्य कर रही हैं। वे इस तथ्य को नहीं भूले हैं कि वे सरकार में हैं अत: उन्हें सरकार चलानी है। इसके

बावजूद मंत्रियों ने सभाओं में यह कहना आरम्भ कर दिया है कि आप लोग हड़ताल करो हम आपके साथ हैं। यह कैसे हो सकता है ? वास्तविक कठिनाई यही है। मोरारजी भाई स्वयं को अनुशासनवादी समझते हैं।

यदि मंत्रिमण्डल स्तर पर ऐसा अनुशासन चलाया जा रहा है तो कोई अचम्भे की बात नहीं कि पूरे समाज में अनुशासनहीनता आ जाए। समाज के किसी भी वर्ग को लीजिए सब में अनुशासनहीनता मिलेगी ? आप संसद से या मंत्रिमण्डल से लेकर नीचे तक देखें हर जगह अनुशासनहीनता आ रही है और एक अनुशासनहीन राष्ट्र विशेषरूप से विकासशील राष्ट्र कैसे उन्नति कर सकता है ? निस्सन्देह यह हमारी सबकी जिम्मेवारी है परन्तु यह भी निश्चित है कि सबसे पहली जिम्मेदारी मंत्रिमण्डल की है क्योंकि वह देश पर शासन करता है। परन्तु उन्होंने स्वयं को अनुशासनहीन समूह ही साबित किया है। वे एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहे और पार्टी छोड़ते रहे। इसी अनुशासनहीनता के कारण उन्हें ऊंची पदवी दी। इससे सभी यह सोचने लगे कि लाभ उठाने का यही तरीका है। इसी कारण दबाव डालने वाले ग्रुपों ने काम करना आरम्भ कर दिया।

श्री बीनेन भट्टाचार्या : दबाव ग्रुप किसके नेतृत्व में बनाए गए ? श्री राजरारायण के नेतृत्व में ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : आरम्भ में दबाव डालने वाले ग्रुपों ने कई समस्याएं खड़ी कर दीं। इसके लिए हमें दोष देने का कोई लाभ नहीं है और जब कभी दबाव डाला गया था तो प्रधानमंत्री को कड़ा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था। "मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा।" बैंक कर्मचारियों के उदाहरण को ले लीजिए जिन्हें सर्वाधिक वेतन मिल रहा है। जब उन्होंने कठिनाइयां उत्पन्न की तो प्रधानमंत्री ने 'कुछ न करने' का दृष्टिकोण अपना लिया। परन्तु इससे क्या हुआ ? कुछ ही दिनों के अन्दर उन्हें 32 करोड़ रुपये दिए गये। इन 32 करोड़ रुपयों में इन्हें सन्तुष्ट हो जाना चाहिये था। अत: आपको कोई भी रियायत लेनी हो या कोई भी मांग मनवानी हो भले ही यह न्यायपूर्ण हो या नहीं, बस दबाव डालिये। यही दबाव हर क्षेत्र में डाला जा रहा है।

कोई प्रश्न पूछता है—बोनस के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है ? यह बोनस देने का या अधिक वेतन देने का प्रश्न नहीं है। परन्तु क्या बोनस का सम्बन्ध कार्य निष्पादन या उत्पादकता से नहीं होनाचाहिए ? क्या हमें बोनस देकर या अन्य कोई रियायत देकर वेतन बढ़ाते जाना चाहिये ? उनका तर्क यही है, वे कार्यकुशलता या उत्पादकता का उल्लेख ही नहीं करते। अत: जहाँ तक बोनस का सम्बन्ध है बोनस अधिक कार्यनिष्पादन और अधिक उत्पादकता के लिये मिलना चाहिये। अत: इस सम्बन्ध में हमारे कुछ मापदण्ड होने चाहिए और राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। अत: प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य तो करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कार्य किया जाता है और आप अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो दीजिये। परन्तु आज हो क्या रहा है ? कार्यनिष्पादकता कम होती जा रही है परन्तु वेतन बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे अवश्य ही मुद्रास्फीति की स्थिति आयेगी। पहले आप जिस कार्य को करवाने के लिए 100 रुपये देते थे उसी के लिये अब आपको 120 रुपये देने पड़ते हैं। इससे तो रुपये का अवमूल्यन अनिवार्य रूप से होगा। यदि

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

पहले उत्पादन की लागत 100 रुपये थी और यह अब बढ़कर 120 रुपये हो गई है तो आपने रुपये का इतना अवमूल्यन कर दिया है। यही तो मुद्रास्फीति है।

अतः यह केवल जनता पार्टी सरकार की समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय समस्या है। क्या आप इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में ले रहे हैं। क्या आप इसे पार्टी समस्या या मन्त्रिमण्डल की समस्या के रूप में ले रहे हैं ? नहीं। यह तो मोरारजी देसाई के मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक मंत्री की व्यक्तिगत समस्या थी। वास्तविक कठिनाई यही है। और आज हमसे यही पूछा जा रहा है। उद्योग मंत्री कहते हैं कि 'मैंने औद्योगिक क्षेत्र में गतिशीलता ला दी है, और उत्पादन बढ़ता जा रहा है। कोई कह रहा था ये तो उपचुनावों और बोनस के मंत्री हैं। मेरे विचार में इसमें एक चीज और जोड़ देनी चाहिए, वह हैं 'आंकड़े'—उत्पादन आंकड़े। ···(व्यवधान)··· अन्य सब चीजों की अपेक्षा केवल विकास या उत्पादन ही महत्वपूर्ण नहीं है विकास या उत्पादन कितना हुआ यह महत्वपूर्ण है। आज आपको कोयला चाहिए। आप कहते हैं कि आपने कोयले के उत्पादन में सुधार ला दिया है। परन्तु कोयला तो उपलब्ध ही नहीं है।

बिजली को ही लीजिए। आपने दावा किया है कि हमने पिछले वर्ष के दौरान 2000 मेगावाट के अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया है और इस वर्ष 3,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादित की है। परन्तु बिजली तो उपलब्ध ही नहीं। तब आपने तत्काल दोष दिया कि यह सब पिछली सरकार के कारण है। नहीं। आप नहीं जानते कि जो कुछ आपके पास है उसे कैसे बनाये रखा जाये। यही वास्तविक कठिनाई है। हर जगह आपने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया है। सर्वत्र यही मुख्य कठिनाई है। आप तुरन्त ही 20 लाख टन इस्पात का आयात करने जा रहे हैं। ···(व्यवधान) और हर वस्तु का आयात करना है। परिवहन मंत्री उपस्थित नहीं हैं। श्री शिव नारायण बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि रेल परिवहन का तेजी से विकास हो रहा है। कोयला मंत्री रेल मंत्री पर आरोप लगाते हैं और रेल मंत्री कोयला मन्त्री पर और इस्पात मन्त्री दोनों पर आरोप लगाते हैं। क्या आपके अधीन इन तीन मंत्रालयों के बीच किसी प्रकार का समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता ताकि कोयले का उत्पादन और उसका परिवहन हो सके तथा आवश्यक स्थानों पर उसे उपलब्ध किया जा सके।

सुना गया है कि सरकारी स्तर पर हमारी उच्च स्तरीय समितियां हैं। मन्त्री मण्डलीय उप समिति थी। परन्तु आज स्थिति क्या है ? हर जगह आप यही कह रहे हैं कि जहां पर बिजली की परियोजनाएं हैं वहां पर कोयला नहीं है। और जहां कोयला है वहां बिजली की परियोजनाएं नहीं हैं। मैं समझता हूं कहीं भी आधारभूत ढांचीय सुविधाएं नहीं हैं। परन्तु उद्योग मन्त्री कहते हैं कि मैंने चमत्कार किया है। राष्ट्रीय कपडा निगम को ही ले लीजिए। इसमें पहली बार हमें मुनाफा हुआ है। परन्तु क्या उन्हें गत दो साल की कपड़ा उद्योग की स्थिति का पता है। यहां तक कि निकृष्टतम मिलें भी भारी लाभ कमा रही थीं। और आपकी लगभग 101 मिलों ने 3 करोड़ रुपया लाभ कमाया। वह बड़े-बड़े दावे करते हैं। राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग ने पहली बार लाभ अर्जित किया है। आप दावा करते हैं कि आपने राष्ट्रीय कपड़ा निगम में चमत्कार किया है।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि स्थिति की वास्तविकताओं को नहीं समझा जा रहा है। यदि आप इसी तरह चलते रहे तो क्या होगा। आप दावा कर रहे हैं कि अब हम 1250 लाख या 1200लाख टन कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। सफलता के कई दावेदार होते हैं जबकि विफलता का उत्तरदायित्व कोई नहीं लेता। मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने अधिक उत्पादन किया है या बाबूजी को यह श्रेय प्राप्त है। यदि ऐसा भी मान लिया जाय कि जनता सरकार ने ही ऐसा किया है तो भी आपको समझना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में आज क्या हो रहा है। आप किसानों को क्या मूल्य दे रहे हैं। गेहूं के लिए आपने 100 रुपया निर्धारित किए हैं परन्तु आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखें, किसा अपना गेहूं 90 रुपये की दर पर बेच रहे हैं। व्यापारी लोग इसे बड़े लाभ पर भारतीय खाद्य निगम को बेच रहे हैं। आप विभिन्न कृषि वस्तुओं को लें। मेरे राज्य मे वे प्याज को नहीं निकाल पाये जिससे प्याज व्यर्थ चला गया। आलू की भी वही स्थिति हुई है। इस प्रकार बढ़े हुए उत्पादन से किसानों को कम मूल्य मिल रहा है। चीनी उद्योग की स्थिति विषम बन गई है। हम समझ रहे थे कि पर्याप्त चीनी उपलब्ध है। यदि शीघ्र ही स्थिति न सुधरी तो चीनी की कमी हो जायेगी। ऐसी स्थिति में भी वे दावा कर रहे हैं कि स्थिति इतनी अच्छी है। आप अलग से मंत्री महोदय से पूछें कि क्या स्थिति है तो यह कहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है जबकि हर प्रकार से स्थिति बिगड़ी हुई है। इसलिए दोहरी नीति न अपनाएं। एक स्थान पर आप एक बात कहते हैं परन्तु संसद में आकर अपना बचाव करने के लिए दूसरी बात कहते हैं। वास्तव में आज यही कठिनाई है।

बजट सत्र में भी मैंने कहा था कि भगवान के लिए बेहतर ढंग से काम करें। देश के हित में अपनी एकता कायम करें। हम सब आपकी सफलता चाहते हैं। परन्तु वास्तव में आप विभाजित हो रहे हैं टूटता हुआ स्काई लैब विश्व के लिये खतरा बन गया था। टूटती हुई जनता पार्टी देश के लिए खतरा बन रही है। स्काईलैब का भय दूर हो गया है। उसी प्रकार इस सरकार के पतन द्वारा ही यह खतरा दूर होगा। और इसलिए जब माननीय सदस्य हमें राष्ट्र हित में इस संकल्प को वापस लेने की अपील कर रहे हैं तो राष्ट्रीय हित इसी में है कि विघटन प्रणाली का यथा शीघ्र अन्त हो। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से, जो कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं तथा जिन्होंने बहुत से बलिदान दिये हैं, निवेदन करता हूं कि पूरे राष्ट्र के हित में बड़ा बलिदान करके हमें नई दिशा दें। इसी संदर्भ में हमने यह प्रस्ताव पेश किया है और मुझे सन्देह नहीं है कि राष्ट्रीय हित में हर व्यक्ति उस प्रस्ताव के पक्ष में मत देगा तथा विघटनशील व्यवस्था को यथा शीघ्र समाप्त किया जा सके।

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : अध्यक्ष महोदय श्री सुब्रह्मण्यम ने विपक्ष से इस सरकार को हटाने के लिए अपील की है और वैकल्पिक सरकार के रूप में इस सरकार से बेहतर सरकार लाने के लिये कहा है। मेरे विचार से यही विकल्प उनके दिमाग में है।

श्रीमान, ढाई वर्ष पूर्व जनता ने जिन लोगों को सत्ता से हटाया था, शायद श्री सुब्रह्मण्यम के विचार से वही बेहतर वैकल्पिक सरकार बना सकते हैं। श्रीमान जब विपक्ष के माननीय नेता ने अविश्वास प्रस्ताव किया तो उन्होंने कहा कि यह मेरा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। पता नहीं विपक्ष के माननीय नेता ने कब यह निर्णय किया है कि मुझे राष्ट्रीय कर्तव्य निभाना है। और वह भी जनता सरकार की असफलता तथा जनता सरकार द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति के संदर्भ में। जनता सर-

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

कार दो वर्ष तीन महीने के लिए अस्तित्व में रही है। उन्होंने जनता सरकार की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक असफलता बताई है। श्रीमान मैं समझता हूँ कि किसी स्तर पर किसी उपलब्धि में सफलता और असफलता तो होती ही है। अन्य शब्दों में आपकी एक पृष्ट भूमि है जिसको ध्यान में रखकर आप सफलता और असफलता आंकते हैं। मैं विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं कि आपकी कौन सी पृष्ठभूमि है जिसके आधार पर आप मेरे दल की सरकार की सफलता,या असफलता को आंक रहे हैं ? ···(**व्यवधान**)··· मैं आपके साथ 1977 की भावना पर बात करता हूं। वह भावना आज भी देश में पूरी तरह जीवित है। इस पर मैं आपके साथ विचार करूंगा। सर्वप्रथम हम महत्वपूर्ण मामले पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत बोलिए। उन्हें बोलने दीजिए। भावावेश में मत आइये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं नहीं बोलना चाहता था क्योंकि इससे उन्हें ठेस पहुंचती है। श्रीमान उनके पास ऐसा कौन सा मापदण्ड है जिसके आधार पर वे हमारी उपलब्धियों का मूल्यांकन कर रहे हैं और कहते हैं कि जनता सरकार असफल हो गई है ? 1975-76 तथा 1976-77 के दो वर्षों के दौरान जब देश में आपात स्थिति थी तो आप सब लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, आर्थिक उपलब्धि का "गतिशील दशक" मना रहे थे।

एक माननीय सदस्य : डाइनैमाइट दशक (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। यह सब क्या हो रहा है ? चर्चा होने दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : एक ऐसे व्यक्ति की आर्थिक उपलब्धियों का "गतिशील दशक" जिसे विपक्ष के वर्तमान नेता "अपना कप्तान तथा चिकित्सक" कहते हैं। उन्होंने "मेरा कप्तान तथा मेरा चिकित्सक" कहा है। मैं उस समय विपक्ष में बैठा हुआ था। जहाँ वह पहले बैठे हुए थे, मैं बिल्कुल उसके पीछे बैठा हुआ था। वह उठे और कहा "मेरा कप्तान तथा मेरा चिकित्सक"। यह चौथी लोक सभा की बात है। जब उन्होंने "मेरा कप्तान और मेरा चिकित्सक" कहा तो इससे मुझे खेद हुआ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : (सतारा) वह दल की मुखिया थी और इस प्रकार दल की कप्तान भी थी। ऐसा कहने में क्या बुराई है ? अब ऐसा कहने का क्या लाभ है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान मुझे हर्ष है कि विपक्ष के माननीय सदस्य नेता ने इस बात को याद किया है कि जो व्यक्ति गतिशील दशक के दौरान मुखिया थी, वह उनकी कप्तान थी। और वह उस गतिशील दशक की तुलना में हमारी उपलब्धियों का मूल्यांकन कर रहे हैं।

अब मैं बताना चाहता हूँ कि उस 'गतिशील दशक' के दौरान क्या कुछ किया गया जिसे ध्यान में रखकर वे हमारी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना चाहते हैं ? श्रीमान अभी हमें सत्ता में केवल दो वर्ष तीन महीने का समय हुआ है और इतने अल्प समय में हम हिमालय नहीं हिला सकते थे। हम इतना कुछ नहीं कर सकते थे।

श्री सी० एम० स्टीफन : बाबूजी से पूछिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बाबूजी उचित समय पर आपको जबाब देंगे । बाबूजी में अपना भी तथा आपका भी ध्यान रखने की योग्यता है । हमें गतिशील दशक की उपलब्धियों पर विचार करना चाहिए क्योंकि मेरी सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन भूतपूर्व सरकार की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर किया जायेगा । मैं केवल पांच वर्षों या छः वर्षों अथवा आपात स्थिति के दौरान किए गए कार्यों पर ही प्रकाश नहीं डाल रहा बल्कि मैं आपके गतिशील दशक के दस वर्षों के दौरान किए गए कार्यों पर प्रकाश डाल रहा हूँ । मेरी सरकार को अभी दो वर्ष और तीन महीने का समय हुआ है और यदि आप वाद-विवाद को देखें तो पता चलेगा कि उनमें से प्रत्येक सदस्य ने कैसे-कैसे शब्दों का प्रयोग किया । निःसन्देह श्री स्टीफन अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने में माहिर हैं और उनमें इसकी प्रतिभा भी है । वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनसे स्वयं उन्हें ठेस पहुँचती है । कल आपने कहा कि देश बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा था । मैं आपकी ही बात कहा रहा हूँ । आपने "तीव्र गति से" कहा है । फिर ये लोग अर्थात हम आ गए । पिछली गति के आधर पर यह सब एक साल तक चलता रहा और उसके बाद क्या हुआ ? मैं पुनः श्री स्टीफन द्वारा कह गई बात का उद्धरण देता हूं :

> "आपने तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था तथा विकास का मुख पूरी तरह विपरीत दिशा की ओर मोड़ दिया ।"

श्रीमान मेरे पास विभिन्न प्रकार के आंकड़े हैं । मुझे पता है जब आंकड़े आपके अनुकूल होते हैं तो आप आंकड़े पसन्द करते हैं । ये मेरे अपने बनाए हुए आंकड़े नहीं हैं । ये आंकड़े आपने तैयार किये हैं । सामान्य तौर पर कोई बात अच्छी लगती है किन्तु जब कोई बात विशिष्ट रूप से कहनी होती है तो वह अप्रिय लगती है । यह कहना बड़ा सुखद है कि 'आपने उतना काम नहीं किया जितनी कि हमें आशा थी ।" किन्तु जो कुछ आपने किया उसे याद करना कठिन है । आपने गतिशील दशक के दस वर्षों के दौरान क्या कुछ किया ? श्री सुब्रहमण्यम कहते हैं कि इस सरकार को अपदस्थ करके इसके स्थान पर नई सरकार लायी जाये, जिसमें आप लोग जैसे व्यक्ति होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि आप अपना कार्य कहां से आरम्भ करना चाहते हैं । क्या अपने गतिशील दशक से—? विपक्ष के नेता के नेतृत्व में ? आपके कप्तान के नेतृत्व में गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिताने वाले लोगों की संख्या 2400 लाख थी । जब आपका गतिशील दशक पूरा हुआ तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 4200 लाख हो गई । ये आंकड़े मैंने तैयार नहीं किए । ये आपके आंकड़े हैं । आपकी नेता आपकी कप्तान थी । प्रधान मंत्री तथा तानाशाह होने के अतिरिक्त वह योजना आयोग की अध्यक्षा भी थी । ये सब आपके आंकड़े हैं और जब मैंने आंकड़े सुनाने आरम्भ किये तो आप सबने शोर मचाना शुरू कर दिया । आंकड़े आपको पसन्द नहीं हैं । आंकड़े कब से शुरू हुए ? ये सब आपके आंकड़े हैं । हमारे आँकड़े तो अभी आने हैं । ये आपातकाल के दौरान के आंकड़े हैं गतिशील दशक के दौरान आपने लोगों को बेवकूफ बनाने धोखा देने और उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए करोड़ों रुपये व्यय किए । जब आपका गतिशील दशक आरम्भ हुआ तो उस समय 2400 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन स्तर बिता रहे थे

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

किन्तु जब आपका वह दशक पूरा हुआ तो उनकी संख्या बढ़कर 4200 लाख हो गई। क्या आप इसी आधार पर हमारी उपलब्धियों को आंकना चाहते हैं ? क्या यही आपका मापदण्ड है ? आप बताना चाहते हैं कि आपने देशवासियों को किस तरह खिलाया, पहनाया तथा उनकी देख-भाल की। क्या आप यहीं से आरम्भ करना चाहते हैं ? यहां के गरीब लोग प्रोटीन के मामले में केवल दालों पर निर्भर रहते हैं। आप जानते हैं कि गतिशील दशक के दौरान क्या हुआ ? पहले प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन साठ ग्राम दाल मिलती थी जो घटकर केवल 42 ग्राम रह गई। यही आपका उपलब्धियों का दशक था। आपने गरीब लोगों की अच्छी देखभाल की। गरीबों की बात करना या गरीबी हटाने की बात करना आसान है। आपने ऐसा ही किया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप इस बात को क्यों छिपा रहे हैं कि उस समय देश में दालों की कमी थी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमने गत दो वर्षों में दालों के उत्पादन में सुधार किया है।

कपड़े की क्या स्थिति थी ? आपने देश के गरीब लोगों को कितना कपड़ा दिया ? जब गतिशील दशक आरम्भ हुआ था तो प्रति व्यक्ति को प्रति वर्ष 15.5 मीटर कपड़ा उपलब्ध था किन्तु यह घटकर 13 मीटर ही रह गया। आप लोगों ने ही यह सब किया। जैसा कि श्री सुब्रह्मण्यम चाहते हैं आपने सरकार चलानी है अतः आपको इस बारे में जानकारी लेने के लिए इच्छुक होना चाहिए।

चीनी को ही लीजिए ? निसंदेह आप कह सकते हैं कि चीनी गरीबों के खाने की चीज नहीं है और इसका प्रयोग केवल अमीर लोग ही कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ऐसा कह सकते हैं। हमने चीनी की कीमत कम की है और आप लोगों से अधिक चीनी का उत्पादन किया है। यह हमारी उपलब्धि है। आपने क्या किया ? जब गतिशील दशक आरम्भ हुआ था तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति चीनी उत्पादन 7 किलोग्राम था और जब यह दशक समाप्त हुआ तो यह घटकर 6 किलो ही रह गया। और गत वर्ष ही हमने यह बढ़ाकर 10 किलोग्राम प्रतिवर्ष कर दिया।

फिर आप लोगों को किस प्रकार चलाना चाहते हैं ? क्या आप जानते हैं कि आपने रबड़ तथा चमड़े के कितने जोड़े जूते तैयार किये थे ? आपने अपने प्रगतिशील दशक के प्रारम्भ में 6 करोड़ जोड़े जूते तैयार किये थे। आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं, कि गरीब लोगों से जूते पहनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन हमारी ऐसी कोई धारणा नहीं है। जब प्रगतिशील दशक समाप्त हुआ तो चमड़े तथा रबड़ के जूते के जोड़ों की यह संख्या 6.9 करोड़ से घटकर 5.4 करोड़ रह गई। परन्तु इसका क्या परिणाम निकला ? हम यह मान लेते हैं, कि अब आपका प्रगतिशील दशक प्रारम्भ हुआ तो एक जोड़ा जूता एक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष तक उपयोग में लाया गया, जबकि 41 करोड़ लोगों के पास पहनने के लिये कुछ भी नहीं था लेकिन जब यह प्रगतिशील दशक समाप्त हुआ तो 54 करोड़ लोगों के पास पहनने के लिये कुछ भी नहीं था।

आप हमारे कार्यकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसलिये सभी बातों को बताना मेरे लिये आवश्यक हो गया है। मैं अपने दल के कार्यकरण के बारे में बाद में कुछ कहूंगा अभी तो मैं इसकी

भूमिका तैयार कर रहा हूं। श्री वसंत साठे जी ने तो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ है अतः आपको तो यह बात समझ में आ जानी चाहिये। आपने बहुत ही अच्छा भाषण दिया था, मैं आपके भाषण से बहुत ही प्रभाविक हुआ।

श्री वसंत साठे : आपने ये सभी आकड़े कैसे तैयार किये हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इस बारे में भी बताऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिये आवश्यक है। ये सभी आकड़े संसदीय ग्रंथालय में उपलब्ध पुस्तकों में मौजूद हैं, वहां से आप भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। और ये हैं:"उपलब्धियों का दशक—1966-75" जिसे भारत सरकार के विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा जिसे उस समय के तानाशाह के बहुत ही नजदीक के व्यक्तिगत सेनापति अथवा सहायक द्वारा जनपथ होटल के नजदीक प्रदर्शित किया गया था। जबकि मैंने भूमिगत होते हुए भी वहां जाकर उसको व्यक्तिगत रूप से आपकी जानकारी के लिये प्राप्त किया था। इसके अलावा इन आकड़ों को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1976 में प्रकाशित' भारत-1975' से लिया गया है। इन आंकड़ों को भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 1976 में प्रकाशित 'सांख्यिकी पाकेट बुक' से लिया गया है ? आप इन सभी को ग्रंथालय से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको इन आकड़ों को उपलब्ध करा रहा हूं। मैं आपकी परेशानी दूर कर रहां हूं।

इसके पश्चात, उन्होंने आधारभूत ढांचे की बात कही है ? श्री सुब्रह्मण्यम आज बोले थे तथा श्री नायक ने भी कल बहुत सी बातें कही थी। इस समय वे सभा में उपस्थित नहीं हैं। मैं उनको कुछ बातें बताना चाहता था। अब मैं "लघु ही सुन्दर है" तथा श्री नायक की बात को लेता हूँ। मैं यह कहता हूँ कि यह बिलकुल सही है। श्री नायक जी—"लघु ही सुन्दर है" तथा तकली और चर्खा का तात्पर्य नहीं समझेंगे। इसके बारे में वे कल हँसी मजाक कर रहे थे। हमने गांधी जी से ही सीखा है कि "लघु ही सुन्दर है।" हमने गांधी जी से ही "तकली और चर्खा प्राप्त किया है। उन्होंने राष्ट्र को सिखाया है कि "हमें कुछ करना चाहिये अथवा मरना चाहिये" तथा तकली और चर्खा के साथ ही वे महाराष्ट्र की यरवदा जेल में गये थे। उसी महाराष्ट्र के पुस्कर इलाके में श्री वसंत राव नायक जिला राष्ट्रीय युद्ध निधि समिति के चेयरमैन की हैसियत से ब्रिटिश सेना के लिये सिपाहियों को भर्ती कर रहे थे तथा युध्द निधि के लिये धन एकत्रित कर रहे थे। वे इसको कैसे समझ सकते हैं ? इसीलिये वे यहां पर मजाक करते हैं वे हमारी औद्योगिक नीति— लघु तथा कुटीर उद्योगों की नीति के बारे में उपहास करते हैं। जिससे कि उन लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है जिनके पास कोई काम नहीं था। श्री स्टीफन, मैं खेद के साथ यह सब कुछ कह रहा हूँ। आप मुझे इसके लिये क्षमा करेंगे।

मुझे इस बात से बहुत ही आश्चर्य हुआ है कि कुछ माननीय सदस्यों ने विशेषकर उन सदस्यों ने जिन्होंने स्वतन्त्रता संगम में भाग लिया था तथा गांधीवादी परम्परा को स्वीकार किया है उन्होंने भी कल श्री नायक की सराहना की है जबकि वे तकली तथा चर्खा की बात कर रहे थे। उन्होंने कल उनकी सराहना की थी। मैं यहीं पर था तथा उनके भाषण को सुना था।

श्री सौगत राय : उन्होंने आपकी तकली की धारणा का उपहास किया है ...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : चिंता न कीजिये मैं तकली के प्रति अपनी धारणा को भी स्पष्ट करूंगा। जितना कम अवरोध आप मेरे लिये उत्पन्न करेंगे उतना ही अधिक आप मेरी बात को सुन सकेंगे। आपने रेलवे बन्दरगाहों आदि की अपर्याप्त व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। आपने इस्पात की अनुपलब्धता के बारे में भी जिक्र किया है।

श्री सुब्रह्मण्यक साहब आप भूतपूर्व उद्योगमंत्री है जो कुछ हुआ है आप भली भांति जानते हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं आपकी तरह अधिक जानकारी रखने का दावा नहीं करता हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जब प्रगतिशील दशक प्रारम्भ हुआ था तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति इस्पात का उत्पादन 9.3 किलो० था आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपका 'प्रगतिशील दशक' समाप्त हो गया तो प्रति वर्ष आपका प्रति व्यक्ति इस्पात उत्पादन घटकर 7.8 किलो० रह गया। यह सब कुछ आप ही ने किया। ···(**व्यवधान**)।

एक माननीय सदस्य : इस समय आप इस्पात को दुगने दामों पर आयात कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा विचार था कि आप हमारे कार्यकरण का निर्णय करेंगे। लेकिन यह बात इसके प्रतिकूल है। हमने क्या कार्य किया है ? मैं अपने कार्य के बारे में भी बताऊंगा। ···(**व्यवधान**)··· पिछले वर्ष हमारा औद्योगिक उत्पादन 8 प्रतिशत था। चालू वर्ष में बहुत सी समस्यायें आई। मार्च, अप्रैल तथा मई में हमें बहुत जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन समस्याओं के बावजूद हम 5 प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर को बनाये रखने में समर्थ रहे हैं। मैं सत्तारूढ दल तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि चालू वर्ष के दौरान भी हम 8 प्रतिशत विकास दर को प्राप्त करने में समर्थ रहेंगे तथा हम इस 8 प्रतिशत विकास दर में और अधिक वृद्धि करने का प्रयास करेंगे ...(**व्यवधान**)···

"जी हां, हमें विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कोयला में जहाँ प्रति दिन 640 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही थी वह घटकर 50 मेगावाट रह गई है। झील भी सूख गई, थी। पश्चिमी बंगाल में भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा है। भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) दल के हमारे माननीय साथी उन समस्याओं को स्पष्ट कर देंगे, वे यह भी बता देंगे की ये समस्यायें आपके द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पूरी तरह से।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : हमारी कुछ समस्यायें है लेकिन हम उन पर काबू पा लेंगे। जब हम विकास दर की बात करते है तो इसका तात्पर्य उद्योग अथवा कृषि से होता है। अब पहले मैं कृषि उत्पादन के बारे में कुछ कहूंगा। कल वाद-विवाद में भाग लेते हुए एक माननीय सदस्य ने बताया था कि हमें इस प्रकार की धारणा नहीं अपनानी चाहिये, कि यदि पैदावार अच्छी होती है तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाय और यदि पैदावार कम होने पर मानसून को दोषी ठहराया जाये। हम इस प्रकार के तर्क नहीं देंगे। पिछले वर्ष में 126.5 मिलियन टन का कृषि उत्पादन का रिकार्ड उत्पादन हुआ था। इस वर्ष के कृषि उत्पादन ने पिछले सारे उत्पादनों को पिछाड़ दिया है, तथा हमारा उत्पादन 130.5 मिलियन टन के करीब है। हम इसमें भी वृद्धि

करेंगे। आप आंकड़ों में विश्वास नहीं करते हैं। इसके लिये मैं क्या कर सकता हूं ? आपको कैसे यकीन दिलाऊं ? हमारे देश की अर्थव्यवस्था कुल सार्वजनिक व्यय का 43.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र, के लिए निर्धारित किया गया है। हमारी आज की अर्थव्यवस्था इसी रूप में है।

श्री गोपाल मुझे लग रहा है कि आंकड़ों को जानने में आपकी रुचि बढ़ती जा रही है (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : मैं हमेशा ही सीखने के लिए इच्छुक रहता हूँ। इसलिये मैं यहां पर मौजूद हूँ। चूंकि आप कुछ सीखने के लिए इच्छुक नहीं है, इसलिये ही यह सब हो गया है।

मैंने बताया है कि अगले पाँच वर्षों के लिए योजना के कुल व्यय का 43.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। जो कि लगभग 33,000 करोड़ रुपये बनते हैं। ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र के लिये 33,000 करोड़ रुपये निर्धारित करने का तात्पर्य यह है कि पिछले 30 वर्षों में आपने जो भी कुल धनराशि इस क्षेत्र के लिएनियत की थी, यह उसका 1½ गुणा है। निःसंदेह रूप से रुपये का मूल्य गिरा है। आपके प्रगतिशील दशक में तो यह और भी अधिक गिरा है। हम 1947 को आधार मानते हैं। माननीय विपक्ष के नेता कुछ समय के लिये वित्तमंत्री रहे थे। प्रगतिशील दशक में एक रुपये का मूल्य 54 पैसे था। दस वर्षों में एक रुपये का मूल्य 54 पैसे था। आपका नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के कठिन तथा सतत् प्रयत्न के बाद भी यह घटकर 25 पैसे हो गया इसीलिए आपके सामने समस्या थी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि रुपये का मूल्य कम हुआ है। लेकिन इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए तथ्य यह है कि 33,000 करोड़ रुपये की यह धनराशि पिछले 30 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई धनराशि की 1½ गुणा है। इन पांच वर्षों में 1.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधायें दी जाएगी।

कल श्री नायक बहुत ही सशक्त शब्दों में कह रहे थे कि सिंचाई कार्यक्रम को बहुत पहले प्रारम्भ किया था, जिसका परिणाम बहुत बाद में सामने हुआ है। निःसंदेह रूप से यह आपकी परम्परा थी। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने लघु तथा सुन्दर कार्यों की तरफ ध्यान दिया है। जिसको वे पसंद नहीं करते हैं। काफी लोगों को उन्होंने अपने भाषण से मंत्र मुग्ध किया है। मैं जानता हूं कि पूसा तथा बम्बई के बीच लम्बा फासला है। खैर कुछ भीहो बम्बई से ये इतने परिचित हैं कि वे पूसा को भूल गए हैं, जो बम्बई से छोटी जगह अवश्य है, परन्तु सुन्दर है।

लेकिन मुझे विश्वास है कि श्री वसंत साठे मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि पूसा बहुत दूर नहीं है।

श्री वसंत साठे : मैं मानता हूँ कि पूसा सुन्दर है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपको धन्यवाद। पिछले दो वर्षों के दौरान इन छोटी परियोजनाओं सुन्दर परियोजनाओं में 5.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधायें दी गई है। जिसके फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। हमारा खाद्य उत्पादन निरन्तर बढ़ता जायेगा। हमारे आर्थिक कार्यकरखे के बारे में आप कहते हैं कि बहुत तीव्र गति से देश को पीछे ले जाया जा रहा है। श्री स्टीफन साहब आपके प्रगतिशील दशक के दौरान तीव्र विकास की दर क्या थी ?

[श्री जार्जफर्नांडीस]

इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा । जब प्रगतिशील दशक प्रारम्भ हुआ था तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में प्रति व्यक्ति आमदनी 331.1 रुपये प्रतिवर्ष थी । इन दस वर्षों में श्री स्टीफन साहब आपके नेताओं ने इतनी तेजी से विकास दर में वृद्धि की कि प्रति व्यक्ति आमदनी 337.5 रु. हो गई । दूसरे शब्दों में इन दस वर्षों में कुल 6.90 रु. की वृद्धि हुई । (व्यवधान)

श्री के० गोपाल (करूर) : उस समय कितनी जनसंख्या थी ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम प्रति व्यक्ति आय पर चर्चा कर रहे हैं । उनके साथ यही तो कठिनाई है कि वे सीखने को तैयार नहीं हैं । मेरे विचार से तो हर कोई योजना बनाते समय सदैव जनसंख्या का ध्यान अवश्य रखता है । फिर भी मैं तेजी से हुई वृद्धि के आंकड़े अवश्य प्रस्तुत करूंगा । 1971-72 में वृद्धि-दर (—)0.9 प्रतिशत थी, 1972-73 में यह (—)3.6 प्रतिशत रह गई । 1973-74 में यह (+)2.9प्रतिशत थी और 1974-75 में यह घटकर 1 प्रतिशत रह गई । 1975-76 में दो वर्ष के आपातकाल में यह (+)6.8 प्रतिशत हो गई । 1976-77 में आपातकाल के फलस्वरूप अथवा उसकी उपलब्धिस्वरूप जब आपातकाल के लाभ मिलने शुरू हुए तो वृद्धि-दर में 0.06 प्रतिशत की गिरावट आ गई । 1977-78 में जो कि जनता सरकार का प्रथम ही वर्ष है, दर में 5.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई । गतवर्ष सभी प्रकार की समस्याओं के बावजूद उद्योगों में 8 प्रतिशत की वृद्धि-दर और कृषि में 3 प्रतिशत की वृद्धि-दर के साथ ही साथ हम वृद्धि-दर को 3.9 प्रतिशत बनाये रखने में सफल रहे हैं । यह है हमारी उपलब्धि । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय नेता इस बहस का कब उत्तर देंगे और जहां तक हमारे आर्थिक कार्य निष्पादन का सम्बन्ध है उनका इस सम्बन्ध में क्या पैमाना है । क्या आप इसे गतिशील दशक और इसके कार्य तथा श्री फर्नान्डीस द्वारा बताई गई वृद्धि-दर से मापेंगे ? क्या आप हमारी उससे तुलना करेंगे और तब कहेंगे कि जनता सरकार का कार्य अच्छा नहीं रहा है तथा औद्योगिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही है ।

हमारे समक्ष समस्याएं हैं, जिसमें आर्थिक क्षेत्र की भी समस्याएं हैं, फिर इन समस्याओं के बावजूद भी हम सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं । श्री सुब्रह्मण्यम ने हमें बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि वे यह अवश्य ध्यान में रखें कि वृद्धि सन्तुलित रूप में हो । यह वृद्धि तो सन्तुलित रूप में ही हो रही है । हमने तो असाधारण ढंग से अच्छा काम किया है । जहां तक अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है मुझे जनता पार्टी की गत दो वर्ष की उपलब्धियों पर गर्व है । हमारे सामने समस्याएं हैं और आप चाहे विश्वास करें या न करें, वे समस्याएं तेज वृद्धि-दर से संबद्ध हैं । माननीय सदस्य इस्पात के बारे में बातें कर रहे थे और मैं जानता हूं कि इस्पात के बारे में प्रश्न उठते रहते हैं । सीमेंट के बारे में भी प्रश्न उठाए जाते हैं । बहुत सी आवश्यक वस्तुओं का अभाव है लेकिन कमी आखिर पैदा कैसे होती हैं ? उन्होंने तो लगभग 3-5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की योजना बनाई थी । आजकल जहां तक सीमेंट और इस्पात का और उद्योगों के आधारभूत कच्चे

माल का सम्बन्ध है वृद्धि-दर 10-15 प्रतिशत के बीच है। हमारे सामने समस्याएं हैं परन्तु आधार-भूत ढांचा हमारी वृद्धि आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है। उन्होंने तो ऐसी योजनाएं तैयार की थी जिससे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट आई परन्तु हमने कृषिजन्य उत्पादन को बढ़ावा दिया है। परिवहन की ही समस्याओं को लीजिए। उन्होंने पत्तनों की कोई परवाह नहीं की। मैं श्री सुब्रहमण्यम से पूछता हूं कि इस क्षेत्र में उनका क्या निवेश था। सुब्रह्मण्यम जी रेलों में आपका क्या निवेश था। परिवहन के आधारभूत ढांचे में आखिर उनका क्या निवेश था। परिवहन क्षेत्र के उत्पादन पर तो दृष्टिपात कीजिए। भगवान जाने पिछले कितने वर्षों से 35-40,000 वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन चला आ रहा था। हमने जो पहला काम किया वह इस क्षेत्र के सुधार का किया। गत वर्ष परिवहन क्षेत्र, स्वचालित गाडियों के क्षेत्र में उत्पादन 35 प्रतिशत बढ़ा और 1977-78 में उत्पादन 42 प्रतिशत तक पहुंच गया। अतः गत वर्ष हमने इस देश में 60,000 व्यापारिक वाहनों का उत्पादन किया और उन्हें सड़कों पर चलने के लिए सप्लाई किया। हम इस वृद्धिदर को बनाए हुए हैं और इस वर्ष इस देश में 80,000 व्यापारिक वाहनों के उत्पादन का हमारा लक्ष्य है जो कि उस संख्या से दुगना है जितनी कि आज से केवल ढाई वर्ष पूर्व हमें इस क्षेत्र में प्राप्त हुई थी, इस प्रगति के पथ पर हम अग्रसर हैं।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : यह तो समाजवादी परंपरा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह समाजवादी परंपरा नहीं है। मुझे लगता है कि समाजवाद की चर्चा से आपको चोट पहुंचती है। क्या आपको समाजवाद में शिक्षित करने से आघात पहुंचता है ? (**व्यवधान**)

अतः जहां कहीं भी अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह अनुभव करें कि उनके तर्क थोथे हैं, उत्पादन या परिणाम के मामले में, वृद्धि के मामले में उनके तर्क निराधार हैं। जनता सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किये हैं, हमें उसकी उपलब्धियों पर गर्व है। ...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्नोत्तर काल नहीं है।

श्री जार्ज फर्नानडीस : हमें यह बताया गया कि देश की राजनैतिक व्यवस्था में समस्याएं हैं। और इसके लिए हमारे दल की आलोचना होती रही है। हमारे देश के समक्ष समस्याएं तो रही हैं और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। मैं अपने दल की समस्याओं पर इस सदन में चर्चा नहीं करूंगा। हमारे दल में समस्याएं तो हैं। मैं इस सच्चाई के प्रति सजग हूं, सदन और सारा देश इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हम छः विभिन्न धाराओं से आए थे और एक धारा में बदल गये। हम तो छः विभिन्न धाराओं से आए थे। आज से 2॥ वर्ष पूर्व हम छः विभिन्न दलों या वर्गों से सम्बद्ध थे। चार दल और अन्य सभी संगठन मिलकर एक बन गये। हमने एक धारा, एक दल बनाने के लिए छः विभिन्न धाराओं को, दलों को इस ओर मोड़ दिया। सिद्धान्त रूप में और स्वभाव से, प्रकृति से हम अलग अलग थे। निस्सन्देह हमारी महत्वाकाक्षाएं हैं। सच्चाई को

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

मैं क्यों छिपाऊं ? कुछ भी हो राजनीति में रहते हुए, सार्वजनिक जीवन जीते हुए ऐसा तो होता ही है। यदि महत्वकांक्षाएं नहीं रहीं होती, जो कि परमार्थ के तत्व से भी सम्बद्ध होती है, तो कोई भी सार्वजनिक जीवन में नहीं रहता। यदि परोपकार ही किसी का जीवन-उद्देश्य रहा होता तो फिर तो वह सन्यासी रहा होता। वह गांवों में सेवारत रहता। जैसी स्थिति में एक राजनीतिक रहता है, उस ढंग से फिर तो कोई भी सार्वजनिक जीवन में नहीं आएगा। यदि कोई केवल महत्व कांक्षी ही रहता है तो जहां आप और आपके नेता इस देश को ले गये थे वहीं आप ले जायेंगे। और आप सभी ने इसे, 26 जून 1975 को स्वीकार कर लिया था। जब महत्वकांक्षा और परमार्थ एक सही मायने में मिश्रित हो जाते हैं तो तभी आप लोकतान्त्रिक राजनीति को चला सकते हैं और श्रीमन साठे, कृपया सुने कि एक लोकतान्त्रिक दल...

श्री वसंत साठे (अकोला) : दोनों बातें एक साथ।।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा विचार था कि आपको अपने धैर्य पर गर्व होगा। आपको तो इस पर गर्व होना चाहिये। इस पर कालिख मत पोतिये। अतः, यहीं तो हमारा दल लोकतांत्रिक बनता है और शक्तिशाली व्यक्ति त्वों के साथ, प्रतिकूल महत्वाकांक्षाओं के साथ, भिन्न विचार धाराओं के साथ और आधार रूप में अलग-अलग होते हुए ही हमारी कठिनाइयां है। मैं उन मत-भेदों और कठिनाईयों को छुपाने, लीपने-पोतने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वह तो एक सच्चाई है।

यदि विपक्ष के माननीय सदस्य हमारी मत विभिन्नता के बारे में कुछ कहते तो और बात होती जैसे कि बोनस का प्रश्न है, केवल इसके बारे में ही हमारे दल में मतभेद है यह बात तो ठीक है लेकिन इसके बारे में आपके क्या विचार हैं ? मैं आपका आज का मत इस बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। 1974 में रात के ढाई बजे सीमा सुरक्षा बल का वायुयान आपने लखनऊ में मुझे गिरफ्तार करके पकड़ लाने के लिये भेजा जिससे मुझे 5 बजे प्रातः तिहाड़ जेल में बन्द किया जा सकाऔर इस सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया गया और 8 मई, 1974 को रेल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और 9 मई 1974 को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। क्या मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर सकता हूँ कि वे ग्रंथालय में जाकर उन बातों को पढ़े जो उनके नेताओं ने बोनस के बारे में कहीं थी, रेल-कर्मचारियों के बारे में कहीं थी और उनकी मांगों के बारे में कहीं थी ? क्या आप समाचार पत्रों में यह देखने का कष्ट करेंगे कि आपकी पुलिस, आपकी सेना, आपकी प्रादेशिक सेना, आपके सीमा सुरक्षा बल और हर दमनकारी तन्त्र ने क्या कुछ कारगुजारियां की थीं ? क्या आप यह देखने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने क्या किया ? क्या आप समाचार पत्रों में यह पढ़ने का कष्ट करेंगे कि उस समय विपक्ष के सदस्यों ने क्या कहा था ? क्या आप समाचार पत्रों और अपने भाषणों को देखने का कष्ट करेंगे ?

श्री सी० एम० स्टीफन : इस विषय पर आपने हड़ताल करवाई। गत 2½ वर्ष से आप सत्ता में हैं। आपने इसके लिये क्या किया है ?

श्री जार्ज फर्नांडीस : मैं उस विषय में बाद में बात करूंगा।

मेरा विचार था कि माननीय श्री सी० एम० स्टीफन का भी किसी न किसी प्रकार की दार्शनिक चर्चा से सम्बन्ध होगा, क्योंकि उनके भाषण दार्शनिकतापूर्ण होते हैं। मैंने उनके 1974 के भाषण पढ़े हैं। जिस प्रकार के भाषण उन्होंने दिये थे जिस ढंग से वे हड़ताल को कुचलना चाहते थे उस पर मुझे बड़ी हंसी आती है। उस समय तो स्टीफन साहब आपने हड़ताल को दबाने की सिफारिश की थी और आज आप बोनस की मांग का समर्थन कर रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं चाहता हूँ कि या तो आप अपना वचन पूरा करें या गद्दी छोड़ें। मेरा तो यही कहना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम अपना वचन पूरा करेंगे। स्टीफन जी, हम अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे। परन्तु क्योंकि आप सभी रात-दिन सदन के भीतर और बाहर बोनस के मामले पर हमारे आन्तरिक मतभेदों के बारे में बातें करते हैं तो मैं तो आपकी स्वयं की ईमानदारी और स्वयं की धारणा की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या आप दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं या कोरे अवसरवादी ही हैं? आप इनमें सेकौन से हैं? 1974 में तो आपने रेल कर्मचारियों की हड़ताल को कुचला था और आज आप कहते हैं "क्या रेल कर्मचारियों की मांगे पूरी की जा रही हैं।"

श्री बसंत साठे : आप तो बहुत ही बड़े अवसरवादी हैं। आप यह सवाल स्वयं से ही क्यों नहीं पूछते?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अतः महोदश, हमारे आपसी मतभद हैं और हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ हम भिन्न-भिन्न धाराओं से आए थे और हम विचारधारागत, व्यक्तिगत तथा उन अन्य मतभदों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे बीच विद्यमान हैं परन्तु बात यह है कि आप यह बताइये कि आपको क्या हुआ। चुनावों के लिए आप तो एक दल के रूप में गये थे। आज आप कितने हैं? कन्याकुमारी से लेकर जम्मू-कश्मीर तक चुनाव जीतकर आने वालों की संख्या कितनी है?

एक माननीय सदस्य : वे नहीं जानते।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वे नहीं जानते! यही तो विकल्प श्री सुब्रहमण्यम चाहते हैं—"जनता को हटाओ और हमें सत्ता में बैठाओ"। क्या आप इसी विकल्प की बात कर रहे हैं? क्या आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से यह कोई अच्छा विकल्प है? आपकी भूमिका तो मैंने आपको बता ही दी है। राजनैतिक दृष्टि से क्या यही वह विकल्प है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे?

विपक्ष के माननीय नेता सामाजिक स्थिति के बारे में बोलने वाले थे। उन्होंने बड़े ही हृदय स्पर्शी शब्दों में कहा:—"जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है वे तो आज भी उपेक्षामय स्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं।"

श्री विनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आप कांग्रेस के दो श्यामवर्ण पुत्रों को एक करके देश और जनता का अहित कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जैसा कि मैंने कहा है विपक्ष के मान्यवर नेता हरिजनों की वर्तमान उपेक्षामय स्थिति के बारे में बोलने वाले थे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो खीमन सुब्रहमण्यम जी, एक

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

अधिक अच्छी सरकार का कोई मापदण्ड नहीं है। आपके अपने नेता ही कल यह कहने वाले थे कि हरिजन आज भी उसी उपेक्षा भरी जिन्दगी में सड़ रहे हैं। परन्तु क्या वास्तव में ही आज उनकी वैसी स्थिति है ? आप तो हरिजनों पर हुई ज्यादतियों की बातें करते हैं। क्या आपको 1971 में हरिजनों के साथ हुई ज्यादतियों की संख्या का पता है ? क्या आपको याद हैं ? आपके स्वयं के आकड़ों के अनुसार 1671 में 2127, 1972 में 2384 और 1974 की प्रथम छमाही में ही केवल हरिजनों के साथ ज्यादतियों के 2758 मामले हुए। ...(व्यवधान)... । फिर आप उनकी बात क्यों करते हैं ? जब आप जनता सरकार से अच्छा विकल्प देना चाहते हैं उसकी बात करते हैं तो इसका मापदण्ड क्या हैं ? आप कहां रेखा खीचना चाहते हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : अपना चुनाव-घोषणा पत्र तो देखिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं तो अपने ही चुनाव घोषणा-पत्र पर दृढ़ हूँ और मैं चाहता हूँ कि विपक्ष के नेता भी ऐसा वायदा करें। मैं चाहता हूँ कि वे यह जाने कि सजगता से, सावधानी से हमने इस बात पर भली भांति जोर दिया है कि इस देश में हरिजनों के साथ पहले से कहीं अच्छा व्यवहार किया जाए जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में आरक्षण तक सीमित नहीं हो। इस देश में आरक्षण का केवल इतना ही अर्थ रह गया है। यह चतुर्थ श्रेणी क्षेत्र में 'स्वीपर' के पद में सेवा आरक्षण का ही प्रश्न नहीं है।

नहीं, श्रीमान, यह उनको देश से बाहर अच्छे अवसर उपलब्ध करा रहा है। हम विशेष निगमों का गठन कर रहे हैं और उन्हें संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी औद्योगिक नीति का सम्पूर्ण जोर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर है। इस प्रकार हम उन्हें अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले वर्ष हमने हरिजनों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों के 60,000 युवा लड़कों और लड़कियों को गलीचे बुनने का प्रशिक्षण दिया। इस वर्ष हम 60,000 और लोगों को यह प्रशिक्षण देंगे। इस प्रकार हम उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हमारी आर्थिक नीति का उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हथकरधा बोर्ड और हस्त शिल्प बोर्ड के माध्यम से हरिजनों, पिछड़ी जातियों और ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों की स्थिति में सुधार करना है। पिछले वर्ष हमने हथ-करधा क्षेत्र में 11% अधिक कपड़े का उत्पादन किया। इस प्रकार गरीब लोगों के पास ही यह धन पहुंचता है न कि बड़े लोगों के हाथों में, जिनके कि श्री वसन्तराय नायक बहुत प्रशंसक हैं। वे सब गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोग हैं। तब आप किस मानदण्ड से हमारे कार्यों को नापना चाहते हैं ?

आपने ईसाइयों की बात की है। आपने धर्म-स्वातन्त्र्य विधेयक की बात की है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने इनकी चर्चा की। मुझे प्रसन्नता है कि श्री स्टीफन ने इनका उल्लेख किया। मुझे प्रसन्नता है कि विपक्ष के नेता ने इनका उल्लेख किया। और संभवत: यह एक दूसरा मामला है जिन पर आपने हमारे भिन्न विचार सुने हैं। मंत्रिमंडल में मेरे साथी, श्री मोहन धारिया ने कोचीन में आपके ही राज्य में, बड़े जोरदार शब्दों में कहा है कि जब तक जनता पार्टी में मे जैसे लोग हैं, धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक पारित नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसा कहा है। परन्तु आपने क्या

किया है ? एक निजी सदस्य के विधेयक को देशभर में जनता सरकार के विधेयक के रूप में प्रचारित किया गया। क्या ईमानदारी यही है ? मैं विपक्ष के नेता श्री स्टीफन से यह पूछता हूँ।

श्री वसंत साठे : प्रधान मंत्री ने इसका समर्थन किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : प्रधान मंत्री ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। मुझे खेद है कि आप प्रधान मंत्री के साथ अन्याय नहीं कर सकते। प्रधान मंत्री ने यह कभी नहीं कहा कि यह सरकार की नीति है या यह सरकारी विधेयक है। प्रधान मंत्री ने अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट किए थे जिन्हें आपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रयोग किया है। क्या मैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के माननीय सदस्य के लाभ के लिए जिन्होंने यह कहा है कि उनके साथ चतुर्थ श्रेणी के नागरिकों की भांति व्यवहार किया जाता है दो अनुरोध कर सकता हूँ ? आज देश के तीन सेना अध्यक्ष हैं जिनका देश की सुरक्षा से संबंध है। एक हैं थल सेना के सेना अध्यक्ष श्री मल्होत्रा उनके धर्म और समुदाय के विषय में बत ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे हैं वायुसेना अध्यक्ष एचर चीफ मार्शल लतीफ उनके भी समुदाय और धर्म बताने की आवश्यकता में नहीं समझता हूं। वे मुसलमान हैं। और तीसरे नौसेना अध्यक्ष श्री परेरा हैं जो कि ईसाई हैं। हमारी मातृभूमि की सुरक्षा तीन बड़े जनरलों के हाथ है जो तीन भिन्न-भिन्न समुदायों से संबंधित हैं। जनता सरकार ने ही ऐसा किया है और ऐसा पहली बार हुआ है।

श्री वसंत साठे : क्या आप यह कह रहे हैं कि आपने ऐसा करने के लिए कुछ लोगों की वरिष्ठता की उपेक्षा की है या कुछ और ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं आपको बताता हूँ। साठे जी मैं आपको जानता हूँ कि आप बड़े चतुर व्यक्ति हैं और आप हमेशा शायद यह समझते हैं कि मैं चतुराई से प्रश्न पूछता हूँ। हमने किसी की भी वरिष्ठता का उल्लंघन नहीं किया है। आप मुसलमानों को रोकने के लिए ऐसा किया करते थे।... (**व्यवधान**)... । वास्तविकता तो यह है कि यदि जनता सरकार मुसलमान-विरोधी, ईसाई विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी होती तो जनता सरकार ने एडमिरल परेरा तथा एयर चीफ मार्शल लतीफ की वरिष्ठता का उल्लंघन किया होता। यदि सरकार के धर्मनिरपेक्ष होने का प्रमाण चाहिए तो यही प्रमाण पर्याप्त है।

श्री सी० एम० स्टीफन : आपको यह कहने का साहस नहीं करना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम जानते हैं। आपने क्या किया। यदि आप चाहते हैं तो हम कई प्रमाण दे सकते हैं। आप इस विधेयक की बात करते है। श्री स्टीफन जी, क्या आप मध्य प्रदेश के विधेयक को भूल गए हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : वह विधेयक तब लाया गया था, जब वहां पर जनसंघ का शासन था ... (**व्यवधान**)...

श्री जार्ज फर्नांडीस : कृपया अपनी सूचना को सही कर लीजिए।

श्री सी० सुब्रहमण्यम : क्या मैं प्रधान मंत्री से सेनाओं को राजनीति से बाहर रखने का अनुरोध कर सकता हूँ ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : विरोधी पक्ष का पूरा जोर हमारी पार्टी को साम्प्रदायिक कहने पर लगा है। सदन के बाहर और अन्दर विरोधी पक्ष ने इस सरकार को ईसाई विरोधी कहा है। मैं ईसाई हूँ ...(**व्यवधान**)... मैं स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ

श्री अरविन्द बाला पजनौर : विधेयक के संबंध में अपने को स्पष्ट कीजिए। आप इसका बचाव करने का या हमें भ्रांति में डालने का प्रयत्न मत करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसके अतिरिक्त कानून और व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है। श्री नायक और अन्य सदस्यों ने कहा है कि देश के इतिहास में पहली बार पुलिस और सेना में मुठभेड़ हुई है जो कुछ भी हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। किन्तु क्या आप 1973 को भूल गए हैं ? क्या आप भूल गए है कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था ?

श्री सी० एम० स्टीफन : इसके परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुख्य मंत्री की पदोन्नति करके केन्द्र में उन्हें मंत्री बना दिया गया था। श्री स्टीफन आप अपने इतिहास को मत भूलें ; कम से कम अपने इतिहास को तो याद रखिए।

1967 में क्या हुआ जब वर्तमान विपक्ष के नेता गृह मंत्री थे। क्या सीमा सुरक्षा बल बीच में नहीं आया था। क्या सीमा सुरक्षा बल ने आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े (**व्यवधान**)। यह सब आपने जिस व्यक्ति के माध्यम से किया, वह है कमांडेंट जनरल श्री रुस्तम जी।

मैं उनके दस्तावेज को पढ़ रहा हूँ :

"यह 14 अप्रैल, 1967 का दिन था और संयोगवश उस समय मैं गृह सचिव के कक्ष में था जबकि दिल्ली पुलिस की समस्यायें आई। दिल्ली प्रशासन कुछ पुलिस कर्मचारियों को, जिनके आचरण आपत्तिजनक थे, गिरफ्तार करने के लिए कड़ी कार्यवाही करने के पक्ष में था। तीन वर्षों तक वे अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए आन्दोलन करते रहे और उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने पोस्टर लगाये, सार्वजनिक सभायें कीं, एक बार अपना वेतन लेने से मना किया और अन्त में उन्होंने नारे लगाये। इसका कारण यह था कि उनके संघ को मान्यता नहीं दी गयी और उनकी शिकायतें दूर नहीं हो सकीं।"

इसके बाद क्या हुआ ? उन्होंने सत्याग्रह किया। उनका कहना है :

"सत्याग्रही गलियों से होकर आये और गृहमंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) के घर के सामने एकत्र हो गये जहां वे सत्याग्रह की मानक योजना के अनुसार बैठ गये, जब कि उनके नेताओं ने उन्हें सम्बोधित किया।"

फिर अगले दिन क्या हुआ ?

"अगले दिन सीमा सुरक्षा दल ने सत्याग्रही दल को अच्छी तरह से घेर लिया और उनको नम्रता के साथ आगे ले गये। जहां तक दिल्ली पुलिस की हड़ताल का सम्बन्ध है, यही हुआ था। समाचारपत्रों में काल्पनिक खतरों, सभी तरह की अफवाहों पर प्रकाश डाला गया और राजधानी में खबरें फैल गयी।"

इसके बाद आपने तीनमूर्ति से कुछेक गज आगे अश्रुगैस के गोले गिराये जिससे वहां पर रहने वाली महिलायें और बच्चे घबरा गये, वहां धुआं सा छा गया और जलूस में भाग लेने वाले व्यक्तियों को दूर भगा दिया गया।

जहां तक गोलियों का सम्बन्ध है, दूसरे पक्ष के सदस्यों को कम से कम शान्त रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनका अपनी पार्टी से भी यह पूछने का दायित्व है कि उनके शासन में क्या हुआ। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, कमान्डेन्ट रुस्तम जी ने फिर कहा है:

"अगले दिन रक्षा सचिव (श्री गोविन्द नारायण) और मुझसे लखनऊ जाने के लिए कहा गया। पी० ए० सी० ने हथियार छीने जाने का विरोध किया था और गोली चलना शुरू हो गया। सेना और पुलिस ने अनेक स्थानों पर गोली चलाई। बनारस, सुलतानपुर और कानपुर में खुलेआम लड़ाई हुई। पहले दिन की लड़ाई से पता लगा कि 100 से 150 तक लोग हताहत हुए, जिसमें पुलिस के कर्मचारी अधिक थे। सेना को भी कुछ क्षति पहुंची। सेना उनपर काबू नहीं पा सकी और सेना तथा पुलिस की अनेक बटालियनें समूचे उत्तरप्रदेश में क्षेत्र में यूनिटों का समर्थन करने के लिए विमान द्वारा पहुंचाई गई।"

श्री सौगत राय, आप जानते हैं कि सैकड़ों व्यक्ति मारे गए थे। उनपर किस तरह से गोलियां चलाई गई। उस पर यह सब हुआ था। यदि कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति की चर्चा करता है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति यह थी।

अत: जनता सरकार के कार्यों को मापने के लिए आपका यह पैमाना है। जनता सरकार के विरुद्ध आपकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कानून और व्यवस्था सम्बन्धी दलीलें खोखली हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारी अपनी समस्यायें हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें अधिक अच्छा कार्य करने की आवश्यकता है, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि लोगों की जनता सरकार से बड़ी आशायें हैं। लोगों ने सवा दो वर्ष पहले हमें सत्तारूढ़ इसलिए किया था कि उनकी इच्छायें और आकांक्षायें पूरी होंगी। और मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि हमने जो वायदे किए थे वे पूरे किए जायेंगे। सवा दो वर्षों में हमने नींव रखी, हम आगे कार्यवाही करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ये वायदे पूरे किये जायें और मुझे उम्मीद है कि यह सभा, और विशेषकर विपक्ष हमें वह सभी समर्थन देंगे जो हमें वायदे पूरे करने के लिए आवश्यक होगा।

इन शब्दों के साथ मैं विपक्ष के नेता के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इसे अस्वीकृत करे।

श्रीमती मोहसिना किदवई (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, चव्हाण साहब ने जो नो-कॉफीडेंस मोशन मूव किया है, उसकी ताईद करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं।

अभी जार्ज फर्नान्डीस साहब ने बडे जोरदार भाषण से कोशिश की ताकि वे कागजी आँकड़ों से सदन को प्रभावित कर सकें और लोगों को यह बता सकें कि जनता पार्टी के अचीवमेंट्स क्या हैं। यह बात मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ कि जार्ज साहब ने जो बड़ा जोरदार भाषण किया, तो

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

मुझे याद आया कि चिकमंगलूर में भी इन्हीं बातों को लेकर, हू-बहू इन्हीं चीज़ों को लेकर और इसी अन्दाज में भाषण किया था। इसी तरह के भाषण करके उन्होंने वहां के लोगों को यह बताने की कोशिश की थी कि जनता पार्टी ने क्या क्या किया है।

मैं दो, तीन बातों का जबाव उनसे पूछना चाहती हूं। अभी बहुत जोरदार तरीके से उन्होंने कहा कि मि० लतीफ एयर चीफ मार्शल आजकल हैं। बड़ी खुशी की बात है लेकिन इस पोस्ट पर वे आपके अहसान से नहीं है। वे बाई वरचू आफ देयर सीनियेरिटी उस पोस्ट पर हैं। यह चीज़ चिकमंगलूर के इलैक्शन में कही जाती थी कि लतीफ साहब को जनता पार्टी ने एयर चीफ मार्शल रखा है। इसी तरह से यह बात भी कही गई कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमेन जो है, वह एक मुस्लिम है और इस तरह से माइनोरिटीज के लिये वे क्या कर रहे हैं, यह उन्होंने बताया।

मैं जार्ज साहब से पूछना चाहती हूं कि जहां रोजमर्रा माइनोरिटीज का गला घोंटा जाता हो, जहां रोजमर्रा जमशेदपुर बनता हो, जहां रोजमर्रा अलीगढ़ बनता हो और जहां रोजमर्रा नादिया बनता हो, वहाँ पुलिस थानों में कितनी कांस्टेबुलेरी को भर्ती किया है, इसकी आप जांच कराइये।

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

जार्ज साहब, आप जा रहे हैं। मैं चाहती थी कि आप मेरी चन्द बातों का जबाव देते जाते। बड़ा जोरदार भाषण आपने दिया है। मैं उनसे पूछना चाहती हू कि पुलिस कांस्टेबुलरी की हर एक थाने में जरूरत होती है। कितनी आपने वहां पर माइनोरिटीज के लोगों की भर्ती की है, कितने ईसाइयों को वहां भर्ती किया गया है और कितने मुसलमानों को वहाँ पर भर्ती किया गया है।

तजकिरा यह किया जा रहा है कि हमने इन्डस्ट्रीज के लिये यह कर दिया और वह कर दिया। मैं खास तौर से हैन्डलूम सेक्टर के बारे में पूछना चाहती हूं। मैं खास तौर पर यह पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के बुनकरों का क्या हाल है?

कभी आपने यह सोचने की कोशिश की है? आपने बनारसी साड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी, परचेज टैक्स लगाया। उसकी बजह से कारीगरी का क्या हाल हो रहा है इसको भी आपने देखा-है? सूत के मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं और उसकी बजह से बुनकर फाके करने पर मजबूर हो गया है, रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गया है। क्या आपको मालूम है कि रंगों के दाम कहाँ पहुंच चुके हैं? आप कागजी आँकड़े देकर अव्वाम के भूखे पेट को नहीं भर सकते हैं। मैंने सेक्सन 377 में एक मोशन दिया था लेकिन आज तक आपने उस पर कोई कार्यवाई नहीं की है। मेरा चार्ज है कि यह सरकार सरमायेदारों की सरकार है, इसने हमेशा बड़े-बड़े सरमायेदारों को ही देखा है, छोटे आदमियों की तरफ नहीं देखा है। आप हैन्डलूम सैक्टर की बात करते हैं। उत्तर-प्रदेश में आप जाकर देखें कि वर्कर की क्या हालत है। सुबह अगर सौ रुपये में उसको बंडल मिलता

है तो शाम को 108 में मिलता है। यह सरकारी मिल की बात मैं कर रही हूं । मैं लिखकर भी दे चुकी हूं। आपने तकलीफ गवारा नहीं की है कि मेरे पत्र का उत्तर भी दें।

आप गांव-गांव में इन्डस्ट्रीज ले जाने की बात करते हैं।

मैं पूछना चाहती हूं कि इन दो सालों में कौन सी ऐसी आफत आई है कि न कोयला मिलता है, न मिट्टी का तेल मिलता है, न सिमेंट मिलता है, न रॉ मैटीरियल मिलता है और न ईटा मिल रहा है। देहातों में जाकर आप इन्डस्ट्रीज खोलेंगे तो जब रॉ मैटीरियल ही नहीं मिलेगा तो कैसे काम चल सकेगा। फिनिश्ड गुड्ज वहां से बाहर नहीं जा सकती है। मार्किटिंग का कोई इन्तजाम नहीं है। अगर आप तीन हजार नहीं चार हजार करोड़ भी इंडस्ट्रीज लगाने पर खर्च करें तो भी गरीब आदमी का वहां भला नहीं हो सकेगा।

बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कल कंवरलाल गुप्तजी ने बड़े जोर से कहा कि हमने माइनोरिटीज कमीशन बनाया है। क्या उसको बना देने से माइनोरिटीज को उनका गला कटने से आपने वचा लिया है और क्या आप उनको बचा सकते हैं कमीशन को छः महीने तक दफ्तर नहीं मिला। यह आपकी सीरियसनैस थी उसके बारे में। मसानी साहब जब चेयरमैन थे तब की यह बात है। आप उसकी सिफारिशों को किस दर्जे तक मानते हैं यह भी आप जरा हमें बताएं।

आपने कहा है कि एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हमने इनफ्रा स्ट्रक्चर बना दिया था उसी की बदौलत क्या आप चल नहीं पा रहे हैं। हमारी आपसे शिकायत है। हम समझते हैं कि इससे ही आपको चाहिये था कि आप प्रोडेक्शन को दुगुना करके बताते। इसको आपके निकम्मेपन और नाअहली ने नहीं होने दिया है।

किसानों की हालत को आप देखें। बरनाला साहब यहां कृषि पंडित के इनाम बाँटते फिरते हैं। लेकिन किसान की हालत क्या है ? पंद्रह दिन पहले तक किसान आलू को लेकर मारा मारा फिर रहा था, रो रहा था और उसका आलू 17 रुपये और 20 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था और इस भाव पर उसने उसको बेचा। लेकिन जैसे ही किसान के घर से आलू निकल गया उसके दाम 45 रुपये क्विंटल हो गए। आलू का एक्सपोर्ट पहले हुआ करता था। लेकिर वैगन नहीं मिले और उसका एक्सपोर्ट नहीं हो सका। आपने वैगन नहीं दिए और किसान का आलू सड़ गया। गेहूँ की हालत आप देखें। गेहूँ को भरने के लिए बोरे नहीं मिल रहे हैं। सड़क पर गेहूँ पड़ा है, सड़ रहा है, भीग रहा है। आपने खरीद के कुछ सेंटर खोले हैं। लेकिन उसका गेहूँ वहां खरीदा नहीं जा रहा है क्योंकि आप बोरे प्रोवाइड नहीं कर सके हैं।

किसान का गल्ला सत्तर रुपये में बिक रहा है। बेचने वाले को 30-35 रुपये घाटा हो रहा है। फायदा न कंज्यूमर को हो रहा है और न प्रोड्यूसर को, फायदा हो रहा है सरमायेदार को। आपकी सरमायेदाराना पालिसी है। किसान को गेहूँ आढतिया 70 रुपये में खरीद लेता है और आपसे वह 115 रुपये कीमत ले रहा है। खाने वाले को वही 130 रुपये में मिल रहा है।

किसान ने अपना गन्ना तीन रुपये क्विंटल बेचा है। आलू 17 रुपए और 20 रुपए क्विंटल बेचा है। यही हाल पैंडी का है। जो प्रोड्यूस करता है उसको आप सही कीमत नहीं दे सके हैं, जो खाता है उसको सही दाम पर चीज आप मुहैया नहीं कर सके हैं। फायदा किन को हुआ है ? शूगर

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

मिल मालिकों को, बड़े-बड़े सरमायेदारों को ही फायदा हुआ है आपने खुलेआम इम्पोर्ट लाइसेंस देने शुरू कर दिये हैं। अब हर चीज का इम्पोर्ट हो रहा है। मैं आपको अपने सूबे के आंकड़े बताती हूं। चुर्क सिमेंट फैक्ट्री सरकारी फैक्ट्री है। हमारे जमाने में उसमें कैपेसेटी का अस्सी परसेंट पैदा होता था और आपके जमानेमें बीस परसेंट ही रह गया है। आंकड़े आप कुछ भी जमा कर बता दें लेकिन हर जगह यही स्थिति है।

पिछली सरकार के जमाने में ईंट नब्बे रुपये हजार मिल जाती थी और आज दो सौ रुपये हजार में मिल रही है। सिमेंट की बोरी 21 रुपए है लेकिन वह 42 और 45 रुपये में भी कहीं ढूंढ़े नहीं मिलती है।

आज मिट्टी के तेल की कमी है। कोयले की वजह से फिरोजाबाद की सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई है। आपकी मिनिस्ट्रीज में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है, और आप यहां कह रहे है कि हमने दो साल में यह अचीवमेंट किया है। उत्तरप्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1975-76 और 1976-77 में 8 और 10 परसेंट पहुंच गया था और 12 परसेंट पहुँचने की उम्मीद थी, इसलिए आपने बता दिया कि कुछ परसेंट अचीवमेंट हुआ है।

माननीय जार्ज फर्नान्डीस साहब गांधीजी का नाम ले रहे थे, जहां आपका परपज सूट करता है वहां गांधी जी जैसे नेता बन जाते हैं, और मैं समझती हूं कि गांधी जी का ही नाम लेकर के प्रधानमंत्री ने असद मदनी साहब को जो चिट्ठी लिखी है उसे मैं पढ़ना चाहती हूं।

> "प्रधानमंत्री का जमात उलिमा-इ-हिन्द का विरोध : प्रधानमंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने सरकार की नीति के विरुद्ध जमात उलिमा-इ हिन्द द्वारा अपने वर्तमान सत्याग्रह में महात्मा गाँधी के नाम का प्रयोग करने पर आपत्ति उठाई है।"

कितने शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े गांधियन हैं, शायद गांधी जी का ही नाम लेकर जमशेदपुर में, अलीगढ़ में दंगे हो रहे हैं। इसी तरह शायद बेलची में भी कहा था गांधी जी ने कि हरिजनों को जिन्दा जला दो। कहा गया कि हमारे जमाने में भी दंगे हुए। मैं मानती हूँ कि दंगे हुए, लेकिन उन दंगों के पीछे कोई दो कौमी नजरिया नहीं था। लेकिन आज पूरी फिजा को फिरकेवाराना बनाया जा रहा है जो मुल्क के सेक्यूलर कैरेक्टर को चैलेन्ज कर रही है और मुल्क को तहस-नहस कर रही है। मैं समझती हूँ कि हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी भी हमारे ईसाई भाई प्रोटेस्ट के लिये सड़कों पर नहीं निकले हैं। लेकिन आज वह भी हो रहा है। देश की पूरी हिस्ट्री में हमारे मुल्क के मुसलमान रिफ्यूजी बनकर बांगला देश में आपके जमाने में गए। इन सब बातों से अंदेशा होता है कि जनता पार्टी ने फासिस्ट ताकतों को ताकत दी है, सरमायेदारों, ताल्लुकेदारों के निजाम को फिर से लाने की कोशिश की है। इसलिये जनता पार्टी के खिलाफ जो नौकान्फीडेंस का प्रस्ताव आया है वह सही आया है।और मैं पूरे हाउस से अपील करूंगी कि इस मुल्क से फिरकेवारियत को हटाने के लिए और मुल्क को सोशलिज्म की तरफ लाने के लिए, मुल्क के सेक्यूलर फोर्सेज को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से इस मोशन का समर्थन करे और जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क के अवाम की भलाई के लिए इस सरकार को हटा दे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणासी) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम चव्हाण साहब जो विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा कि मुझे खुशी नहीं है, बल्कि मैं राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले ढाई साल के कार्यकाल को देखने के बाद और जो जनता ने अपने दिल में इनके प्रति प्रेम पैदा किया था और जिस आशा का संचार करके मार्च 1977 में भेजा था उन सारी आशाओं पर पिछले सवा दो वर्ष में तुषारापात हो गया। मुझे इस बात का दुःख है कि जो साथ आज जनता पार्टी (एस) बनाकर निकले हैं, वह साथी आज से पहले क्यों नहीं निकले और इतनी रद्दी और भ्रष्ट हुकूमत के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने में इसके पहले पहल क्यों नहीं की।

आज पिछले सवा दो वर्ष के राज्य के चलते जितने आँकड़े यहां पेश किये गए, या जितने साथी बधर से बोले, उन्होंने आंकड़ों को दुहाई दी और यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस राज्य निकम्मा था। कांग्रेस राज्य निमम्मा था, चला गया, आपको जनता ने मार्च, 1977 में इसलिये बैठाया कि उन निकम्मों के निकम्मेपन को दूर करें, हिन्दुतान को आदर्श और गांधीवादी तरीकों के अनुरूप बनाने की तरफ आप इस देश को ले चल सकें, लेकिन सवा दो बरस पर दृष्टि-पात करेंगे तो मार्च, 1977 में जिस हिन्दुस्तान की जनता ने श्री जार्ज फर्नान्डीस को, जो मुजफ्फरपुर जेल में बन्द थे, लाखों वोट से जिताया था, उसी हिन्दुस्तान की जनता ने मई, 1977 में विधान-सभा के चुनाव में 20 फीसदी वोट कम दिये हैं। यह सबूत बताता है कि जनता का प्यार जनता पार्टी की नीतियों को कार्यान्वित न करने के कारण उससे छिनता हुआ चला जा रहा है।

जनता पार्टी अध्यक्ष ने भी अपने बयान में कहा कि आज जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास का संकट है, आर्थिक और सामाजिक नीति व राजनीतिक चाल-चलन में विश्वास का संकट है, आर्थिक मैं जानना चाहता हूँ उन दोस्तों से, हमारे जिगर के टुकड़ों से, कहां चले गये श्री उग्रसेन ? मैं उनसे पूछता हूँ कि आप डिफैक्शन के ऊपर हमसे कहते हो कि डिफैक्शन पर इस्तीफा देकर चुनाव लड़ो ? उग्रसैन जी अगर कहीं हो तो चुल्लुभर पानी में डूब मरो, जनता पार्टी ने मार्च 1977 में जब शेख अब्दुल रहमान को काश्मीर से टिकट दिया था, उसके बदले में जनता पार्टी बनने के बाद भी जनसंघ के लोगों ने बलदेवसिंह को खड़ा किया और जिताकर लाये और उसके बाद फिर बलदेव सिंह को जनता पार्टी में शिरकत कराया। जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री शेख अब्दुल रहमान को हराया और फिर बलदेवसिंह को यहां जनता पार्टी में शिरकत कराया, क्या यह बलात्कारी के साथ शादी रचने जैसा प्रस्ताव नहीं था ? जिसने जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया, उसी आदमी को फिर जनता पार्टी में शामिल कराया, यह उसी तरह का है कि कोई मेरी माँ के साथ बलात्कार कर दे और फिर उसी बलात्कारी के साथ हम शादी रचाने का प्रस्ताव करें।

मर्ज बढता गया, ज्यों-ज्यों दवा करते गये। 6,6 डिफैक्टर आये। श्री रघुरमैया, डा० सरोजिनी महिषी जैसे इन 6 लोगों को जब आपने लिया था, उस समय डिफैक्शन के बाद चुनाव की बात आपके दिमाग में नहीं आई ? मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूँ कि मैं बनारस से अपनी सीट से इस्तीफा देने को तैयार हूँ अगर मोरारजी भाई अपनी सीट गुजरात से इस्तीफा

दें और चुनाव हो जाये। जनता का जो फैसला हो, वह मान लिया जाये।

यह विश्वास का संकट क्यों हुआ, आज एक बड़ा सवाल है।

एक माननीय सदस्य : कुर्सी नहीं मिली इसलिये।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : कुर्सी का भी जिक्र करूंगा, उस पर भी आना चाहूँगा। यहां बहुत कहा गया कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास का संकट है। यहां तक कि मंत्रिमण्डल में विश्वास का संकट है और इतना ही नहीं, दो मंत्री कहते हैं कि बोनस के मामले पर हम मंत्रिमण्डल से हट जायेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बोनस के सवाल को हल नहीं किया जा सकता है। आज इस जनता पार्टी के मंत्रिमण्डल में तालमेल नहीं है। मेल तो खत्म हो गया है, केवल ताल ही ताल बाकी रह गई है। केवल ताल बज रहा है, इसमें मेल का अभाव है।

प्रधानमंत्री, श्री मोरारजी देसाई, मेरे लिए आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने खोसला कमीशन के सामने बयान देते हुए कहा था कि जिस समय महात्मा गांधी की हत्या हुई, उस समय मैं बम्बई का गृह मंत्री था। मुझे बताया गया कि गांधी जी की हत्या होने वाली है, लेकिन मैंने उसे मजाक समझा। आज मैं इस सदन से, और इस देश के लोगों से, कहना चाहता हूँ कि श्री मोरारजी देसाई के मजाक और गोडसे की गोली से हिन्दुस्तान के राष्ट्रपिता इस दुनिया से उठ गये। आज वह उन्हीं लोगों के साथ मिलकर हिन्दुस्तान को साम्प्रदायिकता की भट्टी में झोंकने का काम कर रहे हैं। श्री मोरारजी देसाई के मजाक और गोडसे की गोली ने हिन्दुस्तान के दीपक को बुझाया था। मैं अपने बड़े भाई, श्री जार्ज फर्नान्डीस, को याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में भाषण देते हुए कहा था कि दीपक जलाने वाले आज दीपक लेकर आते हैं, मगर इन्हीं दीपक जलाने वालों ने हिन्दुस्तान के दीपक को बुझा दिया था।

बड़ी चर्चा की जाती थी कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है—केवल तंत्र रह गया है, लोक गायब हो गया है। वह सरकार डेढ़ आदमी की सरकार थी। हमें खुशी है कि वह डेढ़ आदमी की सरकार चली गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज डेढ़ से बढ़कर पौने दो आदमी की सरकार हो गई है। बाप बन जाता है सरकार का मालिक और बेटा बन जाता है चुनाव-कोष और जनता का भाग्य-विधाता। यह कैसी राजनीति है! आज राजनीति और व्यापार का गठ-बंधन चल रहा है।

साथी मधु लिमये ने 94 लाख रुपये के बारे में कहा है। जब मैं श्री राजनारायण के यहां बैठा हुआ था, तो लंदन से बालसुब्रह्मण्यम का फोन आया कि चार स्मगलर्ज ने मई, 1977 में कान्तिभाई देसाई को 20 करोड़ रुपया दिया था। उसी में से 94 लाख रुपया चन्द्रभान गुप्त को दिया गया। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ :

हिफाजत ऐसी न हो कि हाफ़िज़ गायब हो जाये,
दवा ऐसी न हो कि मरीज़ गायब हो जाये,
कद्रदानी बढ़े, चरण पड़े चांद पर,
तारीफ ऐसी न हो कि तमीज़ गायब हो जाये।
—और गरीब की बची-खुची कमीज भी गायब हो जाये।

यहां पर बड़े आंकड़े रखे गए। आंकड़ों की भूलभुलैया में डालने की कोशिश की गई। (व्यवधान) इन लोगों का तो लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है, उनके पास कोई तर्क नहीं है। नागपुर से जो फरमान आएगा, इनके लिए तो वही फरमान असली है, मगर उस फरमान के कारण लोकतंत्र नहीं चल सकता है।

यहाँ पर कहा गया कि जब उत्तरप्रदेश में कमलापति त्रिपाठी का राज था, तब सेना के द्वारा पी० ए० सी० के जवानों पर गोली-वर्षा की गई थी। अगर कांग्रेस राज में गोली चलाई गई थी तो मैं कैसे कहूँ कि जनता राज में सी० आर० पी० के जवानों पर जो गोली चलाई गई थी, वह फूलों की वर्षा थी? अगर कांग्रेस राज की गोली गोली थी, तो जनता पार्टी (सी) के राज की गोली भी पुष्प-वर्षा नहीं है।

कहा गया है कि श्री राजनारायण जी कैसे जनता पार्टी से चले गये, वह कल तक नानाजी के मुंह से मुंह मिलाकर बोलते थे। मैं कहना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ डा० लोहिया की, 1963 की कलकत्ता कान्फरेंस में डा० लोहिया ने कहा था कि कांग्रेस के कारण देश में अविश्वास पैदा हो गया है, कोई कांग्रेस को हटा नहीं सकता, इसलिए इस सांप को कुचलने के लिए शैतान से भी हम हाथ मिलाने को तैयार हैं और हमने जानबूझकर के आर० एस० एस० के शैतान से हाथ मिलाया। लेकिन आज समय आ गया है कि उस शैतान को भी कुचलना होगा और एक धर्मनिरपेक्ष नीति, समाजवादी नीति, समता की नीति और एक ऐसी नीति चलानी होगी जिसके चलते राष्ट्र आगे बढ़ सके। इसकी कल्पना के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जिगर के टुकड़े चले गए, वह ऐसे टुकड़े हैं, उनको इतना इश्क हो गया कि इस सड़ी लाश से भी इनको बदबू नहीं आती। गालिब का एक शेर कहकर मैं समाप्त करता हूँ :

इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया।
वरना ये भी आदमी थे काम के॥

यह कहते हुए मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11-00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

मध्याह्न पश्चात 7-00 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार 13 जुलाई 1979/22 आषाढ़, 1901 (शक) के मध्याह्नपूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2